आज़ादी का अमृत महोत्सव

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

वर्ष 67 अंक : 12 पृष्ठ : 72 अक्टूबर 2021 मूल्य : ₹ 30

विशेषांक

Delhi ★ Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd.

ग्रामीण भारत में सामाजिक बदलाव

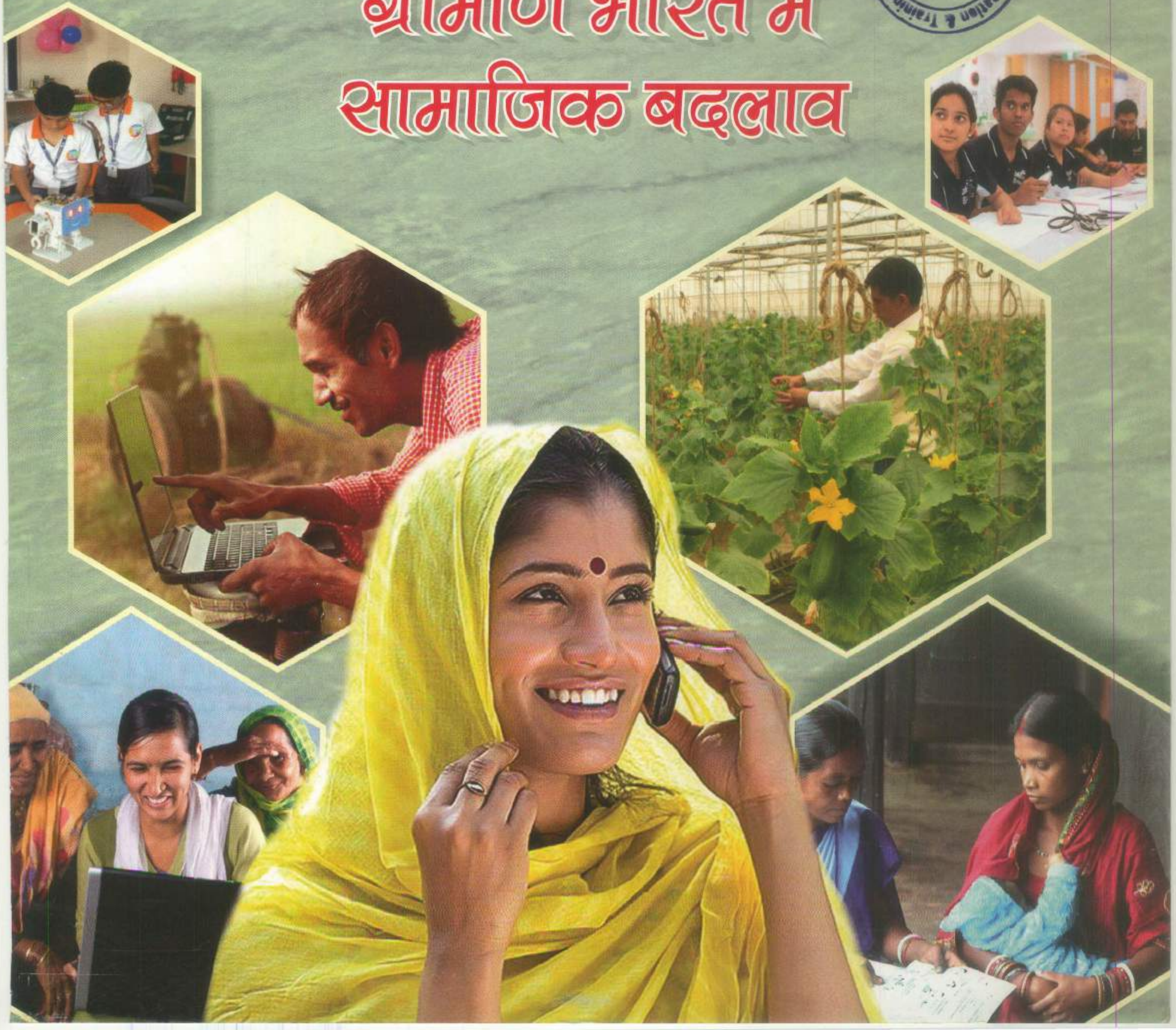

कोविड तनाव प्रबंधन

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख मासिक पत्रिका

इस अंक में

वर्ष : 67 ★ मासिक अंक : 12 ★ पृष्ठ : 72 ★ आश्विन–कार्तिक 1943 ★ अक्टूबर 2021

वरिष्ठ संपादक : ललिता खुराना

उत्पादन अधिकारी : डी.के.सी. हृदयनाथ

आवरण : राजिन्द्र कुमार

सज्जा : मनोज कुमार

संपादकीय कार्यालय
कमरा नं. 655, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन,
सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली–110 003

ई-मेल : kuru.hindi@gmail.com

वेबसाइट : publicationsdivision.nic.in

@publicationsdivision

@DPD_India

@dpd_India

ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र बदलाव की बयार –डॉ. जगदीप सक्सेना	6
उद्यमिता और स्टार्टअप्स-परिवर्तन के उत्प्रेरक –सतीश सिंह	11
माइक्रो फाइनेंस और माइक्रो क्रेडिट से सकारात्मक बदलाव –डॉ. जी.आर. चिंताला	16
उद्यमिता : महिलाओं की बढ़ती भागीदारी –अमिताभ कांत, नमन अग्रवाल, अनमोल सहगल	21
सूचना सुपरहाइवे पर स्मार्ट गांव –बालेन्दु शर्मा दाधीच	27
आयुष्मान भारत: ग्रामीणों के स्वास्थ्य में सुधार –शिशिर सिन्हा	31
'फिट इंडिया' को जन-आंदोलन बनाने की ज़रूरत –डॉ. संतोष जैन पासी, आकांक्षा जैन	35
सहकारिता से ग्रामोदय –अरविन्द मिश्रा	42
नए भारत के आत्मनिर्भर होते गांव –संतोष पाठक	46
ठोस और तरल अपशिष्ट का बेहतर प्रबंधन –अविनाश मिश्र, प्रियंका आनंद	51
समावेशी विकास की ओर ग्रामीण भारत –देविका चावला	56
स्थानीय समाज और संरक्षित क्षेत्र : सह-अस्तित्व की विकास गाथा –निमिष कपूर	59
पुलिस दादालोरा खिड़की: एक नई पहल –अंकित गोयल	64
अनेकता में एकता के सूत्रधार सरदार वल्लभभाई पटेल –राकेश शर्मा निशीथ	68

कुरुक्षेत्र सदस्यता शुल्क

पत्रिका ऑनलाइन खरीदने के लिए bharatkash.gov.in/product पर तथा ई-पुस्तकों के लिए Google play, Kobo या Amazon पर लॉग-इन करें।

वार्षिक : ₹ 230, द्विवार्षिक : ₹ 430, त्रिवार्षिक : ₹ 610

कुरुक्षेत्र की सदस्यता की जानकारी लेने, एजेंसी संबंधी सूचना तथा विज्ञापन छपवाने के लिए संपर्क करें–

अभिषेक चतुर्वेदी, संपादक, पत्रिका एकांश
प्रकाशन विभाग, कमरा सं. 779, सातवां तल,
सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
लोधी रोड, नयी दिल्ली–110003

सदस्यता शुल्क जमा करने के बाद पत्रिका प्राप्त होने में कम से कम 8 सप्ताह का समय लगता है।

पत्रिका न मिलने की शिकायत हेतु इस पर मेल करें ई-मेल : pdjucir@gmail.com या दूरभाष: 011–24367453 पर संपर्क करें।

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो। पाठकों से आग्रह है कि कैरियर मार्गदर्शक किताबों/संस्थानों के बारे में विज्ञापनों में किए गए दावों की जांच कर लें। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषय-वस्तु के लिए 'कुरुक्षेत्र' उत्तरदायी नहीं है।

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

नई दिल्ली	पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	011–24367260
दिल्ली	हाल सं. 196, पुराना सचिवालय	110054	011–23890205
नवी मुंबई	701, सी-विंग, सातवीं मंज़िल, केंद्रीय सदन, बेलापुर	400614	022–27570686
कोलकाता	8, एसप्लानेड ईस्ट	700069	033–22488030
चेन्नई	'ए' विंग, राजाजी भवन, बसंत नगर	600090	044–24917673
तिरुअनंतपुरम	प्रेस रोड, नई गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	0471–2330650
हैदराबाद	कमरा सं. 204, दूसरा तल, सीजीओ टावर, कवाडिगुड़ा सिकंदराबाद	500080	040–27535383
बैंगलुरु	फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला	560034	080–25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	0612–2683407
लखनऊ	हॉल सं–1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, क्षेत्र-ए, अलीगंज	226024	0522–2325455
अहमदाबाद	4–सी, नैप्च्युन टॉवर, चौथी मंज़िल, एचपी पेट्रोल पंप के निकट, नेहरू ब्रिज कार्नर, आश्रम रोड, अहमदाबाद	380009	079–26588669

संपादकीय

"आज भारत में जिस तरह टेक्नोलॉजी को गुड गवर्नेंस के लिए, गवर्नेंस सुधारने का एक आधार बनाया जा रहा है, वो अपने आप में जनसामान्य को सशक्त कर रहा है, ये अभूतपूर्व है। डिजिटल इंडिया अभियान ने भारत के सामान्य जन को डिजिटल टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करके, देश की ताकत अनेक गुना बढ़ा दी है और हम भली–भांति जानते हैं, हमारा देश गर्व के साथ कह सकता है, 130 करोड़ आधार नंबर, 118 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर्स, लगभग 80 करोड़ इंटरनेट यूज़र, करीब 43 करोड़ जनधन बैंक खाते, इतना बड़ा कनेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में कहीं नहीं है।" आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री के यह उद्‌गार देश में जो बदलाव की बयार चल रही है, उसकी तरफ इशारा करने के लिए पर्याप्त हैं।

संचार क्रांति ने आज ग्रामीण भारत की तस्वीर के साथ–साथ लोगों की तकदीर भी बदल दी है। आज देश के गांव आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के दौर से गुज़र रहे हैं। हर हाथ में मोबाइल देख कर ऐसे लगता है जैसे दुनिया मुट्ठी में आ गई हो। देश का किसान मोबाइल के ज़रिए न केवल मौसम का हाल जान रहा है बल्कि खेती करने के नए–नए तरीके सीख रहा है, देश–दुनिया के बाज़ारों से लाइव जुड़ रहा है और सबसे बड़ी बात संचार क्रांति की वजह से आई पारदर्शिता के चलते भ्रष्टाचार कम हुआ है और सरकारी योजनाओं का फायदा सीधे ग्रामीणों तक पहुंच रहा है। आज 63 प्रतिशत से ज़्यादा जनधन खाते देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ही खुले हैं और इनमें भी 55 प्रतिशत से ज़्यादा खाताधारक महिलाएं हैं। बैंकिंग सिस्टम से जुड़ने की वजह से अब उनके लिए ऋण लेना भी आसान हो गया है।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने पंचायतों के ज़रिए देश में रामराज्य का सपना देखा था लेकिन इसे कानूनी जामा पहनाने में आज़ाद भारत में भी साढ़े चार दशक से ज़्यादा समय लग गया। आज देश में 255487 ग्राम पंचायतें, 7500 के लगभग मध्यवर्ती एवं जिला पंचायतें देश के गांवों की तस्वीर बदलने में बड़ी भूमिका निभा रही हैं। पारदर्शिता और प्रभावी उपयोग की प्रणाली विकसित होने की वजह से अब देश की अधिकतर ग्राम पंचायतें ग्राम पंचायत विकास योजना बनाकर काम कर रही हैं जिसकी वजह से देश के गांव भी शहरों की तरह ही नियोजित विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

पिछले कुछ वर्षों में गांव की महिलाएं न केवल आर्थिक रूप से मज़बूत हो रही हैं बल्कि उनका सामाजिक परिवेश भी बदल रहा है। साथ ही, राजनीति में प्रवेश के द्वार खुलने से उन्हें धीरे–धीरे घर की दहलीज़ से बाहर आकर देश–दुनिया के सामने अपना हुनर दिखाने का मौका मिल रहा है। आज देश में पंचायती राज संस्थाओं में 14.54 लाख से अधिक निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। देश भर में 70 लाख से अधिक स्वयंसहायता समूहों से करोड़ों महिलाएं जुड़ कर आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम कर रही हैं।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से अब देश के गांवों में सड़कों का जाल तेज़ी से बिछ रहा है। देश के 1.66 लाख से ज़्यादा गांवों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जोड़ा जा चुका है। गांवों को सड़कों से जोड़ने के साथ–साथ गांवों को तहसील, अस्पताल, स्कूल और कॉलेज वाले इलाकों से जोड़ने की योजना पर भी काम किया जा रहा है ताकि देश के हर गांव तक शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं आसानी से मुहैया हो सकें।

देश के ग्रामीण इलाकों में रोज़गार पैदा करने के उद्देश्य से भारत सरकार ग्रामीण इलाकों में आजीविका और कौशल विकास को लेकर भी तेज़ी से काम कर रही है। दीनदयाल कौशल विकास योजना के तहत ग्रामीण इलाकों के युवाओं को ट्रेनिंग के साथ–साथ रोज़गार भी उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही, देशभर में आजीविका समूहों को भी लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में लांच की गई 'स्वामित्व' योजना का भी असर आने वाले दिनों में गांवों में नज़र आएगा जब देश के सभी गांवों में हर संपत्ति की मैपिंग हो चुकी होगी।

मोबाइल और इंटरनेट के प्रसार ने गांवों को ग्लोबल दुनिया से जोड़ दिया है। पहले खेती से जुड़े आधुनिक साधन/सामान की जानकारी और उसे खरीदना एक बड़ी चुनौती हुआ करती थी। अब इंटरनेट की वजह से जानकारी सुलभ हो गई है और बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने की वजह से ऋण मिलना भी आसान हो गया है। पहले गांव में ज़्यादातर कच्चे मकान ही नज़र आया करते थे लेकिन अब प्रधानमंत्री आवास योजना से गांवों में पक्के मकान नज़र आने लगे हैं। शिक्षा के प्रचार–प्रसार के लिए चलाई जा रही योजनाओं का सीधा फायदा गांव की लड़कियों को पहुंच रहा है। एक तरफ जनधन–आधार–मोबाइल की तिकड़ी ने भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया है तो दूसरी तरफ, शिक्षा की वजह से जागरूकता आ रही है।

भारत सरकार का ध्यान ग्रामीण इलाकों और ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास पर है। 2022 तक देश के किसानों की आमदनी बढ़ाकर दोगुनी करने और हर गांव को सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं से जोड़ने पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सन् 2022 तक 'सबके लिए आवास' जैसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। उज्ज्वला योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत 8 करोड़ से अधिक गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े और जनजातीय परिवारों को निशुल्क एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं और अगस्त 2021 से योजना का दूसरा चरण शुरू किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी के प्रसार से महिलाओं के स्वास्थ्य–स्तर में सुधार के साथ–साथ पर्यावरण सुधार की नींव भी मज़बूत हुई है।

विश्व बैंक की 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार सड़क मार्ग से जुड़े ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार की दर सार्थक रूप से बढ़ गई है। साथ ही, शिक्षा व स्वास्थ्य की सुविधाओं तक आसान पहुंच होने से ग्रामीण आबादी के जीवन–स्तर में सकारात्मक बदलाव आया है। आज देश के गांव सूचना के सुपर हाईवे के ज़रिए विकास की नई ऊंचाईयां छूने की दिशा में अग्रसर हैं। जिस तेज़ी से देश में ग्रामीण इलाकों में इस समय विकास से जुड़े कार्य हर मोर्चे पर हो रहे हैं, अगर विकास की यही गति बनी रही तो वह दिन दूर नहीं जब लोग शहरों की बजाय गांवों में रहना पसंद करेंगे।

उम्मीद है कि 'ग्रामीण भारत में सामाजिक बदलाव' पर आधारित यह विशेषांक पाठकों को ज्ञानवर्धक एवं रुचिकर लगेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र बदलाव की बयार

Delhi ★ Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd.

–डॉ. जगदीप सक्सेना

ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक बदलाव या परिवर्तन का दायरा परंपरागत विकास से कहीं अधिक व्यापक तथा विस्तृत है। इसमें सामाजिक–आर्थिक विकास के विभिन्न आयामों के साथ समावेशी व सतत विकास, गुणवत्तापूर्ण जीवन के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति, कम लागत पर ऊर्जा सुरक्षा तथा भौतिक व 'डिजिटल कनेक्टिविटी' जैसे अनेक महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं। इसलिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक समावेशी और समग्र सोच के अंतर्गत ग्रामीण बदलाव के लिए भारत सरकार के अनेक मंत्रालयों व विभागों के परस्पर सहयोग से कार्यक्रम शुरू किए हैं। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में समावेशी परिवर्तन के लिए भारत सरकार द्वारा कुछ विशिष्ट गतिविधियां भी चिन्हित की गई हैं।

भारत के गांव अपनी अनमोल सांस्कृतिक विरासत और विविधता के लिए विश्वविख्यात हैं। लगभग 6.5 लाख गांवों के समृद्ध ताने–बाने से बुने हमारे देश के सामाजिक–आर्थिक परिवेश में ग्रामीण क्षेत्रों और ग्रामीण जनों की अहम् भूमिका रही है। परंतु आज़ादी के बाद संभवतः औद्योगिक विकास की अनिवार्य आवश्यकता को पूरा करने के क्रम में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को अपेक्षित स्थान और मान–सम्मान नहीं मिल पाया। परिणामस्वरूप हमारे गांव सामाजिक–आर्थिक और बुनियादी नागरिक सुविधाओं के विकास में शहरी क्षेत्रों की तुलना में पिछड़ गए। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बसने वाली लगभग 65 प्रतिशत आबादी अपने जीवन और आजीविका में शहरी आबादी की तुलना में अधिक चुनौतियों का सामना कर रही है।

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच विषमताओं की खाई को पाटने और सामाजिक बदलाव को गति देने के लिए भारत सरकार द्वारा अनेक विशिष्ट कार्यक्रम और योजनाएं प्रारंभ की गईं, जिनके सकारात्मक परिणाम देखने में आए हैं। सामाजिक विकास के अनेक संकेतकों, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, साफ–सफाई और बुनियादी जन–सेवाओं (बिजली, पानी, घर, सड़क आदि), में सार्थक सुधार दर्ज किए गए हैं, परंतु ये अभी भी शहरी क्षेत्रों के मुकाबले काफी कम हैं।

दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक बदलाव या परिवर्तन का दायरा परंपरागत विकास से कहीं अधिक व्यापक तथा विस्तृत है। इसमें सामाजिक–आर्थिक विकास के विभिन्न आयामों के साथ समावेशी व सतत् विकास, गुणवत्तापूर्ण जीवन के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति, कम लागत पर ऊर्जा सुरक्षा तथा भौतिक व 'डिजिटल कनेक्टिविटी' जैसे अनेक महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं। इसलिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक समावेशी और समग्र सोच के अंतर्गत ग्रामीण बदलाव के लिए भारत सरकार के अनेक

मंत्रालयों व विभागों के परस्पर सहयोग से कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिनमें कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, अक्षय ऊर्जा मंत्रालय, पेयजल मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय आदि प्रमुखता से शामिल हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में समावेशी परिवर्तन के लिए भारत सरकार द्वारा कुछ विशिष्ट गतिविधियां भी चिन्हित की गई हैं :

- ग्रामीण परिवेश में उद्यमिता के विकास द्वारा रोज़गार के अवसरों का सृजन तथा पारिवारिक आय में वृद्धि;
- बुनियादी सुविधाओं और सार्वजानिक सेवाओं के विकास के माध्यम से जीवन–स्तर में सुधार;
- ग्रामीण युवाओं और महिलाओं में कौशल विकास तथा क्षमता निर्माण द्वारा आजीविका के अवसरों में सुधार तथा वृद्धि;
- ऋण उपलब्धता तथा आर्थिक अनुदान के माध्यम से महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण व आजीविका विकास;
- अक्षय ऊर्जा के उपयोग द्वारा दूरदराज और कठिन क्षेत्रों के गांवों में निवासियों को ऊर्जा सुरक्षा;
- गांवों में सहकारी समितियों, स्वयंसहायता समूहों और उद्यम समूहों के गठन द्वारा आजीविका सुधार का सतत् विकास, और
- गांवों में शहरों के समान अवसर तथा सुविधाएं उपलब्ध करा कर युवाओं के पलायन पर रोक।

अर्थव्यवस्था, आजीविका और आमदनी

हमारे देश की अर्थव्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्रों की एक अहम् भूमिका है, जो कोविड–19 महामारी के दौरान सिद्ध और स्थापित भी हो चुकी है। राष्ट्रीय जीडीपी में ग्रामीण क्षेत्रों का योगदान 25 से 30 प्रतिशत के बीच और राष्ट्रीय आय में लगभग 46 प्रतिशत का योगदान आंका गया है। साथ ही, इसमें वृद्धि की अपार संभावनाएं भी देखी गई हैं, जिस कारण सन् 2024–25 तक भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक प्रमुख वाहक माना जा रहा है। परंतु इसके लिए आवश्यक है कि भारतीय गांवों के माथे पर लगे विपन्नता के कलंक को समृद्धि और संपन्नता की ओर उन्मुख किया जाए।

हमारे देश को आज़ादी के समय गरीबी, भुखमरी और संसाधनहीनता विरासत में मिली थी। इसलिए प्रारंभिक वर्षों से ही सरकार ने गरीबी उन्मूलन और विकास को अपना लक्ष्य बनाया तथा इसके लिए अनेक योजनाएं और कार्यक्रम भी लागू किए गए। इसके कुछ सकारात्मक परिणाम सामने आए, परंतु विशेष रूप से ग्रामीण गरीबी को सदैव धन के अभाव या 'निर्धनता' के नज़रिए से देखा गया, और इसलिए सीधे आर्थिक अनुदान से जुड़ी योजनाओं को प्रमुखता से लागू किया गया। मुख्य ध्यान इस पर रखा गया कि आमदनी के अनुसार कितनी आबादी 'गरीबी–रेखा' के ऊपर उठ गई।

वर्तमान परिदृश्य और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों में गरीबी का अर्थ कहीं अधिक व्यापक हो गया है। अब गरीबी में 'वंचित शब्द' के अर्थ का भी समावेश कर लिया गया है। अर्थात् वो आबादी जिसकी स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं तक आसान पहुंच नहीं है, उन्हें भी 'गरीब' या 'वंचित' माना जाता है। इसलिए भारत सरकार ने गरीबी के प्रति अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के समग्र और सतत निराकरण के लिए नई नीतियों का निर्धारण किया है।

कौशल विकास, क्षमता निर्माण, ऋण उपलब्धता, उद्यमशीलता जैसे आयामों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के विकास द्वारा गरीबी पर बहुआयामी प्रहार किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र परिवर्तन की ठोस नींव रखी जा सके। इस प्रयास में उल्लेखनीय सफलता भी मिली है। 'ऑक्सफोर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनीशियेटिव' की रिपोर्ट (2019) के अनुसार भारत ने बहु–आयामी गरीबी को कम करने में सार्थक सफलता प्राप्त की है। वर्ष 2005–06 से 2015–16 के बीच बहु–आयामी गरीबी घटकर लगभग आधी रह गई है, यानी मात्र 27.5 प्रतिशत पर आ गई है। बहु–आयामी गरीबी को सार्थक रूप से कम करके अंतर्राष्ट्रीय–स्तर पर निर्धारित सतत विकास के लक्ष्यों तक भी पहुंचा जा सकता है।

आजीविका, आमदनी और विकास को एक साथ गति देने के लिए सन् 2006 में भारत सरकार ने 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी अधिनियम' (मनरेगा) नामक एक अभिनव योजना लागू की। यह अधिनियम पूरे देश के ग्रामीण ज़िलों में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के न्यूनतम रोज़गार की गारंटी देता है, जिसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक की दर पर भुगतान किया जाता है।

हाल के वर्षों में कार्यक्रम के दृष्टिकोण में इस प्रकार परिवर्तन किया गया है कि ग्रामीण जनों के आर्थिक सशक्तीकरण के साथ उनके सामाजिक उन्नयन, लैंगिक समानता, सामाजिक सुरक्षा और एक समान विकास को भी मज़बूती मिले। कृषि और संबंधित उद्यमों से जुड़े विकास कार्यों को संपन्न करने के लिए 'मनरेगा' हेतु आवंटित धनराशि के लगभग 60 प्रतिशत के खर्च का प्रावधान है। इसके माध्यम से भूमि, जल और वृक्ष संसाधनों को समृद्ध बनाया जा रहा है। लाभार्थियों ने अपने श्रम से कृषि के विकास में सहायक अनेक परिसंपत्तियों का बड़ी संख्या में निर्माण किया है, जैसे कुएं, खेतों में जल संरक्षण के लिए तालाब, पशुओं के शेड, वर्मीकंपोस्ट यूनिट, नाडेप पिट्स आदि। ये सभी संरचनाएं किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ ग्रामीण उत्थान में भी सहायक सिद्ध हो रही हैं। इनके माध्यम से लाखों ग्रामीण परिवारों के जीवन में सार्थक बदलाव आया है।

भारत सरकार ने मनरेगा के अंतर्गत इस वर्ष (2021–22) 73,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया है, जो गत वर्ष (2020–21) से 11,500 करोड़ रुपये अधिक है। इस वृद्धि के द्वारा उन लाखों प्रवासी श्रमिकों की आजीविका सुरक्षित करने का प्रयास किया गया, जो वर्तमान महामारी के दौरान अपने गांव वापस आ गए थे। संगठित प्रयासों के कारण जुलाई, 2021 तक मनरेगा के अंतर्गत 6.51 करोड़ श्रमिकों को रोज़गार देकर लगभग 131 करोड़ व्यक्ति दिवस का रोज़गार सृजन किया गया। इसके अलावा वर्ष 2021–22 के दौरान लगभग 25 लाख रुपये मूल्य की परिसंपत्तियों का निर्माण किया गया। पिछले लगभग पांच–छह वर्षों के दौरान मनरेगा ने अपेक्षाकृत गरीब राज्यों जैसे बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में लाखों वंचित ग्रामीणों के

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार

बात केवल सामाजिक–आर्थिक सुधार की हो या समग्र ग्रामीण परिवर्तन की, शिक्षा की सदैव एक अहम् भूमिका रही है। परंतु हमारे देश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच शिक्षा के स्तर में एक स्पष्ट खाई दिखाई देती है। अक्सर ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को शहरी छात्रों के समान सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पातीं, जिसका प्रभाव उनके भविष्य पर पड़ता है। इस दशा में सुधार के लिए 'समग्र शिक्षा' नामक एक नई योजना प्रारंभ की गई है जिसे 'इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन' कहा जाता है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर में स्कूलों में उपलब्ध बुनियादी सेवाओं को उन्नत बनाना और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। इस योजना के अंतर्गत स्कूलों को अनेक गतिविधियों और सुविधाओं के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जैसे स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर शैक्षणिक परिवेश तैयार करने के लिए स्कूल ग्रांट, खेलकूद की सुविधाएं, आईसीटी का विकास, डिजिटल सुविधाएं, नेतृत्व विकास कार्यक्रम आदि।

'सर्व शिक्षा अभियान' (2017–18 तक) और 'समग्र शिक्षा' (2018–19 से जारी) योजना के अंतर्गत विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी तेज़ी से बुनियादी सुविधाओं का विकास हुआ है। स्कूल भवन और कक्षाओं के निर्माण के साथ अनेक विशिष्ट और उपयोगी निर्माण भी हुए हैं, जैसे लड़के और लड़कियों के लिए अलग–अलग शौचालय, पेयजल की समुचित व्यवस्था, दिव्यांग छात्रों के लिए शौचालय तथा अन्य सुविधाएं, खेलकूद की नई सुविधाएं आदि। हाल में लागू की गई नई शिक्षा नीति में भी ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली के विकास पर ज़ोर दिया गया है। क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा की सुविधा से निश्चित रूप से ग्रामीण छात्रों को लाभ होगा और खेलकूद को मुख्य पाठ्यक्रम में शामिल करने से भी ग्रामीण शिक्षा मज़बूत होगी।

जीवन–स्तर में सुधार किया है।

ग्रामीण भारत में समग्र परिवर्तन के लिए आवश्यक है कि महिलाओं का सामाजिक–आर्थिक सशक्तीकरण किया जाए ताकि वे अपने परिवार को गरीबी से उबारकर संपन्नता की ओर अग्रसर कर सकें। इस मूल अवधारणा के साथ भारत सरकार ने दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की। इस मिशन के अंतर्गत गरीब ग्रामीण महिलाओं को लाभार्थियों के रूप में चुनकर उन्हें स्वयंसहायता समूहों के रूप में संगठित किया जाता है तथा उनका कौशल विकास और क्षमता निर्माण किया जाता है। एक उद्यम के रूप में समूह के लिए बैंक के माध्यम से आसान ऋण भी उपलब्ध कराया जाता है। ऐसे अनेक समूहों को महासंघ (फेडरेशन) के रूप में संगठित किया जाता है, ताकि उन्हें सरकार द्वारा अधिक सुविधाएं प्राप्त हो सकें और उनकी समस्याओं का उच्च–स्तर पर निराकरण भी हो सके। कौशल और जागरूकता के तेज़ प्रसार के लिए सफल समूहों के वरिष्ठ सदस्यों को सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों के रूप में चुनकर, प्रशिक्षण देकर, उन्हें नए समूहों में मार्ग निर्देशन व प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। यह प्रयोग अत्यंत सफल रहा है।

मार्च, 2019 तक 2.31 लाख सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों को प्रशिक्षित कर नए समूहों में तैनात किया गया। वर्तमान में यह मिशन देश के 29 राज्यों और पांच केंद्रशासित क्षेत्रों के 622 ज़िलों के 5,246 ब्लॉकों में ग्रामीण परिवर्तन का वाहक बनकर सक्रिय है। निरंतर प्रयासों से अब तक 5.92 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को 52 लाख से अधिक स्वयंसहायता समूहों में संगठित करके गरीबी से उबारा जा चुका है। वर्ष 2014 के बाद से अब तक इन समूहों ने बैंकिंग व वित्तीय संस्थानों से लगभग 2.24 लाख करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त कर अपने उद्यमों में निवेश किया है, जिसके अनेक आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहे हैं।

कोविड–19 महामारी के दौरान लगे देशव्यापी लॉकडाउन के कारण देशभर में आजीविका का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया था। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में यह संकट अधिक विकट था, क्योंकि बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव वापस आ गए। परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयंसहायता समूह संचालित करने वाली महिलाओं ने अपनी सूझबूझ, कौशल और सरकारी सहायता से इस आपदा को अवसर में बदल दिया। इन समूहों में कोरोना की चुनौती से निपटने में सहायक वस्तुओं का निर्माण किया जाने लगा, जैसे फेस मास्क, सेनिटाइज़र, हैंडवाश आदि। विभिन्न सरकारी एजेंसियों ने इन उत्पादों को खरीदकर उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाया, जिससे एक बड़ी और तात्कालिक आवश्यकता पूरी हुई और समूहों को आर्थिक लाभ भी पहुंचा। समूह की महिलाओं के परिवारों की आजीविका भी सुरक्षित रही। यह समस्त कार्य दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत किया गया।

मिशन के अंतर्गत कृषि (जैविक खेती, वैल्यू चेन्स, प्रसंस्करण आदि) तथा गैर–कृषि (परिवहन, वस्त्र निर्माण, केटरिंग आदि), दोनों ही क्षेत्रों में स्वयंसहायता समूहों/उद्यमों की स्थापना की जा रही है। मिशन की एक उप–योजना 'स्टार्टअप गांव उद्यमिता कार्यक्रम' वर्ष 2016 से लागू है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास, प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता तथा मार्ग निर्देशन के माध्यम से स्टार्टअप की स्थापना के लिए प्रेरित किया जाता है।

'क्वालिटी कौंसिल ऑफ इंडिया' द्वारा किए गए मध्यावधि सर्वेक्षण (सितंबर, 2019) के अनुसार सर्वेक्षण किए गए उद्यमियों में 82 प्रतिशत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के थे। यह इंगित करता है कि उप–मिशन के माध्यम से सामाजिक समावेश का लक्ष्य पूरा हो रहा है। साथ ही, यह भी पता चला कि लगभग 75 प्रतिशत उद्यम महिलाओं के स्वामित्व में महिलाओं द्वारा संचालित किए जा रहे थे। इन परिवारों की कुल पारिवारिक आय

Delhi Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd.

अक्षय ऊर्जा से निखरती गांवों की तस्वीर

आज हमारे देश के सभी योग्य गांवों तक बिजली पहुंच गई है, परंतु अपनी अनेक खूबियों के कारण अक्षय ऊर्जा की उपादेयता आज भी बनी हुई है। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास जैसे अनेक पर्यावरण–अनुकूल ऊर्जा स्रोत ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र परिवर्तन के वाहक के रूप में सामने आए हैं। घरों–सड़कों में रोशनी से लेकर खाना पकाने के ईंधन और सिंचाई पंपों के लिए ऊर्जा स्रोत के रूप में इनका उपयोग किया जा रहा है। अनेक कुटीर उद्योगों, कृषि उपज के प्रसंस्करण और डेयरी फार्मों में भी अक्षय ऊर्जा ने अपनी जगह बना ली है। हाल में सौर ऊर्जा किसानों के लिए आमदनी के अतिरिक्त स्रोत का साधन भी बन गई है। प्रधानमंत्री 'कुसुम' योजना एक व्यापक कार्यक्रम के रूप में 35 लाख किसानों को सौर ऊर्जा का लाभ पहुंचाने के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत सरकारी सहायता से सौर–ऊर्जा आधारित नए सिंचाई पंप लगाए जा रहे हैं और पुराने डीज़ल पंपों को भी सौर ऊर्जा से संबद्ध किया जा रहा है। इस योजना के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में किसानों को तकनीकी व वित्तीय सहायता के माध्यम से बंजर भूमि पर दो मेगावॉट क्षमता तक के सोलर पॉवर प्लांट लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कुछ विशेष वृक्षों और फसलों के नीचे भी सोलर पॉवर प्लांट लगाए जा सकते हैं। इससे प्राप्त सौर बिजली को किसान अपने उपयोग में लाने के बाद, बची बिजली को बिजली कंपनियों को बेचकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। अनेक अनुसंधान व विकास संगठनों ने विविध कृषि उपजों और समुद्री मछलियों को सुखाने के लिए उन्नत 'सोलर ड्रायर' विकसित किए हैं, जिनका उपयोग ज़ोर पकड़ता जा रहा है। इससे सुखाने की लागत में कमी आती है, समय कम लगता है और गुणवत्ता में भी सुधार होता है। ग्रामीणों के जीवन–स्तर में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा वित्तीय अनुदान के माध्यम से गांवों में स्ट्रीट लाइट्स लगाने के साथ छात्रों को सोलर स्टडी लैम्प्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जहां ग्रिड से बिजली पहुंचाना संभव नहीं है, वहां घरों तथा सामुदायिक भवनों में रोशनी के लिए सोलर पॉवर पैक्स के वितरण की व्यवस्था की गई है। वर्ष 2020–21 के दौरान उत्तर–पूर्वी राज्यों तथा वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के स्कूली बच्चों को तीन लाख से अधिक सोलर स्टडी लैम्प वितरित किए गए हैं। उत्तर–पूर्वी राज्यों और पर्वतीय क्षेत्रों में रोशनी के लिए एक लाख से अधिक सोलर लाइट्स भी लगाई गई हैं।

गांवों के लिए अत्यंत अनुकूल अक्षय ऊर्जा स्रोत के रूप में बायोगैस का उपयोग लंबे अर्से से किया जा रहा है। इससे रसोई के लिए स्वच्छ ईंधन प्राप्त हो रहा है तथा बायोगैस घरों में रोशनी का स्रोत भी बन गई है। बायोगैस के प्रोत्साहन के लिए चलाए जा रहे राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत अब 51 लाख से अधिक बायोगैस प्लांट्स ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए जा चुके हैं। आमतौर पर ये बायोगैस बनाने के लिए पशुओं के गोबर का इस्तेमाल करते हैं, परंतु हाल में इन्हें घरों के शौचालय से जोड़कर मानव–मल का उपयोग भी किया जा रहा है। इस तरह बायोगैस उत्पादन ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान में भी सहायक सिद्ध हो रहा है। बायोगैस प्लांट्स की स्थापना, रखरखाव और मरम्मत आदि के माध्यम से ये रोज़गार सृजन का अवसर भी दे रहे हैं। बायोगैस प्लांट्स से उप–उत्पाद के रूप में प्राप्त होने वाली 'स्लरी' एक बेहतरीन जैव उर्वरक का काम करती है, जिससे बेहतर संभावनाएं हैं।

में स्टार्टअप की हिस्सेदारी लगभग 57 प्रतिशत पाई गई। उद्यमों का मासिक राजस्व निर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) के क्षेत्र में 39,000 से 47,800 रुपये; सेवा क्षेत्र में 41,700 रुपये और व्यापार (ट्रेडिंग) क्षेत्र में 36,000 रुपये पाया गया। कोविड–19 महामारी के दौरान ग्रामीण महिलाओं ने अपने संगठित प्रयासों और नई सोच से अपनी आजीविका सुरक्षित रखी तथा ग्रामीण परिवर्तन को बल देती रहीं।

ग्रामीण उद्यमिता : नई राह, प्रभावी उपलब्धियां

एक लंबे अर्से तक ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि तथा संबंधित उद्यम आजीविका तथा आमदनी के प्रमुख स्रोत बने रहे। परंतु घटते जोत आकार, सिकुड़ते प्राकृतिक संसाधनों तथा देश में निर्माण व सेवा क्षेत्र के विस्तार के कारण ग्रामीण युवा वर्ग खेती से विमुख होता दिखाई दिया, वे पलायन कर आजीविका के लिए शहरी क्षेत्रों की ओर जाने लगे। हाल के वर्षों में भारत सरकार ने ग्रामीण युवाओं को गांव में ही आकर्षक आजीविका तथा रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी योजनाएं चलायी हैं, ताकि पलायन पर रोक लगे और ग्रामीण युवा अपने गांवों के समग्र परिवर्तन में भागीदार बनें, योगदान करें।

इन प्रयासों में ज़िला स्तर पर स्थापित किए ग्रामीण स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थान (आर–सेटी के नाम से लोकप्रिय) एक अत्यंत प्रभावी कड़ी के रूप में सामने आए हैं। ये संस्थान प्रायोजक बैंक, ग्रामीण विकास मंत्रालय (भारत सरकार) तथा राज्य सरकारों के वित्तीय तथा इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग से स्थापित किए जाते हैं। आमतौर पर वित्तीय सहायता बैंक या भारत सरकार से प्राप्त होती है, जबकि संस्थान के लिए भूमि तथा अन्य बुनियादी सुविधाएं राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं।

संस्थान द्वारा ज़िले के अनुकूल व्यवसायों में 18 से 45 वर्ष के युवाओं को स्वरोज़गार या उद्यम के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। लगभग 65 स्वीकृत/अनुमोदित उद्यमों में लघुकालिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जबकि प्रशिक्षण के बाद नए उद्यमियों को लंबे समय व मार्ग–निर्देशन की सुविधा दी जाती है। वर्तमान में देश में 28 राज्यों और सात केंद्रशासित क्षेत्रों में 585 आर–सेटी तत्परता से कार्य कर रहे हैं। देश के 23 शीर्ष बैंकों ने इन्हें प्रायोजित किया है। स्वरोज़गार व उद्यमिता के लिए अब तक 37.81 लाख ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है, जिनमें से 26.65 लाख युवा अपने उद्यम सफलतापूर्वक चला रहे हैं। इन उद्यमों में अन्य ग्रामीण युवाओं और श्रमिकों को भी रोज़गार प्राप्त

हो रहा है तथा स्थानीय सामग्री/संसाधनों की खरीद से संबंधितों को अधिक आर्थिक लाभ भी मिल रहा है।

कृषि और संबंधित क्षेत्रों में उत्पादों/उपज के प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन, मार्केटिंग जैसे अनेक व्यवसाय हैं, जिनमें ग्रामीण समुदाय के सामाजिक–आर्थिक उत्थान की अनेक संभावनाएं हैं। इसलिए ग्रामीण परिवर्तन के एक वाहक के रूप में भारत सरकार ने 'एस्पायर' (एएसपीआईआरई–ए स्कीम फॉर प्रोमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्रीज एंड एंत्रेप्रिन्योरशिप) नामक एक विशेष योजना 200 करोड़ रुपये के केंद्रीय कॉर्पस फंड से शुरू की है। वर्ष 2015 में शुरू की गई यह योजना कृषि क्षेत्र में छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देकर ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता की एक नई लहर शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अंतर्गत छोटे उद्योगों को वित्तीय सहायता के साथ कौशल विकास, मार्ग–निर्देशन, और तकनीक के इनक्यूबेशन जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं।

केंद्रीय बजट (2019) के अनुसार वित्तीय वर्ष (2019–20) के दौरान 80 'लाइवलीहुड बिज़नेस इनक्यूबेटर्स' और 20 'टेक्नोलॉजी बिज़नेस इनक्यूबेटर्स' के नेटवर्क का विकास प्रस्तावित था। लक्ष्य यह है कि विविध कृषि उद्योगों के लिए 75,000 दक्ष और कुशल उद्यमी तैयार किए जाएं। इस योजना के अंतर्गत 'सिडबी' (स्माल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया) द्वारा वित्तीय सहायता/ऋण प्रदान किया जाता है। अधिक ज़ोर ऐसे उद्यमों पर दिया जा रहा है, जो बेहतर व्यावसायिक संभावनाओं के बावजूद अभी तक उपेक्षित हैं। इसी प्रकार नवीन व्यावसायिक विचारों और नवोन्मेषी तकनीकों को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

देश के गांवों की अर्थव्यवस्था में ग्रामीण कुटीर उद्योगों और ग्रामीण कारीगरों की अहम् भूमिका रही है। आजीविका के स्रोत के रूप में ये उद्योग ग्रामीण आबादी के एक बड़े भाग का भरण–पोषण करते रहे। परंतु आधुनिकता के नए दौर और परिवेश में ये कुटीर उद्योग अनेक सामाजिक–आर्थिक कारणों से पिछड़ गए। इनके उत्पादों की बाज़ार मांग और कीमत कम हो गई, जिससे बड़ी संख्या में कुटीर उद्योग बंदी की कगार पर आ गए। इस संभावनापूर्ण परंपरागत क्षेत्र को नवजीवन देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने एक नवोन्मेषी और प्रगतिशील योजना प्रारंभ की– 'स्फूर्ति' (एसएफयूआरटीआई–स्कीम ऑफ फंड फॉर रिजेनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज)। इसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगरों को समूह यानी क्लस्टर्स के रूप में संगठित करके वित्तीय सहायता तथा अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं ताकि उनका प्रतियोगात्मक विकास हो सके और आय में वृद्धि हो। दो प्रकार के क्लस्टर्स विकसित करने का प्रावधान किया गया है– नियमित क्लस्टर्स, जिनमें ग्रामीण कारीगरों की अधिकतम संख्या 500 तक सीमित होती है; बड़े क्लस्टर्स, जिनमें ग्रामीण कारीगरों की संख्या 500 से अधिक होती है।

इन क्लस्टर्स को आधुनिक सुविधाएं, नई मशीनरी की खरीद, कच्ची सामग्री का भंडार, बेहतर डिज़ाइन, आधुनिक पैकेजिंग और नवोन्मेषी मार्केटिंग के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। साथ ही, कौशल विकास और क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण और संबंधित आधुनिक उद्यमों में प्रायोजित भ्रमण की व्यवस्था भी है। लगभग 2.18 लाख ग्रामीण कारीगरों के समावेश के साथ कुल 371 क्लस्टर्स को 888 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई हैं। कुल 248 ज़िलों में फैले ये क्लस्टर्स ग्रामीण क्षेत्रों के अनेक उद्यमों को राहत पहुंचा रहे हैं, जैसे दस्तकारी, जूट (कॉयर), बांस, शहद, खादी, खाद्य प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन आदि। इन उद्यमों के उद्धार से ग्रामीण कारीगरों और उनके परिवार में सामाजिक–आर्थिक उत्थान की लहर चल पड़ी है।

ग्रामीण उद्यमशीलता के विकास के साथ तकनीकी कौशल से युक्त युवाओं की मांग भी निरंतर बढ़ रही है। इस आवश्यकता को पूरी करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय–ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से वंचित वर्ग के ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण तथा कौशल विकास का अवसर दिया जाता है। प्रशिक्षण पूरी तरह से आवासीय तथा निःशुल्क होता है, ताकि वंचित वर्ग के युवा इसका लाभ उठा सकें। प्रशिक्षण के बाद युवाओं को रोज़गार प्राप्त करने में भी सहायता दी जाती है, ताकि उनका परिवार यथाशीघ्र गरीबी से उबर सके। वर्तमान में यह योजना 27 राज्यों और तीन केंद्रशासित प्रदेशों में सक्रियता के साथ ग्रामीण परिवर्तन में सहायक बन रही है। जुलाई, 2021 तक इस योजना के अंतर्गत 10.94 लाख ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है, जिनमें से 7.07 लाख से अधिक युवा विभिन्न उद्यमों में सेवारत हैं। इसके अलावा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत भी ग्रामीण युवाओं को लघु–अवधि के प्रशिक्षण देने का क्रम जारी है।

जीवन–स्तर में सुधार : सुविधाएं तथा सेवाएं

समग्र ग्रामीण परिवर्तन के लिए तय किए गए प्रमुख लक्ष्यों में से एक है ग्रामीण आबादी के जीवन–स्तर में गुणवत्तापूर्ण सुधार। इसके लिए आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सेवाएं, जैसे बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि, सहजता के साथ सुलभ हों यानी इन सेवाओं तक ग्रामीण समुदाय की आसान और आर्थिक पहुंच हो। इस क्रम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव की एक प्रमुख वाहक बनकर उभरी है और इसके अनेक सार्थक सामाजिक प्रभाव भी देखे गए हैं। इसका लक्ष्य उन तमाम ग्रामीण बस्तियों को पक्की सड़कों से जोड़ना है, जहां आबादी बसती है, और विभिन्न गतिविधियां संपन्न होती हैं।

वर्तमान में इस योजना का तीसरा चरण जारी है और आंकड़ों के अनुसार अप्रैल, 2019 तक योजना के अंतर्गत छह लाख किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण हो चुका है। वर्तमान चरण में कुल 1,25,000 किलोमीटर सड़कों के निर्माण का लक्ष्य है, जिसके द्वारा मुख्य रूप से ग्रामीण कृषि बाज़ारों, हायर सेकेंडरी स्कूलों और अस्पतालों को सड़क मार्ग से जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया है ताकि इन सुविधाओं तक आसान और तेज़ पहुंच सुनिश्चित हो सके।

विश्व बैंक की एक रिपोर्ट (2019) के अनुसार सड़क मार्ग से जुड़े ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार की दर सार्थक रूप से बढ़ गई है। इसके अलावा, शिक्षा व स्वास्थ्य की सुविधाओं तक आसान पहुंच होने से ग्रामीण आबादी के जीवन–स्तर में सकारात्मक बदलाव आया है। गैर–कृषि क्षेत्र का भी विकास हुआ है और मंडी/बाज़ारों

तक आसान पहुंच बनने से किसानों को उनकी उपज की उचित लाभकारी कीमत मिलने लगी है। परिवहन में खर्च होने वाले समय की बचत के कारण अब लोग अपनी आजीविका पर अधिक ध्यान व समय देने लगे हैं।

ग्रामीण आबादी के लिए पक्के घर की आवश्यकता को देखते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण सन् 2022 तक 'सबके लिए आवास' जैसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। इसके अंतर्गत लाभार्थी को मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपये और पर्वतीय क्षेत्रों के 1.30 लाख रुपये आर्थिक अनुदान के रूप में दिए जाते हैं। योजना का व्यापक लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों के 2.95 करोड़ पक्के घरों का निर्माण करना है। इस योजना के लाभार्थियों को घर के अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुविधाएं भी अन्य योजनाओं के माध्यम से प्रदान की जाती हैं, जैसे मुफ्त बिजली कनेक्शन, मुफ्त एलपीजी कनेक्शन, पेयजल के लिए घर में नल की मुफ्त सुविधा और शौचालय बनवाने के लिए अलग से आर्थिक अनुदान।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के प्रयासों से देश के सभी योग्य गांवों में बिजली पहुंच गई है, जिससे लोगों की कार्यक्षमता में सुधार हुआ है। 'उज्ज्वला' नामक महत्वाकांक्षी योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत आठ करोड़ से अधिक गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े और जनजातीय परिवारों को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं और अगस्त, 2021 में योजना का दूसरा चरण शुरू किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी के प्रसार से महिलाओं के स्वास्थ्य–स्तर में सुधार के साथ पर्यावरण सुधार की नींव भी मज़बूत हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुधार के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के उप–मिशन के रूप में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जारी है, जिसके सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं।

अब ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, मुख्य रोगों का उपचार जैसी अनेक सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध करायी जा रही हैं। साथ ही, दूरदराज के क्षेत्रों तक चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट्स और टेलीमेडिसिन सुविधा का उपयोग किया जा रहा है। गांवों में पूर्व स्थापित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप–केंद्रों को आयुष्मान भारत –'हैल्थ एंड वैलनेस सेंटर्स' के रूप में आधुनिक तथा उन्नत बनाया जा रहा है। देश भर में इस प्रकार के पांच लाख से अधिक उन्नत स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रों में स्थापित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों के कारण अब ग्रामीणों को चिकित्सा सेवाएं उनके घर के निकट मिलने लगी हैं। देश भर में अब तक 77,000 से अधिक 'हैल्थ एंड वैलनेस सेंटर्स' सक्रिय रूप से ग्रामीणों को निःशुल्क बुनियादी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। दिसंबर, 2022 तक 1.5 लाख केंद्र स्थापित किए जाने की योजना और लक्ष्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं, और शिशुओं के स्वास्थ्य की देखरेख व टीकाकरण के लिए कुछ अन्य योजनाएं भी जारी हैं, जो स्वास्थ्य तथा पैरामेडिकल कर्मियों के लिए रोज़गार का अवसर प्रदान करती हैं।

स्वास्थ्य से ही जुड़ा पहलू है शुद्ध पेयजल का। देश के अनेक गांवों में महिलाएं एक अर्से से गांव से दूर जाकर पेयजल लाती हैं, जिसके शुद्ध और पीने योग्य होने की कोई गारंटी नहीं होती। साथ ही, हर दिन की कड़ी मशक्कत से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होने का खतरा भी होता है। हाल के वर्षों में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया 'जल जीवन मिशन' वर्ष 2024 तक देश के हर घर में नल से पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में तेज़ प्रयास कर रहा है। हाल में 'जल जीवन मिशन' ने 23 महीनों की छोटी–सी अवधि में देश के एक लाख से अधिक गांवों के प्रत्येक घर में जल से पेयजल की आपूर्ति का कीर्तिमान स्थापित किया है। कोविड–19 की महामारी और संबंधित लॉकडाउन के बावजूद मिशन ने तत्परता से कार्य करते हुए 4.49 करोड़ नल के कनेक्शन प्रदान किए और 50,000 ग्राम पंचायतों को 'हर घर जल' के सम्मानजनक स्तर तक पहुंचाया है। वर्तमान में 7.72 करोड़ (40.77 प्रतिशत) परिवारों तक नल से पेयजल की आपूर्ति हो रही है। कुल मिलाकर देखें तो देश के 71 ज़िलों, 824 ब्लॉकों, 50309 ग्राम पंचायत और 1,00275 गांवों ने 'हर घर जल' का सम्मानजनक–स्तर प्राप्त कर लिया है। इन गांवों में महिलाओं और युवा लड़कियों को हर रोज़ दूर से पानी ढोकर लाने की मशक्कत से छुटकारा मिल गया है, जिसका उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक–आर्थिक दशा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

रुर्बन मिशन

'आत्मा गांव की, सुविधा शहर की' के मूलमंत्र पर आधारित 'श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन' ग्रामीण समूहों में शहर के समान सुविधाओं की व्यवस्था करने में तत्पर है, ताकि गांवों में जीवन–स्तर में सुधार हो। चुने गए ग्रामीण समूहों में समग्र और समेकित रूप से सुविधाओं का विकास और प्रसार किया जा रहा है। साथ ही, आर्थिक उद्धार पर भी ज़ोर है, ताकि आजीविका और रोज़गार की समस्या को भी न्यूनतम स्तर पर लाया जा सके। मिशन के अंतर्गत ग्रामीण समूहों में सड़क, नल से पानी, अपशिष्ट प्रबंधन, स्मार्ट कक्षाएं, कृषि प्रसंस्करण और वैल्यू चेंस जैसी शहरी सुविधाएं विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। कुल 300 ग्रामीण समूहों (क्लस्टर्स) में से 29 राज्यों और 6 केंद्रशासित प्रदेशों में स्थित 296 समूहों को शहरी सुविधाओं से लैस करने का बीड़ा उठाया गया है।

संक्षेप में, ग्रामीण क्षेत्रों और ग्रामीण जनों को गरीबी के दुष्चक्र से निकाल कर आर्थिक उद्धार की ओर अग्रसर करने के लिए भारत सरकार संकल्पबद्ध और प्रयत्नशील है। इसके लिए एक ओर अनेक कार्यक्रम और योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो दूसरी ओर, ग्रामीण परिवर्तन की प्रक्रिया को आईटी तथा डिजिटल तकनीकों के माध्यम से पारदर्शी और तेज़ बनाया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बसने वाले छह करोड़ भारतीयों को डिजिटल साक्षरता का पाठ पढ़ाने का लक्ष्य तय किया गया है, ताकि वे कल्याणकारी योजनाओं का लाभ तत्परता से उठा सकें। साथ ही, कुछ अन्य जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से भी ग्रामीण जनों को सरकारी योजनाओं से जुड़ने और लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। देश के ग्रामीण समुदाय के सशक्तीकरण के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र परिवर्तन की नई बयार चल रही है।

(लेखक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली में प्रधान संपादक रह चुके हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।)

ई–मेल : **jagdeepsaxena@yahoo.com**

उद्यमिता और स्टार्टअप्स-परिवर्तन के उत्प्रेरक

–सतीश सिंह

उद्यमिता और स्टार्टअप को सही मायनों में देश में आर्थिक परिवर्तन का उत्प्रेरक माना जा सकता है, क्योंकि इनकी मदद से देश में करोड़ों की संख्या में रोज़गारों का सृजन हो रहा है, अर्थव्यवस्था में बेहतरी आ रही है, आधारभूत संरचना मज़बूत हो रही है, बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ रही है और आम जन के जीवन में खुशहाली आ रही है। हालांकि, अप्रत्यक्ष रूप से इसका प्रभाव समाज, धर्म एवं राजनीति पर भी पड़ता है। आज उद्यमिता और स्टार्टअप्स व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। मौजूदा परिवेश में यह कहना समीचीन होगा कि उद्यमिता और स्टार्टअप्स दोनों ही रोज़गार सृजन और अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 जनवरी, 2016 को भारत में "स्टार्टअप इंडिया" का आगाज़ किया था। इसकी शुरुआत कोई एक व्यक्ति कर सकता है या फिर कई लोग मिलकर कर सकते हैं। नए विचार, नवोन्मेष उपाय और तकनीक के साथ शुरू किया गया स्टार्टअप अपने अनोखेपन और अद्‌भुत प्रतिबद्धता की वजह से बाज़ार में बड़ी जल्दी अपनी जगह बना लेता है। स्टार्टअप को चलाने के लिए प्रवर्तक खुद निवेश कर सकते हैं या फिर बैंक या वित्तीय संस्थान से ऋण लेकर कारोबार में पूंजी लगा सकते हैं। स्टार्टअप में जोखिम ज़्यादा होता है, लेकिन लोकप्रिय होने पर यह प्रवर्तक को अकल्पनीय प्रतिफल देता है साथ ही, बड़ी संख्या में रोज़गार भी मुहैया कराता है।

उद्यमी वैसे व्यक्ति को कहा जाता है, जो जोखिम उठाता है और संसाधनों का प्रबंधन उद्यम को बढ़ाने के लिए करता है। वहीं, किसी उद्यम, जैसे, सेवा या विनिर्माण से जब आय अर्जित की जाती है तो उसे 'उद्यमिता' कहते हैं। 'उद्यमिता' उद्यमी को रोज़गार उपलब्ध कराने का माध्यम है। उद्यमिता की मदद से उद्यमी खुद भी आत्मनिर्भर बन सकता है और दूसरों को भी आत्मनिर्भर बना सकता है।

उद्यमिता सभी क्षेत्रों में शुरू की जा सकती है, जबकि स्टार्टअप को सभी क्षेत्रों में शुरू करना संभव नहीं होता है, क्योंकि इसे शुरू करने के कुछ नियम एवं शर्तें हैं, जैसे, अगर कोई इकाई 5 सालों से अधिक समय से पंजीकृत नहीं है और उसका कारोबार प्रति वर्ष 25 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है तो ही उसे 'स्टार्टअप' माना जाएगा। स्टार्टअप इकाई नई होनी चाहिए अर्थात् पुनर्निर्माण द्वारा गठित इकाई को स्टार्टअप नहीं कहा जाएगा। अगर किसी इकाई का पिछले वित्त वर्ष में कारोबार 25 करोड़ रुपये से अधिक रहा हो या फिर उसे गठित हुए 5 साल का समय पूरा हो गया है तो भी उसे 'स्टार्टअप' नहीं माना जाएगा। इस योजना का लाभ

लेने के लिए औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) की आधिकारिक बेबसाइट या ऐप के माध्यम से इच्छुक उद्यमी आवेदन कर सकते हैं।

उद्यमिता

- **बजट से बल**– वित्तवर्ष 2021–22 के बजट में कई ऐसे प्रावधानों की घोषणा की गई, जिनकी मदद से देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया जा रहा है। बजट में सरकार ने ढांचागत सुविधाओं को बढ़ाने, कृषि व स्वास्थ्य सेवाओं को मज़बूत बनाने एवं वित्तीय क्षेत्रों को सशक्त करने के लिए अनेक प्रावधान किए हैं, जिनसे उद्यमिता को बढ़ावा मिल रहा है।
- **कौशल उन्नयन**– किसी भी उद्यम की सफलता के लिए कौशलयुक्त कामगारों की ज़रुरत होती है। इनके बिना उद्यमिता को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। इसलिए सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू की है। यह योजना कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा चलायी जा रही है, जिसका उद्देश्य देश के युवाओं को उनके पसंद के उद्यम में काम करने के योग्य बनाना है। कौशल और उद्यमिता के विकास के लिए सरकार ने एक अलग मंत्रालय बनाया है, जिसका कार्य देश में कौशल विकास के कार्यों का समन्वय, व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण के ढांचे का निर्माण और कौशल उन्नयन करना है। शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण आबादी के तेज़ी से पलायन ने कुशल कामगारों की ज़रूरत को बढाया है। विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों, जैसे, रत्न एवं ज्वैलरी, कपड़ा, रेडीमेड वस्त्र, हथकरघा, हस्तशिल्प, पर्यटन आदि क्षेत्रों में कौशल उन्नयन की अपार संभावनाएं हैं। सरकार ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम का गठन किया है, जिसका कार्य अकुशल कार्यबल को उनकी रूचि के क्षेत्रों में प्रशिक्षित करके उन्हें कुशल बनाना है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा भारतीय उद्यमिता संस्थान का भी गठन किया गया है, ताकि उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया जा सके।

स्टार्टअप्स

- **शुरुआती सावधानी**– स्टार्टअप्स शुरू करने के लिए सबसे पहले समस्या की पहचान और उसका हल ढूंढना होता है। यह भी देखना होता है कि प्रस्तुत समाधान कारोबार को बढ़ाने में कारगार हो सकता है या नहीं। अगर प्रवर्तक के विचार पर कोई कंपनी पहले से काम कर रही है तो प्रवर्तक को यह देखना होता है कि उसका विचार दूसरी कंपनी से कितना अलग है। स्टार्टअप शुरू करने से पहले बाज़ार का सर्वे करना भी ज़रूरी है, ताकि प्रवर्तक अपने विचार की व्यावहारिकता को परखकर यह देख सके कि वह उपयोगी है या नहीं। स्टार्टअप को प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड के तौर पर पंजीकृत कराना चाहिए, ताकि बाद में कोई कानूनी समस्या सामने नहीं आए। जब स्टार्टअप शुरू हो जाए तो उसे मिनिस्ट्री ऑफ कोरपोरेट अफेयर्स में पंजीकृत कराना चाहिए। कंपनी कानून के मुताबिक किसी भी पंजीकृत स्टार्टअप या कंपनी के दो पार्टनर और दो शेयर होल्डर होना ज़रूरी है। इसलिए, स्टार्टअप्स के प्रवर्तकों को अपने पार्टनर का चुनाव सोच–समझ कर करना चाहिए, ताकि उनका स्टार्टअप लंबे समय तक सफलतापूर्वक चल सके। स्टार्टअप के प्रवर्तक को अपने नवोन्मेष विचार का कापीराइट भी करवाना चाहिए। इससे उसके विचार की चोरी कोई दूसरी कंपनी नहीं करेगी और संभावित नुकसान से स्टार्टअप और उसका प्रवर्तक बचा रहेगा।
- **बढ़ावा देने की पहल**– भारत में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) स्टार्टअप के विकास के लिए कार्य कर रहा है। स्टार्टअप को विकसित करने के लिए देश में कारोबारी सुगमता को भी बढ़ाने पर ज़ोर दिया जा रहा है। वर्ष 2019 की कारोबारी सुगमता रैंकिंग में 14 स्थानों की छलांग लगाकर भारत 63वें स्थान पर पहुंच गया था, जबकि वर्ष 2014 से वर्ष 2019 के दौरान भारत ने कारोबारी सुगमता रैंकिंग में 79 पायदानों की लंबी छलांग लगाई थी। राज्य सरकारें, स्टार्टअप्स के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें और उनके द्वारा किए जा रहे कामों की पूछ–परख हो, इसके लिए सरकार ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप श्रेणी या रैंकिंग घोषित करने की शुरुआत की है। वर्तमान में 22 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों की सक्रिय भागीदारी के साथ इस संकल्पना को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को रैंकिंग देने का मकसद उनके बीच प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाना और उनके नवोन्मेष विचारों व कार्यों, उद्योग शुरू करने की जिजीविषा और व्यवस्था के संचालन की क्षमता को खाद–पानी देना है। युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए डीपीआईआईटी ने वर्ष 2020 से "राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार" भी देना शुरू किया है, ताकि सेवा, उत्पाद, नवाचार, समाज में बदलाव, रोज़गार सृजन आदि क्षेत्रों में उद्यमी और भी बेहतर तरीके से काम कर सकें।
- **राहत**– नए स्टार्टअप के प्रवर्तक से कारोबार लागत के 20 प्रतिशत की राशि पर कर नहीं लिया जाता है। अगर नया कारोबारी सही से अपने कारोबार को नहीं चला पाता है तो सरकार नए कारोबारियों को 90 दिनों के अंदर अपने कारोबार को बंद करने की छूट देती है। वित्त वर्ष 2021–22 के बजट में स्टार्टअप्स को दिए गए टैक्स हॉलिडे की मौजूदा सुविधा को एक साल तक के लिए और बढ़ा दिया गया है अर्थात् स्टार्टअप्स को 31 मार्च, 2022 तक कोई कर नहीं देना होगा। इसके अलावा, स्टार्टअप्स को दिए गए कैपिटल गेन्स की छूट को भी एक और साल के लिए बढ़ा दिया गया है। सरकार

ने नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए 1,000 करोड़ रुपये के फंड का प्रावधान किया है, जिसे सीड फंड का नाम दिया गया है।

- **फायदे**– स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र रोज़गार सृजन, उत्पादन बढ़ाने, आर्थिक गतिविधियों में तेज़ी लाने आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत में पहले से मौजूद कंपनियों या उद्यमों की तुलना में ज़्यादा रोज़गार सृजित करने में स्टार्टअप्स सफल रहे हैं। आज स्टार्टअप पारिस्थितिकी देश में पहले से स्थापित कंपनियों को अपने कार्यों में नवाचार उपाय व प्रौद्योगिकी अपना कर और सस्ती लागत व गुणवत्तापूर्ण उत्पादों से कड़ी प्रतिस्पर्धा देने का काम कर रही है, जिससे गुणवत्तापूर्ण उत्पादों का उत्पादन और सेवाओं में सुधार हो रहा है।
- **स्टार्टअप्स की उपस्थिति**– डीपीआईआईटी के अनुसार देश में जून, 2021 तक स्टार्टअप्स की संख्या 50,000 थी, जिनमें से 19,896 स्टार्टअप को 1 अप्रैल, 2020 के बाद मान्यता मिली है। "स्टार्टअप इंडिया योजना" के शुभारंभ के साथ, मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स का विस्तार अब 623 ज़िलों तक हो गया है। इस समय प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में कम से कम एक स्टार्टअप मौजूद है। भारतीय स्टेट बैंक की एक रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार स्टार्टअप्स के प्रवर्तकों की औसत आयु 28 वर्ष है, जो यह दर्शाता है कि देश के युवा देश की आर्थिक तस्वीर को गुलाबी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस समय देश में एक अरब डॉलर से अधिक के 21 स्टार्टअप्स हैं और स्टार्टअप्स की दुनिया में भारत का विश्व में चौथा स्थान है।

वित्तीय सहायता

- **नाबार्ड–एनबीएफसी–सिडबी**– नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करने वाली शीर्ष वित्तीय संस्था है। कृषि के अतिरिक्त यह छोटे उद्योगों, कुटीर उद्योगों एवं अवसंरचना से जुड़ी परियोजनाओं के विकास के लिए कार्य करता है। यह ज़िला–स्तरीय ऋण योजनाएं तैयार करता है, ताकि वित्तीय संस्थान ग्रामीणों की वित्तीय जरूरतों को पूरा कर सकें। ग़ैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) उन क्षेत्रों में ऋण की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, जहां बैंकों की पहुंच नहीं है। बैंकों से ऋण पाने में असफल लोगों को यह आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराने का काम कर रहा है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) का कार्य सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की वृद्धि के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। यह लघु उद्योगों के संवर्धन और विकासात्मक कार्यों के बीच समन्वयन का कार्य भी करता है।
- **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना**– प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत छोटे कारोबारियों को 10 लाख रुपये तक का ऋण बिना ज़मानत के दिया जाता है। मुद्रा ऋण की ब्याज दरें, दूसरी तरह के ऋणों के मुकाबले कम हैं। यह एक ऐसी योजना है, जो अपने आगाज़ के दिनों से ही असंगठित क्षेत्र में करोड़ों की संख्या में रोज़गार सृजित करने का कार्य कर रही है। मुद्रा ऋण को तीन वर्गों, यथा, शिशु, किशोर और तरुण में बांटा गया है। शिशु के तहत 50 हज़ार रुपये, किशोर के तहत 50 हज़ार से 5 लाख रुपये और तरुण के अंतर्गत 5 लाख से 10 लाख रुपये तक के ऋण दिए जाते हैं। इस योजना का लाभ सभी कारोबारी इकाइयों, जैसे खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां, मशीन ऑपरेटर, पेशेवर जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, सेवा क्षेत्र से जुड़े लोग, लघु एवं छोटे कारोबारी, मसलन, किराना एवं जनरल स्टोर चलाने वाले दुकानदार, फल या सब्जी विक्रेता, रेहड़ी व खोमचे वाले, हेयर कटिंग सैलून व ब्यूटी पार्लर वाले, शिल्पकार, पेंटर, रेस्त्रां चलाने वाले, साइकिल व बाइक रिपेयर करने वाले आदि उठा सकते हैं।
- **सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)[1]** – सीजीटीएमएसई सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा शुरू की गई संयुक्त योजना है। इसके तहत मौजूदा उद्यमी और नए उद्यमी दोनों ऋण की सुविधा ले सकते हैं। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए दिए गए ऋण पर अधिकतम 2 करोड़ रुपये तक की राशि को सीजीटीएमएसई के तहत कवर किया जाता है अर्थात् ऋण के ग़ैर–निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) होने पर इस राशि का भुगतान सरकार करती है, लेकिन इस संदर्भ में चूककर्ता ऋणी और बैंक को कुछ शर्तों का अनुपालन करना होता है।
- **आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस)[2]** – कोरोना महामारी से प्रभावित उद्यमियों को राहत देने के लिए सरकार ने ईसीएलजीएस योजना की शुरुआत मई, 2020 में की थी। इस योजना के तहत एकल ऋण के तौर पर अधिकतम 100 करोड़ रुपये तक की राशि दी जा सकती है। उद्यमियों पर ज़्यादा आर्थिक भार नहीं पड़े, इसके लिए इस योजना के तहत लिए गए ऋण पर बैंक 7.95 प्रतिशत की दर से ब्याज प्रभारित कर रहे हैं। इस योजना के तहत दिए गए ऋण के एनपीए होने पर उसका भुगतान सरकार करेगी अर्थात बैंकों द्वारा दिए गए ऋण पर सरकार गारंटी देती है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं, जिनका अनुपालन ऋणियों और बैंकों को करना पड़ता है।
- **प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम योजना (पीएमईजीपी)[3]** – पीएमईजीपी योजना के तहत सरकार देश के बेरोज़गार युवाओं को अपना खुद का रोज़गार शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये से लेकर 25 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराती है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र

1. Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises
2. Emergency Credit Line Guarantee Scheme
3. Prime Minister's Employment Generation Programme

के बेरोज़गार युवकों को रोज़गार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के बेरोज़गार युवकों को ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग शुरू करने के लिए 25 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है, जबकि शहरी क्षेत्र में उद्योग शुरू करने के लिए 15 प्रतिशत की सब्सिडी। हालांकि, आवेदक को कुल ऋण राशि का 10 प्रतिशत मार्जिन मनी के रूप में बैंक में जमा करना होता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग आदि आवेदकों को ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग शुरू करने के लिए 35 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है, वहीं, शहरी क्षेत्र में उद्योग शुरू करने के लिए 25 प्रतिशत की सब्सिडी। ऐसे आवेदकों को मार्जिन मनी के रूप में कुल ऋण राशि का 5 प्रतिशत बैंक में जमा करना होता है। इस योजना का लाभ 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के युवा ले सकते हैं। शहरी इलाके में पीएमईजीपी के लिए नोडल एजेंसी ज़िला उद्योग केंद्र है, जबकि ग्रामीण इलाके में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड। इनसे संपर्क करके कोई भी युवा इस ऋण योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है।

- **स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय प्रावधान**– स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप की स्थापना की है। स्टार्टअप को ऋण मुहैया कराने के लिए वित्तीय संस्थानों को डीआईपीपी की शर्तों का अनुपालन करना होता है। डीआईपीपी से मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थान ही स्टार्टअप्स को ऋण मुहैया करा सकते हैं। स्टार्टअप को वित्तीय सहायता कार्यशील पूंजी, डिबेंचर, मियादी ऋण आदि के रूप में दी जाती है। डीआईपीपी के सदस्य ऋण संस्थान बिना तीसरे पक्ष की गारंटी या संपार्श्विक प्रतिभूति के स्टार्टअप को 5 करोड़ रुपये तक की ऋण राशि प्रदान कर सकते हैं। अगर कोई स्टार्टअप इस योजना के तहत 1.5 करोड़ रुपये का ऋण लेना चाहता है, तो उसकी 75 प्रतिशत वित्तीय सहायता संस्थान देता है और शेष 25 प्रतिशत राशि का इंतज़ाम उद्यमी को खुद से करना होता है। वहीं, 5 लाख रुपये से कम राशि का ऋण मांगने वाले उद्यमियों को 85 प्रतिशत तक ऋण वित्तीय संस्थान देता है और 15 प्रतिशत राशि की व्यवस्था उद्यमी को स्वयं करनी होती है।

रोज़गारपरक सरकारी योजनाएं

- **उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम**– एमएसएमई मंत्रालय उद्यमिता विकास कार्यक्रमों को आईटीआई, पॉलिटेक्नीक जैसे तकनीकी संस्थानों में निशुल्क आयोजित करता है, ताकि उद्यमी किसी भी क्षेत्र में उद्यम शुरू करने में समर्थ हो सकें। अधिक से अधिक उद्यमी ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकें, इसके लिए प्रत्येक उद्यमी को प्रोत्साहन राशि के रूप में 500 रुपये दिए जाते हैं। एमएसएमई मंत्रालय का मकसद है कि सूक्ष्म, लघु उद्यम (एमएसई) क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण प्रशिक्षित हों, क्योंकि एमएसई के विकास की संभावना ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है। मंत्रालय यह भी ध्यान देता है कि ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कुल लाभार्थियों में से समाज के कमज़ोर वर्ग अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और दिव्यांगों की संख्या कम से कम 20 प्रतिशत हों।
- **दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना**– ग्रामीण विकास मंत्रालय की दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत गरीब ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण के दौरान कुछ प्रोत्साहन राशि दी जाती है, ताकि वे पूरी लगन से किसी क्षेत्र विशेष में अपने कौशल को विकसित करके आत्मनिर्भर बन सकें।
- **दीनदयाल अंत्योदय योजना**– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का आपस में विलय करके उसे दीनदयाल अंत्योदय योजना का नाम दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को कम करना है। इसके तहत शहरी क्षेत्रों में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने, स्वयंसहायता समूह का निर्माण करने और बेघरों को आवास मुहैया कराने और ग्रामीण क्षेत्र में गरीब लोगों को आजीविका उपलब्ध कराकर उनकी गरीबी को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने बीते महीने दीनदयाल अंत्योदय योजना 2021 शुरू की है, जिसके तहत 1,000 से अधिक स्थायी आश्रय स्थापित किए गए हैं, जिससे लगभग 60,000 बेघरों को घर मिला है। लगभग 16 लाख स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान कर उन्हें पहचान–पत्र दिए गए हैं, ताकि उनकी समय पर सहायता की जा सके। इस योजना के तहत 9 लाख लोगों को कुशल भी बनाया गया है और तकरीबन 4 लाख गरीबों को रोज़गार प्रदान किया गया है। उद्यम शुरू करने के लिए आठ लाख से अधिक लोगों के बीच सब्सिडी आधारित ऋण वितरित किए गए हैं, ताकि उन पर आर्थिक दबाव कम पड़े। आज स्वयंसहायता समूह रोज़गार सृजन और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में अपनी अहम् भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए 34 लाख से अधिक शहरी महिलाओं को भी स्वयंसहायता समूहों से जोड़ा गया है।
- **स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी)[4]**– आज एसवीईपी ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत और समूह उद्यमों दोनों को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। यह मुख्य रूप से विनिर्माण, अन्य कारोबार और सेवा क्षेत्रों में उद्यमों को स्थापित करने के लिए उद्यमियों की मदद करता है। एसवीईपी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने, उद्यम की स्थापना में मदद मुहैया कराने और उद्यमी के कौशल उन्नयन का काम करता है, जिसमें तकनीकी सहायता भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान

4. Startup Village Entrepreneurship Programme

उपलब्ध कराता है। यह हर ब्लॉक में उद्यम से संबंधित सूचनाएं उद्यमियों को उपलब्ध कराता है। वर्ष 2020 के अगस्त महीने तक एसवीईपी 23 राज्यों के 153 ब्लॉकों में उद्यमियों को उद्यम शुरू करने में मदद कर चुका था, जिससे तकरीबन एक लाख उद्यमी लाभान्वित हुए थे। इनमें से 75 प्रतिशत इकाइयों का प्रबंधन महिलाओं के द्वारा किया जा रहा था। इस योजना की सफलता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज उद्यमियों की कुल पारिवारिक आय का लगभग 57 प्रतिशत उद्यमों से प्राप्त हो रहा है। इस योजना की मदद से वंचित लोगों की भी मदद की जा रही है। सितंबर, 2019 में भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश के सभी ब्लॉकों में स्थापित उद्यमों में लगभग 82 प्रतिशत उद्यमी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों से थे।

परिवर्तन के उत्प्रेरक

उद्यमिता और स्टार्टअप को सही मायनों में देश में आर्थिक परिवर्तन का उत्प्रेरक माना जा सकता है, क्योंकि इनकी मदद से देश में करोड़ों की संख्या में रोज़गारों का सृजन हो रहा है, अर्थव्यवस्था में बेहतरी आ रही है, आधारभूत संरचना मज़बूत हो रही है, बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ रही है और आम जन के जीवन में खुशहाली आ रही है। हालांकि, अप्रत्यक्ष रूप से इसका प्रभाव समाज, धर्म एवं राजनीति पर भी पड़ता है। आज उद्यमिता और स्टार्टअप व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। और 'आत्मनिर्भर' व्यक्ति किसी भी देश या समाज के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है।

निष्कर्ष

उद्यमिता और स्टार्टअप भारत की आर्थिक तस्वीर को गुलाबी बनाने की दिशा में अग्रसर हैं। इनकी वजह से देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में बेहतरी आ रही है। उद्यमशीलता आर्थिक विकास का कारक भी है और वाहक भी। इसके बिना राज्य या देश का औद्योगिकीकरण नहीं किया जा सकता है। उद्यमी ही मांग और आपूर्ति की गति को तेज़ करता है और आर्थिक गतिविधियों में तेज़ी लाता है। कुशल उद्यमी, उद्यम के मुनाफ़े को बढा देता है, जबकि अकुशल उद्यमी घाटे का कारण बनता है। इसलिए, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय देश में कौशल विकास और उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिए एमएसएमई मंत्रालय ने भारतीय उद्यमिता संस्थान का गठन किया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना की मदद से भी शहरी और ग्रामीण इलाकों में रोज़गार के अवसरों को बढ़ाया जा रहा है।

हमारे देश की एक बड़ी आबादी युवाओं की है, जो कुछ नया करना चाहते हैं। उनके पास नए–नए विचार हैं, जिन्हें कारोबार की शक्ल देने पर उन्हें तो फायदा होगा ही; साथ ही वे दूसरों को रोज़गार देने में भी सफल होंगे। ऐसे नवोन्मेष विचारों से लैस युवा अपना कारोबार शुरू कर सकें, इस दिशा में स्टार्टअप इंडिया योजना निरंतर कामयाबी का एक नया इतिहास रच रही है। मौजूदा परिवेश में यह कहना समीचीन होगा कि उद्यमिता और स्टार्टअप्स दोनों ही रोज़गार सृजन और अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

(लेखक भारतीय स्टेट बैंक के कॉरपोरेट केंद्र, मुंबई के आर्थिक अनुसंधान विभाग में सहायक महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।)

ई–मेल : satish5249@gmail.com

अब प्रिंट और ई–बुक संस्करण उपलब्ध है

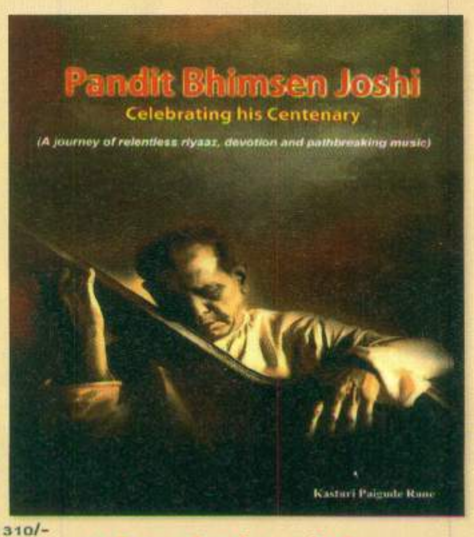

मूल्य – ₹ 310/-

पंडित भीमसेन जोशी
सेलिब्रेटिंग हिज़ सेन्टिनरी

आज़ादी का अमृत महोत्सव

ऑर्डर के लिए संपर्क करें – फोन 011-24365609
ई-मेल : businesswng@gmail.com

आज ही नज़दीकी पुस्तक विक्रेता से खरीदें

प्रकाशन विभाग
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,
भारत सरकार
सूचना भवन, सी जी ओ कॉम्पलेक्स,
लोधी रोड नई दिल्ली -110003

हमारी पुस्तकें ऑनलाइन खरीदने के लिए कृपया www.bharatkosh.gov.in पर जाएं।
ऑर्डर के लिए कृपया संपर्क करें : फोन : 011-24365609, ई-मेल : businesswng@gmail.com
वेबसाइट : www.publicationsdivision.nic.in

/dpd_india @DPD_India /publicationsdivision

माइक्रो फाइनेंस और माइक्रो क्रेडिट से सकारात्मक बदलाव

–डॉ. जी.आर. चिंताला

माइक्रो फाइनेंस भारत में तेज़ी से बढ़ने वाले क्षेत्र के तौर पर उभर कर सामने आया है। इससे ग्रामीण महिलाओं की ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव हुआ है और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हुई है। हमारी विशाल जनसंख्या का लाभ उठाने, उद्यमिता की भावना विकसित करने और ग्रामीण इलाकों में वित्तीय साक्षरता के मकसद से तकनीक की पहुंच बढ़ाने के लिए बहुस्तरीय रणनीति बनाने की ज़रूरत है।

माइक्रो फाइनेंस का मतलब कम आय वाले समूहों जैसे कि महिलाओं, किसानों, पेंशनभोगियों आदि के लिए कर्ज़, बीमा, बचत आदि वित्तीय सेवाओं की सुविधा उपलब्ध कराना है। दरअसल, ये ऐसे समूह हैं जिनके लिए संगठित वित्तीय क्षेत्र की सुविधा हासिल करना मुश्किल होता है। माइक्रो क्रेडिट, माइक्रो फाइनेंस का ही हिस्सा है और इसके तहत सीमित अवधि के लिए कर्ज़ की छोटी रकम मुहैया कराई जाती है। इसमें ऐसे ज़रूरतमंदों को कम ब्याज दर पर कर्ज़ दिया जाता है, जिनकी आमदनी सीमित होती है और वे कर्ज़ के बदले कुछ गिरवी रखने की स्थिति में नहीं होते हैं। ऐसे लोग अक्सर बेरोज़गार होते हैं या कर्ज़ चुकाने का उनका रिकॉर्ड बेहतर नहीं होता।

इस कर्ज़ के ज़रिए लोगों, खासतौर पर ग्रामीण महिलाओं को आजीविका हासिल करने में मदद मिलती है। महिलाएं अपना उद्यम शुरू कर वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करती हैं और स्थानीय महाजनों पर उनकी निर्भरता कम होती है। देश की अर्थव्यवस्था में माइक्रो फाइनेंस की अहम भूमिका है। यह गरीबों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने और उनका वित्तीय प्रबंधन बेहतर करने में सहायक है। माइक्रो फाइनेंस संभावित जोखिमों के प्रबंधन के साथ–साथ आर्थिक अवसरों का लाभ उठाने में भी सक्षम है।

भारत में माइक्रो फाइनेंस

आधुनिक समय में 'माइक्रोफाइनेंसिंग' शब्द का इस्तेमाल 1970 के दशक में शुरू हुआ, जब नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनूस ने बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की। इसी दौरान, भारत में भी ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गरीबों को दीर्घकालिक तौर पर वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मॉडल ढूंढे जा रहे थे। परिणामस्वरूप भारत में माइक्रो फाइनेंस के दो खास मॉडल विकसित हुए– बैंक की अगुवाई में स्वयंसहायता समूह–बैंक लिंकेज

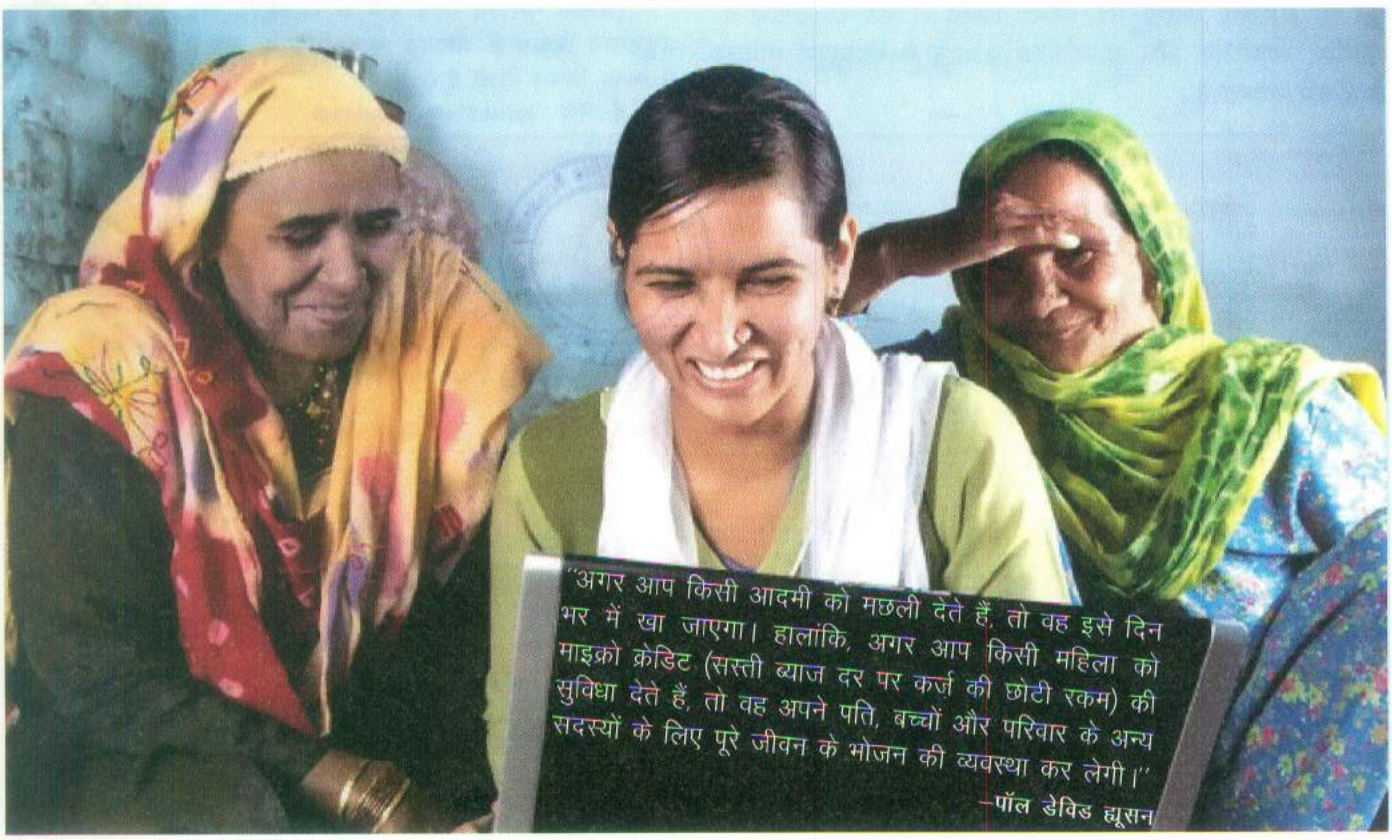

"अगर आप किसी आदमी को मछली देते हैं, तो वह इसे दिन भर में खा जाएगा। हालांकि, अगर आप किसी महिला को माइक्रो क्रेडिट (सस्ती ब्याज दर पर कर्ज़ की छोटी रकम) की सुविधा देते हैं, तो वह अपने पति, बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों के लिए पूरे जीवन के भोजन की व्यवस्था कर लेगी।"
–पॉल डेविड ह्यूसन

प्रोग्राम (एसएचजी–बीएलपी) और माइक्रो फाइनेंस संस्थान की अगुवाई वाली गतिविधियां।

नाबार्ड ने 1991–92 में पायलट आधार पर, बैंकों को स्वयंसहायता समूहों से जोड़ने का कार्यक्रम शुरू किया और उसके बाद से इस दिशा में लगातार काम चल रहा है। स्वयंसहायता समूह संबंधी अभियान एक क्रांतिकारी पहल है जो समूह के सदस्यों को एक–दूसरे से जोड़ता है। इनमें से कई सदस्यों के पास पहले से बैंक खाता भी नहीं होता है और इस अभियान के ज़रिए उन्हें संगठित वित्तीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है। समूह के सदस्य आमतौर पर एक जैसी आर्थिक पृष्ठभूमि के होते हैं। स्वयंसहायता समूहों के अपने कायदे–कानून होते हैं और इनकी नियमित बैठकें होती हैं। साथ ही, ये समूह अपना रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखते हैं और बचत और कर्ज़ से जुड़ी गतिविधियों का सिलसिला जारी रखते हैं। ये समूह खुद से अपना प्रबंधन करते हैं और कोई भी फैसला सामूहिक तौर पर लिया जाता है।

बैंकिंग प्रणाली तक लोगों की पहुंच बढ़ाने और ग्रामीण इलाकों में कर्ज़ की सुविधा सुनिश्चित करने के मकसद से शुरू किया गया यह अभियान पिछले कुछ वर्षों में बेहद अहम हो गया है। यह अब ग्रामीण भारत में वित्तीय, सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी पूंजी तैयार करने से जुड़ा अभियान बन चुका है। इस अभियान की वजह से स्थानीय महाजनों, गिरवी रखकर कर्ज़ देने वाले स्थानीय लोगों पर ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों की निर्भरता कम हुई है। गौरतलब है कि ऐसे महाजन और साहूकार काफी ज़्यादा ब्याज दर वसूलते हैं और गरीबों का शोषण करते हैं।

> महिला स्वयंसहायता समूहों को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू कर नाबार्ड की तरफ से एक और महत्वपूर्ण पहल की गई है। इसके तहत नाबार्ड ने भारत सरकार के साथ मिलकर महिला स्वयंसहायता समूहों के वित्तपोषण और इसे बढ़ावा देने के लिए 150 ऐसे ज़िलों की पहचान की है जो बेहद पिछड़े और नक्सलवाद से प्रभावित हैं। साथ ही, 2.11 लाख महिला स्वयंसहायता समूहों को बचत से जुड़ी सुविधा और 1.29 लाख महिला स्वयंसहायता समूहों को कर्ज़ से जुड़ी सुविधा मुहैया कराने का लक्ष्य हासिल किया गया है।

स्वयंसहायता समूहों की सदस्यता की वजह से महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण सुनिश्चित हुआ है। दरअसल, इसके ज़रिए महिलाओं को संसाधनों का नियंत्रण मिला है, फैसले लेने की प्रक्रिया में उनकी हिस्सेदारी बढ़ी है और बेहतर आर्थिक स्थिति की वजह से उनका सामाजिक सशक्तीकरण भी हुआ है। अतः यह कहा जा सकता है कि स्वयंसहायता समूह महिला सशक्तीकरण का कारगर औज़ार बन चुके हैं और इसके ज़रिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिली है।

स्वयंसहायता समूह (एसएचजी) और बैंक लिंकेज प्रोग्राम की पहुंच (बीएलपी) अब 13.87 करोड़ परिवारों तक है और इसके ज़रिए ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक और वित्तीय सशक्तीकरण संभव हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक, 31 मार्च, 2021 तक स्वयंसहायता समूह–बैंक लिंकेज प्रोग्राम के तहत कुल 112.23 लाख स्वयंसहायता समूह थे जिनमें से 51.50 प्रतिशत को बैंक से कर्ज़ की सुविधा उपलब्ध थी। इसके अलावा, एसएचजी–बीएलपी के तहत सभी बैंकों का कुल 1,03,289.71 करोड़ रुपये बकाया है, जबकि गैर–निष्पादित संपत्तियां (एनपीए) 4.73 प्रतिशत हैं।

भारत सरकार साल 1999 से खास बजटीय प्रावधान के ज़रिए स्वयंसहायता समूहों को बढ़ावा दे रही है। यह प्रावधान 'स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोज़गार योजना' के तहत किया जाता था। इस योजना को गरीबी रेखा से नीचे गुजर–बसर करने वाले सभी परिवारों के लिए लागू किया गया। इसके बाद, 2011 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) कर दिया गया, जिसका मकसद स्वयंसहायता समूहों के तहत संगठित सभी गरीब परिवारों के लिए वित्तीय समावेशन का लक्ष्य हासिल करना था। 29 मार्च, 2016 को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना– राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई–एनआरएलएम) कर दिया गया। दीनदयाल अंत्योदय योजना– राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 70 लाख स्वयंसहायता समूहों को सहायता पहुंचाई गई है और इसकी पहुंच 7.5 करोड़ परिवारों तक है।

स्वयंसहायता समूह–बैंक लिंकेज की सफलता ने राज्य सरकारों को भी प्रेरणा दी और इन सरकारों ने अपने विभागों के माध्यम से स्वयंसहायता समूहों को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम चलाए। इस सिलसिले में राज्य सरकारों की तरफ से की गई पहल में आंध्र प्रदेश का पोडुपुलक्ष्मी और इंदिरा क्रांति पाथम कार्यक्रम, बिहार का जीविका कार्यक्रम के अलावा, तमिलनाडु में महालीर थिट्टम केरल में कुदुम्बश्री और ओडिशा में तृप्ति / मिशन शक्ति परियोजनाएं शामिल हैं।

अगर हम माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के मॉडल की बात करें, तो भारत में इसकी शुरुआत 1980 के दशक के आखिर में हुई। बड़ी संख्या में ग्रामीण आबादी के लिए बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण इन संस्थानों का उभार हुआ। ये संस्थाएं कर्ज़ उपलब्ध कराने के अलग–अलग मॉडल पर काम करती हैं। इनमें से कई संस्थानों को बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक और दक्षिण अमेरिकी देशों में होने वाले नवाचारों से प्रेरणा मिली।

स्वयंसेवी एजेंसियों और गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) ने वित्तीय कार्यक्रमों को व्यापक सामाजिक हित के काम के तौर पर अपनाया है। कई एनजीओ ने स्वयंसहायता समूहों को फेडरेशन के तौर पर संगठित होने में मदद की है और ये फेडरेशन गैर–वित्तीय कामकाजों को अंजाम दे रहे हैं, जैसे कि क्षमता निर्माण संबंधी गतिविधियां, स्वयंसहायता समूहों को बढ़ावा देना, इन समूहों के लिए प्रशिक्षण की सुविधा मुहैया कराना और अंदरूनी परीक्षण।

Delhi Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd.

नाबार्ड ने शुरुआती दौर में माइक्रो फाइनेंस संस्थानों को फंड की भी सहायता उपलब्ध कराई। बाद में, नाबार्ड ने माइक्रो फाइनेंस डेवलपमेंट इक्विटी फंड (एमएफडीईएफ) के इक्विटी और डेट से जुड़े उत्पादों के ज़रिए कई माइक्रो फाइनेंस संस्थानों को मदद की।

साल 2019–20 में देश में 141 माइक्रो फाइनेंस संस्थान थे, जबकि 2020–21 में माइक्रो फाइनेंस संस्थानों की संख्या 209 रही। इनमें 87 एनबीएफसी–एमएफआई, 58 एनबीएफसी, 39 गैर–लाभकारी एमएफआई, 17 बैंक और 8 एसएफबी थे।

31 मार्च, 2021 के आंकड़ों के मुताबिक, इस उद्योग से जुड़ा कुल कर्ज़ 2,47,839 करोड़ था, जबकि कर्ज़दारों (सक्रिय) की संख्या 1,028 थी। हालांकि, कोरोना की वजह से माइक्रो फाइनेंस के ग्राहकों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे माइक्रो फाइनेंस के कारोबार पर भी असर पड़ा है। कोरोना के कारण माइक्रो फाइनेंस के कई ग्राहकों को नौकरी गंवानी पड़ी, कमाई के अवसर कम हुए और फिर से लोगों को गांवों का रुख करना पड़ा। ग्राहकों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए माइक्रो फाइनेंस सेक्टर का इरादा देश भर के गरीब परिवारों को बेहतर और टिकाऊ वित्तीय सेवा मुहैया कराना है।

माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र के लिए 'नाबार्ड' की पहल

महिला सशक्तीकरण, वित्तीय सेवा उपलब्ध कराने और गरीबी हटाने के लिए स्वयंसहायता समूह– बैंक लिंकेज कार्यक्रम एक असरदार माध्यम के तौर पर उभरकर सामने आया है। इस कार्यक्रम को नाबार्ड की विभिन्न गतिविधियों से भी मज़बूती मिली है। नाबार्ड की तरफ से सहयोगी एजेंसियों मसलन एनजीओ, स्वयंसहायता समूहों के फेडरेशन, सीबी, आरआरबी, एनजीओ–एमएफआई, सीसीबी, पैक्स (पीएसी), किसानों के क्लब, ग्रामीण स्वयंसेवकों आदि को मदद मुहैया कराई जाती है। इसके तहत स्वयंसहायता समूहों को बैंकों के ज़रिए कर्ज़ की सुविधा दी जाती है। आर्थिक मदद और अन्य तरह के प्रयासों के ज़रिए 31 मार्च, 2021 तक 112.23 लाख स्वयंसहायता समूहों को बैंकों से जोड़ा जा चुका है। इन समूहों के लिए कुल 42,635.85 लाख रुपये की आर्थिक मदद की मंज़ूरी दी गई और 31 मार्च, 2021 तक इसके लिए 17,123.45 लाख रुपये जारी किए गए। एसएचपीआई/एजेंसियों के लिए 'वित्तीय समावेशी फंड' के ज़रिए फंड का इंतजाम किया गया है, ताकि वित्तीय साक्षरता से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके।

इसके अलावा, महिला स्वयंसहायता समूहों को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू कर नाबार्ड की तरफ से एक और महत्वपूर्ण पहल की गई है। इसके तहत नाबार्ड ने भारत सरकार के साथ मिलकर महिला स्वयंसहायता समूहों के वित्तपोषण और इसे बढ़ावा देने के लिए 150 ऐसे ज़िलों की पहचान की है जो बेहद पिछड़े और नक्सलवाद से प्रभावित हैं। साथ ही, 2.11 लाख महिला स्वयंसहायता समूहों को बचत से जुड़ी सुविधा और 1.29 लाख महिला स्वयंसहायता समूहों को कर्ज़ से जुड़ी सुविधा मुहैया कराने का लक्ष्य हासिल किया गया है। ग्राम–दुकान जैसी गतिविधियों के लिए मदद उपलब्ध कराई गई है और योजनाओं के असर के आकलन से जुड़े अध्ययन, फिल्मों, प्रकाशन, एग्जिबिशन, मार्केटिंग के लिए समझौते को बढ़ावा देने आदि गतिविधियों के लिए भी फंड का इंतजाम किया गया है।

नाबार्ड संयुक्त दायित्व समूह (जेएलजी) को बढ़ावा देने की पहल के तहत बैंकों और अन्य संस्थानों को जेएलजी के गठन और इसे बढ़ावा देने में सहयोग उपलब्ध कराता है। जेएलजी के वित्तपोषण की व्यवस्था मज़बूत करने के लिए नाबार्ड इस कार्यक्रम से जुड़े सभी संबंधित पक्षों के क्षमता निर्माण और जागरूकता फैलाने के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराता है और जेएलजी पर खर्च करने वाले बैंकों की भी वित्तीय मदद करता है। आंकड़ों के मुताबिक 31 मार्च, 2021 तक ऐसे जेएलजी की कुल संख्या 133.83 लाख थी और इसमें 2019–20 के मुकाबले 45 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिली।

भारत सरकार ने साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य तय किया है। इसके तहत, कृषि क्षेत्र में कर्ज़ की उपलब्धता की निगरानी के लिए, वित्तपोषण में छोटे/मझोले/पट्टे पर खेती करने वाले किसानों की हिस्सेदारी को एक मानक माना गया है। नाबार्ड की सलाह पर ही ऐसा किया गया है। गैर–वित्तीय गतिविधियों के मामले में भी नाबार्ड नियमित तौर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम और अन्य गतिविधियों का आयोजन करता रहा है।

नाबार्ड ने माइक्रो क्रेडिट के क्षेत्र में काम करने वाली अपनी सब्सिडियरी इकाई 'नैबफिन्स' के लिए यह तय किया था कि इस संस्था को आदर्श माइक्रो फाइनेंस संस्थान बनाया जाएगा, जो सस्ती ब्याज दर पर कर्ज़ उपलब्ध कराए, पारदर्शिता के साथ काम करे और माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के संचालन के लिए मानक तय कर सके। इसी मकसद के तहत 5 राज्यों में जेएलजी के स्व–वित्त पोषण/डायरेक्ट क्रेडिट लिंकेज के लिए पायलट परियोजना को मंज़ूरी दी गई है।

नाबार्ड माइक्रो फाइनेंस संबंधी अपनी गतिविधियों को स्वयंसहायता समूह आधारित आजीविका संबंधी पहल से जोड़ने की भी कोशिश करता है। इसके मद्देनज़र, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में माइक्रो उद्यमिता अभियान को बढ़ावा देने के लिए 2006 में माइक्रो उद्यमिता विकास योजना (एमईडीपी) की शुरुआत की गई। इसका मकसद कृषि और गैर–कृषि गतिविधियों से जुड़े प्रशिक्षण के ज़रिए कौशल को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक मदद मुहैया कराना है। इसके तहत, 31 मार्च, 2021 तक 18,434 एमईडीपी के ज़रिए स्वयंसहायता समूहों के कुल 5.22 लाख सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और इस पर 3509.59 लाख का अनुदान मुहैया कराया गया है। इसके अलावा, नाबार्ड ने जुलाई 2019 में नैबस्किल पोर्टल पर एमईडीपी का संचालन शुरू किया, ताकि ज़्यादा तेज़ी के साथ

आवेदनों की मंज़ूरी की दिशा में काम किया जा सके।

एमईडीपी की सफलता के बाद 2015 में आजीविका और उद्यमिता विकास कार्यक्रम (एलईडीपी) शुरू किया गया, जिसके तहत गांवों में परियोजना मोड के तहत कृषि और गैर–कृषि गतिविधियों के ज़रिए आजीविका के लिए लोगों को तैयार किया जाता है। इसमें कौशल निर्माण के लिए प्रशिक्षण, अन्य तरह के प्रशिक्षण और आसानी से कर्ज़ उपलब्ध कराने में मदद का भी प्रावधान है। इस कार्यक्रम में मूल्य श्रृंखला संबंधी सहयोग और स्वयंसहायता समूहों के लिए बेहतर समाधान पेश करने पर फोकस है। 31 मार्च, 2021 के आंकड़ों के मुताबिक, 1284 एलईडीपी के ज़रिए कुल 1,36,098 स्वयंसहायता समूहों को मदद उपलब्ध कराई गई और इस सिलसिले में नाबार्ड की तरफ से 6332.82 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी गई।

एलईडीपी के तहत नैब फाउंडेशन के ज़रिए नवाचार का एक हालिया उदाहरण 'मेरा पैड, मेरा अधिकार' परियोजना है, जो पूरे देश में चलाई जा रही है। इस परियोजना के तहत स्वयंसहायता समूह के सदस्यों को साफ–सफाई से जुड़ी बुनियादी जानकारी, मशीन चलाने और मार्केटिंग आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस परियोजना का मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को सस्ती दरों पर पैड (मासिक धर्म के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाला) उपलब्ध कराना, इस संबंध में जागरूकता फैलाना और इस्तेमाल किए गए पैड यानी इस तरह के कचरे का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करना है।

> कोरोना महामारी ने न सिर्फ स्वयंसहायता समूह बैंकिंग–लिंकेज कार्यक्रम में सुधार के स्तर के मूल्यांकन और मुश्किल दौर के लिए तैयारियों की ज़रूरत को रेखांकित किया है, बल्कि इसने माइक्रो फाइनेंस संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए तकनीक–आधारित समाधानों को अपनाने का सबक भी दिया है। इन पहलुओं पर आगे और भी विचार करना होगा।

इसके अलावा, नाबार्ड माइक्रो फाइनेंस से जुड़े पक्षों मसलन बैंकों, एनजीओ, सरकारी अधिकारियों, स्वयंसहायता समूहों, स्वयंसहायता समूह फेडरेशन और प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण संबंधी सहयोग मुहैया कराता है। आंकड़ों के मुताबिक, 31 मार्च, 2021 तक एफआईएफ के तहत कुल 42.17 लाख लोगों, जबकि महिला स्वयंसहायता समूह से जुड़े 3.70 लाख सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया है। इस तरह, माइक्रो फाइनेंस कार्यक्रमों को लागू करने के लिए मज़बूत, विशेष कौशल से लैस और अनुभवी टीम बनाने में मदद मिली है।

भारत सरकार के 'डिजिटल इंडिया' मिशन की तर्ज पर नाबार्ड ने 2015 में स्वयंसहायता समूहों के डिजिटाइजेशन के लिए पायलट परियोजना ई–शक्ति की शुरुआत की थी। इसे दो ज़िलों रामगढ़ (झारखंड) और धुले (महाराष्ट्र) में शुरू किया गया था। इसका मकसद सभी स्वयंसहायता समूहों के लिए डेटा का डिजिटाइजेशन है, ताकि इन समूहों के लिए काम करना ज़्यादा आसान हो सके। इस परियोजना के तहत, मौजूदा स्वयंसहायता समूहों के साथ–साथ समूह के अंदर और बैंकों के साथ होने वाले सभी वित्तीय लेन–देनों से जुड़ी जानकारी रियल टाइम में उपलब्ध कराई जाती है। लिहाज़ा जो डेटाबेस तैयार होता है, उसके ज़रिए स्वयंसहायता समूहों और उनके सदस्यों के बारे में बैंकों और अन्य संबंधित पक्षों को ताजा जानकारी मिलती है और वे इसी आधार पर कर्ज़ देने के बारे में और अन्य फैसले लेते हैं।

31 मार्च, 2021 के आंकड़ों के मुताबिक, ई–शक्ति परियोजना को देश के 281 ज़िलों में लागू किया जाएगा और इसके दायरे में 12.33 लाख स्वयंसहायता समूहों को शामिल किया गया है। डिजिटाइजेशन की मदद से बही खाते की गुणवत्ता, स्वयंसहायता समूहों की सदस्यता के बारे में गलत जानकारी, कर्ज़ संबंधी पिछले रिकॉर्ड आदि के बारे पता चलता है। साथ ही, इस प्रक्रिया से स्वयंसहायता समूहों को उनके वित्तीय और गैर–वित्तीय रिकॉर्ड के आधार पर ऑनलाइन ग्रेड भी मुहैया कराया जाता है।

माइक्रो फाइनेंस की जड़ मज़बूत करने की दिशा में, वित्तीय समावेशन और माइक्रो फाइनेंस शोध केंद्र (सेंटर फॉर रिसर्च ऑन फाइनेंशियल इनक्लूज़न एंड माइक्रोफाइनेंस) महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इस संस्थान को 2008 में स्थापित किया गया था। यह संस्थान माइक्रो फाइनेंस और वित्तीय समावेशन की दिशा में शोध गतिविधियों को अंजाम देता है। इसका मकसद माइक्रो फाइनेंस के ढांचे और इससे जुड़ी नीतियों में नियमित तौर पर सुधार के लिए प्रयास जारी रखना है।

बैंकों द्वारा स्वयंसहायता समूह, जेएलजी, रिथु मित्र समूहों और माइक्रो फाइनेंस संस्थानों को उपलब्ध कराए गए कर्ज़ के 95 प्रतिशत हिस्से की रकम का भुगतान (रिफाइनेंस) नाबार्ड इन बैंकों को कर देता है, ताकि उनके पास संसाधनों की उपलब्धता बनी रहे। 31 मार्च, 2021 के आंकड़ों के मुताबिक, स्वयंसहायता समूहों के कर्ज़ के मद में नाबार्ड ने 90,821. 81 करोड़ रुपये का भुगतान किया था। इसके अलावा, 2014–15 से नाबार्ड दीर्घकालिक रिफाइनेंस के ज़रिए भी माइक्रो फाइनेंस संस्थानों की मदद करता है।

नाबार्ड पहली श्रेणी के ज़िलों में डीएवाई–एनआरएलएम के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों में महिला स्वयंसहायता समूहों के लिए ब्याज पर छूट की योजना भी लागू करता है। नाबार्ड और डीएवाई–एनआरएलएम के बीच सहयोग के तहत, नाबार्ड के क्षेत्रीय अधिकारी संबंधित एसआरएलएम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ताकि सभी ग्रामीण बैंकों के मैनेजरों के लिए प्रशिक्षण का लक्ष्य हासिल किया जा सके। एसआरएलएम के साथ मिलकर बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए राज्य–स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है, ताकि कर्ज़ की उपलब्धता को आसान बनाया जा सके। कुछ राज्यों में

Delhi Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd.

एसआरएलएम को ई–शक्ति योजना लागू करने वाली एजेंसी के तौर पर चुना गया है।

कोरोना महामारी के मद्देनज़र स्वयंसहायता समूहों की मदद के लिए नाबार्ड ने कई कदम उठाए हैं। इनमें स्वास्थ्य संबंधी सलाह के अलावा आजीविका संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम भी शामिल हैं। इसके तहत स्वयंसहायता समूह के 40 लाख सदस्यों को स्वास्थ्य सलाह संबंधी एसएमएस भेजने के लिए ई–शक्ति पोर्टल का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही, फेस मास्क/सैनेटाइज़र/पीपीई किट बनाने, ज़रूरी आइटम/सब्ज़ियों के बास्केट के वितरण, ग्रामीण बैंक स्थापित करने, जागरूकता अभियान चलाने आदि के लिए भी पोर्टल का इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों के वापस लौटने की वजह से एमईडीपी, एलईडीपी और क्षमता निर्माण के लिए आवंटन में अच्छी–खासी बढ़ोत्तरी की गई है, ताकि ग्रामीण इलाकों में रोज़गार के लिए लोगों को पर्याप्त कौशल उपलब्ध कराया जा सके। पिछले वित्तवर्ष की तुलना में वित्तवर्ष 2020–21 के दौरान, एमईडीपी से जुड़े आंकड़े तीन गुना बढ़ गए, जबकि एलईडीपी में दोगुनी बढ़ोत्तरी हुई और गांवों के लोगों को रोज़गार के लिए बेहतर कौशल उपलब्ध कराया गया।

चुनौतियां और आगे की राह

नाबार्ड की मदद से स्वयंसहायता समूह–बैंक लिकेंज कार्यक्रम सफल रहा। स्वयंसहायता समूहों के गठन और उनकी सहायता में डीएवाई–एनआरएलएम ने शानदार काम किया और माइक्रो फाइनेंस संस्थानों की भूमिका भी सराहनीय रही है। देश में स्वयंसहायता कार्यक्रम की पहुंच अब 13.8 करोड़ गरीब परिवारों तक है। हमें अब इस उपलब्धि का इस्तेमाल सामाजिक पूंजी के तौर पर करना होगा और इस क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कदम उठाने होंगे, ताकि आने वाले वर्षों में देश के आर्थिक विकास में बेहतर योगदान सुनिश्चित किया जा सके। हालांकि, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए इस क्षेत्र से जुड़ी प्रमुख चुनौतियों को समझना और उनसे निपटना ज़रूरी है।

स्वयंसहायता समूहों की कर्ज़ लेने की क्षमता और प्रति व्यक्ति कर्ज़ की उपलब्धता काफी कम है, इसलिए इनके ज़रिए उद्यम खड़ा करने और आमदनी बढ़ाने की राह भी चुनौतीपूर्ण है। इसके अलावा, महामारी की वजह से स्वयंसहायता समूहों के लिए कौशल संबंधी प्रशिक्षण पर भी असर पड़ा है। लॉकडाउन और लोगों के एक जगह इकट्ठा होने पर पाबंदियों के कारण स्वयंसहायता समूहों के क्षमता निर्माण कार्यक्रमों पर भी प्रतिकूल असर पड़ा। यह भी देखा गया है कि किसी स्वयंसहायता समूह के सफल उद्यम में रूपांतरित होने के लिए कौशल प्रशिक्षण, उत्पादों की बिक्री के लिए बाज़ार की सुविधा आदि के अलावा नियमित तौर पर मार्गदर्शन और अन्य सहयोग भी ज़रूरी है।

माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में क्षेत्रीय असंतुलन भी देखने को मिलता है। दक्षिण भारत के राज्यों में बैंक लिंकेज की हिस्सेदारी 36 प्रतिशत है, जबकि उत्तर और पूर्वोत्तर राज्यों में यह आंकड़ा क्रमशः 5.4 प्रतिशत और 5.6 प्रतिशत है। लिहाजा, जो इलाके बैंक लिंकेज के हिसाब से पिछड़े हुए हैं, उन्हें स्वयंसहायता समूह–बैंक लिंकेज कार्यक्रम पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है।

कोरोना महामारी ने न सिर्फ स्वयंसहायता समूह बैंकिंग–लिंकेज कार्यक्रम में सुधार के स्तर के मूल्यांकन और मुश्किल दौर के लिए तैयारियों की ज़रूरत को रेखांकित किया है, बल्कि इसने माइक्रो फाइनेंस संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए तकनीक–आधारित समाधानों को अपनाने का सबक भी दिया है। इन पहलुओं पर आगे और भी विचार करना होगा। इसके अलावा, एसएफबी, एनआरएलएम, सिडबी, मुद्रा समेत कई अन्य संस्थागत खिलाड़ी माइक्रो फाइनेंस के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लिहाजा रणनीतिक साझेदारी बनाने और लक्ष्यों में ज़रूरी बदलाव के लिए कार्यक्रम के ढांचे की समीक्षा आवश्यक है।

मोटे तौर पर कहा जाए, तो स्वयंसहायता समूह–बैंक लिंकेज कार्यक्रम में प्रति समूह औसत कर्ज़ की राशि बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि छोटे उद्यमियों के लिए ज़्यादा पूंजी उपलब्ध हो सके, बेहतर तकनीक का इस्तेमाल सुनिश्चित हो और मौसमी या अन्य उतार–चढ़ाव का कार्यक्रम पर असर नहीं हो। स्वयंसहायता समूहों के उत्पादों के लिए ऐसी निर्देशिका तैयार की जानी चाहिए, जिसमें समूहों के कौशल के बारे में जानकारी हो। इससे स्वयंसहायता समूह से जुड़े उत्पादों की मार्केटिंग की राह आसान होगी।

रिज़र्व बैंक की तरफ से जारी हालिया दिशा–निर्देशों के मुताबिक, क्षमता निर्माण संबंधी गतिविधि के ज़रिए मध्य, पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के पिछड़े राज्यों/ज़िलों पर विशेष ज़ोर दिया जाना चाहिए। अगर तकनीक का इस्तेमाल कर वित्तीय साक्षरता में बढ़ोत्तरी की जाए और जन धन, आधार और मोबाइल के इस्तेमाल के ज़रिए वित्तीय समावेशन के लिए काम किया जाए, तो इससे माइक्रो फाइनेंस की पहुंच बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। ऐसे में, बैंकों द्वारा ई–शक्ति पोर्टल के इस्तेमाल और वित्तीय तकनीक से जुड़ी एजेंसियों के साथ साझेदारी कर कर्ज़ की पहुंच कई गुना बढ़ाई जा सकती है और स्वयंसहायता समूहों के लिए भी डिजिटल बैंकिंग की उपलब्धता आसान हो सकेगी।

नाबार्ड, सिडबी, मुद्रा जैसे कई संस्थान डीएवाई–एनआरएलएम के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। स्वयंसहायता समूहों के विशाल ग्राहक वर्ग का इस्तेमाल कर ज़्यादा से ज़्यादा वित्तीय संस्थान इस तरीके से काम करके गरीब और वंचित तबके तक पहुंच सकते हैं। अगर माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र से जुड़े सभी खिलाड़ी मिलकर काम करते हैं, तभी ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले वंचित समुदायों की ज़रूरतों को बेहतर ढंग से पूरा किया जा सकेगा।

(लेखक नाबार्ड के चेयरमैन हैं। लेख में व्यक्त विचार उनके निजी हैं।)
ई–मेल ccd@nabard.org

उद्यमिता : महिलाओं की बढ़ती भागीदारी

–अमिताभ कांत, नमन अग्रवाल, अनमोल सहगल

आज हम एक बेहतर स्थिति में हैं क्योंकि उद्यमिता के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी की दर तेज़ी से बढ़ रही है। आर्थिक विकास में महिला उद्यमियों की भूमिका को मान्यता मिल रही है और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कारगर कदम भी उठाए जा रहे हैं। सामाजिक क्षेत्र में उभरते महिला उद्यम न केवल कृषि, शिक्षा आदि क्षेत्रों में समस्याओं से निपटने के लिए स्थायी परितंत्र के निर्माण की दिशा में एक आत्मविश्वासपूर्ण कदम है बल्कि नवोदित महिला उद्यमियों के लिए सीखने और अपने विचारों के साथ आगे बढ़ने के लिए एक प्रोत्साहन भी है।

भारत की जनसंख्या 133 करोड़ से अधिक है और इस जनसंख्या का 62 प्रतिशत से अधिक भाग 15–59 वर्ष के उत्पादक आयु वर्ग में आता है। भारत के इस जनसांख्यिकीय लाभांश में 15–64 वर्ष के आयु वर्ग में 43 करोड़ से अधिक महिलाएं हैं। इसके बावजूद कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी का लाभ भारत की विकास गाथा में शामिल नहीं है। वर्ष 2019 के अनुमानों के अनुसार वर्तमान में भारत श्रमबल में महिलाओं की भागीदारी को शामिल करने में काफी निचले पायदान पर है (चित्र–1)। कार्यबल में दस करोड़ पांच लाख आठ हज़ार छह सौ महिलाओं (चित्र–2) की कुल संख्या को देखा जाए तो 43 करोड़ कामकाजी उम्र की आबादी में लगभग 32.9 करोड़ महिलाएं कार्यबल में शामिल नहीं हैं।

भारत के आर्थिक परिणामों ने पिछले एक दशक में स्टार्टअप और नए व्यवसायों में समानांतर वृद्धि के साथ–साथ लगातार विकास दिखाया है। लेकिन महत्वाकांक्षी और अभिलाषी महिला उद्यमी कम अनुकूल परिस्थितियों, मुखर सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों और वित्तपोषण, बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षण और विकास जैसे व्यावसायिक संसाधनों की कमी के साथ संघर्ष करती हैं। ये परिस्थितियां न केवल उनके आत्मविश्वास को डिगाती हैं बल्कि उन महिलाओं को भी आगे बढ़ने से रोकती हैं जो अन्य महिलाओं के समृद्धि और प्रगति की राह पर बढ़ने से प्रेरणा पाने की उम्मीद रखती हैं। वह समाज जहां महिलाएं अपनी पूरी क्षमता को विकसित नहीं कर पाती हैं, वह नवाचार, आर्थिक विकास और रोज़गार सृजन की महत्वपूर्ण संभावनाओं को खो देता है।

महिलाओं की आर्थिक क्षमता का दोहन करने और 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए उद्यमिता महत्वपूर्ण बनी हुई है। वैश्विक प्रतिबद्धता 2030 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को साकार करने के लिए गरीबी, असमानता और अन्याय से निपटने पर केंद्रित है और इसने महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए हैं। समावेशी और सतत विकास के केंद्र में महिलाओं की आर्थिक क्षमता का दोहन करने की तत्काल आवश्यकता है और उसी के लिए उद्यमिता महत्वपूर्ण बनी हुई है।

Delhi ★ Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd.

आने वाले दशक में भारत में कामकाजी उम्र के लोगों की आबादी एक अरब से अधिक होगी जो दुनिया में सर्वाधिक होगी। यह जनसांख्यिकीय लाभांश बढ़ती हुई शिक्षित आबादी के साथ जुड़ने पर भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास प्रक्षेप पथ को बदलने की क्षमता रखता है। लेकिन आवश्यक रोज़गार पैदा करने में अकेले निजी और सरकारी क्षेत्र पर्याप्त नहीं होंगे। इसके समग्र समाधान हेतु महिलाओं के लिए उद्यमिता के अवसरों का सृजन एक महत्वपूर्ण भाग है। यह न केवल रोज़गार सृजन के माध्यम से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा बल्कि महिलाओं के लिए परिवर्तनकारी सामाजिक और व्यक्तिगत परिणाम भी प्रदान करेगा।

मैकिन्से की जेंडर पैरिटी (लैंगिक समानता) रिपोर्ट 2018 में कहा गया है कि यदि भारत लैंगिक असमानता को दूर करने में सक्षम है तो हम सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 770 बिलियन डॉलर जोड़ सकते हैं जो सामान्य से 18 प्रतिशत अधिक के बराबर होगा। इस दूरदर्शी लेकिन यथार्थवादी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय परिप्रेक्ष्य में आकांक्षी महिला उद्यमियों की स्थिति और बाधाओं को समझने की आवश्यकता है। साथ ही, हाल ही में सरकार की विभिन्न पहलों और महिलाओं को श्रमबल बाज़ार में लाने के प्रयासों को महत्वाकांक्षी नवप्रवर्तनकर्ताओं के ध्यान में लाना महत्वपूर्ण है। यह लेख महिला उद्यमिता के परिदृश्य का विश्लेषण करने के लिए इस दृष्टिकोण को संदर्भ में लेता है और उन महिलाओं की महत्वपूर्ण प्रेरणादायक सफलता की कहानियों का भी वर्णन करता है जो अपनी आकांक्षाओं और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उद्यमिता के क्षेत्र में कदम रख रही हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी

महिलाओं की श्रमबल में भागीदारी विकास का उत्प्रेरक है और उनकी भागीदारी दर किसी देश के और अधिक तेज़ी से आगे बढ़ने की क्षमता को इंगित करती है। महिला श्रमबल भागीदारी और सामाजिक/आर्थिक विकास के बीच अंतर्संबंध वर्णित किए जाने की तुलना में परोक्ष रूप से कहीं बहुत अधिक सानुपातिक हैं। यह सुझाया गया है कि यदि भारत महिला कार्यबल की भागीदारी में सुधार करके लैंगिक समानता अंतर को पाट पाता है तो वह अपने सकल घरेलू उत्पाद में 18 प्रतिशत (लगभग 770 बिलियन अमरीकी डालर) जोड़ सकता है।

चित्र–3 1990 के बाद से प्रत्येक पांच वर्षों के अंतराल में महिला श्रमबल की भागीदारी का रुझान दिखाता है। इससे स्पष्टतः समझा जा सकता है कि यह भागीदारी 2005 में 31.79 प्रतिशत से लगातार गिरकर 2019 में 20.79 प्रतिशत हो गई है जबकि श्रम बाज़ार में महिलाओं की भागीदारी दर का वैश्विक औसत 2018 में 48.5 प्रतिशत था। 1990 से 2005 के बीच एक स्थिर दर होने का कारण यह है कि जो महिलाएं गरीबी के कारण बेहद कम वेतन वाली निम्न दर्जे की नौकरियां करने पर मज़बूर थीं, वे उन नौकरियों को छोड़ चुकी हैं क्योंकि पुरुष श्रमबल की भागीदारी के कारण संभवतः उनकी कुल घरेलू आय में वृद्धि हो गई होगी।

लंबी अवधि के रुझानों ने सुझाया है कि भारत में महिला श्रमबल की भागीदारी दर हैरान करने वाली रही है। महिला भागीदारी दर 1999–2000 में 34.1 प्रतिशत से घटकर 2011–12 में 27.2 प्रतिशत हो गई। इसके साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच काफी भिन्नताएं आई हैं। ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी दर 2009–10 में 26.5 प्रतिशत से घटकर 2011–12 में 25.3 प्रतिशत हो गई जबकि इसी अवधि में शहरी महिलाओं की भागीदारी दर 14.6 प्रतिशत से बढ़कर 15.5 प्रतिशत हो गई। भारत में तेज़ी से हो रहे शहरीकरण को अभी और अधिक महिलाओं को श्रमबल में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना बाकी है। ग्रामीण रोज़गार कम हो रहे हैं और ग्रामीण महिलाएं शहरी क्षेत्रों में काम करने लग गई हैं। महिला श्रमबल भागीदारी दर में 131 देशों में भारत 120वें स्थान पर है और लिंग–आधारित हिंसा की दर असंतोषजनक रूप से उच्च बनी हुई है।

जब देश की आधी आबादी पूरी तरह से अर्थव्यवस्था में भाग नहीं ले रही हो तब समावेशी और स्थिर भविष्य की कल्पना करना मुश्किल है। विश्व में आ रही गिरावट के रुझान से भारत को अलग करने वाली एक ऐसी खास बात यह है कि तुर्की को छोड़कर सभी ने महिला श्रमबल की भागीदारी के उच्च स्तर औसत लगभग 58 प्रतिशत के साथ शुरुआत की थी।

महिलाओं की श्रमबल में भागीदारी दर में गिरावट का एक प्रमुख कारण उनका

चित्र–1 : 2019 में श्रमबल भागीदारी दर, महिलाएं (15–64 आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत)

स्रोतः अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, आइएलओएसटीएटी डेटाबेस

सामाजिक दायित्व है। सांस्कृतिक मानदंडों के कारण नियमित घरेलू कार्यों की बड़ी ज़िम्मेदारी महिलाओं की होती है जिससे महिलाओं की आकांक्षाएं और क्षमताएं मुखर नहीं हो पाती हैं। 2014 के ओडब्ल्यूआईडी (आवर वर्ल्ड इन डाटा) के आंकड़ों के अनुसार भारत का अवैतनिक देखभाल के कार्य में लगाए गए समय का महिला–पुरुष अनुपात 9.83 है जो दुनिया में तीसरा सबसे अधिक है। इन आंकड़ों की तर्ज पर 2017–18 में 15–59 आयु वर्ग की 62.1 प्रतिशत महिलाएं घरेलू कार्यों में संलग्न थीं।

चित्र–2 : वर्ष 2019 के लिए श्रमबल आबादी, महिला (15+ आयु)

स्रोतः अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुमान

भारत जैसे विकासशील देशों के लिए महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी आर्थिक स्वतंत्रता, आत्मविश्वास और दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता के साथ–साथ सामाजिक परिवेश में व्यक्तिगत पहचान बनाने के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। उद्यमिता, स्वरोज़गार और लघु और सूक्ष्म व्यवसाय रोज़गार की इच्छुक महिलाओं के लिए रोज़गार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसका प्रमाण है कि महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों में अधिक महिलाओं को काम पर रखने की प्रवृत्ति होती है और इसलिए महिला उद्यमिता समुदाय में व्यापक रूप से रोज़गार पैदा करने में एक गुणक प्रभाव पैदा करती है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के अलावा उद्यमिता संपत्ति के स्वामित्व और निर्णय लेने की स्वतंत्रता के माध्यम से महिलाओं की सामाजिक स्थिति बेहतर बनाती है। उद्यमिता परिदृश्य में महिलाओं की भागीदारी के कई लाभ हैं जिसमें वह विस्तार प्रदान करना भी शामिल है जो आजीविका अर्जित करने और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने से हासिल होता है।

भारत सरकार ने प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पीएमजीईपी), उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) और स्टार्टअप इंडिया जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त संसाधनों का निवेश किया है। कई राज्य सरकारें, सीएसआर (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) संस्थाएं और नागरिक समाज संगठन भी अपनी पहल कर रहे हैं। फिर भी इस परितंत्र में महिला उद्यमियों की भागीदारी न्यूनतम बनी हुई है। नवीनतम उपलब्ध अनुमानों के अनुसार देश में संचालित 58.2 मिलियन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में से केवल 14 प्रतिशत या 8.05 मिलियन महिलाओं के स्वामित्व में हैं। इसके साक्ष्य भी मौजूद हैं; 2018 में मास्टर कार्ड इंडेक्स द्वारा अपने स्थानीय परिवेश द्वारा प्रदान किए गए अवसरों को भुनाने की महिला उद्यमियों की क्षमता के मामले में भारत 57 देशों में से 52 वें स्थान पर था। महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने से लैंगिक अंतर को पाटने और महिलाओं को सशक्त बनाने में काफी मदद मिल सकती है।

आकांक्षी महिला उद्यमियों के समक्ष चुनौतियां

आर्थिक विकास में महिला उद्यमियों की भूमिका अपरिहार्य है। आजकल महिलाएं चुनिंदा व्यवसायों के अलावा व्यापार, उद्योग और इंजीनियरिंग जैसे व्यवसायों में भी कदम रख रही हैं। महिलाएं भी व्यवसाय करने और देश के विकास में योगदान देने की इच्छुक हैं। उनकी भूमिका को भी मान्यता मिल रही है और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

पिछले दशक में महिला ई–हाट और स्टैंडअप इंडिया जैसे संस्थागत प्रयासों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है ताकि महिलाओं की पूंजी, बाज़ारों और सलाहकारों तक पहुंच को सक्षम करके उन्हें भारत के उद्यमशीलता परितंत्र का सक्रिय हिस्सा बनाया जा सके। लेकिन गहरी पैठ जमाई हुई सामाजिक–सांस्कृतिक अपेक्षाएं प्रणालीगत अवरोध बन जाती हैं जिससे महिला उद्यमियों की भागीदारी अपेक्षा से कम होती है।

ऋण तक पहुंच : इसके अतिरिक्त उद्यम संबंधी उपक्रमों से जुड़े जोखिम आकांक्षी महिला उद्यमियों को आगे बढ़ने से रोकते हैं क्योंकि उन्हें अक्सर ऋण मांगते समय पूर्वाग्रहग्रस्त धारणाओं से निपटना पड़ता है। एक वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्त करने के लिए पर्याप्त संपार्श्विक प्रतिभूति की आवश्यकता होती है और संपत्ति के स्वामित्व में लैंगिक अंतर और पर्याप्त बचत की कमी अक्सर महिलाओं को ऋण प्राप्त करने के लिए अयोग्य बना देती है।

घरेलू ज़िम्मेदारियां : अधिकांश भारतीय परिवारों में महिलाएं अभी भी पूर्व–निर्धारित लिंग भूमिकाओं के ढांचे के भीतर काम कर रही हैं जिसके अनुसार उनकी एकमात्र ज़िम्मेदारी घरेलू कामकाज और आश्रितों की देखभाल है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) की रिपोर्ट के अनुसार औसत भारतीय महिला प्रतिदिन लगभग छह घंटे अवैतनिक काम करती है जबकि पुरुष एक घंटे से कम (52 मिनट) काम करता है। घर के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी अकेले महिलाओं की होती है जबकि एक क्रियाशील उद्यम चलाने के लिए आवश्यक समय और ऊर्जा हमेशा संभव नहीं होती है जिससे महिलाओं को इस क्षेत्र में कदम रखने में संदेह और हिचकिचाहट होती है।

लैंगिक पूर्वाग्रह : महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों के लिए निवेश के क्षेत्र में लैंगिक पूर्वाग्रहों की छिपी प्रवृत्ति सबसे गंभीर है। महिला उद्यमी अक्सर निवेशकों से संपर्क करने से हिचकिचाती हैं। जब कभी महिलाएं निवेश के प्रस्ताव प्रस्तुत करती हैं तो समान विषय होने के बावजूद निवेशकों को महिलाओं की तुलना में पुरुषों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को प्राथमिकता देते पाया गया है।

सूचना विषमता : एक अन्य प्रमुख चुनौती सूचना विषमता है जो महिला उद्यमियों के लिए उपलब्ध विभिन्न संसाधनों और सहायता तक पहुंच की कमी को बढ़ाती है। व्यापार जगत के लिए सीमित अनुभव उद्यमशीलता की महत्वाकांक्षा वाली महिलाओं को कमज़ोर बनाता है और इस क्षेत्र में सफल होने की उनकी क्षमता पर सवाल उठाता है। विधिवत प्रशिक्षण की कमी और परिणामस्वरूप अपर्याप्त कौशल हासिल करने के कारण आत्मविश्वास में कमी केवल बढ़ती ही है।

रोल मॉडल की कमी : साथ ही रोल मॉडल की कमी भी है जो आकांक्षी महिला उद्यमियों के आत्मविश्वास को सीमित करती है और उन्हें सफलता उनकी पहुंच से बाहर लगती है। सार्वजनिक क्षेत्र में सफल रोल मॉडल की मौजूदगी रूढ़िबद्ध धारणाओं का सामना करने और परिवर्तन लाने का कारण बनती है। इस कमी को भारतीय परितंत्र में युवा महिलाओं के बीच "उद्यमी" भावना के बाधित विकास के रूप में महसूस किया जा सकता है।

चित्र–3 : भारत में श्रमबल भागीदारी दर, महिलाएं (15+ आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत)

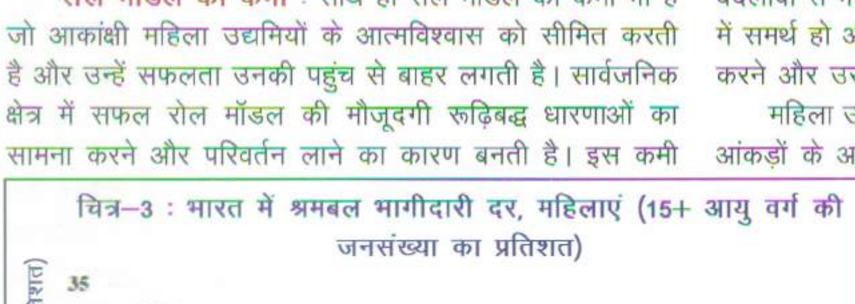

स्रोत : अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, आइएलओएसटीएटी डेटाबेस (2021)

इनमें से कुछ प्रणालीगत बाधाओं को जानने के बाद भारत सरकार ने देशभर में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने और उनकी सहायता करने के लिए कई पहल शुरू की हैं। इनमें से कुछ में महिला उद्यमिता को समर्पित स्टार्टअप इंडिया वर्टिकल, राष्ट्रीय कौशल विकास योजना की कौशल प्रदान करने की पहल 'महिला उद्यमियों का सशक्तीकरण' और महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों) से 3 प्रतिशत सार्वजनिक खरीद का विशेष प्रावधान शामिल है। हालांकि इन प्रयासों के अलग–अलग कार्यान्वयन और सीमित अंतर–विभागीय संपर्क के परिणामस्वरूप कई संभावित लाभार्थी इन पहलों से अनजान बने हुए हैं।

पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) की चुनौतियों को समग्र रूप से हल करने के लिए एक केंद्र की आवश्यकता है जो उद्यमशीलता के परिदृश्य में ज्ञान और संसाधनों को एकजुट करके महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान कर सकता है। लेकिन भारतीय इकोसिस्टम में ऐसी स्थिति / सहायता के माध्यम का अभाव था जो महिला उद्यमियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने वाले कार्यक्रमों के साथ–साथ प्रासंगिक और सटीक जानकारी प्रदान कर सकें।

उद्यमिता में लैंगिक पूर्वाग्रह से निपटने में नीति आयोग की भूमिका

महिला उद्यमियों को उद्यमशीलता के गुणों और कौशल के साथ सही ढंग से ढाला जाना चाहिए ताकि वे रुझानों में आने वाले बदलावों से भली–भांति निपट सकें, वैश्विक बाज़ारों को चुनौती देने में समर्थ हो और उद्यमशीलता के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने और उसे बनाए रखने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम हो।

महिला उद्यमिता इकोसिस्टम के सर्वेक्षणों और फीडबैक से प्राप्त आंकड़ों के आकलन और विश्लेषण के आधार पर प्रमुख सहायक क्षेत्रों की पहचान की गई। इन्हें छह समानांतर कार्यधाराओं में विकसित किया गया है। इन धाराओं को इस तरह से क्यूरेट किया गया है ताकि बड़े उद्देश्य अर्थात् इकोसिस्टम में सहयोग सुगम बने, सूचना विषमता दूर हो, क्षमता निर्माण कार्यक्रम सुविधाजनक बनें, बड़े इकोसिस्टम के लिए रोल मॉडल्स का सृजन हो और इन छह कार्यधाराओं में उपयोगकर्ताओं को सेवाएं प्रदान की जा सकें।

- **समुदाय और नेटवर्किंग** : महिला उद्यमियों का एक मज़बूत नेटवर्क तैयार करना जो प्रमुख साझेदारियों को सक्षम करके सहायता, सीखने, सहयोग और सलाहकारिता के एक परितंत्र को सक्षम कर सके, महिला उद्यमिता प्लेटफार्म (डब्ल्यूईपी) उद्यमियों को उनकी आकांक्षाओं को

साकार करने, नवाचार का उन्नयन (स्केल–अप) करने और उनके उद्यमों के लिए दीर्घकालिक और स्थिर रणनीतियां तैयार करने में मदद करता है।

- **अनुपालन और कर सहायता** : कराधान, लेखा परीक्षा, व्यवसाय लाइसेंसिंग और विनियमों से जुड़े संसाधनों के लिए नॉलेज पार्टनरों का लाभ उठाना।
- **उद्यमी कौशल और परामर्श** : नवाचार और स्थिरता को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक उद्यमशीलता और प्रबंधन कौशल प्रदान करना।
- **वित्तपोषण और वित्तीय सहायता** : वित्तपोषण के स्रोतों के बारे में जानकारी प्रदान करना, उद्यमों के लांच और विस्तार के लिए वित्तीय प्रबंधन।
- **इनक्यूबेशन और एक्सेलेरेशन** : स्टार्टअप्स और शुरुआती चरण की कंपनियों के विकास में तेज़ी लाने के लिए महिलाओं को इनक्यूबेशन और एक्सेलेरेशन प्रोग्राम से जोड़ना।
- **विपणन सहायता** : महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों को उनकी ऑनलाइन और ऑफलाइन बाज़ार उपस्थिति में सुधार करने में मदद के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना।

अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) एक ऐसा कार्यक्रम है जो नीति आयोग द्वारा नवोदित और मौजूदा उद्यमियों को उनके नवाचार अभियानों में समर्थन देने की दिशा में शुरू किया गया है। एआईएम भारत में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के आकांक्षी ज़िलों के साथ–साथ टियर 1 शहरों में अटल इनक्यूबेशन सेंटर (एआईसी) और टियर 2/3 शहरों में अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर (एसीआईसी) जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से सक्रिय इनक्यूबेटर बना रहा है। इनक्यूबेशन सेंटर न केवल स्टार्टअप्स को उनके विचारों के उन्नयन में मदद करता है बल्कि उन्हें समग्र विकास और समझ प्रदान करता है। अटल इनोवेशन मिशन इन एआईसी और एसीआईसी को देश भर में विश्व–स्तरीय इनक्यूबेशन सुविधाएं विकसित करने में सहायता प्रदान करता है, जिसमें उनके इनक्यूबेटेड स्टार्टअप्स को पूंजीगत उपकरण और परिचालन सुविधाओं से लेकर भौतिक बुनियादी ढांचे के साथ–साथ परामर्श के लिए क्षेत्रीय विशेषज्ञों की उपलब्धता शामिल है। अधिकांश स्थापित एआईसी और एसीआईसी विनिर्माण, परिवहन, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, जल, स्वच्छता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सुरक्षा इत्यादि जैसे क्षेत्रों में क्षेत्र–विशिष्ट हैं और इन क्षेत्रों में अभूतपूर्व तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देते हैं। इस प्रकार के सहायता प्राप्त स्टार्टअप्स में से कई भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में महिलाओं द्वारा सगर्व चलाए जा रहे हैं। उनमें से एआईसी द्वारा इनक्यूबेटेड महिलाओं के नेतृत्व वाले एक स्टार्टअप की सफलता की कहानी नीचे वर्णित है;

के–नॉमिक्स टेक्नो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड : के–नॉमिक्स टेक्नो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड एक गैर–सरकारी कंपनी है जिसे बेंगलुरू में 30 दिसंबर, 2013 को सम्मिलित किया गया था। स्टार्टअप को अमृता टेक्नोलॉजी बिजनेस इन्क्यूबेटर में इनक्यूबेट किया गया है। सुश्री कलैवानी चित्तरंजन और सुश्री सस्मिता बेबोर्था इसकी प्रबंध निदेशक हैं। दोनों को व्यवसाय प्रबंधन और परियोजना निष्पादन का व्यापक अनुभव है। उन्होंने 'मिंटबुक' की अवधारणा की जो व्यक्तिगत डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से विद्यार्थिओं को सीखने के संसाधनों तक सरलतम पहुंच उपलब्ध कराने का एक अभिनव तरीका है। कंपनी को इंडो–यूएसएसटीएफ द्वारा एक अभिनव समाधान के रूप में मान्यता दी गई थी और 2014 में टीआईई–सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया, यूएसए में शामिल किया गया था। मिंटबुक वॉलमार्ट कोहोर्ट 3.0, एडुप्रेन्योर 1.0 टॉप 3, अमृता इनक्यूबेशन का भाग थी और 2019 में पिचफेस्ट विजेता थी। मिंटबुक को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नास्कॉम, नई दिल्ली द्वारा 2019 में स्टार्टअप ऑफ द ईयर (प्रौद्योगिकी) के रूप में भी मान्यता प्राप्त है।

एआईएम एक चुनौती–आधारित कार्यक्रम भी चलाता है जिसे अटल न्यू इंडिया चैलेंज (एएनआईसी) कहा जाता है। एएनआईसी एक पहल है जिसका उद्देश्य अनुदान–आधारित तंत्र के माध्यम से राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक प्रासंगिकता के क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकियों के आधार पर उत्पाद/समाधान तैयार करने के लिए नवप्रवर्तकों की सहायता करना है। एएनआईसी का पूर्व निर्धारित उद्देश्य व्यावसायीकरण के संदर्भ में गूढ़ प्रौद्योगिकी संचालित उत्पादों के लिए बाज़ारों और खरीदारों की खोज में मदद करना है। क्षमता, परम ध्येय और प्रौद्योगिकियों को उत्पादों में परिवर्तित करने में सक्षम होने का वचन देने वाले आवेदकों को सिर्फ और सिर्फ निर्धारित अवधियों में कार्य की सफल प्रगति के आधार पर ही एक करोड़ रुपये तक का अनुदान दिया गया है। एएनआईसी पहल के माध्यम से रची गई महिला उद्यमियों की कुछ सफलता की कहानियों का विवरण नीचे दिया गया है;

बायोप्राइम एग्रीसोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड : यह पुणे में स्थित एक स्टार्टअप है जिसका नेतृत्व डॉ रेणुका करंदीकर कर रही हैं। यह लक्षित फिज़ियोलॉजी मॉडुलेटिंग बायोमोलेक्यूल्स का उपयोग करके जलवायु परिवर्तन, कीड़े–मकोड़ों और विनाशकारी कीटों के खिलाफ फसलों में प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है। उनके पास स्मार्ट नैनोमोलेक्यूल्स इंड्यूस्ड फिज़ियोलॉजिकल रिस्पांस (एसएनआईपीआर) द्वारा इस समस्या का एक अनूठा समाधान है। एसएनआईपीआर विशिष्ट बिंदुओं पर इन प्रक्रियाओं को लक्षित करने और उन्हें परिवर्तित करने का एक अनूठा तरीका है। उनके प्रौद्योगिकी उद्यम को वेंचर सेंटर, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बाइरैक), जैव प्रौद्योगिकी विभाग, नीति आयोग, पूसा, आईएआरआई (भाकृअस), रिसर्च एंड इनोवेशन सर्किल ऑफ़ हैदराबाद (आरआईसीएच), तेलंगाना सरकार द्वारा समर्थित किया गया है। उन्हें फिक्की, सिस्को, डीपीआईआईटी जैसे अन्य प्लेटफार्मों पर विभिन्न अनुदानों और सम्मानों से भी नवाज़ा गया है।

Delhi Elite ... For Education Ltd.

प्रोक्सिमल सोइल्सेंस टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड: आईआईटी, बॉम्बे में प्रोफेसरों द्वारा सह–निर्मित सुश्री राजुल पाटकर के नेतृत्व में यह स्टार्टअप महाराष्ट्र स्थित उद्यम है। ये इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स (आइओटी) सक्षम मृदा निगरानी प्रणालियों के माध्यम से फसल की उपज में सुधार के लिए समाधान बनाने पर काम करते हैं। स्टार्टअप ने एआई (आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस) और एमएल (मशीन लर्निंग) के माध्यम से पौधों में बीमारियों का जल्द पता लगाने के लिए माइक्रो/नैनो सेंसर पर आधारित स्मार्ट सिस्टम को स्वदेशी रूप से विकसित किया है। ये उत्पाद क्लाउड और फोन एप्लिकेशन पर डेटा भेजने के लिए इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स (आइओटी) तकनीक का प्रयोग करते हैं जिसका उपयोग फिर किसान करते हैं। इसके अलावा, एआईएम, नीति आयोग द्वारा दिए गए वित्तपोषण से हार्डवेयर में सुधार लाया जा रहा है। किसानों के लिए अधिक उपयोगी बनाने के लिए इसमें अतिरिक्त सेंसर और विभिन्न फसलों के लिए निर्णय सहायक प्रणाली जोड़ी जा रही है। उन्हें विन फाउंडेशन, बाइरैक, आईआईटी बॉम्बे से भी सहायता मिली है।

प्रिस्टेक टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड : सुश्री शंपा चौधरी और उनकी टीम ने बेंगलुरु स्थित अपने स्टार्टअप के माध्यम से क्वांटम कम्प्यूटेशंस पर तेज़, सुरक्षित और हरित ट्रांज़िट नेटवर्क्स बनाए हैं और उनका अटल न्यू इंडिया चैलेंज (एएनआईसी) प्रतियोगिता के लिए प्रदर्शन किया है। इसके लिए वे शहर, उद्यमों और ऑपरेटरों के साथ साझेदारी करते हैं जिससे शहरी और परिवहन नीतियां प्रेरित हों और लोगों को मल्टी–मॉडल ट्रांज़िट नेटवर्क का प्रयोग करने के लिए बढ़ावा मिले। वर्तमान में उन्होंने तीन शहरों (सूरत, कोलकाता और पुणे) में प्रायोगिक तौर पर काम किया है और 4+ शहरों (वाराणसी, वड़ोदरा, भोपाल और भुवनेश्वर) को ऑनबोर्ड किया है। उन्होंने आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) और कई शहरों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और सिस्को, एलएंडटी, बीईएल फोर्ड आदि के साथ रणनीतिक साझेदारी को तेज़ी से बढ़ाने के लिए करार किया है।

सामाजिक क्षेत्र में उभरते महिला उद्यम न केवल कृषि, शिक्षा आदि क्षेत्रों में समस्याओं से निपटने के लिए स्थायी परितंत्र के निर्माण की दिशा में एक आत्मविश्वासपूर्ण कदम है बल्कि नवोदित महिला उद्यमियों के लिए सीखने और अपने विचारों के साथ आगे बढ़ने के लिए एक प्रोत्साहन भी है।

निष्कर्ष और भावी पहल

यह कहा जा सकता है कि आज हम एक बेहतर स्थिति में हैं क्योंकि उद्यमिता के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी की दर तेज़ी से बढ़ रही है। भारतीय आबादी का लगभग 45 प्रतिशत महिलाएं हैं। इस समय महिलाओं को उद्यमिता जागरूकता, अभिविन्यास और कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करने के लिए प्रभावी प्रयासों की आवश्यकता है। आर्थिक विकास में महिला उद्यमियों की भूमिका को भी मान्यता मिल रही है और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। इन सुझावों से यह स्पष्ट है कि एक ही क्षेत्र में विकास और संवर्धन के लिए विभिन्न हितधारकों, अर्थात् सरकार, वित्तीय संस्थानों, गैर–सरकारी संगठनों, शैक्षणिक/गैर–शैक्षणिक संस्थानों, मौजूदा महिला उद्यमियों से बहुआयामी कार्य पद्धतियों की आवश्यकता है और साथ ही पुरुषों द्वारा चलाए जा रहे उद्यमों से लचीले– एकीकृत और समन्वित विशेष दृष्टिकोण की भी।

महिलाओं में उद्यमिता विकसित करने का प्रमुख कारक बुनियादी ढांचा या वित्तीय सहायता या उद्यम के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में नहीं है बल्कि यह उद्यमिता में उनके प्रविष्ट होने के मार्ग को प्रशस्त करने का मसला है। सदियों से वे एक गौण भूमिका निभाने और घरों तक ही सीमित रही हैं। अब समय है जब उन्हें बाहर आने के लिए प्रेरित करना होगा ताकि वे आत्मनिर्भर, स्वाभिमानी उद्यमी बन सकें।

यद्यपि उद्यमियों के रूप में महिलाओं के उद्भव में योगदान देने वाले कई कारक हैं पर सभी क्षेत्रों से निरंतर और समन्वित प्रयास महिलाओं को उद्यमशीलता की गतिविधियों में आगे कदम बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे जिससे परिवार के सदस्यों का सामाजिक और आर्थिक विकास होगा और वे समाज में समानता और समान महत्व की हक़दार बन सकेंगी।

(अमिताभ कांत नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, ई–मेल : amitabh.kant@nic.in; नमन अग्रवाल नीति आयोग में वरिष्ठ एसोसिएट हैं; ई–मेल : naman.agrawal@nic.in; अनमोल सहगल, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग में यंग प्रोफेशनल हैं, ई–मेल : anmolsehgal.aim@nic.in लेख में व्यक्त विचार लेखकों के निजी विचार हैं।)

सूचना सुपरहाइवे पर स्मार्ट गांव

–बालेन्दु शर्मा दाधीच

हम भारत में 100 स्मार्ट शहरों को विकसित करने की राह पर हैं जो भारत के विकास, भविष्य की दृष्टि, तकनीकी क्षमताओं और एक नए भारत के निर्माण की हमारी महत्वाकांक्षा का प्रदर्शन बनने जा रहे हैं। ग्रामीण भारत भी देश में जारी डिजिटल परिवर्तन की प्रक्रिया से अछूता नहीं है। देश में पहले ही कई स्मार्ट गांव उभर चुके हैं जो ग्रामीण भारत के तकनीकी रूप से सशक्त और टिकाऊ भविष्य का रास्ता दिखा रहे हैं।

हम भारत में 100 स्मार्ट शहरों को विकसित करने की राह पर हैं जो भारत के विकास, भविष्य की दृष्टि, तकनीकी क्षमताओं और एक नए भारत के निर्माण की हमारी महत्वाकांक्षा का प्रदर्शन बनने जा रहे हैं। स्मार्ट शहरों की अक्सर मीडिया, राष्ट्रीय और वैश्विक प्लेटफार्मों पर चर्चा की जाती है, लेकिन कुछ ऐसा है जिसे हम आमतौर पर संज्ञान में लेने से चूक जाते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण पहलों के फलस्वरूप ग्रामीण भारत भी देश में जारी डिजिटल परिवर्तन की प्रक्रिया से अछूता नहीं है। देश में पहले ही कई स्मार्ट गांव उभर चुके हैं जो ग्रामीण भारत के तकनीकी रूप से सशक्त और टिकाऊ भविष्य का रास्ता दिखा रहे हैं।

यह इस बात का एक छोटा–सा उदाहरण है कि कैसे ग्रामीण भारत इन्फॉरमेशन सुपरहाइवे के साथ संबंध स्थापित करने के लिए विविध और अभिनव तरीके अपना रहा है। इन्फॉरमेशन सुपरहाईवे, यानी कि इंटरनेट से संचालित सेवाओं का विशाल तंत्र। आखिरकार, डिजिटल युग में विकास के लिए कनेक्टिविटी एक बुनियादी आवश्यकता है। इसकी अनुपस्थिति में यह सुनिश्चित करना मुश्किल होगा कि इस देश के प्रत्येक नागरिक को अच्छी शिक्षा, आजीविका और स्वास्थ्य की सुविधा मिले और ग्रामीण समुदाय तरक्की करे। आज भी, कई लोगों को सरकारी सेवाओं और बैंकिंग का लाभ उठाने, फॉर्म भरने और कानूनी दस्तावेज़ों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए बड़ी दूरी तय करनी पड़ती है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में संचार तथा सूचना तंत्र के निरंतर प्रसार के साथ, कुछ वर्षों में ये सीमाएं अतीत की बात हो सकती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट ने हाल ही में कहा था कि विकास, शिक्षा और नौकरियों सहित बेहतर आर्थिक परिणामों के

सुपर स्मार्ट मोरी गांव

आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी ज़िले का मोरी गांव डिजिटल परिवर्तन का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। स्मार्ट कनेक्टिविटी के उत्कृष्ट उपयोग के कारण गांव को वास्तव में सुपर स्मार्ट गांव के रूप में जाना जाता है। वहां सभी घरों (लगभग 1200) में वाई–फाई कनेक्टिविटी है और लगभग सभी लेन–देन नकद मुद्रा के बिना हो रहे हैं, यानी कि कैशलेस। गांव में ब्रॉडबैंड इंटरनेट 15 एमबीपीएस की गति से प्रवाहित होता है जो वीडियो कॉल और टेलीमेडिसिन जैसी उन्नत डिजिटल गतिविधियों के लिए भी पर्याप्त है। मोरी गांव फाइबर ग्रिड से जुड़ा है। प्रत्येक घर में केबल टीवी तक पहुंच है; वित्तीय लेन–देन के लिए ई–बैंकिंग, एपी पर्स, रुपे कार्ड और एसबीआई बडी (Buddy) का उपयोग बेहद आम है। यहां प्रत्येक किराने की दुकान में ई–पॉस मशीनें हैं, जिनमें भुगतान के लिए क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल होता है। भारत के एक प्रतिष्ठित स्मार्ट गांव 'मोरी गांव' में आपका स्वागत है!

हाल ही में, गुजरात ऐसा पहला राज्य बन गया जहां के एक गांव में स्पथ्य (लाइट फिडेलिटी) आधारित ऑप्टिकल वायरलैस संचार प्रणाली का उपयोग हुआ है। अरावली ज़िले की धनसुरा तहसील के अक्रूंड और नवानगर गांवों को बिजली लाइनों के ज़रिए सुरक्षित और तेज़ इंटरनेट कनेक्टिविटी मुहैया कराई जा रही है। आश्चर्यजनक प्रतीत होने वाली स्पथ्य असल में एक मोबाइल वायरलैस तकनीक है जो डेटा संचारित करने के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी के बजाय प्रकाश का उपयोग करती है। इस प्रौद्योगिकी को अगली पीढ़ी के वायरलैस इंटरनेट के रूप में माना जाता है और यह 5G कोर के साथ सहज एकीकरण में सक्षम है। एक विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ, गुजरात के इन दोनों गांवों के विभिन्न सरकारी कार्यालयों ने ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाना शुरू कर दिया है।

लिए लोगों तक इंटरनेट को पहुंचाया जाना ज़रूरी है।

महामारी के बाद के युग में बदली हुई वास्तविकताओं ने देश भर में विश्वसनीय और तेज़ कनेक्टिविटी की आवश्यकता को रेखांकित किया है। जहां इसकी ज़रूरत है, उसमें गांव भी शामिल हैं जो लंबे समय से डिजिटल विभाजन का खामियाजा भुगत रहे हैं। भारत के आकार और उसकी विविधता को देखते हुए, हर एक गांव को इंटरनेट से जोड़ने का लक्ष्य आसान नहीं है। हालांकि, हम इस मोर्चे पर अच्छी प्रगति कर रहे हैं। अक्रूंड और नवानगर जैसे गांवों के घटनाक्रम ने देश में आने वाले बदलावों की झलक दिखाई है।

ज़मीनी–स्तर पर कनेक्टिविटी

2020 में अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 1000 दिनों की अवधि के भीतर सभी गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। हाल ही में सरकार ने कहा था कि भारत में 2,50,000 ग्राम पंचायतों में से 1,56,000 को पहले ही ब्रॉडबैंड से जोड़ा जा चुका है। इसके अतिरिक्त, पिछली 30 जून को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकार के ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कार्यक्रम, भारतनेट को 16 राज्यों के 3,60,000 गांवों में विस्तारित करने की योजना को मंज़ूरी दी। कैबिनेट ने भारतनेट के विस्तार को बाकी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के गांवों में लागू करने की मंज़ूरी दी है। योजना का समय पर कार्यान्वयन और व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने कार्यक्रम को लागू करने की अपनी रणनीति को भी संशोधित किया है। इसे अब पब्लिक–प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड के ज़रिए लागू किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत आने वाले राज्य हैं– राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश।

ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की उपलब्धता निश्चित रूप से भारत के गांवों में नए अवसर लेकर आएगी क्योंकि वे देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे से बेहतर तरीके से जुड़ेंगे। सरकार का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड के प्रसार से ग्रामीण–शहरी डिजिटल पहुंच की खाई पटेगी और डिजिटल इंडिया की दिशा में हमारी रफ्तार तेज़ होगी। ब्रॉडबैंड के प्रचार और प्रसार से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोज़गार और आय सृजन में भी वृद्धि होने की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल की शुरुआत से ही, श्री नरेंद्र मोदी ने भारत के गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्धता दिखाई, और उनकी नज़र में इस विकास के लिए जो कुछ ज़रूरी है, उसमें इंटरनेट तक आसान पहुंच भी शामिल है। 2014 में जयप्रकाश नारायण की जयंती पर, उन्होंने सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) का खाका जारी किया था, जिसमें दोनों सदनों के संसद सदस्यों से अपेक्षा की गई थी कि वे तीन गांवों की पहचान करेंगे, उन्हें गोद लेंगे और विकसित करेंगे (पहले चरण में एक तथा दूसरे चरण में दो और गांव)। इन्हें आदर्श गांवों के रूप

में विकसित किया जाएगा। राज्यसभा सांसद उस राज्य के किसी भी ज़िले में एक गांव का चयन कर सकते हैं जहां से वे चुने गए हैं। 2019 में, सरकार ने इस लक्ष्य में पांच और गांव जोड़े, जिन्हें 2024 तक तीसरे चरण में लाभान्वित किया जाना है।

योजना के तहत, संसद सदस्यों से इन गांवों के विकास के लिए अपनी सांसद निधि का उपयोग करने की अपेक्षा की गई है। योजना का एक अन्य फोकस ग्रामीण विकास और कनेक्टिविटी के लिए पहले से मौजूद सरकारी योजनाओं, जैसे मनरेगा, मध्याह्न भोजन योजना, आधार नामांकन और पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष के कार्यान्वयन में सुधार करना है। योजना में आईटी–सक्षम कक्षाओं और ई–पुस्तकालयों के साथ स्मार्ट स्कूलों की स्थापना और पंचायतों के बुनियादी ढांचे में सुधार की भी उम्मीद है।

राज्य सरकारों की पहल

केंद्र सरकार के साथ–साथ कुछ राज्य सरकारें भी अपने राज्यों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का विस्तार करने के लिए योजनाएं लेकर आई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने समाज के अंतिम छोर पर मौजूद व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी ग्रामीण क्षेत्रों को 'स्मार्ट विलेज' में बदलने की कार्ययोजना तैयार की है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि राज्य की ग्राम पंचायतों को डिजिटल बनाया जाएगा। सरकार ने इस कार्यक्रम के पीछे की दृष्टि बताई है जो तीन प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है: प्रत्येक नागरिक के द्वारा प्रयोग के योग्य डिजिटल तंत्र की स्थापना, ऑन डिमांड (जब आवश्यकता हो, उसी समय) पर उपलब्ध शासकीय सेवाएं और नागरिकों का डिजिटल सशक्तीकरण। इसका मतलब है कि राज्य के प्रत्येक नागरिक के पास उसकी डिजिटल पहचान, मोबाइल फोन, बैंक खाता और सुरक्षित साइबर स्पेस होगा। उन्हें ऑनलाइन और मोबाइल प्लेटफॉर्म पर वास्तविक समय में सरकारी सेवाएं प्रदान की जाएंगी ताकि वित्तीय लेन–देन को इलेक्ट्रॉनिक और कैशलेस बनाया जा सके। अंत में, सभी दस्तावेज़ और प्रमाणपत्र क्लाउड पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

इन स्मार्ट गांवों का एक अभिनव आयाम डिजिटल ग्राम योजना है जिसमें उन्हें मिनी बैंक, मिनी–एटीएम, होटल बुकिंग और मोबाइल तथा डीटीएच रिचार्ज जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। ई–पाठशालाएं भी स्थापित की जा रही हैं जहां किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विभिन्न कृषि और सिंचाई तकनीकों के बारे में सिखाया जाएगा, जिससे उनका ज्ञान और कौशल बढ़ेगा। किसानों को नियमित रूप से और वास्तविक समय में मौसम की स्थिति के बारे में सभी जानकारी भी मिलेगी।

स्मार्ट गांवों का एक अभिनव आयाम डिजिटल ग्राम योजना है जिसमें उन्हें मिनी बैंक, मिनी–एटीएम, होटल बुकिंग और मोबाइल तथा डीटीएच रिचार्ज जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। ई–पाठशालाएं भी स्थापित की जा रही हैं जहां किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विभिन्न कृषि और सिंचाई तकनीकों के बारे में सिखाया जाएगा, जिससे उनका ज्ञान और कौशल बढ़ेगा। किसानों को नियमित रूप से और वास्तविक समय में मौसम की स्थिति के बारे में सभी जानकारी भी मिलेगी।

महाराष्ट्र सरकार भी स्मार्ट गांवों के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है और उसने 10,000 गांवों का लक्ष्य लेकर महाराष्ट्र कृषि व्यवसाय और ग्रामीण परिवर्तन राज्य (स्मार्ट) नामक एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है। पिछली सरकार के कार्यकाल में शुरू की गई इस योजना के तहत रिलायंस रिटेल, अमेज़न, वॉलमार्ट, महिंद्रा एग्रो, पेप्सिको, टाटा रैलिस, बिग बास्केट, पतंजलि, टाटा केमिकल, हैप्पी रूट्स, मेरा किसान तथा वे कूल सहित बड़ी कंपनियों और किसान उत्पादक समूहों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस योजना को विश्व बैंक द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है। यह सामाजिक–आर्थिक पिछड़ेपन वाले गांवों को लक्षित करती है। एक अलग योजना के तहत, राज्य सरकार तालुका और ज़िला–स्तर पर शीर्ष गांवों को नकद पुरस्कार भी दे रही है। इस योजना का उद्देश्य विकासात्मक गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण महाराष्ट्र में परिवर्तन लाना है। सूचना प्रौद्योगिकी, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग में अच्छा प्रदर्शन करने वाले गांवों को राज्य सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा।

अन्य हितधारक

उपरोक्त गतिविधियां और उपलब्धियां इस बात की झलक मात्र देती हैं कि कैसे ग्रामीण भारत डिजिटल कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे का उपयोग करके सर्वांगीण सशक्तीकरण और विकास के मामले में प्रगति कर रहा है। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है। सरकारों के अलावा, कुछ कॉरपोरेट घरानों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और गैर–लाभकारी संस्थाओं द्वारा भी प्रासंगिक प्रयास किए गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट की एयरबैंड पहल उल्लेखनीय है जिसके तहत इस कंपनी ने ग्रामीण और अर्ध–शहरी लोगों को इंटरनेट से जोड़ने के लिए 'एयरजल्दी' जैसे सेवा प्रदाताओं के साथ भागीदारी की है। 'एयरजल्दी' ने अब तक 30,000 वर्ग किलोमीटर वायरलैस कवरेज स्थापित किया है, जो महाराष्ट्र के चुरनी गांव सहित 1,500 गांवों तक पहुंचता है। इनमें से अनेक गांव अपने कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के लिए तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी का उपयोग कर पा रहे हैं।

कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के उल्लेख के बिना भारत की स्मार्ट गांव की अवधारणा को समझना मुश्किल है। ये केंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित किए गए हैं, और इनका उद्देश्य नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए एक केंद्रीकृत तकनीकी ढांचा प्रदान करना है। पिछली सीएसई योजना के आकलन के आधार पर,

केंद्र सरकार ने देश भर में सभी ग्राम पंचायतों में सीएससी की पहुंच का विस्तार करने के लिए 2015 में सीएसई 2.0 योजना शुरू की थी। सीएससी 2.0 योजना के तहत, 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक में कम से कम एक सीएसई स्थापित किया जाएगा।

योजना के मूल उद्देश्यों में– भारत के सभी दूरस्थ और ग्रामीण नागरिकों को सूचना तक पहुंच प्रदान करना; भारतीय नागरिकों (मुख्य रूप से ग्रामीण आबादी) को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास तक पहुंच प्रदान करना; सार्वजनिक सेवाओं के कुशल वितरण को सुनिश्चित करना जो मुख्य रूप से सरकार से नागरिक (G2C) और बिजनेस टू सिटिजन (B2C) की श्रेणी में आती हैं; नागरिकों को किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना; और ग्रामीण सशक्तीकरण को बढ़ावा देना, समाज के सशक्तीकरण के लिए सामूहिक कार्रवाई करना और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना शामिल है।

सीएससी योजना न केवल केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की एक मिशन मोड परियोजना है बल्कि वह इस कार्यक्रम की रणनीतिक आधारशिला भी है। यह सरकार के साथ–साथ ग्रामीणों को डिजिटल तकनीकों और बुनियादी ढांचे का अधिकतम लाभ उठाने में मदद कर रही है। हाल ही में बिहार के नालंदा ज़िले का खोड़ागंज नामक एक सुदूर गांव इस बात के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में चर्चा में था कि कैसे ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने के अलावा लोगों के जीवन में बेहतरी लाने के लिए सीएससी का उपयोग किया जा सकता है। हर गांव में सीएससी का संचालन वहीं का कोई उद्यमी करता है जिसे विलेज लेवल आंत्रेप्रेन्योर (वीएलई) कहा जाता है। खोड़ागंज में 25 वर्षीय वीएलई प्रभात कांत ने अपने सीएससी के माध्यम से टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान करने की व्यवस्था करके सैकड़ों रोगियों की मदद की है। वे कहते हैं– उनके केंद्र में प्राथमिक देखभाल (प्राइमरी केयर) की व्यवस्था की गई है जिससे कोविड–19 के संकट से निपटने में कई तरह से मदद मिल रही है। मिसाल के तौर पर जांच तथा निदान करना, कोविड–19 की पहचान करना, उन्हें अन्य रोगियों से अलग करना और मनोवैज्ञानिक मुद्दों से निपटने में लोगों की मदद करना। एक तरफ, यह नागरिकों को तत्काल स्वास्थ्य देखभाल और परामर्श मुहया करा रहा है, जबकि दूसरी तरफ यह देश की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली पर अनावश्यक बोझ को कम करने में मदद कर रहा है।

एफएओ की सकारात्मक टिप्पणी

संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) भी ग्रामीण डिजिटल सशक्तीकरण के उद्देश्य से अपना अलग कार्यक्रम, जिसे '1000 डिजिटल विलेज इनिशिएटिव' कहा जाता है, संचालित करता है। इसका दायरा भारत समेत कई देशों तक है। एफएओ ने पहले ही ग्रामीण डिजिटलीकरण में प्रगति के लिए भारत की प्रशंसा करते हुए कहा है– "चीन, भारत, जापान और कोरिया गणराज्य जैसे एफएओ सदस्य अपनी डिजिटलीकरण प्रक्रियाओं में काफी आगे बढ़ चुके हैं। सरकारी, निजी क्षेत्र और संस्थागत भागीदारों को साथ लेते हुए और भूख की समस्या का समाधान करने में योगदान देने वाले किसानों, मछुआरों और अन्य सभी को साथ लेकर – हम डिजिटलीकरण को उस स्तर तक आगे ले जा सकते हैं जहां हर गांव, टाउनशिप या ग्रामीण समुदाय डिजिटल रूप से समृद्ध हो सकें।" भारत की प्रगति के लिए एफएओ का समर्थन महत्वपूर्ण है क्योंकि संगठन के प्रयास और आकलन न केवल डिजिटलीकरण योजनाओं की योजना और कार्यान्वयन पर केंद्रित हैं, बल्कि यह उनकी व्यवहार्यता, समावेशिता और स्थिरता को भी समान महत्व देता है।

अपने गांवों को स्मार्ट और डिजिटल बनाने की दिशा में व्यक्तियों द्वारा अपने स्तर पर किए गए उत्कृष्ट प्रयासों को भी सामने लाया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, आईआरएस अधिकारी श्री सत्यपाल सिंह मीणा और उनकी टीम ने राजस्थान के धौलपुर ज़िले के धनोरा गांव को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। यह गांव आज एक बेहतर भौतिक बुनियादी ढांचे के अलावा, डिजिटल कनेक्टिविटी की सुविधा का भी आनंद ले रहा है। धनोरा में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक कोचिंग संस्थान और ई–लर्निंग सुविधा और कंप्यूटर से लैस एक स्कूल है। गांव में एक समर्पित कौशल विकास केंद्र और ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। धन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, श्री मीणा ने क्राउडसोर्सिंग (लोगों से धन इकट्ठा करना) के तरीके का सहारा लिया जिसके अच्छे परिणाम रहे। यह इस तथ्य को रेखांकित करता है कि इस तरह की परियोजनाओं की योजना, कार्यान्वयन और रखरखाव में लोगों की भागीदारी ज़मीनी–स्तर पर बेहतर परिणाम का मार्ग प्रशस्त कर सकती है और सरकारी प्रयासों में मदद कर सकती है।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, सार्वभौमिक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में कोई आसान कार्य नहीं है; हालांकि, ऐसा करने के लिए हमारे पास उपयुक्त योजनाएं, मिशन, पहल और कार्यक्रम हैं। हम अपने लक्ष्य की दिशा में अच्छी गति से आगे बढ़ रहे हैं और देश के विभिन्न हिस्सों से सफलता की प्रेरक कहानियां भी सामने आ रही हैं। स्मार्टफोन भी कनेक्टिविटी को अंतिम छोर तक ले जाने में योगदान दे रहे हैं और ई–सशक्तीकरण के लिए एक आम ग्रामीण नागरिक के लिए मददगार साबित हो रहे हैं। स्मार्ट सिटी के बाद स्मार्ट विलेज भारत को डिजिटल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।

(लेखक वरिष्ठ सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ हैं और एक बड़े बहुराष्ट्रीय संगठन से जुड़े हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।)

ई–मेल : balendu@gmail.com

आयुष्मान भारत: ग्रामीणों के स्वास्थ्य में सुधार

–शिशिर सिन्हा

आयुष्मान भारत की बदौलत एक करोड़ ग्रामीण महिलाओं के स्तन कैंसर का इलाज हो चुका है। आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी–पीएमजेएवाई) का शायद इससे प्रभावी परिचय नहीं हो सकता। योजना के लिए पात्र परिवारों में देश के कुल 24.49 करोड़ परिवारों में से 76 फीसदी से ज़्यादा यानी 8.19 करोड़ ग्रामीण परिवार थे जबकि 22.19 फीसदी यानी 2.38 करोड़ परिवार शहरी इलाके में रहते हैं। 8.19 करोड़ परिवार यानी 40 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थी। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह योजना ग्रामीण भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और जब कभी भी बात स्वस्थ गांवों की करनी हो तो वो इस योजना की चर्चा के बगैर अधूरा है।

महिला व बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी ने बीते दिनों एक बात कही। ज़्यादा बड़ी खबर भले ना बनी हो, लेकिन बात बड़ी अहम थी। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत की बदौलत एक करोड़ ग्रामीण महिलाओं के स्तन कैंसर का इलाज हो चुका है। ज़रा सोचिए कि एक योजना के शुरुआती तीन सालों में हर दिन न केवल औसतन नौ हज़ार से ज़्यादा महिलाओं की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया, बल्कि ये मां–बहनें जिन परिवार से जुड़ी थी, उनमें भी काफी कुछ परिवर्तन देखने को मिला। आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी–पीएमजेएवाई) का शायद इससे प्रभावी परिचय नहीं हो सकता।

यहां एक सवाल और भी उठाया जा सकता है कि योजना के प्रभाव को समझने के लिए क्या इसे ग्रामीण चश्मे से देखना ज़रूरी है? बिल्कुल। वजह यह है कि योजना के लिए पात्र परिवारों में देश के कुल 24.49 करोड़ परिवारों में से जिन 10.74 करोड़ परिवारों को योजना के लिए पात्र पाया गया, उनमें 76 फीसदी से ज़्यादा यानी 8.19 करोड़ ग्रामीण परिवार थे जबकि 22.19 फीसदी यानी 2.38 करोड़ परिवार शहरी इलाके में रहते हैं। बाकी बचे 1.52 फीसदी यानी करीब 16 लाख परिवार स्वतः समावेशी प्रक्रिया के तहत योजना से जोड़े गए। ज़रा सोचिए 8.19 करोड़ परिवार यानी 40 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थी। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह योजना ग्रामीण भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और जब कभी भी बात स्वस्थ गांवों की करनी हो तो वो इस योजना की चर्चा के बगैर अधूरा है।

यहां ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि आखिरकार ऐसी योजना क्यों अहम है? इसके लिए आर्थिक समीक्षा 2020–21 की इन बातों पर गौर किया जाए:

- ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ स्टडी 2016 के मुताबिक स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच और गुणवत्ता के मामले में भारत 1990 के 24.7 के मुकाबले 2016 में 41.2 अंक हासिल कर तो पाया, लेकिन 180 देशों की सूची में 145 वें स्थान पर है। केवल प्रशांत महासागर के कुछ द्वीप, कुछ अफ्रीकी देश, नेपाल और पाकिस्तान जैसे देश की रैंकिंग भारत से नीचे है।
- मातृ मृत्यु अनुपात/दर[1] : वर्ष 2000 के 174 प्रति लाख से घटकर 2017 में 145 और शिशु मृत्यु दर[2] : 2017 के 33 प्रति हज़ार से घटकर 32 प्रति हज़ार पर आ गई है, फिर भी बड़े पैमाने पर सुधार की ज़रूरत है। चीन, बांग्लादेश, भूटान और कम्बोडिया काफी सुधार कर चुके हैं।
- भारत में अस्पताल दाखिले की दर महज 3–4 फीसदी है और यह दुनिया में सबसे कम है। मध्य आय वाले देशों में यह दर 8–9 प्रतिशत और आर्थिक सहयोग और विकास सगंठन[3] देश में 13–17 प्रतिशत है।
- गैर–संचारी रोग[4] का बढ़ता दवाब, ऊंची मातृ मृत्युदर और शिशु मृत्युदर और अस्पताल दाखिले से अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश में स्वस्थ आबादी कितनी है।
- भारत में 17 फीसदी आबादी अपनी आय का 10 फीसदी या उससे ज़्यादा स्वास्थ्य पर खर्च करती है जबकि 25 फीसदी से ज़्यादा खर्च के मामले में 4 फीसदी आबादी। वैश्विक औसत 13 फीसदी और 3 फीसदी है।

ई–संजीवनी सेवा

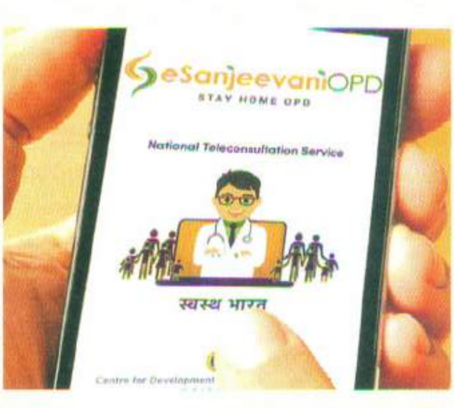

ग्रामीण और शहरी भारत के बीच डिजिटल स्वास्थ्य सेवा का अंतर तेज़ी से समाप्त हो रहा है और इसका श्रेय जाता है ई–संजीवनी सेवा को। भारत सरकार की राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ई–संजीवनी ने तेज़ी से देश की सबसे लोकप्रिय और सबसे बड़ी टेलीमेडिसिन सेवा बनते हुए 1.2 करोड़ (120 लाख) से अधिक परामर्श पूरे कर लिए हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ई–संजीवनी देश भर में प्रतिदिन लगभग 90,000 रोगियों को इलाज मुहैया करा रही है। इस सेवा को अपनाने का संकेत इस बात से मिलता है कि इसे पूरे देश में रोगियों के साथ–साथ डॉक्टरों और विशेषज्ञों द्वारा व्यापक रूप से हाथों–हाथ लिया जा रहा है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ई–संजीवनी दो माध्यम से सेवा मुहैया कराती है, (i) ई–संजीवनी एबी–एचडब्ल्यूसी (डॉक्टर टू डॉक्टर टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म) जो हब और स्पोक मॉडल पर आधारित है। वहीं, (ii) ई–संजीवनी ओपीडी (रोगी से डॉक्टर टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म) मॉडल पर आधारित है जो नागरिकों को उनके घरों की सीमा में आउट पेशेंट सेवाएं प्रदान करती है।

ई–संजीवनी एबी–एचडब्ल्यूसी ने लगभग 67 लाख परामर्श पूरे कर लिए हैं। इसे 'आयुष्मान भारत' योजना के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों पर लागू किया जा रहा है। इसे नवंबर 2019 में शुरू किया गया था। आंध्र प्रदेश ई–संजीवनी एबी–एचडब्ल्यूसी सेवाओं को शुरू करने वाला पहला राज्य था। इसके लागू होने के बाद से, विभिन्न राज्यों में 2000 से अधिक हब और लगभग 28,000 स्पोक स्थापित किए गए हैं।

ई–संजीवनी ओपीडी नागरिकों को गैर–कोविड–19 और कोविड–19 संबंधित आउट पेशेंट स्वास्थ्य सेवाओं का इलाज मुहैया कराने का टेलीमेडिसिन मॉडल है। इसे 13 अप्रैल, 2020 को देश में पहले लॉकडाउन के दौरान शुरू किया गया था, जब सभी ओपीडी बंद थे। अब तक, ई–संजीवनी ओपीडी के माध्यम से 51 लाख से अधिक रोगियों की सेवा की जा चुकी है, जो 430 से अधिक ऑनलाइन ओपीडी की मेज़बानी करता है जिसमें सामान्य ओपीडी और विशेष ओपीडी शामिल हैं। देश के मुख्य चिकित्सा संस्थान जैसे एम्स भटिंडा (पंजाब), बीबीनगर (तेलंगाना), कल्याणी (पश्चिम बंगाल), ऋषिकेश (उत्तराखंड), किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) आदि भी ई–संजीवनी ओपीडी के माध्यम से आउट पेशेंट स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

भारत सरकार की ई–संजीवनी राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा शहरी और ग्रामीण भारत में मौजूद डिजिटल स्वास्थ्य अंतर को समाप्त कर रही है। यह माध्यमिक और टर्शरी स्तर के अस्पतालों पर बोझ को कम करते हुए ज़मीनी–स्तर पर डॉक्टरों और विशेषज्ञों की कमी को दूर करने का काम कर रही है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के अनुरूप, यह डिजिटल पहल देश में डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र को भी बढ़ावा दे रही है। मोहाली में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग (सी–डैक) द्वारा विकसित एक स्वदेशी टेलीमेडिसिन तकनीक है। मोहाली में सी–डैक टीम एंड टू एंड सेवाएं प्रदान कर रही है। टेलीमेडिसिन की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए और कोविड–19 संक्रमण की एक और लहर फैलने की अप्रत्याशित आंशका को देखते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने योजना बनाई है जिसके तहत ई–संजीवनी को प्रति दिन 5 लाख परामर्श देने में सक्षम बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है।

- स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च अगर सकल घरेलू उत्पाद का एक फीसदी से बढ़कर 2.5–3 फीसदी हो जाए तो स्वास्थ्य सुविधाओं पर व्यक्तिगत तौर पर होने वाला खर्च 65 फीसदी से 30 फीसदी पर आ जाएगा।.

इन्ही तथ्यों ने आयुष्मान भारत के महत्व को बढ़ाया। अब आप पूछ सकते हैं कि क्या इस महत्व के कुछ सबूत हैं, इस पर चर्चा के पहले योजना के स्वरूप को समझना बेहतर होगा।

आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

23 सितंबर 2018 को शुरू हुई यह योजना पात्रता–आधारित है जिसमें पहले ही दिन से सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में पात्रता रखने वाले लाभार्थी इसके दायरे में शामिल कर लिए गए। इसका फायदा उठाने के लिए किसी को अपना नाम लिखवाने नहीं आना होगा। हां, यह बात ज़रूर है कि लाभार्थी की पहचान एक प्रक्रिया के तहत की जाएगी। इसके आधार पर कार्ड जारी होगा जिसके ज़रिए स्वास्थ्य सेवाएं हासिल की जाएंगी।

योजना के तहत लाभार्थी परिवार की पहचान के लिए तीन प्रमुख आधार तैयार किए गए। पहले आधार में स्वतः तौर पर योजना में शामिल करने के लिए पांच मानक तय किए गए – बेघर परिवार, भिक्षुक, मेहतर का काम करने वालों का परिवार, आदिम जनजाति समूह और कानूनी तौर पर रिहा कराए गए बंधुआ मज़दूर। इनमें से किसी एक को पूरा करने वाले करीब 16 लाख परिवारों को योजना में शामिल किया गया।

दूसरे आधार के तहत सामाजिक–आर्थिक व जाति जनगणना (2011) के ग्रामीण इलाकों में छह वंचन मानकों (कच्ची दीवार व कच्ची छत वाला सिर्फ एक कमरा, परिवार में 16 से 59 वर्ष के उम्र का किसी व्यक्ति का नहीं होना, महिला मुखिया वाला परिवार जिसमें 16–59 वर्ष के बीच का कोई पुरुष सदस्य नहीं, ऐसा परिवार जिसमें दिव्यांग सदस्य हो, लेकिन कोई सक्षम व्यस्क नहीं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवार और भूमिहीन परिवार) में से किसी एक के ज़रिए लाभार्थियों का चयन किया गया। इन सब के आधार पर 8 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण परिवारों को लाभार्थियों में शामिल किया गया। तीसरे आधार के तहत शहरी इलाकों में 10 तरह के पेशे से जुड़े सवा दो करोड़ से भी ज़्यादा परिवारों का चयन किया गया।

केंद्र के स्तर पर लाभार्थी परिवार की संख्या नहीं बढ़ायी जा सकती है, लेकिन राज्य सरकार चाहें तो अपने स्तर पर और अपने खर्च पर यह संख्या बढ़ा सकते हैं। लोकसभा में दिए गए एक सवाल के जवाब में सरकार ने जानकारी दी कि 20 जुलाई तक लाभार्थी परिवारों की संख्या 13.44 करोड़ (करीब 65 करोड़ लोग) पर पहुंच गई, जबकि 16.14 करोड़ कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इसमें तीन चौथाई से ज़्यादा ग्रामीण परिवार है। एक बात यहां गौर करने लायक है कि भले ही केंद्र के स्तर पर परिवारों की संख्या नहीं बढ़ायी जा सकती है, लेकिन परिवार के सदस्यों को लेकर ऐसी कोई पाबंदी नहीं। यह भी ज़िक्र करना ज़रूरी है कि जिनके पास राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना का सक्रिय कार्ड है, वो भी आयुष्मान योजना के दायरे में शामिल किए गए।

योजना पोर्टेबल है, मतलब आप देश के किसी भी हिस्से में रहते हैं और फिर किसी दूसरी जगह चले जाते हैं, तो वहां पर योजना का फायदा उठा सकते हैं। योजना अभी दिल्ली, ओडिशा और पश्चिम बंगाल को छोड़ देश के तमाम राज्यों व केंद्रशासित प्रदेश में उपलब्ध है। योजना के लिए तय रकम का एक हिस्सा केंद्र सरकार वहन करती है, जबकि बाकी राज्य सरकारें।

योजना के केंद्र में गरीब और वंचित वर्ग हैं जिन्हें हर वर्ष प्रति परिवार पांच लाख रुपये तक के इलाज की सुविधा मुफ्त में उपलब्ध होगी। योजना के तहत 26 किस्म की प्रमुख बीमारियों और उनके इलाज के 1669 तरीकों के लिए सुविधा मिलेगी। इनमें कैंसर, डायबिटीज, दिल की बीमारी, गैर–संचारी बीमारियों और किडनी वा कॉरनियल ट्रांसप्लांट जैसी बीमारियां शामिल हैं।

चिकित्सा सुविधा सरकारी और निजी अस्पताल, दोनों ही जगह उपलब्ध है। देश भर में 23 हज़ार के करीब अस्पतालों में आयुष्मान भारत के तहत इलाज की सुविधा मिलती है। इसके अतिरिक्त, सरकार का ग्रामीण व शहरी इलाकों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप स्वास्थ्य केंद्रों को उन्नत कर डेढ़ लाख स्वास्थ्य व आरोग्य केंद्र बनाने का लक्ष्य है जिनमें से 77400 से ज़्यादा चालू भी हो चुके हैं।

ग्रामीण इलाकों में इन केंद्रों का खासा महत्व है जहां इनका काम गांव के सभी लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच मुहैया कराने के साथ ही गंभीर रोगों वाले मरीज़ों की पहचान करना है। हर केंद्र पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी और एएनएम वर्कर मौजूद होते हैं। यहां आवश्यक जांच की सुविधा उपलब्ध है और गंभीर बीमारी के लक्षण सामने आने पर उसे बड़े अस्पताल के लिए रेफर कर दिया जाएगा। यहां के कर्मचारी समय–समय पर सर्वेक्षण करते हैं। इस दौरान लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में जागरूक किया जाता है जिससे लक्षण प्रतीत होने पर लोग स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर उपचार प्रारंभ करा सकें।

एक खास बात यह है कि योजना के तहत कोई लक्ष्य नहीं है कि कितने लोगों का इलाज होगा या फिर खर्च कितना किया जाएगा। चूंकि यह मांग–आधारित योजना है, लिहाज़ा शुरुआत में जो बजट आवंटन होता है, उसे बाद में बढ़ाया जा सकता है। वित्त वर्ष 2021–22 के लिए योजना के तहत केंद्रीय बजट में 6400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

ग्रामीणों के लिए आयुष्मान भारत योजना की ज़रूरत

केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय की ओर से जारी अखिल भारत ऋण व निवेश सर्वेक्षण–2019 बताता है कि ग्रामीण इलाके में 30 जून, 2018 तक बकाया नकद कर्ज़ में चिकित्सा के लिए संस्थागत स्रोतों से लिए गए कर्ज़ की हिस्सेदारी 1.8 फीसदी थी, वहीं गैर–संस्थागत स्रोतों के लिए यह आंकड़ा 10.1 फीसदी दर्ज़ किया गया। संस्थागत स्रोत का मतलब बैंक या वित्तीय संस्था और गैर–संस्थागत स्रोत का मतलब परिवार, संगी–साथी या फिर महाजन।

ध्यान देने की बात यह है कि गैर–संस्थागत स्रोत के मामले में और खासतौर पर महाजन के मामले में ब्याज की दर काफी ऊंची होती है। दूसरी ओर, इलाज के लिए लिया गया कर्ज़ सीधे–सीधे और तुरंत उत्पादकता में कोई योगदान नहीं करता। यही नहीं बीमारी की वजह से काम करने की क्षमता प्रभावित होती है जिसका असर कमाई पर पड़ता है। अब कमाई नहीं होगी या कम होगी तो कर्ज़ चुकाने में परेशानी होगी यानी कर्ज़ का जाल मज़बूत होगा।

अब सोचिए कि अगर इलाज के लिए एक भूमिहीन किसान या गरीब ग्रामीण को अपने जेब से चुकाना पड़े तो उसके लिए क्या बदलाव होगा? इसी को ध्यान में रखते हुए आयुष्मान भारत की ज़रूरत का अंदाजा लगा सकते हैं। एक और बात चूंकि आंकड़े 30 जून, 2018 तक के हैं, जबकि आयुष्मान भारत की शुरुआत उसके बाद 23 सितंबर, 2018 को हुई; अगले सर्वेक्षण में हालात बदले होने का अनुमान लगाया जा सकता है।

आयुष्मान भारत के बाद बदलाव

6 अगस्त तक के आंकड़े बताते हैं कि देश भर के विभिन्न अस्पतालों में करीब 1.99 करोड़ दाखिले हुए जिनके लिए आयुष्मान भारत के तहत 24,682 करोड़ रुपये दिए गए। वैसे तो आंकड़े ग्रामीण या शहरी व्यक्ति के आधार पर तैयार नहीं किए जाते, लेकिन चूंकि योजना के लाभार्थियों में तीन चौथाई से भी ज़्यादा ग्रामीण इलाके से आते हैं, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि अस्पताल में दाखिला पाने वालों की संख्या में बहुत बड़ी हिस्सेदारी ग्रामीणों की रही। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में स्वास्थ्य व परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ भारती प्रवीण पंवार ने जानकारी दी कि योजना से इलाज पर खुद के जेब (Out-of-Pocket or OPP) से खर्च में भारी कमी आयी है।

योजना से बदलाव का एक विस्तृत अध्ययन आर्थिक समीक्षा 2020–21 में किया गया है। चूंकि योजना 2018 में शुरू हुई, लिहाज़ा इस अध्ययन के लिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–4 (2015–16) और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–5 (2019–20) के

1. MMR - Maternal Mortality Ratio
2. IMR - Infant Mortality Rate
3. OECD - Organisation of Economic Cooperation & Development
4. NCD - Non Communicable Disease

Delhi Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd.

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन

–प्रधानमंत्री ने 27 सितम्बर 2021 को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया।

–आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एक आसान और बाधारहित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार करेगा, जो डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम के अंतर्गत स्वास्थ्य से जुड़े अन्य पोर्टल के परस्पर संचालन को भी सक्षम बनाएगा।

–जेएएम की तीन सुविधाओं का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया में कहीं भी इतनी बड़ी और परस्पर जुड़ी हुई अवसंरचना नहीं है।

–डिजिटल अवसंरचना 'राशन से प्रशासन' तक; सब कुछ तेज़ी से और पारदर्शी तरीके से, आम भारतीय के लिए सुलभ बना रही है।

–टेलीमेडिसिन का भी अभूतपूर्व विस्तार हुआ है।

आयुष्मान भारत–पीएमजेएवाई ने गरीबों की एक बहुत बड़ी चिंता दूर कर दी है; इस योजना के तहत अभी तक 2 करोड़ से अधिक देशवासियों ने मुफ्त इलाज की सुविधा का लाभ उठाया है, जिनमें से आधी संख्या महिलाओं की है।

–आयुष्मान भारत–डिजिटल मिशन अब देश भर के अस्पतालों के डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों को एक–दूसरे से जोड़ेगा।

–सरकार द्वारा लाए गए स्वास्थ्य देखभाल समाधान, देश के वर्तमान और भविष्य के लिए एक बड़ा निवेश हैं।

–जब हमारी स्वास्थ्य अवसंरचना को एकीकृत और मज़बूत किया जाता है, तो इससे पर्यटन क्षेत्र भी विकसित होता है।

नतीजों को लिया गया। यहां अंतर अध्ययन में राज्यों को दो समूह में बांटा गया– एक, जिन्होंने योजना को लागू किया और दूसरा, जिन्होंने लागू नहीं किया।

आइए नज़र डालें कि दो सर्वेक्षण के बीच किस तरह के बदलाव हुए:

- जिन राज्यों ने आयुष्मान भारत को अपनाया, वहां स्वास्थ्य बीमा के दायरे में आने वालों परिवारों के अनुपात में 54 फीसदी की बढ़ोतरी हुई, वहीं जिन राज्यों ने नहीं अपनाया, वहां 10 फीसदी की कमी हुई।
- पहले समूह के राज्यों में नवजात शिशु मृत्यु दर में 22 फीसदी की कमी दर्ज की गई, जबकि दूसरे समूह के राज्यों में केवल 16 फीसदी की।
- पहले समूह के राज्यों में शिशु मृत्यु दर में 20 फीसदी में कमी हुई जबकि दूसरे समूह के राज्यों में 12 फीसदी की।
- पहले समूह के राज्यों में 5 वर्ष से कम उम्र के शिशु की मृत्यु दर 19 फीसदी घटी, वहीं दूसरे समूह में यह 14 फीसदी थी।
- पहले समूह के राज्यों में परिवार नियोजन अपनाने वालों की अनुपात में 15 फीसदी की बढ़त देखी गई, वहीं दूसरे समूह में महज 7 फीसदी।
- शिशु जन्म के समय टेटनस से सुरक्षा पाने वाली महिलाओं का अनुपात पहले समूह के राज्यों में दो फीसदी बढ़ गया, जबकि दूसरे समूह में कोई बदलाव देखने को नहीं।
- मां–शिशु सुरक्षा कार्ड पाने वालों का अनुपात पहले समूह में 7 फीसदी बढ़ा, वहीं दूसरे समूह में यह आंकड़ा पांच फीसदी तक सीमित था।
- शिशु के जन्म के दो दिन के भीतर स्वास्थ्य सेवा पाने वाली महिलाओं की संख्या में पहले समूह के राज्यों में 15 फीसदी तक की बढ़त देखी गई जबकि दूसरे समूह में महज 9 फीसदी की।
- बीसीजी टीका लगाने वाले के मामले में 12–23 महीने की उम्र के बच्चों का अनुपात पहले समूह के राज्यों में 5 फीसदी बढ़ा जबकि दूसरे समूह में 1 फीसदी की कमी हुई।
- विटामिन ए की खुराक पाने के मामले में 9–35 वर्ष की उम्र के बच्चों का अनुपात पहले समूह में 5 फीसदी तक बढ़ा, वहीं दूसरे समूह में 8 फीसदी की कमी देखी गई।
- एचआईवी एड्स की जानकारी रखने वाले महिलाओं की कुल महिलाओं में पहले समूह के राज्यों में हिस्सेदारी 13 फीसदी तक बढ़ी, वहीं दूसरे समूह में महज दो फीसदी की बढ़त हुई। पुरूषों के मामले में पहले समूह में हिस्सेदारी 9 फीसदी बढ़ी जबकि दूसरे समूह में 39 फीसदी तक घट गई।

साफ है कि जिन राज्यों ने आयुष्मान भारत को अपनाया, वहां स्थिति बेहतर बनी। अर्थशास्त्री कहते हैं कि व्यक्ति, जो अर्थव्यवस्था का पहला आधार होता है, अगर स्वस्थ हो तो उसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 'स्वास्थ्य' कामगारों की उत्पादकता और बीमारी के आर्थिक बोझ के ज़रिए घरेलू विकास दर को सीधे–सीधे प्रभावित करता है। दूसरी ओर, जीने की उम्र 50 से 70 वर्ष होने की सूरत में आर्थिक विकास दर में 1.4 फीसदी की बढ़ोत्तरी हो सकती है।

इसमे कोई शक नहीं कि आयुष्मान भारत ने बड़ी तादाद में उन व्यक्तियों को स्वस्थ बनाया जो गांवों में रहते हैं। अब इसका असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर देखने को तो मिलेगा ही। पिछली पांच तिमाहियों के दौरान जहां उद्योग व सेवा क्षेत्र की हालत लगातार कमज़ोर होते दिखी, वहीं कृषि व उससे संबंधित क्षेत्रों में न केवल स्थिरता बनी रही, बल्कि उसमें सुधार भी हुआ। इसी तरह जीवीए (Gross Value Added) में कृषि व उससे संबंधित क्षेत्रों की हिस्सेदारी 2018–19 में जहां 17.6 फीसदी थी, वो 2020–21 में 20.2 फीसदी पर पहुंच गई। यह सच है कि इस दौरान मानसून सामान्य रहा जिसने कृषि की बेहतरी में मदद की, लेकिन उसके साथ ही ग्रामीणों का स्वस्थ होना भी उतना ही अहम् रहा और इस काम में आयुष्मान भारत ने बहुत ही अहम् भूमिका निभायी है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।)

ई–मेल : hblshishir@gmail.com

'फिट इंडिया' को जन-आंदोलन बनाने की ज़रूरत

–डॉ. संतोष जैन पासी, आकांक्षा जैन

स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा का परस्पर गहरा संबंध है। एक ओर जहां स्वस्थ व्यक्तियों के बेहतर शिक्षा हासिल करने की संभावना अधिक होती है तो साथ ही, सही शिक्षा व्यक्ति के साथ–साथ परिवार के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार कर सकती है। हाल ही में जारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में हमारी शिक्षा प्रणाली में एक आमूल परिवर्तन लाने का प्रस्ताव है। सर्वोत्तम शिक्षा प्राप्त करने के लिए यह नीति उचित पोषण और अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता को मान्यता देती है इसलिए इसमें विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी पहलों का प्रस्ताव दिया गया है। स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, शारीरिक शिक्षा, खेल, फिटनेस और सुख–शांति की अवस्था कुछ ऐसे प्रमुख विषय और कौशल हैं जिन्हें उचित शिक्षण और प्रशिक्षण के माध्यम से सभी को सीखने एवं हासिल करने की आवश्यकता है।

फिटनेस उचित पोषण, अच्छे स्वास्थ्य के साथ–साथ शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक समृद्धि का संचयी परिणाम है। एक राष्ट्र तभी 'फिटनेस' प्राप्त कर सकता है जब उसके सभी लोग 'फिट' और दुरुस्त हों और स्वस्थ जीवनशैली के तौर–तरीकों का पालन करते हों। हालांकि फिट और स्वस्थ जीवनशैली के महत्व को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है या इसे हल्के में लिया जाता है खासकर उन निर्धन तबकों में जिनका मुख्य ध्यान अपनी आजीविका पर होता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, 'स्वास्थ्य केवल बीमारी या अशक्तता से ग्रस्त न होने की अवस्था ही नहीं बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से सम्पूर्ण स्वस्थ महसूस करने की अवस्था है'। स्वास्थ्य के उच्चतम प्राप्य स्तर को हासिल करना नस्ल, धर्म और राजनीतिक विचारधारा, आर्थिक या सामाजिक परिस्थितियों के भेद के बिना हर इंसान के मौलिक अधिकारों में से एक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का वर्तमान लक्ष्य कम से कम 2030 तक 'सभी के लिए स्वास्थ्य' हासिल करना है।

कोविड–19 महामारी का फैलना दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। इसने कम पोषण (कम वज़न/नाटापन/अपक्षय), सूक्ष्म पोषक तत्व, कुपोषण और विभिन्न गैर–संचारी रोगों (विशेष रूप से मधुमेह) की लगातार बिगड़ती स्थिति को और गंभीर बना दिया है; लेकिन अनजाने में इसने हमारा ध्यान उचित पोषण, अच्छे स्वास्थ्य, प्रतिरक्षा और फिटनेस की ओर भी आकृष्ट कर दिया है।

यद्यपि भोजन की पर्याप्त मात्रा एवं गुणवत्ता मानवाधिकारों में

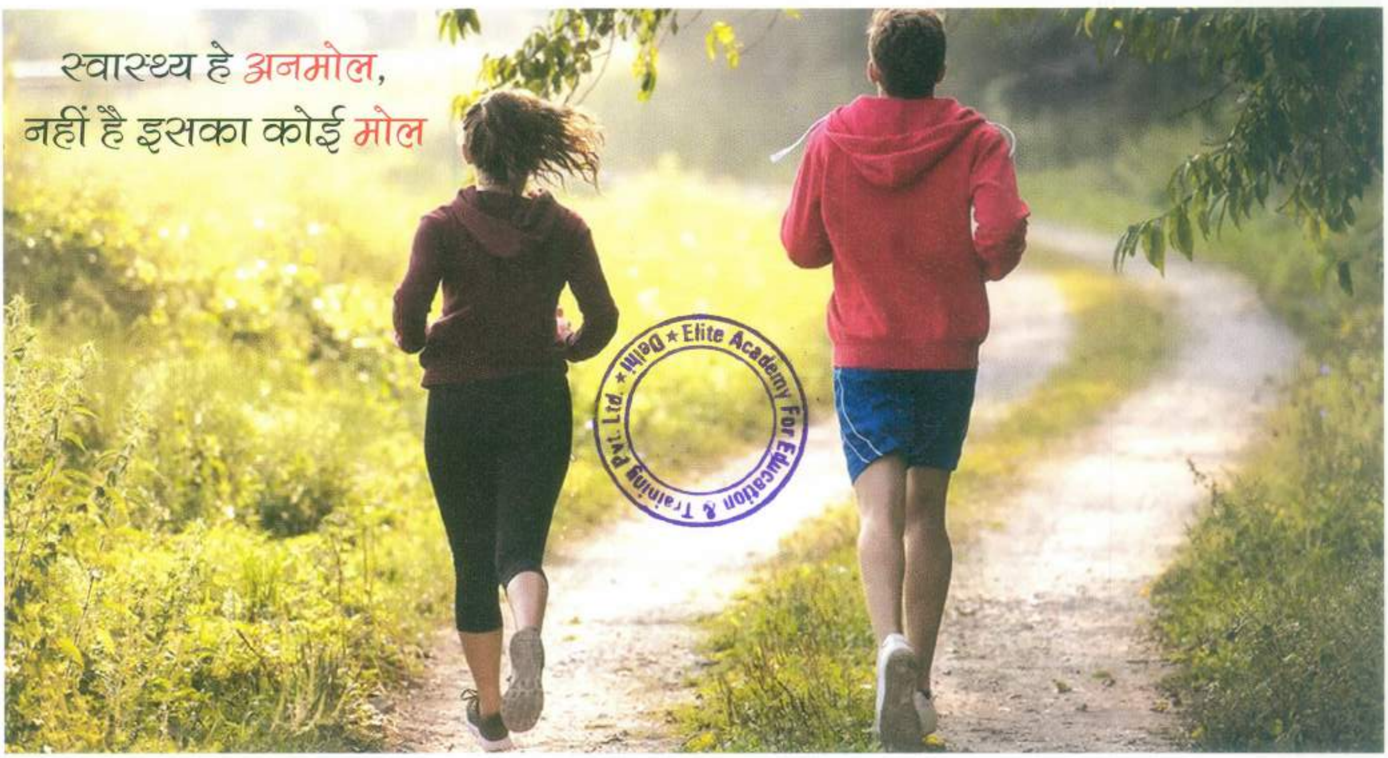

से एक है लेकिन साथ ही वैश्विक भुखमरी सूचकांक (ग्लोबल हंगर इंडेक्स) रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया में लगभग 81.1 करोड़ लोग भुखमरी से ग्रस्त हैं जबकि दो अरब से अधिक लोग कुपोषण से पीड़ित हैं; और कई लोग तो भूख के कारण दम तोड़ देते हैं। चित्र–1 भारत के कुछ पोषण संबंधी संकेतकों में प्रवृत्तियों को दर्शाता है। तीव्र भूख (Acute Hunger)– भूख का सबसे चरम रूप जो सूखा, अकाल, अल नीनो और युद्ध जैसी आपदाओं के दौरान अक्सर उत्पन्न होता है और पहले से ही मात्रा और गुणवत्ता में अपर्याप्त आहार के कारण उत्पन्न जीर्ण भूख (Chronic Hunger) (भूख से पीड़ित लोगों का 8 प्रतिशत) से पीड़ित लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। जीर्ण भूख/दीर्घकालिक अल्पपोषण विश्व–स्तर पर सबसे व्यापक है और अच्छे पोषण, स्वच्छ जल या स्वास्थ्य देखभाल के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध न होने वाले लोगों को प्रभावित करता है। दूसरी ओर, छिपी हुई भूख कई महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्वों (जैसे लोहा, आयोडीन, जस्ता या विटामिन ए) की कमी है जो लंबे समय में कई गंभीर बीमारियों/विकारों का कारण बनती है और राष्ट्र के समग्र विकास को बाधित करती है। 2020 में 27.2 के वैश्विक भुखमरी सूचकांक स्कोर के साथ भारत 107 देशों में 94वें स्थान पर है जो गंभीर चिंता का विषय है।

बच्चों के पोषण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि पोषण की कमी से उन्हें शारीरिक/मानसिक दुर्बलता और मृत्यु का जोखिम अधिक होता है। संक्रामक रोगों से मरने वाले बच्चों में भी मूल कारण आहार की कमी के कारण कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली का होना है। कुपोषण किसी भी रूप में – चाहे वह अल्प–पोषण, सूक्ष्म पोषक तत्व, कुपोषण या अति पोषण हो, मानव स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है। इसलिए कुपोषण के अनेक रूपों की रोकथाम एवं उपचार के लिए नवीन रणनीतियों को विकसित करने और अपनाने की सख्त आवश्यकता है।

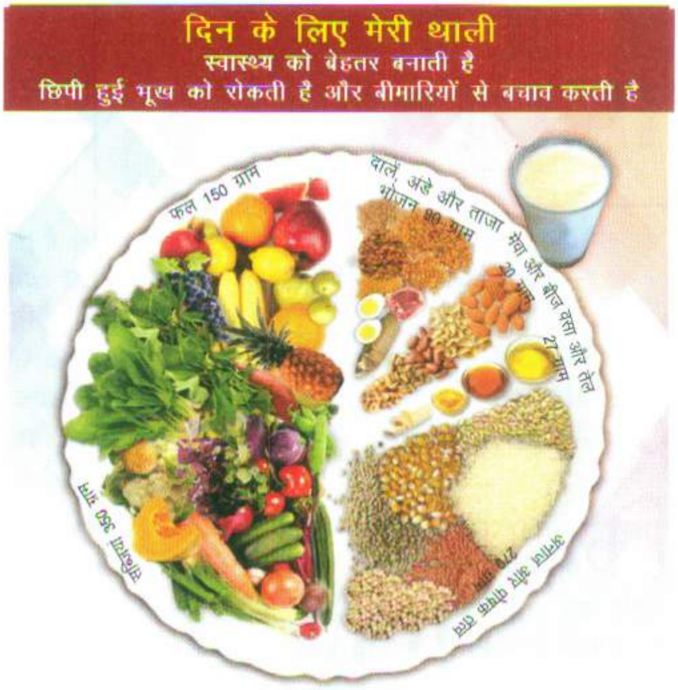

चित्र 2 : एक दिन के लिए सामान्य संतुलित आहार
(भा.चि.अनु.परि.–राष्ट्रीय पोषण संस्थान)

यथोचित वृद्धि, विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए उचित पोषण महत्वपूर्ण है। यह मज़बूत प्रतिरक्षा प्रणाली, बेहतर बोध, शिशु, बच्चे और मातृ स्वास्थ्य में सुधार, सुरक्षित गर्भावस्था/प्रसव, गैर–संचारी रोगों (जैसे मधुमेह और हृदय रोग) के जोखिम को कम करने और दीर्घायु प्रदान करने में मदद करता है। सुपोषित व्यक्तियों के अधिक उत्पादक होने की संभावना होती है जो धीरे–धीरे गरीबी और भूख के दुष्चक्र को तोड़ सकते हैं।

पोषण और स्वास्थ्य वास्तव में एक ही सिक्के के अभिन्न पहलू हैं। एक व्यक्ति का स्वास्थ्य काफी हद तक पोषण पर निर्भर करता है; और पोषण उसके भोजन के सेवन पर। संतुलित आहार में व्यक्ति की दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने वाले विविध खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं जिनमें सभी आवश्यक पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, आहार फाइबर, फाइटोकेमिकल्स (पादप रसायन), एंटीऑक्सीडेंट (प्रतिउपचायक)

चित्र 1: भारत – कुछ पोषण संबंधी संकेतकों में प्रवर्त्तियां (2000–2020)

और जल आदि की पर्याप्त मात्रा और अनुपात होता है। भा.चि.अनु.परि.– राष्ट्रीय पोषण संस्थान (आईसीएमआर–एनआईएन) प्रतिदिन सभी खाद्य समूहों से सूक्ष्म पोषक तत्वों और प्रमुख पोषक तत्वों को ग्रहण करने का सुझाव देता है जिससे एक भारतीय की ऊर्जा आवश्यकताओं (~2000 किलो कैलोरी) को पूरा करने के लिए एक संतुलित आहार बने (चित्र–2)। इस तरह के आहार न केवल आपातकालीन स्थितियों के लिए सुरक्षा कवच या पोषक तत्व भंडार प्रदान करते हैं बल्कि सकारात्मक स्वास्थ्य–शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य के सही संयोजन को बढ़ावा देने/बनाए रखने में भी मदद करते हैं। खाद्य पदार्थों का कार्यात्मक वर्गीकरण चित्र–3 में दिया गया है।

मुख्य रूप से परिष्कृत और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर आधारित कम फाइबर वाले आहार की तुलना में जटिल कार्बोहाइड्रेट से भरपूर आहार स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। आहार फाइबर–जटिल कार्बोहाइड्रेट का छोटी आंत में पाचन/अवशोषण कठिन होता है लेकिन बड़ी आंत में वे पूर्ण या आंशिक किण्वन की प्रक्रिया से गुज़रते हैं। इनमें सेल्यूलोज, हेमी–सेल्युलोज, लिग्निन, पेक्टिन, गोंद, म्यूसिलेज, अरेबिनोक्सिलन, इनुलिन, ग्लूकेन और प्रतिरोधी स्टार्च शामिल हैं। ऐसे फाइबर युक्त आहार कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं जैसे कि कुछ गैस्ट्रो–आंत्र पथ के रोगों (कब्ज, बवासीर, गैस्ट्रो–एसोफेगल रिफ्लक्स रोग (जीईआरडी), अल्सर, डायवर्टीकुलिटिस), मोटापा, मधुमेह, उच्च तनाव, हृदय रोगों, स्ट्रोक और पेट के कैंसर से सुरक्षा प्रदान करते हैं। फाइटोकेमिकल्स विभिन्न प्रकार के जैविक रूप से सक्रिय गैर–पोषक तत्व (फ्लेवोनोइड्स और पॉलीफेनोल्स) हैं जो वनस्पति आधारित खाद्य पदार्थों में होते हैं और बुनियादी पोषण के अलावा कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। ये आमतौर पर खाए जाने वाली सभी सब्जियों, फलों, दालों/फलियों और अनाजों में मौजूद होते हैं। पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट (फलों/सब्जियों में मौजूद) युक्त आहार विभिन्न प्रकार की कोशिका क्षति को रोकते हैं या धीमा करते हैं और इस प्रकार शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। कुछ पोषक तत्व एंटीऑक्सीडेंट में विटामिन सी, विटामिन ई, सेलेनियम और कैरोटीनॉयड (जैसे बीटा कैरोटीन, लाइकोपीन, ल्यूटिन और ज़ेक्सैन्थिन) शामिल हैं। फलों, सब्जियों, जड़ी–बूटियों और मसालों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोकेमिकल्स के शृंखला समूह आहार संबंधी कई बीमारियों/विकारों को रोकने के लिए ऑक्सीडेटिव और इंफ्लेमेटरी प्रभावों को कुशलतापूर्वक नियंत्रित करते हैं।

चित्र 3 : खाद्य पदार्थों का कार्यात्मक वर्गीकरण

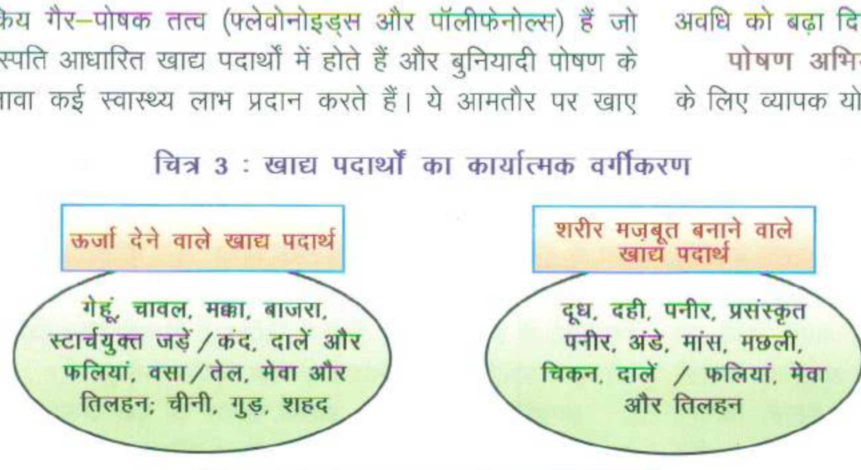

Delhi ★ Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd.

राष्ट्रीय पोषण नीति और पोषण पर राष्ट्रीय कार्ययोजना ने पोषण संबंधी समस्या से प्रत्यक्ष पोषण हस्तक्षेप (कमज़ोर समूहों के लिए) के साथ–साथ बेहतर पोषण के लिए सुगम पहुंच एवं स्थितियां विकसित करने के लिए विभिन्न विकास नीति साधनों के माध्यम से निपटने पर ज़ोर दिया। 2017 से पूरे देश में हर साल राष्ट्रीय पोषण माह (1–30 सितंबर) मनाया जा रहा है। यह स्वास्थ्य के लिए अच्छे पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने पर केंद्रित है जिसका विकास, उत्पादकता, आर्थिक संवृद्धि और अंततः राष्ट्रीय विकास पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। इससे पहले 1982 के बाद से लगभग समान उद्देश्यों के साथ हर साल राष्ट्रीय पोषण सप्ताह (1–7 सितंबर) मनाया जाता था और इसकी भव्य सफलता को देखते हुए अब सरकार ने पूर्वावलोकन सहित इसकी अवधि को बढ़ा दिया है।

पोषण अभियान/राष्ट्रीय पोषण मिशन – समग्र पोषण के लिए व्यापक योजना है। बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण संबंधी परिणामों में सुधार के लिए सरकार का यह प्रमुख कार्यक्रम है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2018 पर शुरू किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य मिशन मोड में कुपोषण की ज्वलंत समस्या की ओर देश का ध्यान आकर्षित करना है। इसी प्रकार बड़े पैमाने पर लोगों की पोषण स्थिति में सुधार के लिए विभिन्न स्तरों पर पोषण संबंधी मुद्दों का समाधान करने वाले कई कार्यक्रम हैं। इस तरह की कई पहलों में शामिल एक अनूठा कदम चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क है जो बच्चों को पोषण और स्वस्थ खाने की आदतों पर महत्वपूर्ण जानकारी के साथ बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाला मनोरंजन प्रदान करता है। इसकी एक विशेषता 'न्यूट्री–ट्रेन' है जो 600 मीटर लंबा ट्रैक तय करती है। हमारे आहार में ताज़ी सब्जियों/फलों, दूध और दूध उत्पादों, मेवे/

स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा

स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा का परस्पर गहरा संबंध है। एक ओर जहां स्वस्थ व्यक्तियों के बेहतर शिक्षा हासिल करने की संभावना अधिक होती है तो साथ ही, सही शिक्षा व्यक्ति के साथ–साथ परिवार के पोषण/स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार कर सकती है। हाल ही में जारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में हमारी शिक्षा प्रणाली में एक आमूल परिवर्तन लाने का प्रस्ताव है। सर्वोत्तम शिक्षा प्राप्त करने के लिए यह नीति उचित पोषण और अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता को मान्यता देती है इसलिए इसने विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी पहलों का प्रस्ताव दिया है। पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता,शारीरिक शिक्षा, खेल, फिटनेस और सुख–शांति की अवस्था कुछ ऐसे प्रमुख विषय और कौशल हैं जिन्हें उचित शिक्षण और प्रशिक्षण के माध्यम से सभी को सीखने/हासिल करने की आवश्यकता है। स्कूलों में नियमित स्वास्थ्य जांच, सार्वभौमिक टीकाकरण और विकास की निगरानी/स्वास्थ्य की निगरानी की जाएगी। बच्चों के मानसिक/भावनात्मक स्वास्थ्य के मुद्दों का हल खोजने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं/परामर्शदाताओं के अलावा समुदाय को भी शामिल किया जाएगा। मध्याह्न भोजन के अलावा यह स्कूली बच्चों के लिए स्वस्थ नाश्ते के प्रावधान का प्रस्ताव करती है।

तिलहनों और जल के साथ–साथ घर के बने भोजन के महत्व पर पर्याप्त बल दिया जाता है। हमारे दैनिक जीवन में शारीरिक गतिविधि (खेल/बाहरी गतिविधियों) और योग के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है। इस तरह की जागरूकता पैदा करने वाले प्रयास लोगों विशेषकर बच्चों में आवश्यक व्यवहार परिवर्तन लाने में बहुत मददगार हो सकते हैं।

अच्छा स्वास्थ्य मानव जाति की सुख–शांति और कल्याण का केंद्र है और समग्र रूप से व्यक्तियों, परिवारों और राष्ट्र की उत्पादकता, समृद्धि और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति निवारक/प्रोत्साहक स्वास्थ्य देखरेख नीतियों और किसी वित्तीय कठिनाई के बिना गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच के माध्यम से सभी (हर आयु वर्ग में) के लिए स्वास्थ्य और कल्याण के उच्चतम संभव स्तर को प्राप्त करने की परिकल्पना करती है। यह स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने, गुणवत्ता में सुधार और स्वास्थ्य देखरेख प्रदान करने की लागत को घटा कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का उद्देश्य रखती है। चिकित्सा की आधुनिक प्रणाली मुख्य रूप से उपचार के उद्देश्य से शरीर और इसकी विभिन्न जैविक प्रणालियों, अंगों, ऊतकों, कोशिकाओं, अणुओं सहित जीन पर केंद्रित है। परन्तु चिकित्सा की पारंपरिक प्रणालियां मनुष्य को समग्र रूप से मानती हैं जिसमें उसका शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य शामिल है। इसमें मनुष्य के अस्तित्व के सभी स्तरों पर सामंजस्य स्थापित करने के लिए 'स्थूल शरीर', 'सूक्ष्म शरीर' और 'कारण शरीर' पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

एकीकृत स्वास्थ्य एक समन्वित तरीके से बहुविध हस्तक्षेपों (≥2) पर ज़ोर देता है जिसमें पारंपरिक चिकित्सा, जीवनशैली में परिवर्तन, शारीरिक पुनर्वास, मनोचिकित्सा और विभिन्न संयोजनों में पूरक स्वास्थ्य दृष्टिकोण शामिल हो सकते हैं यानी किसी एक अंग प्रणाली के बजाय पूरे शरीर के उपचार पर ज़ोर दिया जाता है। इसका उद्देश्य विभिन्न देखरेख प्रदाताओं/संस्थानों द्वारा भली–भांति समन्वित तरीके से रोगी की देखरेख करना भी है।

आयुर्वेद– जीवन का विज्ञान न केवल चिकित्सा की एक प्रणाली है बल्कि सम्पूर्ण सकारात्मक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए जीवनयापन की शैली है।

होम्योपैथी– होम्योपैथी उपचार का आमतौर पर वायरल रोगों, एलर्जी की स्थितियों, त्वचा विकारों, व्यवहार संबंधी समस्याओं और कई पुरानी बीमारियों के लिए उपयोग किया जाता है; यह महिलाओं/बच्चों के विभिन्न रोगों, हार्मोन संबंधी विकारों, बांझपन, दर्द और उपशामक देखरेख के लिए स्वाश्रयी (स्टैंडअलोन) उपचार है; और कैंसर, सीओपीडी यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी रोग, मधुमेह और उनकी जटिल अवस्थाओं में सहायक/सहऔषध के रूप में इसे बरता जाता है। इसका विशेष गुण प्रोत्साहक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका के साथ–साथ कुछ नैदानिक स्थितियों में इसके प्रभावी होने में निहित है जिनके लिए चिकित्सा की अन्य प्रणालियों में उपचार के कम विकल्प मौजूद हैं।

प्राकृतिक चिकित्सा– स्वस्थ जीवन की एक कला/विज्ञान यह दवा रहित प्रणाली है जो शरीर से अवांछित/अप्रयुक्त पदार्थों (विषाक्त पदार्थों) को बाहर निकाल कर रोग के कारण को दूर करने की हिमायत करती है। इस तरह के उपचारों में शामिल हैं: मड–बॉथ/स्पॉइनल बॉथ/स्पॉइनल स्प्रेबॉथ/स्टीम बॉथ/सॉना बॉथ/सन बॉथ, मड पैक/वेटशीट पैक/चेस्ट पैक/एब्डोमेन पैक, फिज़ियोथेरेपी, चुंबक चिकित्सा, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, रिफ्लेक्सोलॉजी आदि।

यूनानी चिकित्सा– शरीर की विभिन्न अवस्थाओं स्वस्थ/अस्वस्थ से संबंधित विज्ञान है जो प्रोत्साहक, निवारक, उपचारात्मक और पुनर्वास स्वास्थ्य देखरेख प्रदान करती है। इसकी अनूठी विशेषताओं

में प्राणपोषक, अंग विशिष्ट टॉनिक, इम्युनो–मॉड्यूलेटरी/स्वभाव विशेष दवाओं, रेचक और प्रतिकूल प्रभावों के लिए सुधारात्मक उपचार हैं; और कॉस्मोस्यूटिक्स (चिकित्सा सौंदर्य प्रसाधन), न्यूट्रास्यूटिक्स (पौष्टिक औषधीय), एरोमेटिक्स (सुगंध संबंधी) और अन्य संबंधित उपचार हैं।

सिद्ध चिकित्सा– विश्व–स्तर पर चिकित्सा की सबसे पुरानी पारंपरिक प्रणालियों में से एक यह न केवल शरीर बल्कि चित्त और अंतःकरण का भी उपचार करती है। यह उन रोगग्रस्त अंग/अंगों को पुनर्जीवित/फिर से जीवंत करने का दावा करती है जिनकी उस दशा के कारण बीमारी उत्पन्न होती है। यह व्यक्ति को समग्र मानते हुए उसकी शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आध्यात्मिक सुख–समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करती है।

योग– स्वस्थ जीवनयापन की कला और विज्ञान 'योग' का उद्देश्य 'मुक्ति की अवस्था' प्राप्त करने के लिए आत्मबोध हासिल करना है जिससे सभी प्रकार के कष्टों पर काबू पाया जा सके; इसका समग्र दृष्टिकोण भली–भांति सुस्थापित है। बेहतर स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और रोग की रोकथाम में विशेष रूप से जीवनशैली संबंधी विकारों के निवारण में इसकी भूमिका जानी–मानी है। भारतीय मूल के विश्व के प्राचीनतम विज्ञानों में शामिल योग व्यक्ति के शारीरिक/मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक विकास में अत्यंत सहायक है। योग और ध्यान एनसीडी (गैर–संचारी रोग) और संबंधित जटिलताओं के जोखिम को रोकने/कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इसलिए कम उम्र में ही बच्चों की जीवनशैली में योगाभ्यास को शामिल करना महत्वपूर्ण है। भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (21 जून) ने इसे वैश्विक मानचित्र पर स्थापित कर दिया है। पिछले कई वर्षों से दुनिया भर के 180 से अधिक देश योग का अभ्यास कर रहे हैं।

वर्तमान कोविड–19 महामारी की चुनौतियों ने एक बार फिर से चिकित्सा की पारंपरिक प्रणालियों को केंद्र में वापस ला दिया है। आयुष मंत्रालय ने इस महामारी की रोकथाम, नियंत्रण, उपचार और प्रबंधन करके समाज सेवा की असाधारण मिसाल प्रस्तुत की है। इस महामारी ने सबका ध्यान बैक्टीरिया, वायरस या अन्य सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाली विभिन्न बीमारियों के खिलाफ हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली/रक्षा तंत्र की ओर आकर्षित किया है। चिकित्सा की पारंपरिक प्रणालियां न केवल उपचारात्मक बल्कि रोगनिरोधी/प्रोत्साहक पहलुओं को भी संबोधित करती हैं और इस तरह उपचार पर ध्यान केंद्रित करने के साथ–साथ सकारात्मक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने पर भी बल देती हैं।

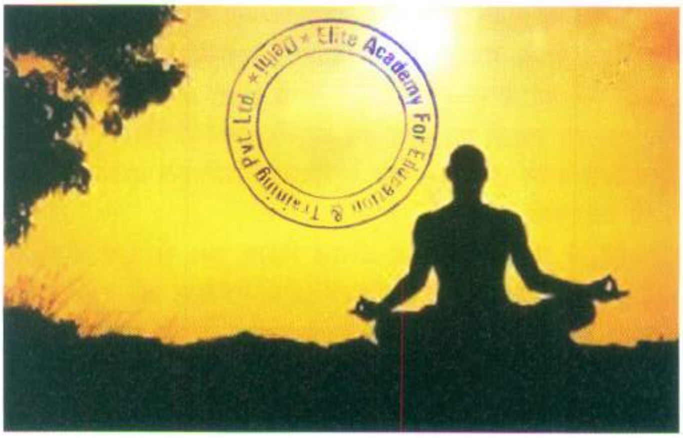

तालिका–1 : बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) = वजन (किलो) + कद (एम2)

बीएमआई कट–ऑफः एशियाई/दक्षिण एशियाई आबादी के लिए डब्ल्यूएचओ द्वारा दिया गया	
सामान्य से कम वजन का	बीएमआई <18.5 किग्रा/एम2
गंभीर रूप से कम वजन का	बीएमआई <16.5 किग्रा/एम2
सामान्य वजन का	बीएमआई ≥18.5 से 24.9 किग्रा/एम2
सामान्य से अधिक वजन का	बीएमआई ≥25 से 29.9 किग्रा/एम2
मोटापा	बीएमआई 30 किग्रा/एम2
–मोटापा वर्ग I	बीएमआई 30 से 34.9 किग्रा/एम2
–मोटापा वर्ग II	बीएमआई 35 से 39.9 किग्रा/एम2
– मोटापा वर्ग III (गंभीर/अत्यधिक/बहुत अधिक मोटापा)	बीएमआई 40 किग्रा/एम2

चूंकि एशियाई/दक्षिण एशियाई आबादी कम बीएमआई स्तरों पर भी एनसीडी के अधिक जोखिम क्षेत्र में आती है; उनके लिए कट–ऑफ हैं:
*अधिक वजन – बीएमआई 23 और 24.9 किग्रा/एम2
**मोटापा – बीएमआई 25 किग्रा/एम2

मानसिक स्वास्थ्य– स्वास्थ्य का एक अभिन्न अंग सुख–शांति की अवस्था है जब व्यक्ति को अपनी क्षमताओं, उत्पादकता का बोध होता है, वह जीवन के सामान्य तनावों का सामना कर सकता है और अपने समुदाय की प्रगति में योगदान दे सकता है। अस्वास्थ्यकर जीवनशैली, शारीरिक अस्वस्थता, तनावपूर्ण कार्य परिस्थितियां, लैंगिक भेदभाव, तीव्र गति से सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक बहिष्कार और मानवाधिकारों के उल्लंघन खराब मानसिक स्वास्थ्य के कुछ प्रमुख कारण हैं। अत्यधिक तनाव स्वास्थ्य पर कई प्रतिकूल प्रभाव डालता है इसलिए संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए तनाव का उचित निवारण आवश्यक है। गैर–संचारी रोगों (एनसीडी) के जोखिम को कम करने के लिए एक प्रभावी रणनीति टाले जा सकने वाले तनाव को रोकने और जो तनाव अनिवार्य है उसे कम–से–कम करने पर ज़ोर देती है।

ध्यान चित्त– स्थूल शरीर से जुड़ी एक प्रकार की पूरक चिकित्सा 'ध्यान चित्त' विश्राम की एक गहरी अवस्था पैदा करती है और चित्त को शांत करती है। यह पीड़ा, थकान और अनिद्रा के निवारण में बहुत लाभकारी है और पुरानी पीड़ा के संलक्षण से ग्रस्त लोगों के सामान्य स्वास्थ्य में सुधार लाती है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य में आदर्श रूप से व्यक्ति की समग्र जीवनशैली शामिल

होती है यानी वह कैसे सोचता है, बोलता है, खाता है, वस्त्र धारण करता है और सार्वजनिक/निजी जीवन में व्यवहार करता है।

स्वस्थ जीवनशैली के चार स्तंभ हैं– आहार (कोई व्यक्ति क्या, कैसे और कितना खाता है); विहार (किस तरह से कोई खुद को विश्राम, मनोरंजन और फुर्सत के समय की गतिविधियों में संलग्न करता है); विचार (किसी की मानसिक अवस्था, भावनात्मक नियंत्रण, जीवन के प्रति रवैया) और व्यवहार (सार्वजनिक/निजी जीवन में कोई वास्तव में कैसा व्यवहार करता है)।

जीवनशैली में सुधार लाएं

शारीरिक निष्क्रियता या सुस्त जीवनशैली कई एनसीडी/स्वास्थ्य संबंधी स्थायी अवस्थाओं के लिए खतरा बन सकती है। वयस्कों में शारीरिक गतिविधि विविध स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है। यह मृत्यु के सभी जोखिमों को घटाती है जिनमें हृदय वाहिका तंत्र संबंधित मृत्यु के जोखिम को कम करने के साथ ही उच्च रक्तचाप, टाइप–2 मधुमेह और अंग विशेष कैंसर की घटनाओं को कम करना शामिल है। यह मोटापा घटाती है और मानसिक स्वास्थ्य (चिंता और अवसाद को कम करके), अनुभूति और निद्रा पर गहरा सकारात्मक प्रभाव डालती है। पर्याप्त स्वास्थ्य लाभ के लिए यह सुझाया जाता है कि वयस्कों को सप्ताह में कम से कम 150–300 मिनट की मध्यम–प्रबलता वाली शारीरिक गतिविधि या कम से कम 75–150 मिनट की तीव्र प्रबलता वाली शारीरिक गतिविधि या मध्यम और तीव्र प्रबलता वाली गतिविधियों को समान अनुपात में करना चाहिए। अतिरिक्त स्वास्थ्य लाभों के लिए उन्हें सभी प्रमुख मांसपेशी समूहों के लिए कुछ मांसपेशियों को मज़बूत करने वाली गतिविधियां (मध्यम/तीव्र प्रबलता) भी करनी चाहिए।

वज़न की नियमित निगरानी ज़रूरी

वजन की नियमित निगरानी वजन बढ़ाने/वजन घटाने के साथ–साथ अधिक वजन/मोटापे या लंबे समय से चल रही ऊर्जा की कमी के विकार के प्रभाव का आकलन करने में मदद कर सकती है। यह बीएमआई की गणना करने में भी मदद करता है जो फिटनेस का एक बेहतर चिह्नक है।

2019 में राष्ट्रीय खेल दिवस (मेजर ध्यानचंद की जयंती) पर प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की और कहा कि इसे हासिल करने के लिए एक स्वस्थ व्यक्ति, एक स्वस्थ परिवार और एक स्वस्थ समाज आवश्यक हैं और लोगों से फिटनेस को अपनी जीवनशैली का हिस्सा बनाने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी कहा कि प्रौद्योगिकी ने हमारी शारीरिक गतिविधियां अवरुद्ध कर दी हैं और समय के साथ फिटनेस को कम प्राथमिकता दी गई है। 'फिट इंडिया मूवमेंट' जीवनशैली में छोटे बदलाव लाने का एक प्रयास है जो जीवनशैली से जुड़ी कई बीमारियों को रोकने में मदद कर सकता है और साथ ही मानसिक और शारीरिक फिटनेस के माध्यम से किसी भी पेशे से जुड़े लोग अपने कौशल को सुधार सकते हैं। खेल का सीधा संबंध फिटनेस से है – स्वस्थ और समृद्ध जीवन के लिए एक आवश्यक स्तंभ।

इस जन–आंदोलन के तहत स्वदेशी/ग्रामीण/आदिवासी खेलों पर ज़ोर देने के साथ–साथ आसान/मज़ेदार तरीके से फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए कई पहल/गतिविधियां और केंद्रित अभियान चलाए गए हैं। हर स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय/पंचायत/गांव तक फिटनेस की अवधारणा पहुंचे, इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं और नागरिकों के लिए अपने अनुभव साझा करने के लिए एक मंच बनाया गया है। यह लोगों को अपनी दिनचर्या में कम से कम 30–60 मिनट की शारीरिक गतिविधि को शामिल करने के लिए प्रेरित करता है और प्रधानमंत्री के संदेश – 'फिटनेस की डोज़, आधा घंटा रोज़' का भी प्रसार करता है। फिट इंडिया मोबाइल ऐप भी लांच किया गया है जो चलने, नींद और कैलोरी की मात्रा की खपत को ट्रैक करके फिटनेस स्कोर को दर्शाता है।

खेलो इंडिया– खेलों के विकास के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम ज़मीनी–स्तर पर खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने और भारत को एक महान खेल राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए शुरू किया गया है। इस दिशा में प्रधानमंत्री ने हमारे सभी ओलंपियनों का आह्वान किया है कि वे 2023 के स्वतंत्रता दिवस तक 75–75 स्कूलों का दौरा कर स्कूली बच्चों में खेल भावना को प्रोत्साहित करने के साथ–साथ कुपोषण के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में भी जागरूक करें।

पिछले कुछ दशकों के दौरान विशेष रूप से युवा पीढ़ी में स्क्रीन टाइम (टेलीविजन, कंप्यूटर और मोबाइल की स्क्रीन को देखना) बेहद बढ़ गया है और इसने उनकी बाहरी गतिविधियों/खेलों में भाग लेने के समय को बहुत अधिक घटा दिया है। इसलिए शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए समुदाय–आधारित

फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0

"दौड़ना मानव शरीर की स्वतंत्रता का सबसे प्राकृतिक रूप है।"

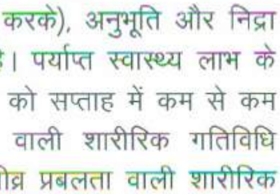

आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में एक राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 (वास्तविक रूप से/वर्चुअल माध्यम से दौड़) शुरू की गई (13 अगस्त – 2 अक्टूबर, 2021 तक) जिसका उद्देश्य फिटनेस को बढ़ावा देने के साथ–साथ लोगों को अधिक वजन/मोटापा, आलस्य, तनाव, चिंता और कई अन्य संबंधित रोगों से छुटकारा पाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसे अपने उपयुक्त समय और गति पर अपनी पसंद के मार्ग पर 'कहीं भी, किसी भी समय' आयोजित किया जा सकता है।

फिट इंडिया मोबाइल ऐप

फिट इंडिया ऐप एंड्रॉइड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध है और यह निःशुल्क है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ऐप विकसित किया गया है कि यह साधारण स्मार्टफोन पर भी काम करे। ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक

Google Play Store:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.saif.itIndia...

Apple Store:

https://apps.apple.com/us/appf/it-india-mobile-app/id1581063890...

"फिट इंडिया मोबाइल ऐप प्रत्येक भारतीय को एक मोबाइल के सहारे फिटनेस स्तर की जांच करने की सुविधा देता है। इस ऐप में फिटनेस स्कोर, एनिमेटेड वीडियो, गतिविधि ट्रैकर्स और व्यक्तिगत विशिष्ट ज़रूरतों को पूरा करने वाली 'मेरी योजना' जैसी कुछ अनूठी विशेषताएं हैं।" ऐप चलने, नींद और कैलोरी की मात्रा की खपत को ट्रैक करके फिटनेस स्कोर को दर्शाता है।

फिट इंडिया मोबाइल ऐप फिट इंडिया मूवमेंट की दूसरी वर्षगांठ के साथ-साथ राष्ट्रीय खेल दिवस पर लांच किया गया।

जागरूकता अभियान की अविलंब आवश्यकता है।

राष्ट्रीय युवा नीति भारत के युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए राष्ट्र की प्रतिबद्धता को भी दोहराती है ताकि वे अपनी पूरी क्षमता को साकार कर सकें और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में उपयोगी योगदान दे सकें। 1986 से अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों के विजेताओं को विशेष पुरस्कार दिए जाते हैं जिससे स्टार खिलाड़ियों को बेहतर उपलब्धियां हासिल करने का प्रोत्साहन/प्रेरणा मिले और साथ-साथ युवा पीढ़ियों को खेल गतिविधियों में भाग लेने के लिए आकर्षित किया जा सके। पैरालम्पिक/विशेष ओलंपिक के चैंपियनों के साथ-साथ कॉलेजों/विश्वविद्यालयों में प्रतिस्पर्धी खेलों को बढ़ावा देने के लिए भी पुरस्कार दिए जाते हैं। दिल्ली और देश भर में सुविधाओं के सर्वोत्कृष्ट उपयोग के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण की **'आओ और खेलो योजना'** शुरू की गई है। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम देश के शीर्ष एथलीटों को सहायता प्रदान करती है।

भारतीय खेल प्राधिकरण युवाओं में प्रतिभा को प्रोत्साहन देता है और पोषण करता है और उनके समग्र विकास के लिए उन्हें आवश्यक बुनियादी ढांचा, उपकरण, प्रशिक्षण सुविधाएं और प्रतिस्पर्धा के अवसर प्रदान करता है।

हर किसी के जीवन में खेल और फिटनेस का महत्व अमूल्य है। यह टीम भावना को विकसित करता है, रणनीतिक/विश्लेषणात्मक सोच, नेतृत्व गुण, लक्ष्य निर्धारण और जोखिम लेने की क्षमता विकसित करता है। फिट और स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ समाज और एक मज़बूत राष्ट्र का निर्माण करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने खेल के क्षेत्र में लगातार प्रगति की है। अब समय आ गया है कि हम अपनी युवा प्रतिभाओं को प्रेरित करें, उन्हें सर्वोत्कृष्ट बुनियादी ढांचा/प्रशिक्षण प्रदान करें और उनमें भागीदारी की एक मज़बूत भावना पैदा करें जिससे वे खेलों में अपनी वास्तविक क्षमता का प्रदर्शन कर सकें।

किसी भी या सभी रूपों में कुपोषण अस्वीकार्य है। अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियों के एक समग्र दृष्टिकोण का पालन करना चाहिए जिसमें शरीर, चित्त और अंतःकरण की फिटनेस को एक एकीकृत अवधारणा के रूप में माना जाता है। जब हमारे लोग फिट होंगे तो बीमारी/विकलांगता का बोझ बहुत कम होगा जिससे उपचार और पुनर्वास पर बहुत कम खर्च होगा; बदले में यह व्यक्तियों, परिवारों और राष्ट्र के विकास को बढ़ाने में सहायक होगा। समग्र फिटनेस और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जीवनशैली में सुधार, बेहतर आहार प्रणाली, उचित शारीरिक गतिविधि, धूम्रपान/तंबाकू का सेवन बंद करना, शराब का सेवन (यदि कोई करता हो) को सीमित करने के साथ-साथ तनाव से उचित ढंग से निपटना अनिवार्य है।

अध्यात्म हमारी जनता विशेषकर पुरानी पीढ़ियों में अंतर्निहित है। अब समय है कि इसे हमारी युवा पीढ़ियों में भी संस्कारित किया जाए। मशहूर कहावत हे कि 'रोम एक दिन में नहीं बनाया गया था' जो इस ओर इंगित करती है कि वांछित लक्ष्यों और परिणामों को प्राप्त करने के लिए उस दिशा में कदम-दर-कदम प्रयासों का कितना महत्व है। चूंकि संपूर्ण फिटनेस के लिए पौष्टिक रूप से उपयुक्त आहार, अच्छा स्वास्थ्य और शारीरिक गतिविधि आवश्यक है; आइए, हम सभी इस महान राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दें और सुपोषित भारत, स्वस्थ भारत और फिट भारत बनाने की दिशा में प्रयास करें!

(डॉ संतोष जैन पासी सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण सलाहकार हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ़ होम इकोनॉमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय में निदेशक रह चुकी हैं; ई-मेल : sjpassi@gmail.com; आकांक्षा जैन भगिनी निवेदिता कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, में सहायक प्रोफेसर (खाद्य और पोषण) हैं, ई-मेल : akankshajain@bn.du.ac.in; लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।)

सहकारिता से ग्रामोदय

–अरविन्द मिश्रा

ग्रामीण भारत की आत्मनिर्भरता का सबसे प्रभावी उपक्रम बनी सहकारिताएं गांवों के सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा आवरण को टिकाऊ बना रही हैं। केंद्र सरकार ने आज़ादी के अमृत महोत्सव की पृष्ठभूमि पर सहकारिता मंत्रालय का गठन कर सहकारवाद को नई ऊंचाई दी है। सहयोग और समन्वय पर टिकी सहकारिता की सोच ग्रामीण जनजीवन ही नहीं देश के हर नागरिक के जीवन–स्तर को ऊंचा उठाने में सहायक सिद्ध होगी।

भारत गांवों का देश है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बिना देश के आर्थिक तंत्र की कल्पना बेईमानी है। कोरोना जनित वैश्विक चुनौती के दौर में भी गांव–आधारित आर्थिक गतिविधियां लगभग अछूती रही हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि आर्थिक प्रतिकूलताओं में भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था देश के अर्थतंत्र को प्राणवायु देने का कार्य करती रही है। गांवों का स्वावलंबन तथा आत्मनिर्भरता इसके अहम कारक हैं। दरअसल, भारतीय ग्राम्य जीवन सैकड़ों वर्षों से खाद्यान्न, रोज़गार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में आत्मनिर्भर रहा है। हां, उदारीकरण की नीतियों के बाद विकास के ऐसे मॉडल पर हम ज़रूरत से ज़्यादा निर्भर होते गए, जिसने समृद्धि के मानक के रूप में सिर्फ शहरों को चुना।

विगत कुछ वर्षों में आत्मनिर्भरता के विविध मार्गों पर बढ़ते हुए हमारे गांव नई करवट ले रहे हैं। आज जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो ग्रामीण भारत के पुनरुत्थान के प्रेरक प्रतिमान हमारे सामने हैं। खेत और खलिहान से निकली आर्थिक बदलाव की इस बयार के पीछे सहकारिता प्रमुख उत्प्रेरक है। आधुनिक इतिहास के पन्नों को पलटें तो हमारे यहां सहकारिता का इतिहास लगभग 120 वर्ष पुराना है। प्राचीन ग्रंथों, प्रागैतिहासिक व पुरातात्विक अभिलेखों में सहकारिता की जड़ें हज़ारों वर्ष पुरानी बताई गई हैं।

वस्तुतः नियमन की दृष्टि से विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को कई वर्गों में विभक्त किया जाता है। किसी भी आर्थिक व्यवस्था के निर्माण व उसके क्रियान्वयन में सरकार तथा प्रशासन अहम किरदार होते हैं। ऐसा अर्थतंत्र जिसमें नियम बनाने से लेकर उसके क्रियान्वयन तक, हर स्तर पर सरकार व उसकी एजेंसियां केंद्र में होती हैं, वहां सामुदायिक लक्ष्यों के धूमिल होने का खतरा रहता है। हर गांव और वार्ड की आवश्यकता, क्षमता और अवसर को समझने के लिए सरकारी तंत्र की अपनी सीमाएं होती हैं। नतीजा, एक ही आर्थिक प्रतिमान व्यापक क्षेत्र में लागू कर दिए जाते हैं। सहकारिता ऐसी ही चुनौतियों का विकल्प है। अर्थात्, यह मानव जीवन के उत्थान के लिए अपनाई जाने वाली वह कार्य संस्कृति है, जिसमें सबकी भागीदारी सह–स्वामित्व को वरीयता दी जाती है। सहकार–आधारित व्यवस्था में ज़रूरतमंद और शोषित वर्ग को मालिकाना हक के साथ आर्थिक उद्यम संचालित करने की सुविधा

केंद्र सरकार ने 'सहकार से समृद्धि' के स्वप्न को साकार करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 6 जुलाई, 2021 को एक अलग 'सहकारिता मंत्रालय' का गठन किया है। यह मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को मज़बूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा।

मिलती है। सहकारिताओं में न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन (मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस) के मंत्र को प्रत्यक्ष रूप से साकार होते देखा जा सकता है। विशेष रूप से ग्रामीण भारत के कायाकल्प के लिए सहकारिता आधारित अनुप्रयोगों की दुनिया भर में सराहना हो रही है।

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 तक देश में 8 लाख 54 हज़ार 355 सहकारी समितियां थी। व्यवस्था में सामूहिक भागीदारी पर चलने वाली सहकारिताओं की संख्या में तेज़ी से वृद्धि हो रही है। देश में सहकारी समितियों में सदस्यों की संख्या 30 करोड़ से अधिक है। ग्रामीण भारत के 98 प्रतिशत हिस्से तक 2018 में ही सहकारी समितियों ने अपनी पहुंच बना ली। देश में 13 प्रतिशत रोज़गार प्रत्यक्ष रूप से सहकारिताओं द्वारा सृजित किए जा रहे हैं। ऐसे में ग्रामीण भारत के सामाजिक और आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए सहकारिता गतिविधियों में निहित अवसरों को पहचानना होगा।

सहकारिता से ग्रामीण भारत के सशक्तीकरण की यह यात्रा श्वेतक्रांति और हरितक्रांति से शुरू होती है। गुजरात के आणंद से प्रारंभ हुआ दुग्ध सहकारी समिति का एक प्रयोग आज अमूल के रूप में विश्व का सबसे सफल सहकारिता मॉडल बन चुका है। भारत में लगभग हर राज्य में दुग्ध सहकारी समितियों का नेटवर्क विकसित हो चुका है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की 2019–2020 की रिपोर्ट के मुताबिक सहकारी डेयरी ने 1.7 करोड़ सदस्यों से प्रतिदिन 4.80 करोड़ लीटर दूध खरीदा। देश में 2 लाख सहकारी डेयरी सोसायटी हैं। यह किसानों को खेती के साथ ही आय का अतिरिक्त विकल्प मुहैया करा रही हैं।

भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को सफल बनाते हुए दुग्ध सहकारिताओं ने भुगतान को बैंकिंग माध्यम से करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा वर्ष 2020 में दुग्ध सहकारिताओं से जुड़े 1.5 करोड़ डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। इसी क्रम में दूध के नए क्लस्टर्स देश को दुग्धक्रांति के नए संस्करण की ओर ले जा रहे हैं।

अर्थतंत्र में सहकारिता के उजाले को देश के हर क्षेत्र, जाति, वर्ग में महसूस किया जा रहा है। वनों और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों के जीवन–स्तर में गुणवत्ता प्रदान करने में सहकारिताओं का अभूतपूर्व योगदान है। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ (ट्राइफेड) के ज़रिए वनांचल में रहने वाले समाज में सामुदायिक विकास के प्रयास किए जा रहे हैं। आदिवासियों का जीवन मुख्य रूप से वनोपज पर निर्भर करता है। ख़ास बात यह है कि यह वर्ग वनों का पोषक व संरक्षक भी है। देश में लगभग एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का वनोपज प्रति वर्ष निकलता है। वनवासियों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए 87 लघु वन उत्पादों पर एमएसपी की सुविधा है। ट्राइफेड जनजातियों को उत्पाद बेचने के लिए बाज़ार उपलब्ध कराने के साथ वनोपज

आत्मनिर्भर भारत को मज़बूती

आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत स्थानीय उत्पादों के प्रति मुखर 'वोकल फॉर लोकल' की सफलता सहकारिता पर ही टिकी है। अचार, चिप्स, बिस्किट, नमकीन जैसे पैकेज्ड व डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ बनाने से जुड़े कुटीर उद्योगों के साथ ही अब इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की असेंबलिंग में सहकारी समितियां व स्वयंसहायता समूह आगे आ रहे हैं। केंद्र सरकार गांवों के 8 करोड़ स्वयंसहायता समूहों को अपने उत्पाद देश के अंदर और विदेशों में बेचने के लिए ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना रही है। विनिर्माण के क्षेत्र में चीन की जिस बादशाहत का दुनिया में ज़िक्र किया जाता है, वह अब भरोसे के संकट से जूझ रहा है। केंद्र सरकार प्राथमिक कृषि ऋण संस्थाओं को बहुसेवा केंद्रों के रूप में विकसित कर रही है। यह कदम आत्मनिर्भर भारत अभियान में सहकारी सेवाओं के विस्तार की दृष्टि से उठाया गया है। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) द्वारा छोटी सहकारी समितियों और स्वयंसहायता समूहों के उत्पादों को हाट के रूप में विपणन मंच देने की शुरुआत एक अच्छा कदम है।

के विकास में सहयोग प्रदान कर सामाजिक सशक्तीकरण के प्रयास को मज़बूत कर रहा है।

आज विकास का कोई भी मॉडल महिलाओं की भागीदारी के बिना सफल नहीं हो सकता है। सहकारिता के ज़रिए ग्रामीण भारत की समृद्धि के प्रयासों में महिलाएं केंद्र में हैं। एनसीयूआई की 2018 में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में 21,493 महिला सहकारी समितियां हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सहकारिता आंदोलन को दिशा देने वालों में अग्रणी लक्ष्मणराव ईनामदार की 100वीं जयंती के अवसर पर कहा था कि सहकारी आंदोलन सिर्फ व्यवस्था नहीं है। इसमें वह भावना निहित है जो लोगों को कुछ अच्छा करने के लिए साथ लाती है। किसान व गांव के लोग सहकारी समितियों के माध्यम से बहुत से क्षेत्रों में बेहतरीन कार्य कर सकते हैं।

खाद्य प्रसंस्करण केंद्र रोज़गार के नए प्रकल्प

भारतीय कृषि व्यवस्था में देश ही नहीं दुनिया की खाद्यान्न ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता है। हरितक्रांति के कालखंड में कृषि क्षेत्र से जुड़ी अव्यावहारिक नीतियों के कारण देश दलहन और तिलहन उत्पादन में पीछे छूटता चला गया। इस क्षेत्र में अवसरों को पहचानते हुए केंद्र में वर्तमान सरकार दलहन, तिहलन के साथ ही मोटे अनाज के उत्पादन पर विशेष ज़ोर दे रही है। वर्ष 2019–20 के दौरान देश में दालों का उत्पादन बढ़कर 2.32 करोड़ टन के आंकड़े पर पहुंचना इसका स्पष्ट प्रमाण है। इससे दशकों बाद दालों के मामले में आयात पर हमारी निर्भरता खत्म हो गई। दलहन और तिलहन की खरीदी के लिए प्राथमिक साख सहकारी समितियों एवं विपणन सहकारी समितियों को भी उपार्जन के लिए अधिकृत किया गया है।

देश कृषि खाद्यान्न उत्पादन में तो आत्मनिर्भर बन रहा है

Elite Academy Pvt. Ltd. Training

'स्वास्थ्य सहकारिता' समय की मांग

सहकारिता परंपरागत कार्यक्षेत्र से आगे बढ़ते हुए स्वास्थ्य, शिक्षा, हाउसिंग और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में कदम बढ़ा रही है। इस दिशा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा शुरू की गई आयुष्मान सहकार योजना के सुखद परिणाम सामने आए हैं। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में अस्पताल, मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए सहकारी समितियों को 10 हज़ार करोड़ रुपये का कर्ज़ राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ–साथ अस्पताल, मेडिकल कॉलेज खोलने के बाद अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे ग्रामीण आबादी को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेंगी। आज देश में 50 से अधिक अस्पताल सहकारी समितियों द्वारा सफलतापूर्वक संचालित किए जा रहे हैं।

लेकिन उसकी प्रोसेसिंग के लिए आधारभूत संरचनाओं की कमी रही है। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार 800 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना कर रही है। इन केंद्रों के संचालन में सहकारी समितियों की बड़ी भूमिका होगी। देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कृषि मूल्य श्रृंखला में सबसे महत्वपूर्ण सेतु बनकर सामने आया है। वित्त मंत्रालय ने इसके लिए दो हज़ार करोड़ रुपये के विशेष निधि कोष की स्थापना की है। इस कोष से राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से सावधि ऋण सहायता प्राप्त करने की पात्र इकाइयों में सहकारिताओं व किसान उत्पादक संगठनों को भी शामिल किया गया है।

विपणन तंत्र का काम कर रही सहकारिताएं

सहकारिता के ज़रिए सही मायनों में ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करने के लिए ग्राम सहकारी समितियां जैविक खाद तैयार करने का प्रकल्प संचालित कर रही हैं। दूध से लेकर खाद, चीनी, शहद, ऊर्जा, हथकरघा तैयार कर रही समितियां विपणन केंद्रों का भी कार्य करती हैं। उदाहरण के लिए जैविक खाद तैयार करने के लिए गीला कचरा व कृषि अपशिष्ट किसानों से लिया जाता है, उसे जैविक खाद में बदलकर समिति से संबद्ध किसानों को ही आपूर्ति कर दी जाती है। कई स्थानों पर जैविक खाद के बदले जैविक फल और सब्जियां देने की व्यवस्था सफलतापूर्वक काम कर रही है। केंद्र सरकार भी इन सहकारी समितियों को मिनी और माइक्रो कोल्ड स्टोरेज विकसित करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। एक लाख करोड़ का कृषि अवसंरचना कोष ऐसे प्रयासों को मज़बूती देगा।

आर्थिक सुरक्षा से सामाजिक सक्षमता की राह

सामाजिक सशक्तीकरण का कोई भी प्रयास आर्थिक सुरक्षा के बिना पूरा नहीं हो सकता है। इस दिशा में प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां (पीएसीएस) और सहकारी बैंक महती भूमिका निभा रहे हैं। देश में पीएसीएस की संख्या लगभग एक लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है। लगभग 13 करोड़ किसान (2017 तक) इन सहकारी समितियों में पंजीकृत हो चुके हैं। मार्च 2017 तक जारी किए गए किसान क्रेडिट कार्डों में 67 प्रतिशत अनुपात सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का है। सहकारिता के ज़रिए रखी जा रही 'ग्रामोदय' की बुनियाद को और मज़बूती देने के लिए कृषि व उससे संबद्ध क्षेत्रों की क्षमता को पहचानना होगा।

दुग्ध उत्पादन हो या हरितक्रांति, नवाचार और तकनीक अपरिहार्य घटक रही है। गांव से निकले उत्पादों की मार्केटिंग और ब्रान्डिंग से 'वोकल फॉर लोकल' को नई ऊंचाई मिलेगी। किसानों को सहकारिता का प्रशिक्षण देकर उनके कृषक उत्पादन संगठन बनाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए भूमिहीन किसानों के लिए मधुमक्खी पालन वरदान साबित हो सकता है। शहद की न सिर्फ घरेलू मांग काफी अधिक है बल्कि निर्यात के मोर्चे पर भी लगातार मांग बढ़ी है।

केंद्र सरकार ने सहकारिता आंदोलन के ज़रिए मीठी क्रांति को सफल बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) को अहम ज़िम्मेदारी सौंपी है। देश में 1.20 लाख टन शहद का उत्पादन किया जा रहा है। इसमें 55 हज़ार टन शहद का निर्यात किया जाता है। राष्ट्रीय बी बोर्ड के शहद मिशन कार्यक्रम से किसानों तक आर्थिक विकास की मिठास पहुंच रही है। मीठी क्रांति के समानांतर सरकार मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नीली क्रांति पर ज़ोर दे रही है।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020 के लिए 20 हज़ार 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मत्स्य पालकों के जीवन–स्तर को ऊंचा उठाते हुए नदियों के तट पर बसे गांवों में इस योजना ने सामाजिक कायाकल्प का दौर प्रारंभ किया है। इस योजना में मत्स्य पालक, मछुआ समुदाय, मत्स्य विक्रेता, मत्स्य विकास निगम, मत्स्य जीवी सहकारी समितियां एवं फेडरेशन, राज्य सरकार के मत्स्य विभाग लाभार्थी बनते हैं। इसमें मछली की उत्पादकता, गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी, पोस्ट हार्वेस्ट अवसरंचना और प्रबंधन, आधुनिकीकरण और लागत श्रृंखला को मज़बूत बनाने पर ज़ोर दिया गया है। योजना के ज़मीन पर सकारात्मक परिणाम भी आने लगे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के आंकड़ों पर ही नज़र डालें तो वर्ष 2019–20 में जहां मछली उत्पादन 30,526 टन था, यह 2020–21 में 11 फीसदी बढ़कर 34,874 टन हो गया।

केम्पको के सफल प्रयोग

सहकारी समितियां किसानों की जीवन–स्तर को कैसे बदल रही हैं, कर्नाटक में 1973 में स्थापित द सेंट्रल एरिकानट एंड कोका मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कोआपरेटिव लि. (केम्पको) इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। किसानों द्वारा, किसानों की तथा किसानों के लिए इस ध्येय के साथ प्रारंभ इस सहकारी समिति में कर्नाटक तथा केरल के अरण्डी उत्पादकों को शामिल किया गया है। केम्पको के बनाए चॉकलेट दुनिया भर में निर्यात किए जा रहे हैं। इस बहु–राज्यीय सहकारी समिति द्वारा स्थापित चॉकलेट फैक्ट्री ने

14,606 मीट्रिक टन का आंकड़ा छू लिया है। इसमें 1106 मीट्रिक टन के उत्पादों का निर्यात भी शामिल है। केम्पको ने 2018–19 में सहकारी समिति के सदस्य उत्पादकों से 57,210 मीट्रिक टन अरण्डी, 5,378 मीट्रिक टन कोका, 2250 मी.टन रबड़ और 663 मी. टन काली मिर्च की खरीदी की है।

खेतों की उर्वराशक्ति बढ़ने से कम हुई कृषि लागत

गांवों में समावेशी विकास के ज़रिए सामाजिक सुरक्षा लक्ष्य हासिल करने के लिए खेत, खलिहान और उस पर निर्भर किसानों को सशक्त करना होगा। इस यात्रा में इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोआपरेटिव लिमिटेड अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इफको अब सिर्फ उर्वरक उत्पादन व आपूर्ति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि किसानों व उनके परिवार के कल्याण के लिए सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित कर रही है। लगभग 4.5 करोड़ किसान परिवारों से जुड़ी यह सहकारी संस्था 85 लाख मीट्रिक टन उच्च गुणवता वाले उर्वरकों का उत्पादन प्रतिवर्ष कर रही है। इफको समय–समय पर नए–नए उत्पाद जैसे जैविक खाद, सागरिका, जल विलय उर्वरक इत्यादि लेकर आती रही है। मृदा स्वास्थ्य सुधार के लिए भी इफको द्वारा विशेष कार्यक्रम हरी खाद प्रोत्साहन, दलहन उत्पादन कार्यक्रम के अर्न्तगत ढैंचा व मूंग के बीज 75 प्रतिशत अनुदान पर किसानों को वितरित किए जाते हैं। संस्था द्वारा ई–बाज़ार के माध्यम से किसानों को इंडियन सहकारी डिजिटल प्लेटफार्म उपलब्ध करवाया गया है, जिसके माध्यम से किसान अपने उत्पाद बिना किसी बिचौलिए के माध्यम से सीधे खरीद या बेच सकते हैं।

इसी क्रम में इफको ने किसानों के लिए विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल की शुरुआत की। इसे सामान्य यूरिया के प्रयोग में कम से कम 50 प्रतिशत कमी लाने के मकसद से तैयार किया गया है। कृषि क्षेत्र में कार्य कर रही अग्रणी सहकारिता कृषक भारती कोऑपरेटिव (कृभको) द्वारा किसानों की मृदा परीक्षण की जांच निःशुल्क कराई जा रही है।

संक्षेप में ग्रामीण भारत की आत्मनिर्भरता का सबसे प्रभावी उपक्रम बनी सहकारिताएं गांवों के सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा आवरण को टिकाऊ बना रही हैं। केंद्र सरकार ने आज़ादी के अमृत महोत्सव की पृष्ठभूमि पर सहकारिता मंत्रालय का गठन कर सहकारवाद को नई ऊंचाई दी है। सहयोग और समन्वय पर टिकी सहकारिता की सोच ग्रामीण जनजीवन ही नहीं देश के हर नागरिक के जीवन–स्तर को ऊंचा उठाने में सहायक सिद्ध होगी।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।)

ई–मेल : arvindmbj@gmail.com

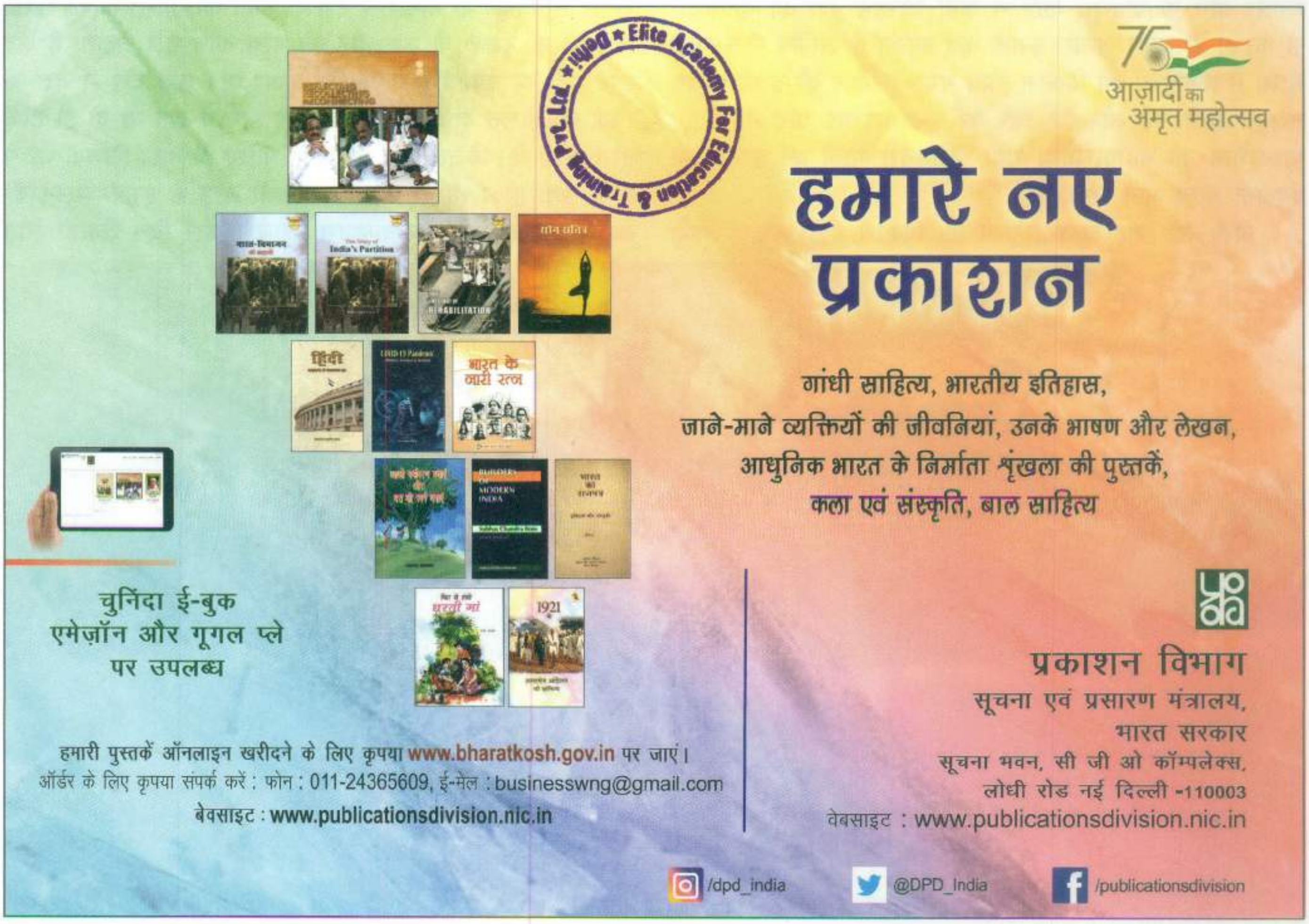

नए भारत के आत्मनिर्भर होते गांव

–संतोष पाठक

संचार क्रांति ने ग्रामीण भारत के सामाजिक परिवेश को पूरी तरह से बदल दिया है। इसकी वजह से किसान मौसम का हाल और सही तरीके से खेती करना सीख रहे हैं। देश–दुनिया के बाज़ारों से लाइव जुड़ रहे हैं और सबसे बड़ी बात भ्रष्टाचार कम हुआ है और सरकारी योजना का फायदा सीधा ग्रामीणों तक पहुंच रहा है। जनधन–आधार–मोबाइल की तिकड़ी ने जहां भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया है तो वहीं शिक्षा की वजह से जागरूकता आ रही है और इंटरनेट के प्रसार की वजह से सही जानकारी ग्रामीणों को रियल टाइम पर उपलब्ध हो रही हैं और इसलिए बदल रहा है मेरा, आपका और हम सबका गांव।

भारत में देश की 70 प्रतिशत आबादी आज भी गांवों में निवास करती है। इसलिए कई दशक बीत जाने के बाद भी आज यह कहना बिल्कुल सटीक मालूम पड़ता है कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। ज़ाहिर–सी बात है कि इसका दूसरा तात्पर्य यही निकलता है कि भारत रूपी शरीर तभी मज़बूत, सक्षम और आत्मनिर्भर हो सकता है जब इसकी आत्मा (गांव) मज़बूत हो। इसलिए देश की सरकार का खास ध्यान देश के गांवों और इसमें रहने वाले तमाम लोगों को आर्थिक तौर से मज़बूत बनाने पर है। आज़ादी के बाद के भी कई दशकों तक सरकारी नीतियों की भरमार होने के बावजूद कहीं न कहीं किसान देश की मुख्यधारा से कटता ही नज़र आया। इसके कई कारण थे लेकिन जैसे–जैसे भारत में तकनीकों का विकास होता गया, सरकार की इच्छा शक्ति मज़बूत होती गई और हर स्तर पर भ्रष्टाचार पर चोट करते हुए पारदर्शिता को बढ़ावा दिया गया, वैसे–वैसे गांवों की तस्वीर भी बदलती नज़र आने लगी।

जैसे–जैसे शहरीकृत इलाकों का विकास होता गया। शहरों जैसी सुविधाएं, कम मात्रा में ही सही गांवों में पहुंचने लगी वैसे–वैसे न केवल गांव विकास के रास्ते पर चलने और दौड़ने लगे बल्कि साथ ही ग्रामीण भारत में तेज़ी से बदलाव भी दिखने लगा। यह बदलाव हर स्तर पर नज़र आया, चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो या फिर सामाजिक। हालांकि ये कहने में कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी कि ग्रामीण भारत में सामाजिक बदलाव की रफ्तार शहरों के मुकाबले कहीं ज़्यादा तेज़ी से दिखने को मिली।

संचार क्रांति ने बदली गांवों की तस्वीर

यह बात ज़्यादा पुरानी नहीं है। महज कुछ दशक पहले तक संचार सुविधाओं के मामले में देश के गांवों की हालत काफी खराब थी। 80 के दशक के उस दौर को भला कौन भूल सकता है जब छोटे पर्दे पर रामायण आना शुरू हुआ था। उस दौर में देश के गांवों की हालत कुछ ऐसी थी कि पूरे गांव में एक या दो ही टीवी हुआ करते थे। बिजली की हालत तो पूछिए ही मत। जिसके घर में टीवी लगा होता था वो उस दिन किसी तरह से इसके चलने की व्यवस्था करता था और रामायण प्रसारण वाले दिन सैकड़ों लोग

आंगन या दलान में बैठ कर टीवी देखा करते थे। वक्त बदला और ऐसा बदला कि आज लोग अपने हाथों में टीवी (मोबाइल) लेकर घूम रहे हैं।

देश में आज की तारीख में मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या 118 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर गई है। मोबाइल धारकों की यह संख्या गांवों में भी तेज़ी से बढ़ रही है। आज की तारीख में गांव में हर 100 व्यक्ति में से लगभग 59 (58.85 प्रतिशत) के पास मोबाइल फोन हैं। मोबाइल के साथ ही देश में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की संख्या भी तेज़ी से बढ़ रही है। आज ग्रामीण भारत में 22.7 करोड़ लोग इंटरनेट चलाते हैं और सरकारी योजनाओं से इसका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विभिन्न लक्ष्यों को हासिल करने के अभियान की वजह से सभी नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक विकास को गति मिल रही है, ग्रामीण डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार हो रहा है और दूरसंचार सेवाओं की वैश्विक पहुंच लगातार सुनिश्चित हो रही है। इंटरनेट के लगातार प्रसार की वजह से अब डेटा की लागत घटकर 10.55 रुपये प्रति जीबी ही रह गई है, जिससे करोड़ों लोगों के लिए सस्ता इंटरनेट सुलभ हो गया है। बल्कि अब देश के आकांक्षी ज़िलों के गांवों में 4जी सेवाओं को पहुंचाने की योजना पर भी कार्य किया जा रहा है।

वास्तव में इस संचार क्रांति ने देश के ग्रामीण भारत के सामाजिक परिवेश को पूरी तरह से बदल दिया है। आज भी देश में हज़ारों गांव ऐसे हैं, जहां अखबार 2–3 दिन बाद पहुंचता है वहां यह मोबाइल, इंटरनेट अपने आप में किसी क्रांति से कम नहीं है। इसलिए इसे साधारण बोलचाल की भाषा में 'संचार क्रांति' कहा गया है। 'संचार क्रांति' का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि लोगों के हाथों में मोबाइल पहुंच गया हो या फिर वो सिर्फ इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल, इस क्रांति ने गांव में उसी तरह का क्रांतिकारी बदलाव ला दिया है जैसा हरित और श्वेतक्रांति के बाद देश के गांवों में आया था बल्कि कुछ मायनों में इन दोनों क्रांतियों से भी ज़्यादा। इसकी वजह से किसान मौसम का हाल और सही तरीके से खेती करना सीख रहे हैं। देश–दुनिया के बाज़ारों से लाइव जुड़ रहे हैं और सबसे बड़ी बात भ्रष्टाचार कम हुआ है और सरकारी योजना का फायदा सीधा ग्रामीणों तक पहुंच रहा है।

जन धन, आधार और मोबाइल – JAM ने कैसे बदली गांवों की तस्वीर

बकौल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उनके लिए JAM का मतलब है अधिकतम लक्ष्य की प्राप्ति। प्रधानमंत्री के शब्दों में कहा जाए तो खर्च होने वाले प्रत्येक रुपये का अधिकतम प्रतिफल, गरीबों का अधिकतम सशक्तीकरण और जनता के बीच तकनीक का अधिकतम प्रसार।

2014 से पहले बैंकिंग सुविधाओं से वंचित देश के करोड़ों लोगों के पास न तो बचत को जमा करने का ही कोई तरीका था और न ही सरकारी कर्ज़ पाने का। ग्रामीण क्षेत्र में तो इसकी वजह से भयावह परिणाम देखने को मिलते थे क्योंकि इस कमी की वजह से जहां गांव के किसान पीढ़ी–दर–पीढ़ी साहूकार के चंगुल में फंसे रहते थे वहीं दूसरी तरफ, दिल्ली से उनके कल्याण के लिए निकलने वाले पैसे में इतनी बंदरबांट हो जाती थी कि उन तक पहुंचने से पहले ही प्रति 100 रुपये में से 85 रुपये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके होते थे। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा जन धन, आधार और मोबाइल को जोड़ने अर्थात जैम ने शहरी इलाकों से ज़्यादा देश के गांवों की तस्वीर बदल दी है। इस जैम ट्रिनिटी को आप इन आंकड़ों से बेहतर समझ सकते हैं कि अब देश में जहां मोबाइल धारकों की संख्या 118 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है, 130 करोड़ से ज़्यादा भारतीयों को आधार कार्ड जारी हो चुके हैं और 43 करोड़ से ज़्यादा जनधन खाते खोले जा चुके हैं। 63 प्रतिशत से ज़्यादा जनधन खाते देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ही खुले हैं और इनमें भी 55 फीसदी से ज़्यादा खाताधारक महिलाएं ही हैं।

इनको आपस में लिंक करने से सबसे बड़ा लाभ तो यह हुआ है कि सरकारी योजना का पैसा सीधे किसानों के खाते में जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर शौचालय बनाने तक के लिए आर्थिक मदद की बात हो या फिर पेंशन और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनाओं की या कोविड काल में भारत सरकार द्वारा दी गई विशेष आर्थिक मदद की। इसी जैम की वजह से, डीबीटी की वजह से 100 रुपये में से पूरे के पूरे 100 रुपये किसानों तक पहुंचे हैं।

सिर्फ एक योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करें तो इसकी शुरुआत से लेकर अब तक देश के 11.41 करोड़ किसान परिवारों के खाते में कुल 1.6 लाख करोड़ रुपये की सहायता राशि पहुंच चुकी है। इसमें से एक लाख करोड़ रुपये तो सिर्फ कोविड काल में ही सीधे किसानों के खातों में पहुंचाया गया। दिल्ली से गरीबों के लिए भेजा गया एक रुपया उन तक पहुंचते–पहुंचते केवल 15 पैसा रह जाता था लेकिन आज जैम की कामयाबी और डीबीटी के ज़रिए पूरे के पूरे 100 पैसे ज़रूरतमंदों तक पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि अब तक 54 मंत्रालयों की 318 योजनाओं को डीबीटी अर्थात डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है।

मज़बूत होती पंचायतें– कई गुना बढ़ गई आवंटित राशि

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने पंचायतों के ज़रिए ही देश में रामराज्य लाने का सपना देखा था। लेकिन इसे कानूनी जामा पहनाने में आज़ाद भारत में भी साढ़े चार दशक से ज़्यादा लग गए। आज देश में 2,55,487 ग्राम पंचायत, साढ़े 7 हज़ार के लगभग मध्यवर्ती एवं ज़िला पंचायतें देश के गांवों की तस्वीर बदलने में बड़ी भूमिका निभा रही हैं।

देश के गांव तरक्की के रास्ते पर तेज़ी से दौड़ते नज़र आए इसलिए इनको आवंटित फंड की राशि मे भी लगातार बढ़ोत्तरी की जा रही है। 14वें वित्त आयोग के तहत 2015–2020 के 5 वर्षों के दौरान 2 लाख 292 करोड़ रुपये की राशि ग्राम पंचायतों

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd.

अधिक हैं। देश में खुले 42 करोड़ से ज़्यादा जनधन खातों में से 55 प्रतिशत से ज़्यादा खाताधारक महिलाओं के ही हैं। बैंकिंग सिस्टम से जुड़ने की वजह से अब उनके लिए ऋण लेना भी आसान हो गया है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत भी महिलाओं की लगातार मदद की जा रही है।

गांवों में नज़र आने लगे हैं सिर्फ पक्के मकान

प्रधानमंत्री आवास योजना – (ग्रामीण) की कामयाबी भी देश के गांवों की तस्वीर बदल रही है। पहले जहां गांवों में कच्चे और झोपड़ीनुमा मकान ज़्यादा नज़र आते थे वहीं अब इनकी जगह पक्के मकानों ने ले ली है। दरअसल, 2011 के डेटाबेस का उपयोग करके पहचान की गई मौजूदा स्थायी प्रतीक्षा सूची के हिसाब से अब तक 2.14 करोड़ लाभार्थी पात्र पाए गए हैं। हालांकि इस सूची में

को देने की सिफारिश की गई थी जो इससे पहले के 5 वर्ष की सिफारिश की तुलना में 3 गुना ज़्यादा थी। 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2021 – 2026 के दौरान ग्रामीण पंचायतों के लिए 2,36,805 करोड़ रुपये का फंड देने की सिफारिश की है। इस सिफारिश को मानते हुए सरकार ने 2020–21 में 60,750 करोड़ रुपये का आवंटन किया था जो कि अब तक का सबसे ज़्यादा वार्षिक आवंटन रहा है।

सबसे बड़ी बात यह है कि पारदर्शिता और प्रभावी उपयोग की प्रणाली विकसित करने की वजह से अब देश की 96 प्रतिशत ग्राम पंचायतें ग्राम पंचायत विकास योजना बनाकर काम कर रही हैं जिसकी वजह से देश के गांव भी शहरों की तरह ही नियोजित विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ – सशक्त होती महिलाएं

देशभर में लगातार बिगड़ रहे लिंगानुपात को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान का अब चौतरफा लाभ देश के गांवों में नज़र आने लगा है। लड़कियों के जन्म लेने की दर में तो बढ़ोत्तरी हुई ही है साथ ही, अब लड़कियों को पढ़ाने को लेकर भी गांव के लोगों में जागरूकता बढ़ी है। भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं ने भी लड़कियों को आगे लाने में बड़ी भूमिका निभाई है। गांवों में महिलाओं की मज़बूत होती स्थिति का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि देश के 31.65 लाख निर्वाचित जनप्रतिनिधियों में से 46 प्रतिशत से ज़्यादा संख्या महिलाओं की है। आज देश की ग्राम पंचायतों में बैठकर 14.53 लाख से ज़्यादा महिलाएं अपने–अपने गांव की तकदीर संवार रही हैं।

इतना ही नहीं पिछले 7 सालों में गांव की महिलाएं आर्थिक रूप से भी मज़बूत होती चली गई है। आज देशभर में 70 लाख स्वयंसहायता समूह हैं जो 6–7 वर्ष पहले के आंकड़े से तीन गुना

शुरू में 2.95 करोड़ परिवार शामिल थे, लेकिन मंज़ूरी के समय पर सत्यापन सहित कई स्तरों पर किए गए सत्यापन के माध्यम से, बहुत सारे घरों को पात्र नहीं पाया गया। इसलिए इस सूची को परिवर्तित करके 2.14 करोड़ तक सीमित कर दिया गया है। इसे देखते हुए 1.92 करोड़ मकानों को मंज़ूरी दी गई है और मंज़ूरी पाने वाले मकानों में से 1.36 करोड़ आवास पूर्ण हो चुके हैं। योजना के पहले चरण के लक्ष्य की बात करे तो यह 92 प्रतिशत पूरा हो चुका है। सरकार को उम्मीद है कि स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल सभी घर अमृत महोत्सव के अंत तक पूरे हो जाएंगे।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में बजटीय सहायता के रूप में कुल 19,269 करोड़ रुपये का आवंटन उपलब्ध कराया गया। इसके अलावा, 20,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त बजटीय सहायता भी प्रदान की गई। कुल मिलाकर 39,269 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई जो योजना शुरू होने के बाद से किसी भी वर्ष में जारी की गई सबसे ज़्यादा राशि है। राज्यों की हिस्सेदारी सहित राज्यों द्वारा किए गए व्यय में मौजूदा वित्त वर्ष में 46,661 करोड़ रुपये की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जो योजना शुरू होने के बाद से सबसे ज़्यादा है। इसकी कामयाबी गांव–दर–गांव में देखी जा सकती है।

ग्रामीण इलाकों में फैलता सड़कों का जाल

किसी शायर ने गांव में सड़क बनने की बात पर क्या खूब लिखा था– 'सड़क तुमने गांव में आने में बहुत देर कर दी, अब तो मेरे गांव के सारे लोग शहर ही चले गए हैं।' लेकिन अब हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की वजह से अब देश के गांवों में सड़कों का जाल तेज़ी से बिछ रहा है। देश के 1.66 लाख से ज़्यादा गांवों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जोड़ा जा चुका है। गांव में सड़क या रेल की पटरियां विकास और गांव वालों की खुशी को कई गुना बढ़ा देती हैं। इस तथ्य की पुष्टि केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि कई सामाजिक विशेषज्ञ

भी करते हैं। गांवों को सड़कों से जोड़ने के साथ–साथ गांवों को तहसील, अस्पताल, स्कूल और कॉलेज वाले इलाकों से जोड़ने की योजना पर भी काम किया जा रहा है ताकि देश के हर गांव तक शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी अच्छी सुविधाएं आसानी से मुहैया हो सकें। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तीसरे चरण के तहत पूरे देश में 1.25 लाख किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी और इस काम को 2024–25 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके प्रोजेक्ट के लिए 80,000 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

गांवों में आजीविका और कौशल विकास पर ज़ोर

देश के ग्रामीण इलाकों में रोज़गार पैदा करने के उद्देश्य से भारत सरकार ग्रामीण इलाकों में आजीविका और कौशल विकास को लेकर भी तेज़ी से काम कर रही है। आजीविका योजना के तहत दीनदयाल कौशल विकास योजना चलाई जा रही है जिसके तहत पिछले 5 सालों में ग्रामीण इलाकों के करीब 8 लाख युवा ट्रेनिंग ले चुके हैं और इनमें से 5 लाख युवाओं को रोज़गार भी मिल चुका है। इसके साथ ही देश भर में आजीविका समूहों को भी लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। इस समय देश में 55 लाख से ज़्यादा आजीविका समूह कार्य कर रहे हैं और 6 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं इससे जुड़ कर अपना और परिवार का जीवनयापन कर रही है।

दरअसल, भारत सरकार का सारा ज़ोर ग्रामीण इलाकों और ग्रामीणों के सर्वागींण विकास पर है। 2022 तक देश के किसानों की आमदनी बढ़ाकर दोगुनी करने और हर गांव को सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं से जोड़ने पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही, ग्रामीण इलाकों में बेरोज़गारी की समस्या को दूर करने पर भी फोकस है। गांव के हर नौजवान को सशक्त करने के लिए जहां सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं वहीं गांवों में सड़क, बिजली, पक्के मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार को लेकर युद्ध–स्तर पर काम किया जा रहा है।

किसानों को मिला नया बाज़ार, आय बढ़ाने का नया साधन

2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करने के लक्ष्य के साथ काम कर रही सरकार लगातार किसानों के लिए क्रांतिकारी कदम उठा रही है और ज़मीनी–स्तर पर इसका असर भी दिखाई देने लगा है। मसलन, सितंबर 2020 में किसानों को खुशहाल बनाने और आत्मनिर्भर कृषि के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने संसद में कृषि सुधारों से जुड़े अहम विधेयकों को पारित करवा कर लागू करवाया और इसका सुखद परिणाम एक वर्ष से भी कम अंतराल में नज़र आ गया। इन कानूनों को बनाने और सही तरीके से लागू करने के फलस्वरूप ही आज भारत कृषि निर्यात के मामले में पहली बार दुनिया के टॉप 10 देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है।

इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और 10 हज़ार किसान उत्पादक संघों के निर्माण का लक्ष्य भी छोटे किसानों को ही ताकतवर बनाना है ताकि किसानों की मोल–भाव की ताकत कई गुना बढ़ जाए और उन्हें उनकी उपज का सही दाम मिलने में सहूलियत हो। किसानों की क्रयक्षमता और आय बढ़ाने के मकसद को ध्यान में रखते हुए ही सरकार द्वारा एमएसपी पर खरीदी की वजह से धान किसानों के खाते में 1 लाख 70 हज़ार करोड़ रुपये और गेहूं किसानों के खाते में 85 हज़ार करोड़ रुपये सीधे पहुंचाए गए हैं। कोरोना संकटकाल के दौरान भी दो करोड़ से ज़्यादा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। साथ ही, परंपरागत खेती से अलग हटकर भी किसानों की आय बढ़ाने की योजना का परिणाम दिखाई देने लगा है। खेती से इतर हटकर किसान अब पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, ऑर्गेनिक खेती, बागवानी जैसे कार्यों के ज़रिए भी अपनी आमदमी को बढ़ा पा रहे हैं।

सोलर और बायोगैस– किसानों की आय के नए साधन

सिर्फ किसानों को ही खेती से अलग हटकर काम करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है बल्कि सरकार भी लगातार किसानों की आय बढ़ाने के लिए नई–नई योजनाएं लेकर सामने आ रही है। इनमें से एक है सोलर ऊर्जा से जुड़ी प्रधानमंत्री कुसुम योजना। इस योजना के तहत सरकार किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल देती है, जिससे वे बिजली बनाते हैं, अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं और बची हुए बिजली को वापस सरकार को बेच कर पैसा भी कमाते हैं। सौर ऊर्जा के इस्तेमाल से एक तरफ जहां डीज़ल और बिजली के खर्च में राहत मिलती है तो वहीं दूसरी तरफ, प्रदूषण में भी कमी आती है। इससे ज़मीन पर मालिकाना हक रखने वाले किसान को 25 सालों तक 60 हज़ार रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक की आमदनी होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस योजना के तहत किसानों को अपनी ज़मीन पर सोलर पैनल लगाने के लिए इसकी कुल लागत का केवल 10 प्रतिशत ही देना होता है।

इसी तरह की एक योजना बायोगैस से जुड़ी हुई है जिसे **गोबर धन योजना** नाम दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत देश के किसानो से गोबर और फसल अवशेषों को उचित दाम पर ख़रीदा जाता है और फिर इसे कंपोस्ट करके बायोगैस बनायी जाती है। इसके लिए पूरा फंड केंद्र और राज्य सरकार 60–40 के अनुपात में उपलब्ध कराती हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस तरह की योजनाओं में आवेदन करने की पूरी प्रकिया को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाया गया है।

मनरेगा, स्वामित्व स्कीम और अन्य योजनाएं

जैम की ट्रिनिटी ने मनरेगा योजना में भी भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अब मनरेगा में 99 प्रतिशत पैसा सीधा मज़दूरों के खाते में पहुंचाया जा रहा है। प्रत्येक ग्रामीण परिवार के कम से कम एक सदस्य को मनरेगा के ज़रिए रोज़गार उपलब्ध कराने पर ज़ोर दिया जा रहा है। गांव के हर व्यक्ति के पास अपनी छत हो, इस विज़न के साथ 2022 तक हर पात्र व्यक्ति को पक्का मकान देने के लिए ग्रामीण आवास योजना चलाई जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार सृजन, आजीविका विस्तार और आधारभूत ढांचे के विकास पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। हर घर में शौचालय और स्वच्छता

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd.

स्वच्छता पीढ़ी–दर–पीढ़ी संस्कार की ज़िम्मेदारी

कभी भी छोटी बात को छोटी चीज़ को, छोटी मानने की गलती नहीं करनी चाहिए। छोटे–छोटे प्रयासों से कभी–कभी तो बहुत बड़े–बड़े परिवर्तन आते हैं, और अगर महात्मा गांधी जी के जीवन की तरफ हम देखेंगे तो हम हर पल महसूस करेंगे कि छोटी–छोटी बातों की उनके जीवन में कितनी बड़ी अहमियत थी और छोटी–छोटी बातों को ले करके बड़े बड़े संकल्पों को कैसे उन्होंने साकार किया था। हमारे आज के नौजवान को ये जरुर जानना चाहिए कि साफ़–सफाई के अभियान ने कैसे आज़ादी के आंदोलन को एक निरंतर ऊर्जा दी थी। ये महात्मा गांधी ही तो थे, जिन्होंने स्वच्छता को जन–आंदोलन बनाने का काम किया था। महात्मा गांधी ने स्वच्छता को स्वाधीनता के सपने के साथ जोड़ दिया था। आज इतने दशकों बाद, स्वच्छता आंदोलन ने एक बार फिर देश को नए भारत के सपने के साथ जोड़ने का काम किया है। और ये हमारी आदतों को बदलने का भी अभियान बन रहा है और हम ये न भूलें कि स्वच्छता यह सिर्फ एक कार्यक्रम है। स्वच्छता ये पीढ़ी–दर–पीढ़ी संस्कार संक्रमण की एक ज़िम्मेदारी है और पीढ़ी–दर–पीढ़ी स्वच्छता का अभियान चलता है, तब सम्पूर्ण समाज जीवन में स्वच्छता का स्वभाव बनता है। और इसलिए ये साल–दो साल, एक सरकार–दूसरी सरकार ऐसा विषय नहीं है पीढ़ी–दर–पीढ़ी हमें स्वच्छता के संबंध में सजगता से अविरत रूप से बिना थके बिना रुके बड़ी श्रद्धा के साथ जुड़े रहना है और स्वच्छता के अभियान को चलाए रखना है। और मैंने तो पहले भी कहा था, कि स्वच्छता ये पूज्य बापू को इस देश की बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है और ये श्रद्धांजलि हमें हर बार देते रहना है, लगातार देते रहना है।

–'मन की बात', प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, 26 सितंबर, 2021

अभियान का असर अब गांवों में दिखने लगा है। ग्रामीण इलाकों में भी साफ–सफाई को लेकर जागरूकता बढ़ रही है और इसका असर उनके रहन–सहन पर भी दिख रहा है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लांच की गई स्वामित्व योजना का लाभ भी आने वाले दिनों में गांवों में नज़र आएगा जब देश के सभी गांवों में हर संपत्ति की मैपिंग हो चुकी होगी। इस योजना के तहत देश के सभी गांवों में ड्रोन के माध्यम से गांव की हर संपत्ति की मैपिंग की जाएगी। इसके बाद गांव के लोगों को उस संपत्ति का मालिकाना प्रमाणपत्र दिया जाएगा। स्वामित्व योजना से ग्रामीणों को एक नहीं अनेक लाभ होंगे। इससे गांव–गांव में चल रहे मुकदमों की संख्या में भी तेज़ी से कमी आएगी। संपत्ति के झगड़े खत्म हो जाएंगे।

गांवों में बढ़ रही है जागरूकता

तमाम सरकारी योजनाओं और सिस्टम में बढ़ रही पारदर्शिता का असर गांव के समाज पर भी पड़ रहा है। आज गांव के युवा और किसान पहले से ज़्यादा जागरूक हो गए हैं। सूचना के अधिकार के तहत अब गांव का हर व्यक्ति यह पता कर सकता है कि उनके गांव में विकास के लिए कितना फंड आया और कहां खर्च हुआ। सड़कों का जाल बिछने से आवागमन सरल हो गया है। गांव के किसान अब शहरों के बाज़ार से सीधे जुड़ गए हैं। नए कृषि कानूनों ने तो उन्हें अपनी मनमर्जी से उपज बेचने की छूट भी दे दी है।

मोबाइल और इंटरनेट के प्रसार ने गांवों को ग्लोबल दुनिया से जोड़ दिया है। पहले खेती से जुड़े आधुनिक साज़ो–सामान की जानकारी और फिर उसकी खरीद करना एक बड़ी चुनौती हुआ करता था। अब इंटरनेट की वजह से जानकरी सुलभ हो गई है और बैंकिंग सिस्टम से जुड़ने की वजह से ऋण मिलना भी आसान हो गया है। गांव–गांव तक बिजली पहुंचने का फायदा यह हो गया है कि अब किसान सिंचाई के लिए बड़ी तादाद में पम्पसेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले गांवों में ज़्यादातर कच्चे मकान ही नज़र आया करते थे लेकिन झोपड़ी वालों को भी मिल रहे इंदिरा आवास की वजह से अब गांवों में पक्के मकान ही नज़र आने लगे हैं।

अब गांव का हर युवा किसी न किसी तरीके से रोज़गार से अपने आपको जोड़ने का प्रयास कर रहा है। गांव–गांव में टी.वी., फ्रिज, कम्प्यूटर, मोबाइल, मोटरसाइकिल और कारें तक आ गई हैं। शिक्षा के प्रचार–प्रसार के लिए चलाई जा रही योजनाओं का सीधा फायदा गांव की लड़कियों को सबसे ज़्यादा हुआ है। वैसे भी यह कहा जाता है कि जब आप एक लड़के को शिक्षित करते हैं तो सिर्फ वह लड़का ही शिक्षित होता है और अगर आप एक लड़की को शिक्षित करते हैं तो आप एक पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं।

संक्षेप में, देश के गांवों के विकास के लिए आज़ादी के बाद से ही कई योजनाएं चलाई जाती रही हैं लेकिन कई वजहों से उसका पूरा फायदा गांव तक नहीं पहुंच पाता था। भ्रष्टाचार, योजनाओं में तालमेल का अभाव, सरकारी लालफीताशाही और ग्रामीणों में जागरूकता का अभाव जैसी कई कमियों की वजह से देश के गांवों को इसका लाभ नहीं मिल पाता था। अब सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाएं किसी न किसी रूप में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। जनधन–आधार–मोबाइल की तिकड़ी ने जहां भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया है तो वहीं शिक्षा की वजह से जागरूकता आ रही है और इंटरनेट के प्रसार की वजह से सही जानकारी ग्रामीणों को रियल टाइम पर उपलब्ध हो रही हैं और इसलिए बदल रहा है मेरा, आपका और हम सबका गांव।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।)
ई–मेल : santoshpathak2401@gmail.com

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

ठोस और तरल अपशिष्ट का बेहतर प्रबंधन

Delhi Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd.

–अविनाश मिश्र, प्रियंका आनंद

नए–नए आइडिया और समाधान लोगों में जागरूकता पैदा कर उनके व्यवहार में अहम बदलाव ला सकते हैं, ताकि वे कम से कम कचरे का उत्पादन करें। कचरे की मात्रा घटाने और पृथ्वी को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए सामुदायिक–स्तर पर जागरूकता और भागीदारी का दीर्घकालिक असर हो सकता है। कचरे का बेहतर प्रबंधन सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में भी मददगार है। लिहाजा, भारत में ठोस और तरल कचरे के बेहतर और टिकाऊ प्रबंधन की दिशा में काम शुरू करना ज़रूरी है।

दुनिया भर में गरीबी और बेरोज़गारी दूर करने में तीव्र आर्थिक विकास की अहम भूमिका रही है। इससे रहन–सहन का स्तर भी बेहतर हुआ है और वैश्विक आर्थिक उत्पादन में भी अच्छी बढ़ोत्तरी हुई है। इसके अलावा, उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता भी बढ़ी है। हालांकि, तेज़ आर्थिक विकास के कारण औद्योगीकरण और शहरीकरण की रफ्तार में भी अप्रत्याशित बढ़ोत्तरी हुई है। तीव्र आर्थिक विकास की राह पर अग्रसर ज़्यादातर देशों में इस तरह का रुझान देखा जा सकता है। विश्व की 55 प्रतिशत आबादी शहरी इलाकों में रहती है और साल 2050 तक यह आंकड़ा बढ़कर 68 प्रतिशत हो जाने की उम्मीद है। शहरी आबादी में बढ़ोत्तरी की वजह से हाल के वर्षों में बड़े पैमाने पर कचरा पैदा हुआ है। साल 2016 में दुनिया भर के शहरों के निकायों ने 2 अरब टन कचरा इकट्ठा किया, जो 2050 तक बढ़कर 3.4 अरब टन हो जाने का अनुमान है।

इतने बड़े पैमाने पर कचरे की मौजूदगी हमारे वैश्विक पारिस्थितिकी–तंत्र के लिए बड़ा खतरा है। वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र पहले ही जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल असर से जूझ रहा है। पिछले कुछ दशकों में भारत में भी शहरीकरण काफी तेज़ी से बढ़ा है। दरअसल, गांवों से शहरों में पलायन की रफ्तार काफी तेज़ी से बढ़ी है। भारत के शहरी इलाकों में तकरीबन 40 करोड़ लोग रह रहे हैं जहां के नगर निकायों द्वारा 6.2 करोड़ टन कचरा इकट्ठा किया जा रहा है।

हमारी मौजूदा आधारभूत संरचना सभी शहरी लोगों को नागरिक सुविधाएं मुहैया कराने के लिहाज से पर्याप्त नहीं हैं। इस वजह से शहरी विकास में असमानता देखने को मिलती है। साथ ही, शहरों में कचरा इकट्ठा करने और उसके निपटारे की प्रक्रिया में भी बाधा पहुंचती है। नगर निकाय संस्थाएं तकरीबन 80 प्रतिशत कचरे का निपटारा अवैज्ञानिक तरीके से करती हैं। हालांकि, गलत तरीके से कचरे का निपटारा कई तरह की सामाजिक और पर्यावरण संबंधी समस्याएं पैदा करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मुताबिक, 22 तरह की बीमारियों की प्रमुख वजह ठोस कचरे का सही प्रबंधन नहीं होना है। कचरे का उचित प्रबंधन नहीं होने की वजह से संबंधित ज़मीन पर गंदगी जमती है और भूजल भी प्रदूषित होता है। इस तरह, पानी से जुड़ी एक और समस्या पैदा हो जाती है। गंदे पानी का ट्रीटमेंट (शोधन) नहीं होने से कृषि और पर्यावरण के स्तर पर प्रदूषण और गंदगी फैलती है

छत्तीसगढ़ में महासमुंद ज़िला के खट्टी गांव में स्वयंसहायता समूह की महिलाओं द्वारा कचरा संग्रहण

और इससे कई बीमारियां मसलन हैजा, टाइफायड, पीलिया, पेचिश आदि फैलने का खतरा भी होता है।

साल 2015 के दौरान भारत में ग्रीनहाउस गैसों के कुल उत्सर्जन में अपशिष्ट (कचरा) क्षेत्र की हिस्सेदारी 4 प्रतिशत थी। कचरे का सही तरीके से निपटारा नहीं होने की वजह से झुग्गियों और कचरे के ढेर के आसपास मौजूद इलाकों में रहने वाले लोगों पर भी इसका खराब असर होता है। कचरा उठाने वाले लाखों लोगों को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से जूझना पड़ता है और इन लोगों के स्वास्थ्य और औसत आयु पर भी असर होता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने देश में कचरे के सतत प्रबंधन के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें से कुछ इस तरह हैं:

- सरकार ने 2014 में स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया था। इसका मकसद खुले में शौच की समस्या को खत्म करना, तमाम जगहों पर सफाई सुनिश्चित करना, ठोस कचरे का आधुनिक और वैज्ञानिक प्रबंधन आदि था।
- इस मिशन को दो हिस्सों में बांटा गया। स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)।
- स्वच्छ भारत मिशन के तहत क्षमता निर्माण के लिए कई कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। ये कार्यशालाएं शहरी स्थानीय निकायों के लिए आयोजित की जाती हैं। इसका आयोजन शहरी मामलों का राष्ट्रीय संस्थान (नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स) द्वारा किया जाता है। इन कार्यशालाओं का मकसद शहरी स्थानीय निकाय के अधिकारियों को कचरा प्रबंधन से संबंधित नियमों, चुनौतियों और समस्याओं के बारे में बताना है। इसके अलावा, स्वच्छ सर्वेक्षण, खुले में शौच से मुक्ति और मलयुक्त गाद प्रबंधन प्रोटोकॉल, कचरामुक्त शहरों की स्टार रेटिंग और केंद्र व राज्य सरकारों से स्वच्छ भारत मिशन आधारित फंड हासिल करने के लिए ज़रूरी शर्तों के बारे में जानकारी देने के लिए भी सत्र आयोजित किए गए हैं।
- भारत सरकार ने नगर निकाय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और निपटान) नियम 2000 में बदलाव करते हुए 2016 में ठोस कचरा प्रबंधन संबंधी नए नियमों के लिए अधिसूचना जारी की। नए नियमों के मुताबिक, सभी शहरी स्थानीय निकाय कचरे के संग्रह, स्टोरेज, ढुलाई, निपटान आदि के लिए ज़िम्मेदार होंगे। साथ ही, शहरी स्थानीय निकायों को ठोस कचरा प्रबंधन केंद्र तैयार करने के लिए समय–सीमा तय करनी होगी। कचरे को तीन वर्गों (गीला, सूखा और घरों के हिसाब से खतरनाक कचरा) में बांटने के लिए 'कचरा जेनरेटर' पेश किए गए हैं।
- स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत सफाई से जुड़ा सालाना सर्वे होता है। यह सर्वे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य विभिन्न शहरों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना है, ताकि नागरिकों के लिए सेवा मुहैया कराने का स्तर बेहतर किया जा सके। इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वे माना जाता है। ऐसा पहला सर्वे 2016 में हुआ और इसमें कुल 73 शहरों को शामिल किया गया। बीते साल यानी साल 2020 में इस सर्वे में 4,242 शहरों को शामिल किया गया। साल 2020 के सर्वे के मुताबिक, इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया और इसके बाद सूरत और नवी मुंबई का स्थान रहा।
- देश भर में 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान नियमित तौर पर चलाए जाते हैं और इनका मकसद आम लोगों के बीच कचरे के बेहतर प्रबंधन को लेकर जागरूकता फैलाना है। इस अभियान के तहत स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी दफ्तरों में कई तरह की गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, जैसे कि स्वच्छता अभियान, निबंध और पोस्ट बनाने की प्रतियोगता, स्वच्छता प्रतिज्ञा आदि। देश के विभिन्न हिस्सों में स्वच्छता पखवाड़ा का भी आयोजन किया जाता है, ताकि स्वच्छता संबंधी गतिविधियों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके और स्वच्छ भारत को आम लोगों का आंदोलन बनाया जा सके। इन गतिविधियों के अलावा, सरकार ने 2017 में कचरे को अलग करने संबंधी जागरूकता अभियान चलाया, ताकि स्रोत के स्तर पर ही कचरे को अलग करने के महत्व के बारे में जानकारी मुहैया कराई जा सके।

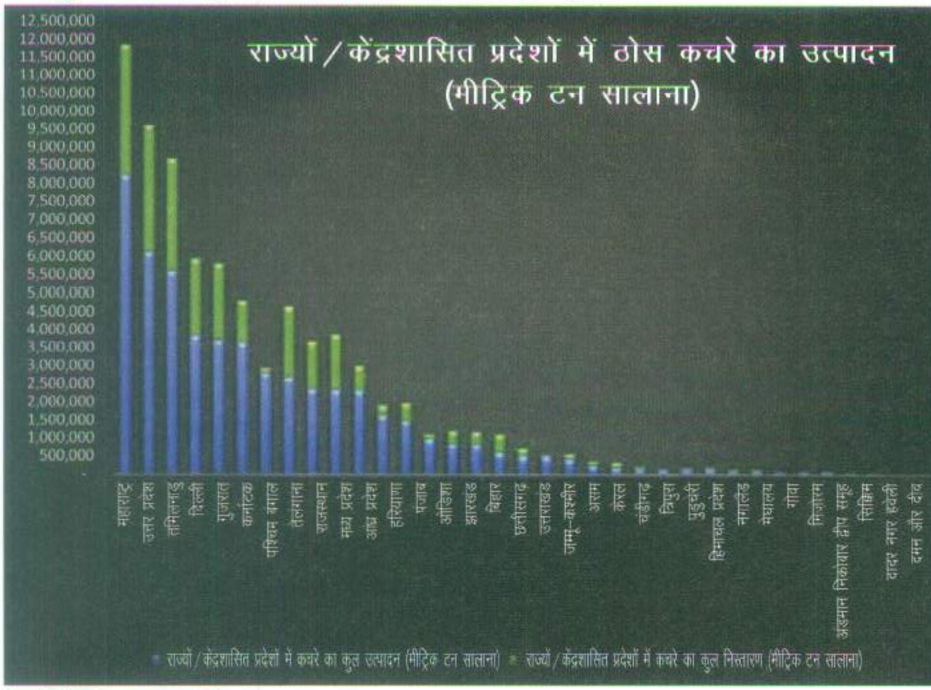

ये आंकड़े नवंबर 2018 के हैं।

- शहरी विकास मंत्रालय ने 'कंपोस्ट बनाओ, कंपोस्ट अपनाओ' योजना की

Elite Academy

शुरुआत की है, ताकि जैविक रूप से नष्ट हो सकने वाले कचरे को कंपोस्ट में बदला जा सके। यह कंपोस्ट कृषि उत्पादन के लिए उर्वरक के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस योजना के तहत, कंपोस्ट बनाने वाली मशीन की खरीद के लिए आरडब्ल्यूए (रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन) को सरकारी अनुदान मिलता है।

- नवीन और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय कचरे से बिजली पैदा करने वाली तकनीक को बढ़ावा दे रहा है, ताकि कृषि, औद्योगिक और शहरी कचरे, मसलन नगर निकायों का ठोस कचरा, सब्जियों और बाज़ार का कचरा, बूचड़खानों का कचरा आदि का इस्तेमाल ऊर्जा पैदा करने में किया जा सके। भारत में शहरी और औद्योगिक जैविक कचरे से तकरीबन 5,690 मेगावॉट ऊर्जा के उत्पादन की संभावना है। लिहाजा, कचरे से बिजली पैदा करने की तकनीक, ऊर्जा के गैर–अक्षय स्रोतों का बेहतरीन विकल्प है। भारत में कचरे की उपलब्धता और इससे पैदा होने वाली बिजली से जुड़ी संभावनाओं की भौगोलिक मैपिंग के लिए जीआईएस आधारित कचरा मैपिंग टूल विकसित किया गया है।
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत गोवर्धन योजना को लागू किया गया, ताकि जैविक रूप से नष्ट हो सकने वाले कचरे जैसे कि गोबर, रसोईघर से जुड़े कचरे, फसलों के अपशिष्ट आदि को बायोगैस में बदल कर ग्रामीण क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल घरेलू और औद्योगिक मकसद के लिए किया जाए। बायोगैस से जुड़ी प्रक्रिया में पैदा होने वाले उपोत्पाद–जैविक घोल को जैविक खाद में बदला जा सकता है।
- इसके अलावा, भारत सरकार ने बजट 2021 में जल जीवन मिशन (शहरी) की शुरुआत की जिसका मकसद सभी 4,378 शहरी स्थानीय निकायों में जल आपूर्ति और 500 अमृत शहरों में तरल कचरा प्रबंधन सुनिश्चित करना है। मिशन को अगले 5 साल में लागू किया जाएगा और इस पर कुल 2,87,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की बात है। साथ ही, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 का भी ऐलान किया गया है। इस अभियान के तहत, अगले 5 साल यानी 2021–2026 के दौरान कुल ₹1,41,678 करोड़ का वित्तीय आवंटन किया जाएगा।

स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ी कई सरकारी योजनाओं को अच्छी सफलता मिली है। स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत, 96 प्रतिशत वॉर्ड में सभी घरों में जाकर कचरा इकट्ठा किया जाता है, जबकि 75 प्रतिशत वॉर्ड में स्रोत के स्तर पर ही कचरे का वर्गीकरण कर लिया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत के समय, कचरे की संयुक्त शोधन क्षमता 95,00,000 टन सालाना थी। हालांकि, स्वच्छता अभियान के बाद, यह क्षमता बढ़कर 2 करोड़ 38 लाख सालाना हो गई। दुर्ग और अंबिकापुर जैसे शहरों में जन–जागरूकता अभियान के ज़रिए घर–घर जाकर कचरा इकट्ठा करने का शत–प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया गया। साथ ही, स्रोत के स्तर पर ही कचरे के वर्गीकरण और ज़रूरी आधारभूत संरचना की उपलब्धता के मामले में भी इन शहरों का प्रदर्शन बेहतर रहा। साथ ही, इस क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र के कई श्रमिकों को रोज़गार के अवसर मिले हैं। नियमित स्तर पर किए जा रहे प्रयासों के ज़रिए ये शहर कचरे के ढेर और मैदान से मुक्त हो गए हैं।

बेंगलुरु में कचरे की समस्या से निपटने के लिए 'बल्क वेस्ट जेनरेटर (बीडब्ल्यूजी)' की भी मदद ली जा रही है। बेंगलुरु में हर बीडब्ल्यूजी को ऑनलाइन पोर्टल 'बीजी नेट' पर रजिस्ट्रेशन करना होता है, जहां बीडब्ल्यूजी से जुड़ी हर जानकारी को रिकॉर्ड किया जाता है, मसलन कितना कचरा तैयार हुआ, ऑन–साइट ही कंपोस्ट बनाने का तरीका। बीडब्ल्यूजी की तरफ से जैविक कचरे का प्रबंधन किया जाता है और वृहद् बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) की सूची में शामिल ठेकेदारों को अलग से सूखा कचरा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा आदि सौंपा जाता है। बीडब्ल्यूजी को प्रोत्साहित करने के लिए एसडब्ल्यूएम सेस पर छूट भी मुहैया कराई जाती है।

पुणे ने कचरा प्रबंधन का विकेंद्रीकृत मॉडल पेश किया है, जो सामाजिक तौर पर बेहद प्रासंगिक और समावेशी है। पुणे की नगर निकाय संस्था ने सहकारी समिति एसडब्ल्यूएसीएच के साथ समझौता किया है, जिसके तहत कचरा इकट्ठा करना, इसे अलग करना और इससे कंपोस्ट बनाना आदि शामिल हैं। यह समझौता 5 साल के लिए 3.87 करोड़ रुपये (सालाना) में हुआ है। कचरा चुनने वालों को अब इस सिस्टम के साथ औपचारिक तौर पर जोड़ दिया गया है और वे अब 12,000–15,000 रुपये महीना कमा रहे हैं। कुछ राज्यों में तरल कचरा प्रबंधन से जुड़े कई बेहतर तरीके आज़माए जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने ताप विद्युत केंद्रों, अन्य औद्योगिक इकाइयों आदि में विभिन्न उद्देश्यों के लिए गंदे पानी (कचरे) का शोधन कर इसको फिर से इस्तेमाल के लिए 2017 में नीति बनाई।

गुजरात ने गंदे पानी (कचरे) के शोधन और इसके फिर से इस्तेमाल के लिए 2018 में नीति बनाई, जिसका मकसद ऐसे जल के फिर से इस्तेमाल को बढ़ावा देना और ताजा जल स्रोतों पर निर्भरता कम करना है। इसके अलावा, कर्नाटक के देवनहल्ली में मलयुक्त गाद प्रबंधन संयंत्र भी चल रहे हैं। इसके लिए बिल और मेलिंडा गेट फाउंडेशन और जलशोधन से जुड़े एक कंसोर्शियम द्वारा फंड मुहैया कराया जा रहा है।

देश में कचरा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए, लोगों और गैर–सरकारी संगठनों द्वारा कई तरह के कदम उठाए गए हैं। 'ग्रीनसोल' एक ऐसा संगठन है जो नवी मुंबई में पुराने जूते–चप्पल इकट्ठा करता है और इन्हें रिसाइकल कर समाज के वंचित तबकों को ये उत्पाद उपलब्ध कराता है। इस संस्था ने नवी मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र की सभी प्रमुख सोसायटी में डिब्बा उपलब्ध कराया है। साथ ही, यह संस्था जूते–चप्पल इकट्ठा करने के लिए कॉल आधारित सेवा भी उपलब्ध करा रही है। इस अभियान के तहत महज 3 महीने में जूते–चप्पल के तौर पर 25 टन कचरा इकट्ठा किया गया है और 5,000 से भी ज़्यादा लोगों को नए जूते–चप्पल

उपलब्ध कराए गए। ये सभी योजनाएं तारीफ के काबिल हैं और स्वच्छ भारत बनाने में इनका अहम योगदान रहा है। हालांकि, ठोस और तरल कचरे के उत्पादन और निस्तारण में अब भी बड़ी खाई है। इसे ग्राफ–1 के ज़रिए भी समझा जा सकता है।

जैसाकि चार्ट में देखा जा सकता है, महाराष्ट्र में सबसे अधिक मात्रा में ठोस कचरे का उत्पादन होता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली और गुजरात का स्थान है। हालांकि, चंडीगढ़ (85 प्रतिशत), छत्तीसगढ़ (84 प्रतिशत) और तेलंगाना (73 प्रतिशत) में बड़े पैमाने पर कचरे का निस्तारण कर दिया जाता है। भारत में तकरीबन 7,200 करोड़ लीटर गंदे पानी का उत्पादन होता है, जबकि शोधन क्षमता 3,200 करोड़ लीटर पानी के लिए है और इनमें से सिर्फ 2,000 करोड़ लीटर का शोधन हो पाता है। संक्षेप में कहें, तो भारत में रोज़ाना कुल उत्पादित गंदे पानी का महज 28 प्रतिशत हिस्सा ही शोधित होता है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और गुजरात में सबसे ज़्यादा गंदे पानी का उत्पादन होता है। चंडीगढ़ अपने गंदे पानी का शत–प्रतिशत शोधन करता है, जबकि दिल्ली, हरियाणा और पंजाब भी अपने ठोस कचरे के बड़े हिस्से का शोधन करते हैं। चालू जलशोधन संयंत्रों की संख्या 2014 में 522 थी, जो 2020 में बढ़कर 1093 हो गई। हालांकि, देश में अब भी इन संयंत्रों से जुड़ी क्षमता पर्याप्त नहीं है। देशभर में मौजूद जलशोधन संयंत्रों और पंपिंग स्टेशनों का संचालन और रखरखाव का स्तर संतोषजनक नहीं है। साथ ही, ये संयंत्र पर्यावरण (सुरक्षा) संबंधी सामान्य नियमों का भी पालन नहीं करते हैं। सभी संयंत्रों के मुख्य और अन्य पंपिंग स्टेशनों में बिजली की वैकल्पिक सुविधा भी ज़रूरी शर्त है। नतीजतन, मौजूदा शोधन क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता है और बड़े पैमाने पर गंदे पानी का शोधन नहीं हो पाता है।

हालांकि, एसडब्ल्यूएम नियम 2016 में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कचरा निस्तारण केंद्र स्थापित करने, कचरा भराव क्षेत्रों की पहचान और मौजूदा कचरे के मैदान को बेहतर बनाने को लेकर विस्तार से दिशा–निर्देश दिए गए हैं, लेकिन कई शहरी स्थानीय निकायों द्वारा इसका पालन नहीं किया गया। इसकी कई वजहें थीं, मसलन कचरे को अलग करने की व्यवस्था लागू करने में निकायों का सक्षम नहीं होना, कचरा निस्तारण की व्यवस्था लागू करने के लिए संस्थागत और वित्तीय संसाधनों की कमी और बेहतर व एडवांस तकनीक का अभाव। हालांकि, फंड की कमी की वजह से शहरी स्थानीय निकाय कचरा प्रबंधन के काम को बेहतर ढंग से अंजाम नहीं दे पाते हैं। लिहाजा, सार्वजनिक–निजी साझेदारी का फॉर्मूला इसमें अहम भूमिका अदा कर सकता है।

हालांकि, भारत में कचरा प्रबंधन में सार्वजनिक–निजी साझेदारी की अवधारणा नई नहीं है। नागपुर और इंदौर जैसे शहरों में ठोस और तरल कचरे के बेहतर प्रबंधन के लिए इसमें निजी खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। इंदौर में एक प्राइवेट कंपनी ने सार्वजनिक–निजी साझेदारी मॉडल के तहत 30 करोड़ रुपये का निवेश किया है और वह अपने मुनाफे से इंदौर नगर निगम को 1.51 करोड़ रुपये प्रीमियम देती है। नगर निकाय संस्था गीले कचरे से कंपोस्ट और जैविक–सीएनजी ईंधन बना रही है। निर्माण और तोड़–फोड़ से जुड़े कचरे को ईंधन, टाइल्स और अन्य चीजों में बदला जा रहा है और इससे नगर निगम को 2.5 करोड़ सालाना मिल रहे हैं।

नागपुर नगर निगम ने ठोस कचरे के संग्रह और ढुलाई का निजीकरण कर दिया है। इस नगर निगम ने मौजूदा कचरे के मैदान में जैव–खनन तकनीक और अन्य जैव गतिविधियों के ज़रिए पुराने कचरे का निस्तारण भी शुरू किया है। नागपुर नगर निगम ने कचरे से बिजली बनाने का केंद्र स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना के लिए मेसर्स एस्सेल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, मुंबई और हिताची जोसेन इंडिया (संयुक्त उपक्रम) को रियायत पाने वाली इकाई के तौर पर चुना गया है। यह परियोजना, समूह स्तर पर कचरा जलाने से जुड़ी तकनीक पर आधारित है और इससे 11.5 मेगावॉट की बिजली का उत्पादन होने का अनुमान है। हालांकि, कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में सार्वजनिक–निजी भागीदारी मॉडल शहरी स्थानीय निकायों और नागरिकों को कई तरह के फायदे मुहैया कराते हैं, लेकिन निजी क्षेत्र की इकाइयों के साथ

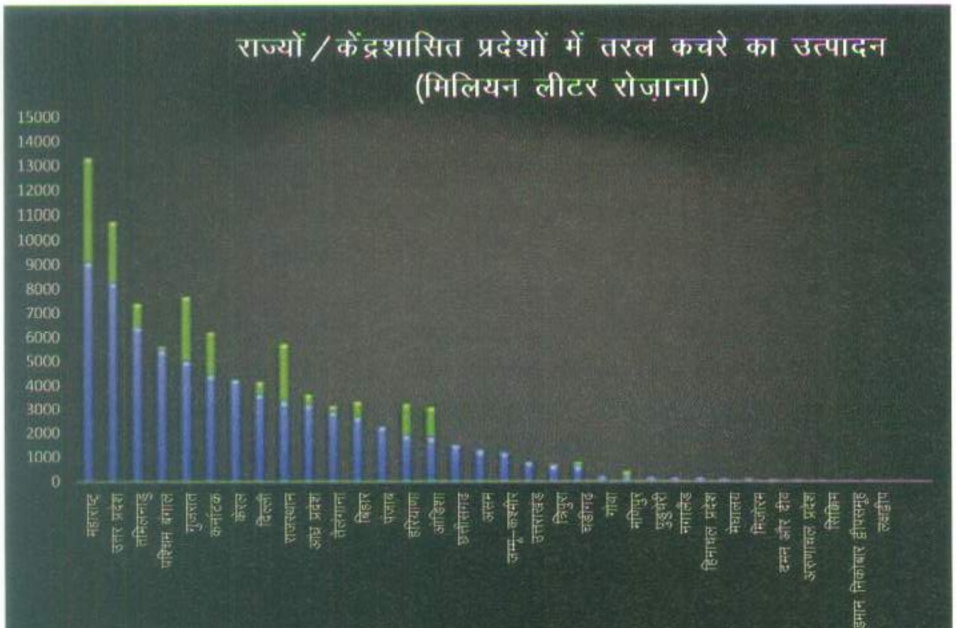

ये आंकड़े नवंबर 2018 के हैं।

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. * Delhi *

साझेदारी करने में सिर्फ कुछ नगर निकाय संस्थान ही सफल रहे। फंडों की कमी, कई तरह के ठेकेदारों की सक्रियता, कचरा प्रबंधन के ठेके में गड़बड़ियां, कचरा मूल्य श्रृंखला में एकीकरण की कमी जैसी वजहों से निजी क्षेत्र ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। हालांकि, जवाबदेही बढ़ाने और बेहतर सेवा सुनिश्चित करने के लिए निजी क्षेत्र को इस अभियान में शामिल करना ज़रूरी है, ताकि तकनीक और वित्तीय संसाधनों की कमी को दूर किया जा सके।

इस बात को ध्यान में रखते हुए, नीति आयोग ने हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) का प्रस्ताव पेश किया है, ताकि सार्वजनिक–निजी साझेदारी को बढ़ावा दिया जा सके और कचरा प्रबंधन की प्रक्रिया में शहरी स्थानीय निकायों की राह आसान बनाई जा सके। एचएएम के तहत, पूंजीगत खर्च को सिर्फ शहरी स्थानीय निकाय द्वारा साझा किया जाता है, जबकि संचालन संबंधी खर्च को निजी खिलाड़ी और नगर निकाय संस्था, दोनों वहन करते हैं।

ठोस कचरे के प्रबंधन में एचएएम के तहत, रियायत पाने वाली इकाई कचरा निस्तारण संयंत्र की स्थापना, प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर कचरा इकट्ठा करने, ढुलाई, ठोस कचरे के निस्तारण आदि के लिए ज़िम्मेदार होगी। तरल कचरे के प्रबंधन में एचएएम के तहत, रियायत पाने वाली इकाई के पास जलशोधन संयंत्रों के निर्माण, मलयुक्त गाद शोधन संयंत्र, घर–घर जाकर कचरे को इकट्ठा करने, मलयुक्त गाद की ढुलाई, कचरे और रिसाइकल किए गए सामानों की बिक्री या निस्तारण आदि की ज़िम्मेदारी होगी। रियायत पाने वाली इकाई, रिसाइकल किए गए उत्पादों की बिक्री से होने वाली आमदनी इकट्ठा करेगी और इसे नगर निकाय के साथ साझा करेगी। परियोजनाओं से जुड़े संचालन संबंधी खर्चों की भरपाई के लिए रियायत पाने वाली इकाई उपयोगकर्ता से फीस वसूल करेगी।

हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में नगर निकायों और निजी इकाइयों, दोनों के लिए कई तरह के फायदे हैं। मॉडल छूट समझौते के तहत, उधार लेने वाले संस्थानों को सरकारी गारंटी मुहैया कराई जाती है, जिससे परियोजना को ठोस आधार मिलता है। इसके अलावा, निजी साझेदार अलग–अलग एजेंसियों से फंड जुटा सकते हैं। साथ ही, नए मॉडल में पूरी अपशिष्ट मूल्य श्रृंखला शामिल रहती है और इस वजह से कचरा प्रबंधन से जुड़ी स्वतंत्र इकाइयों में कई तरह के ठेकेदारों की ज़रूरत होती है। रियायत पाने वाली इकाइयों के पास पर्यावरण संबंधी कानून के दायरे में किसी भी आधुनिक तकनीक का विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है। इस मॉडल में एक कंसोर्शियम/रियायत पाने वाली इकाई द्वारा पूरी अपशिष्ट मूल्य श्रृंखला में कचरे के एकीकृत प्रबंधन की बात है।

सिंगापुर और मलेशिया जैसे कई देशों ने अपनी कचरा प्रबंधन प्रणालियों का सफलतापूर्वक निजीकरण किया है। दक्षिण कोरिया ने 1980 के दशक के आखिरी दौर में मात्रा–आधारित कचरा फीस प्रणाली को लागू किया, जिससे उसे ठोस कचरे का उत्पादन कम करने में मदद मिली। दरअसल, 1990 में दक्षिण कोरिया में नगर निकायों द्वारा ठोस कचरे का उत्पादन 3.06 करोड़ मीट्रिक टन था, जो 2016 में घटकर 1.93 मीट्रिक टन हो गया। साथ ही, कचरा भराव क्षेत्र में कमी के साथ–साथ कचरा जलाने की दर में भी गिरावट देखने को मिली। दुनिया का पहला कचरा आधारित हाइड्रोजन संयंत्र 2011 में दक्षिण कोरिया में तैयार किया गया था। कचरे से नवीन और अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में इस संयंत्र की हिस्सेदारी 60 प्रतिशत है। दक्षिण कोरिया में कचरे के रिसाइकल होने की दर 60 प्रतिशत है, जो जर्मनी के बाद सबसे ज़्यादा है।

मलेशिया में 'वेस्ट इको पार्क' शुरू किया गया है। इसके तहत विभिन्न उद्योगों से जुड़ी रिसाइकल कंपनियों को एक ही जगह पर इकट्ठा किया जाता है। 'वेस्ट इको पार्क' में कम से कम 5 करोड़ मलेशियाई मुद्रा निवेश करने वाली कंपनियों को 2016–2025 के दौरान पार्क में मौजूद मकानों से मिलने वाले किराये, कचरे के इस्तेमाल से जुड़ी फीस और जलशोधन केंद्रों आदि आय पर आयकर में 70 प्रतिशत तक छूट मिलती है।

ऊपर दिए गए उदाहरणों से पता चलता है कि नए–नए आइडिया और समाधान लोगों में जागरूकता पैदा कर उनके व्यवहार में अहम बदलाव ला सकते हैं, ताकि वे कम से कम कचरे का उत्पादन करें। कचरे की मात्रा घटाने और पृथ्वी को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए सामुदायिक–स्तर पर जागरूकता और भागीदारी का दीर्घकालिक असर हो सकता है। कचरे का बेहतर प्रबंधन सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में भी मददगार है। सतत विकास लक्ष्यों के 11वें बिंदु में सभी देशों के लिए समावेशी और टिकाऊ शहरीकरण पर ज़ोर दिया गया है, जबकि सतत विकास लक्ष्यों के 12वें बिंदु में दुनिया भर में खपत और उत्पादन को लेकर ज़िम्मेदार रवैया सुनिश्चित करने की बात है, ताकि कम से कम कचरा पैदा हो। 'कम करें, फिर से इस्तेमाल करें और रिसाइकल करें' का मंत्र संसाधनों की कम से कम खपत सुनिश्चित करेगा और इससे चक्रीय (सर्कुलर) अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने में मदद भी मिलेगी।

महात्मा गांधी के शब्दों में कहें, तो मज़बूत देश के निर्माण में स्वच्छता की बेहद अहम भूमिका है। उनका मानना था कि स्वच्छता भी एक तरह से ईश्वर की उपासना है। जाहिर तौर पर स्वच्छता गांधीवादी तरीके की जीवनशैली का अटूट हिस्सा है।

भारत में कचरा उत्पादन साल 2031 तक बढ़कर 16.5 करोड़ टन हो जाने का अनुमान है। लिहाजा, भारत में ठोस और तरल कचरे के बेहतर और टिकाऊ प्रबंधन की दिशा में काम शुरू करना ज़रूरी है। इसके लिए सरकारों, शहरी स्थानीय निकायों, निजी क्षेत्र, गैर–सरकारी संगठनों और देश के नागरिकों को मिलकर काम करना होगा।

(अविनाश मिश्रा नीति आयोग में एडवाइज़र (प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण, जल एवं भू–संसाधन) हैं, ई–मेल : amishra-pc@gov.in, प्रियंका आनंद नीति आयोग में यंग प्रोफेशनल, प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण हैं, ई–मेल : priyankanand.23@gmail.com, लेख में व्यक्त विचार लेखकों की निजी राय है।)

समावेशी विकास की ओर ग्रामीण भारत

–देविका चावला

आज़ादी के समय से अब तक का ग्रामीण भारत का सफर करिश्माई रहा है। लेकिन यह कृषि प्रधान क्षेत्र भारत की 1991 के बाद की आर्थिक प्रगति से अछूता रहा था। अब वह लगातार ज़्यादा उद्यमशीलता का प्रदर्शन करते हुए देश के बाकी हिस्से से जुड़ रहा है। इस तरह वह भारत की वृहद् विकास कथा में एक सक्रिय भूमिका अदा कर रहा है। सरकार की डीबीटी, जैम, आयुष्मान भारत, पीएम–आवास, सीएससी, पीएम–किसान स्वामित्व, पीएम–केवीवाई, पीएम–जीएमवाई और उड़ान जैसी पहलों और योजनाओं के ज़रिए ग्रामीण क्षेत्रों में तेज़ी से सामाजिक और आर्थिक बदलाव संभव हुए हैं।

ग्रामीण भारत को लंबे समय से भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता रहा है। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा योगदान करने वाले क्षेत्रों में से एक है। साथ ही, यह लगातार आगे बढ़ते हुए देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। खाद्यान्न और अर्थशास्त्र से आगे भी एक बड़ा पहलू है जिसका अब तक पर्याप्त अध्ययन नहीं किया गया। संवहनीयता और पर्यावरण संरक्षण के इस पहलू का मुख्य हितधारक कृषि अर्थव्यवस्था ही है। ग्रामीण क्षेत्रों का शहरों के समान सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी और कुशल शासन महत्वपूर्ण है। लिहाजा, इस मोर्चे पर प्रगति का विश्लेषण ग्रामीण भारत की सामाजिक–आर्थिक यात्रा की सही तस्वीर पाने के लिए ज़रूरी है। ग्रामीण क्षेत्रों के समावेशी और संवहनीय विकास की ज़रूरत को हाल के वर्षों में ज़्यादा शिद्दत से महसूस किया गया है। इससे भारत में ग्रामीण सुशासन से जुड़े मुद्दे नीतिगत विमर्श के केन्द्र में आ गए हैं।

यह भारत की स्वतंत्रता का 75वां वर्ष है। इस अवसर पर सरकार ने 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' अभियान चलाया है। इसके तहत 15 अगस्त, 2023 तक 75 हफ्तों के लिए कई समारोह और विकास कार्यक्रम शुरु किए गए हैं।

अब तक का ग्रामीण भारत

मौजूदा ग्रामीण भारत को विस्तार से समझने के लिए हमें उस समय में जाना होगा जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। तभी यह पता चल सकेगा कि पिछले 74 वर्षों में हमने कितनी तरक्की की है। आज़ादी के समय हमारे नवगठित देश को निर्धन आबादी, अकाल और सूखा प्रभावित ज़मीन तथा तबाह अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी। हरितक्रांति और उसके बाद श्वेतक्रांति ने जादू किया। हमारी अर्थव्यवस्था कुलांचे भरती हुई खाद्यान्न और दूध की तंगी से उबर गई। इस समय भारत कृषि और डेयरी उत्पादों के विश्व के सबसे बड़े उत्पादक और निर्यातक देशों में शामिल है। इन पहलकदमियों का भारत के कृषि क्षेत्र पर व्यापक असर पड़ा है। इनके परिणामस्वरूप कृषि अर्थव्यवस्था लाखों ग्रामीण भारतीयों के लिए संवहनीय और लाभकारी आजीविका बन गई है।

लेकिन पिछले कुछ दशकों में औद्योगीकरण और आवागमन में वृद्धि से तेज़ और अक्सर अनियंत्रित शहरीकरण हुआ है। इसने कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों पर भारत की निर्भरता कम हुई है। गांवों और सुशासन में जीवन को सुगम बनाने के उपायों के प्रति उपेक्षा और उदासीनता है। इनके प्रति जागरूकता और उत्साह में कमी आयी है। नतीजतन, कामगारों का भारतीय गांवों से शहरों की ओर सामूहिक पलायन हुआ है। हम सब इस स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ हैं। लेकिन हाल के वर्षों में स्थिति में बदलाव आया है और इसमें सुधार के शुरुआती लक्षण दिखाई दे रहे हैं।

दूध और खाद्यान्न उत्पादन में भारत की सफलता को देखते हुए मछली पालन क्षेत्र में भी उसी दृष्टिकोण से योजनाएं बनाई जा रही हैं और उन्हें शुरू किया जा रहा है जैसे कि भारत को अगले कुछ वर्षों में नीली अर्थव्यवस्था बनाने की संकल्पना की जा रही है। इस तरह के प्रयासों का मकसद हमारे गांवों की अर्थव्यवस्था में कृषि का विविधीकरण करना तथा ग्रामीण और स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा देना है।

स्वयंसहायता समूहों (एसएचजी), कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और अन्य समुदाय–आधारित सहकारी संस्थाओं की प्रभावशाली साबित हुई हैं। ये भूमिका भी उल्लेखनी और मुददों के निपटारे के लिए समुदाय की सामूहिक शक्ति का उपयोग करते हैं बल्कि निचले स्तर पर सूक्ष्म उद्यमिता की चमकती मिसालें हैं। भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इक्कीसवीं सदी में बैंकिंग, व्यवसाय,

कृषि, कपड़ा और हाल में शिक्षा जैसे क्षेत्रों में इस तरह की सूक्ष्म संस्थाओं में काफी इज़ाफा हुआ है।

शासन तथा सेवा प्रदान करने की दिशा में पहल और सुधार

पिछले सात वर्षों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच अंतर को खत्म करने के लिए अनेक कदमों, कार्यक्रमों और पहलकदमियों को विभिन्न स्तरों पर नए जोश के साथ लागू किया गया है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना के ज़्यादातर लाभार्थी ग्रामीण हैं और इसके तहत वित्तीय लाभों को सीधे उनके बैंक खातों में भेजा जा रहा है। जन–धन योजना के अंतर्गत 40 करोड़ बैंक खाते खोले गए जिनमें से अधिकतर वैसे ग्रामीणों के हैं जो अब तक बैंकिंग प्रणाली से दूर थे। जन–धन–आधार–मोबाइल (जैम तिकड़ी) के ज़रिए सार्वजनिक सेवाओं का निर्बाध वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। इस तरह की योजनाओं के ज़रिए ग्रामीण भारत में एक मूक क्रांति चल रही है।

ग्रामीण भारत में डिजिटल इंडिया मिशन के तहत जन सेवा केंद्रों (सीएससी) की स्थापना भी एक उल्लेखनीय शुरुआत है। इनके ज़रिए ग्रामीणों को अनिवार्य सार्वजनिक सेवाएं एक जगह मुहैया करायी जा रही हैं। ये केंद्र स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, कृषि, सेवा, शिक्षा, वित्त और निचले स्तर पर उद्यमिता से संबंधित अनिवार्य सार्वजनिक सेवाओं के वितरण के लिए अभिगम बिंदु के तौर पर काम करते हैं।[1] वर्तमान में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 4,12,000 से ज़्यादा सीएससी काम कर रहे हैं।[2] ये केंद्र 'स्मार्ट गांव' कार्यक्रम के साथ तालमेल में काम करते हैं जिसके तहत एक लाख से अधिक गांवों का डिजिटलीकरण कर उन्हें वाई–फाई, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क और अनेक अन्य डिजिटल सेवाओं से जोड़ा गया है।[3] उद्यमिता, प्रौद्योगिकी और बेहतर शासन का सर्वोत्तम इस्तेमाल करने के मकसद से इन सीएससी का संचालन हर गांव से कुशल, सम्मानित और उत्साही सदस्यों को सौंपा गया है। देश भर में इन ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) की कुल संख्या इस समय 3.74 लाख है।[4]

पीएम–किसान और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) सब्सिडी जैसी योजनाओं को लागू किए जाने के बाद धन का करोड़ों किसानों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरण किया जा रहा है। वे इस धन का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करने में सक्षम हुए हैं। इससे नुकसान और धन को अनपेक्षित या फर्ज़ी लाभार्थियों तक पहुंचने से रोकने में मदद मिली है। सरकारी खजाने से करोड़ों रुपये गलत हाथों में जाने से बच रहे हैं। हाल के एक अनुमान के अनुसार 2014 से अब तक डीबीटी से सरकारी खजाने में कुल 1.7 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बचत हुई है।[5]

मज़बूत ब्रांड खादी

ग्रामीण संस्था और समूचे भारत को जोड़ने वाले सूत्र के रूप में खादी की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका को अक्सर नज़रंदाज किया गया है। खादी को महात्मा गांधी ने उपनिवेशवाद के खिलाफ एक आंदोलन के तौर पर शुरू किया था। यह पारंपरिक शिल्पकारों को उनके गांवों में ही आजीविका का स्थिर और महत्वपूर्ण स्रोत मुहैया कराती है। इस तरह यह ग्रामीण और ग्राम अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन गई है। पिछले 6–7 वर्षों में खादी एक जन–आंदोलन बन चुकी है। यह घाटा देने वाले उपक्रम से अत्यंत लाभकारी उद्यम में तब्दील हो गई है। पिछले साल कोविड–19 की वैश्विक महामारी के बावजूद खादी का कुल कारोबार 95000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का रहा।[6] एक मज़बूत ब्रांड बन चुकी खादी ने शहरी और अंतर्राष्ट्रीय फैशन पसंद लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। खादी की सफलता कई मायनों में ग्रामीण भारत में आ रहे उल्लेखनीय बदलाव की कहानी है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में नए अवसरों के द्वार खुल रहे हैं और पारदर्शिता एक प्रतिमान बन गई है। देश के ग्रामीण और शहरी युवाओं के लिए ग्रामोद्योग कॅरियर का आकर्षक विकल्प बनता जा रहा है।

वैसे तो कनेक्टिविटी और गर्वनेंस के बीच कोई सीधा नाता नहीं है लेकिन दोनों ही लोगों को जीवन को आसान बनाने और आर्थिक संपन्नता बढ़ाने में अनिवार्य भूमिका निभाते हैं। बेहतर और उच्च कनेक्टिविटी से जीवन–स्तर में सुधार आता है। इससे अवसर बढ़ते हैं और आर्थिक गतिविधियों में भी बढ़ोत्तरी होती है। बेहतर कनेक्टिविटी से सामाजिक और आर्थिक विकास होता है। ग्रामीण भारत लंबे अरसे तक खराब और नगण्य कनेक्टिविटी से प्रभावित रहा है। इस कारण शहरी क्षेत्रों में आए आर्थिक उछाल तक उसकी पहुंच बुरी तरह बाधित रही है।

नीति निर्माताओं ने कुछ साल पहले इस मसले की ओर ध्यान देना शुरू किया। नतीजतन सड़कों, बंदरगाहों, रेलवे और हवाई अड्डों के ज़रिए परिवहन व्यवस्था को बढ़ाने की मुहिम मिशन की तरह चलायी जा रही है। पीएम–ग्रामीण सड़क योजना (पीएम–जीएसवाई), भारतमाला परियोजना, सागरमाला परियोजना और उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान) के तहत परिवहन के विभिन्न साधनों के ज़रिए देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और गतिशीलता बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है। इन योजनाओं की सफलता काफी उत्साहवर्धक है। पीएम–जीएसवाई के तहत 2.30 लाख किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कें मंजूर की गई हैं।[7] उड़ान योजना के अंतर्गत मार्च, 2021 तक 57 ऐसे हवाई अड्डों को शुरू किया गया जो अब तक बंद थे या जिनका पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा था।[8] कनेक्टिविटी में वृद्धि से आर्थिक अवसर तो बढ़ते ही हैं, यह सामाजिक और सामुदायिक विकास के रास्ते भी खोलती है। इससे शहरों और गांवों के बीच संपर्क बढ़ने के अलावा 'इंडिया' और 'भारत' के दरमियान खाई भी कम होती है।

आश्रयहीनता और घोर गरीबी लंबे समय तक ग्रामीण भारत

1. https://www.csc.gov.in/
2. https://transformingindia.mygov.in/performance-dashboard/#primary
3. https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1588659
4. https://csc.gov.in/vle
5. https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/pds-biggest-saver-for-government-in-dbt-in-2019-20/articleshow/73569155. cms?from=mdr
6. https://www.republicworld.com/business-news/india-business/despite-pandemic-kvic-records-highest-ever-turnover-in-fy-2020-21.html#:~:text=highest%2Dever%20turnover,-,In%20the%20 year%202020%2D21%2C%20KVIC%20registered%20a%20gro[illegible]annual,KVIC%20 said%20in%20a%20statement.

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd.

की दो सबसे विशिष्ट पहचान रही हैं। लेकिन पिछले सात दशकों में हमने इन दोनों को कम करने की दिशा में तेज़ प्रगति कर उल्लेखनीय परिणाम हासिल किए हैं। भारत की संपन्नता की ओर यात्रा जबर्दस्त रही है। वर्ष 1947 में देश की 70 प्रतिशत आबादी दरिद्र थी जो संख्या अब सिर्फ लगभग छह प्रतिशत रह गई है।[9] आश्रयहीनता की समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा व्यापक है। इसे दूर करने के लिए सरकार ने पीएम–आवास (ग्रामीण) योजना शुरू की है। इसके तहत देश की आश्रयहीन ग्रामीण आबादी को 2.95 करोड़ मकान मुहैया कराए जाने हैं ताकि सबके लिए आवास के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। इस योजना के तहत मकानों में स्वच्छ भारत मिशन और पीएम–उज्जवला जैसी योजनाओं के ज़रिए अन्य सुविधाएं मुहैया कराके इन्हें लाभार्थियों के लिए उनके सपनों का घर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। पीएम–उज्जवला योजना के तहत तरल पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) के सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस–मनरेगा) के अंतर्गत ग्रामीणों को साल में 90 से 95 दिनों की अकुशल मज़दूरी उपलब्ध कराई जाती है।[10] पिछले साल पीएम–आवास (ग्रामीण) योजना के तहत 50 लाख मकान मंजूर किए गए जिनमें से 34 लाख से ज़्यादा तैयार हो चुके हैं।[11] अप्रैल, 2021 तक इस योजना के तहत 1.36 करोड़ से ज़्यादा मकान बनाए जा चुके थे जो लक्ष्य का 70 प्रतिशत है।[12] इन मकानों का पंजीकरण परिवार की किसी महिला सदस्य के नाम किए जाने की व्यवस्था योजना की खासियत है। इससे महिला सशक्तीकरण और वित्तीय विवेक को काफी बढ़ावा मिला है।

ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति विवादों से अवसंरचना और विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण और मुद्रीकरण अरसे से प्रभावित रहा है। सरकार ने ग्रामीण इलाकों को कर्ज़ के चंगुल और संपत्ति विवादों से बचाने के लिए पिछले साल इन क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के ज़रिए गांवों का सर्वेक्षण और मैपिंग (स्वामित्व) शुरू की। इसके तहत ग्रामीण संपत्तियों की आधुनिक ड्रोन और उपग्रह प्रौद्योगिकी के माध्यम से बड़े पैमाने पर मैपिंग और सर्वेक्षण किया जा रहा है। इससे गांववासी ऋण और अन्य आर्थिक लाभ हासिल करने के लिए संपत्ति का इस्तेमाल वित्तीय पूंजी के तौर पर कर सकेंगे। देश भर के लगभग 6.62 लाख गांवों के इस योजना के दायरे में आने का अनुमान है। इसके तहत स्वामियों को इलेक्ट्रॉनिक संपत्ति कार्ड मुहैया कराये जाएंगे जिनसे संपत्तियों के सीमांकन के लिए औपचारिक प्रणाली तैयार होगी।[13] इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में ज़मीन के मुद्रीकरण और बेहतर इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही अदालतों को उन संपत्ति विवादों के ढेर से निजात मिलेगी जिनमें से कुछ तो दशकों से चले आ रहे हैं।

ग्रामीण शासन को औपचारिक रूप देने के लिए प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को श्रम मंत्रालय हाल में शुरू किए गए ई–श्रम पोर्टल में दोहराया गया है। देश भर के करोड़ों असंगठित मज़दूरों को इस पोर्टल पर लाया जाएगा। इससे असंगठित मजदूरों का एक राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करने में सहायता मिलेगी। भारत के श्रमबल का ज़्यादातर हिस्सा ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में रेहड़ी–पटरी व्यवसाय, निर्माण मजदूरी और घरेलू नौकरी जैसे अनौपचारिक क्षेत्र में लगा है। इन श्रमिकों को एक ऑनलाइन पोर्टल पर लाने से वे अपने लिए चलाई जा रही केंद्र और राज्य सरकारों की अनेक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पारदर्शी ढंग से उठा पाने में सक्षम होंगे।[14]

ऊपर वर्णित पहलकदमियां, कार्यक्रम और योजनाएं बहुआयामी और व्यापक पहुंच वाली हैं। वे अलग–अलग मगर आपस में जुड़े मसलों का समाधान कर ग्रामीण भारत को आर्थिक रूप से ज़्यादा आकर्षक और सामाजिक तौर पर संवहनीय बनाती हैं। इन सब में भारतीय समाज के सबसे निचले स्तरों पर परिवर्तन लाने के लिए मौजूदा और उदीयमान प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बेहतर और मज़बूत शासन के लिए प्रौद्योगिकी की प्रमुखता इक्कीसवीं सदी के भारत में परिवर्तन की विशिष्टता है। भारत की विकास की पहले से ही तेज़ उड़ान में ये उत्प्रेरक की भूमिका निभा रही हैं। आर्थिक और सामाजिक बदलाव एक–दूसरे से अलग नहीं हैं। खासतौर से ग्रामीण भारत जैसे आपस में जुड़े समुदायों के मामले में ये एक–दूसरे को गहराई से प्रभावित करते हैं।

निष्कर्ष

आज़ादी के समय से अब तक का ग्रामीण भारत का सफर करिश्माई रहा है। लेकिन यह कृषि प्रधान क्षेत्र भारत की 1991 के बाद की आर्थिक प्रगति से अछूता रहा था। अब वह लगातार ज़्यादा उद्यमशीलता का प्रदर्शन करते हुए देश के बाकी हिस्से से जुड़ रहा है। इस तरह वह भारत की वृहद् विकास कथा में एक सक्रिय भूमिका अदा कर रहा है। लेकिन यह कहानी सिर्फ आर्थिक परिवर्तन से शुरू या खत्म नहीं होती। ग्रामीण भारत के विकास को सही मायनों में समावेशी बनाने के लिए सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन एक–दूसरे के पूरक हैं।

संक्षेप में गर्वनेंस में सुधार से ग्रामीण क्षेत्रों में तेज़ी से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन आए हैं। डीबीटी, जैम, पीएम–आवास, सीएससी, पीएम–किसान, स्वामित्व, आयुष्मान भारत, पीएम–केवीवाई, पीएम–जीएसवाई और उड़ान जैसी पहलों और योजनाओं की बदौलत प्रभावी गर्वनेंस के ज़रिए ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक सेवाओं का वितरण वास्तव में ज़्यादा लक्षित और पारदर्शी हुआ है। इससे गांवों के निवासियों का जीवन पहले से सुगम हुआ है और वे उस व्यापक भारतीय विकास यात्रा में ज़्यादा करीबी और सक्रियता से योगदान करने में सक्षम हुए हैं जो किसी को भी पीछे नहीं छोड़ती।

(लेखिका इन्वेस्ट इंडिया की स्ट्रेटेजिक इंवेस्टमेंट रिसर्च यूनिट में शोधकर्ता हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।)

7. https://transformingindia.mygov.in/performance-dashboard/#primary
8. https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1708489
9. https://indianexpress.com/article/opinion/columns/what-india75-needs-education-and-skills-rather-than-freebies-7433668/
10. https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1709851
11. https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1739613
12. https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1709851
13. https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1713594
14. https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1749294

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd.

स्थानीय समाज और संरक्षित क्षेत्र

सह-अस्तित्व की विकास गाथा

–निमिष कपूर

एक मज़बूत मान्यता है कि संरक्षित क्षेत्र स्थानीय समुदायों को सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ पहुंचाते हैं। संरक्षित क्षेत्र खाद्य और जल सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य और कल्याण, आपदा जोखिम में कमी और जलवायु परिवर्तन जैसी मौजूदा चुनौतियों का समाधान करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। हालांकि यह भी महत्वपूर्ण है कि आज संरक्षित क्षेत्र के शासन और प्रबंधन तंत्र में विविधता, गुणवत्ता और जीवन शक्ति को बढ़ाया जाए। इसे अधिक समावेशी, गरीब समर्थक और जन–भागीदारी के साथ जवाबदेह बनाने की आवश्यकता है।

देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 5.03 प्रतिशत को संरक्षित क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। भारत में संरक्षित क्षेत्रों का प्राथमिक उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण होता है। संरक्षित क्षेत्रों के कुछ प्रत्यक्ष लाभ हैं जो स्थानीय समुदायों को प्राप्त होते हैं लेकिन अक्सर स्थानीय समुदायों को संसाधनों के उपयोग से बाहर कर दिया जाता है। जबकि जैव संसाधनों के संरक्षण की लागत मुख्य रूप से इन समुदायों द्वारा वहन की जाती है जिसमें वे जंगली जानवरों से फसलों और पालतू पशुओं की रक्षा करते हैं। स्थानीय जैव विविधता का पारंपरिक ज्ञान उनके पास होता है, और संसाधनों के बेहतर उपयोग की जानकारी भी स्थानीय लोगों को होती है, जो उन्हें अपने पूर्वजों से बौद्धिक संपदा के रूप में मिलती है। जंगली जानवरों द्वारा मनुष्यों पर आक्रमण से रक्षा या चोटिल हो जाने पर उनकी देखभाल यह सब भी वन्य क्षेत्र के समुदायों की ज़िम्मेदारी होती है। संसाधनों के उपयोग से वंचित होने की लागत भी उन्हें ही देनी पड़ती है।

देश के अभयारण्यों में विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधकों और स्थानीय निवासियों के बीच विवाद की स्थिति भी बनी रहती है। हालांकि, आज एक मज़बूत मान्यता है कि संरक्षित क्षेत्र स्थानीय समुदायों को सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ पहुंचाते हैं। संरक्षित क्षेत्र खाद्य और जल सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य और कल्याण, आपदा जोखिम में कमी और जलवायु परिवर्तन जैसी मौजूदा चुनौतियों का समाधान करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि आज संरक्षित क्षेत्र के शासन और प्रबंधन तंत्र में विविधता, गुणवत्ता और जीवन शक्ति को बढ़ाया जाए। इसे अधिक समावेशी, गरीब समर्थक और जन–भागीदारी के साथ जवाबदेह भी बनाने की आवश्यकता है। संरक्षित क्षेत्र के आसपास स्थायी भूमि उपयोग को बढ़ावा देने और उन गतिविधियों को कम करने की भी आवश्यकता है जो पारिस्थितिकी तंत्र और उनकी जैव विविधता को नुकसान पहुंचाती हैं या खतरे में डालती हैं।

भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के साइंस फॉर एक्विटी एम्पॉवरमेंट एंड डेवलपमेंट डिविज़न एवं वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ–इंडिया) के सहयोग से एक नेटवर्क कार्यक्रम आरंभ किया गया है, जिसका शीर्षक है– 'लोग और संरक्षित क्षेत्रः स्थानीय समुदाय की साझेदारी में संरक्षण और सतत आजीविका'*। इस कार्यक्रम की परिकल्पना में भारत के संरक्षित क्षेत्रों के आसपास आजीविका के मुद्दों के संरक्षण के लिए प्रौद्योगिकी सम्मत विविध मापनीय फील्ड मॉडल विकसित करना शामिल है।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय निवासियों और संरक्षित क्षेत्रों में सह–अस्तित्व का विकास करना है। क्षेत्र के विशिष्ट हस्तक्षेपों का प्रोत्साहन भी इस कार्यक्रम का हिस्सा है, जिससे आदिवासी समुदायों की आजीविका वृद्धि के साथ–साथ कम लागत वाली

सेंचल वन्यजीव अभयारण्य के पास रहने वाले परिवारों द्वारा बायोमास कचरे से बायो ग्लोब्यूल्स या ब्रिकेट का निर्माण

*People and Protected Areas: Conservation and Sustainable Livelihood in Partnership with Local Communities

प्रौद्योगिकियों के उपयोग से उनका लाभ सुनिश्चित हो सके। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए भी यह एक आवश्यक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में संरक्षित क्षेत्रों में और उसके आसपास रहने वाले समुदायों में तकनीकी दक्षता के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है। स्थानीय आजीविका बढ़ाने के लिए नवीन तंत्र के विकास में स्थानीय और ज़मीनी–स्तर के गैर–सरकारी संगठनों को भी भागीदार बनाया गया है। इस कार्यक्रम में देश भर के संरक्षित क्षेत्रों में जैविक दबावों को कम करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी के उपयोग से क्षेत्र विशिष्ट ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही है। साथ ही, स्थानीय समाज के लोगों में मानव–वन्यजीव संघर्ष के मुद्दों की समझ विकसित की जा रही है।

कार्यक्रम का पहला चरण : वर्ष 2007 में शुरू हुए पहले चरण में विभिन्न पारिस्थितिकी प्रणालियों से 13 संरक्षित क्षेत्रों के साथ–साथ 12 क्षेत्र–आधारित कार्यान्वयन एजेंसियों को कार्यक्रम से जोड़ा गया था। कुल 50 आदिवासी क्षेत्रों में स्थित लगभग 25000 की आबादी वाले गांवों व बस्तियों को पहले चरण के तहत कवर किया गया। इसमें 3750 से अधिक परिवार शामिल किए गए। इस दौरान कार्यक्रम से 66 से अधिक मौजूदा संस्थानों को जोड़ा गया एवं लगभग 60 नए समूह या संस्थान बनाए गए, जिसमें लगभग 20 आदिवासी समूह विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह शामिल थे।

पहले चरण की प्रमुख गतिविधियों में गैर–इमारती लकड़ी वन उत्पाद (NTFP) मूल्य संवर्धन, हर्बल उत्पाद, नर्सरी उगाना और औषधीय पौधों की खेती शामिल था जिसमें 1107 परिवारों को लाभ पहुंचा। फूलों की खेती, कृषि वानिकी, खाद, सब्ज़ी और मशरूम की खेती, कृषि और वन होम गार्डन में 1677 परिवारों को शामिल किया गया। पशुपालन और चारे की खेती में 237, बाजरा, दलहन, अनाज और तिलहन प्रसंस्करण में 212, सुरक्षित पेयजल के लिए 271, बुनाई और शिल्प के लिए 192, ऊर्जा दक्ष उपकरण जैसे बेहतर चूल्हे, बायोगैस, ढाबा डाइजेस्टर, बायोमास ब्रिकेट्स के लिए 159 और समुद्री शैवाल की खेती और बेहतर मत्स्य पालन पर प्रशिक्षण के लिए 250 परिवारों का चयन किया गया।

'लोग और संरक्षित क्षेत्रः स्थानीय समुदाय की साझेदारी में संरक्षण और सतत आजीविका कार्यक्रम के चरण 1 में शामिल संरक्षित क्षेत्र

1. किब्बर अभयारण्य स्पीति, हिमाचल प्रदेश
2. सेंचल अभयारण्य दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल
3. श्रीविल्लीपुथुर अभयारण्य, विरुदुनगर, तमिलनाडु
4. भीमाशंकर अभयारण्य, पुणे, महाराष्ट्र
5. सीतामाता अभयारण्य, प्रतापगढ़, राजस्थान
6. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ठाणे, महाराष्ट्र
7. सुहेलवा अभयारण्य श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश
8. बैसीपल्ली अभयारण्य, नयागढ़, उड़ीसा
9. नलबाना अभयारण्य, चिलिका, पुरी, उड़ीसा
10. दलमा अभयारण्य, सरायकेला, झारखंड
11. पूर्णा अभयारण्य, डांग, गुजरात
12. श्रीशैलम अभयारण्य (टाइगर रिजर्व), प्रकाशम, आंध्र प्रदेश
13. कान्हा राष्ट्रीय उद्यान (टाइगर रिजर्व), बालाघाट, मध्य प्रदेश।

लैंटाना फर्नीचर – गैर इमारती लकड़ी वन उत्पादन का मूल्यवर्धन

कार्यक्रम का दूसरा चरण : अगस्त 2014 में 16 संरक्षित क्षेत्रों में और उसके आसपास के विविध पारिस्थितिकी तंत्रों में रहने वाले समुदायों के साथ काम आरंभ किया गया। इसमें 16 गैर–सरकारी संगठनों और सामुदायिक संस्थाओं के साथ साझेदारी की गई। इस चरण में विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों से संरक्षित क्षेत्रों के भीतर और आसपास रहने वाले विभिन्न संसाधनों पर आश्रित समुदायों के साथ काम आरंभ किया गया। पहले चरण से सबक लेते हुए मानव वन्यजीव संघर्ष, आजीविका सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, ऊर्जा की आवश्यकता और ऊर्जा के वैकल्पिक समाधान को इसमें शामिल किया गया। संरक्षित क्षेत्रों के कर्मचारियों की क्षमता निर्माण जैसे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय समुदायों के साथ योजना विकसित की गई। यह स्थानीय समुदायों और कर्मचारियों के संबंधों में सुधार के लिए आवश्यक था।

इस चरण में जनजातीय क्षेत्रों में स्थित कुल 75 गांवों व बस्तियों में लगभग 30000 व्यक्तियों की आबादी कवर की जा रही हैं। कार्यक्रम 13 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में लागू किया जा रहा है जिसमें 4000 से अधिक घर कवर किए जा रहे हैं। इस चरण में अब तक 112 मौजूदा संस्थानों को सशक्त किया गया है और 101 नए प्रौद्योगिकी उपयोगकर्ता समूहों का गठन किया गया है। इस चरण के दौरान, स्थानीय परिवारों द्वारा आरंभ और अपनाई गई कुछ कम लागत वाली तकनीकों में शामिल हैं: अल्प बाह्य निवेश आपूर्ति कृषि[1] अंतर–फसलोत्पादन, सघन धान प्रणाली तथा

बायो ब्रिकेट बनाने का सफल मॉडल

सेंचल वन्यजीव अभयारण्य के पास रहने वाले ग्रामीण अपनी ईंधन की लकड़ी की आवश्यकताओं के लिए संरक्षित क्षेत्र पर बहुत अधिक निर्भर थे। सेंचल वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1915 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग ज़िले में की गई थी, जोकि भारत के सबसे पुराने अभयारण्यों में से एक है। यहां के कुछ परिवारों को बायोमास कचरे से बायो ब्रिकेट बनाने के लिए प्रशिक्षित किया गया। इस गतिविधि को बहुत जल्दी अपनाया गया क्योंकि यह अधिक उष्मा देती है, धुआं रहित है और जंगलों से ईंधन की लकड़ी का श्रेष्ठ विकल्प है। स्वयं उपयोग और बिक्री दोनों के लिए कुल हज़ारों की संख्या में जैव ग्लोब्यूल्स या ब्रिकेट्स का उत्पादन किया जा रहा है। यह उद्यम गर्मियों में ईंधन की लकड़ी की घरेलू खपत में 43 प्रतिशत और सर्दियों में 66 प्रतिशत की कमी करने में कामयाब रहा है। बायो–ग्लोब्यूल्स या ब्रिकेट्स के उपयोग से परिलक्षित कुछ अन्य लाभों में खांसी और श्वसन संबंधी समस्याओं में कमी आई है, साथ ही थकान कम हुई है। इसके प्रयोग से बर्तन धोने में सुविधा होती है क्योंकि बर्तन धुएं की कालिख से काले नहीं होते हैं।

श्री पद्धति[2], सघन गेहूं प्रणाली, ज़ीरो टिलेज फार्मिंग, वेजिटेबल स्क्वायर मीटर गार्डनिंग, वाडी तकनीक। वाडी एक वृक्ष–आधारित कृषि प्रणाली है जिसमें क्षेत्र के लिए उपयुक्त फलों के पेड़ या वानिकी प्रजातियों के पेड़ों का संयोजन होता है।

जैविक और विपणन जोखिमों को कम करने के लिए वाडी मॉडल में दो या दो से अधिक वृक्ष फसलों का चयन किया जाता है, कम कीमत वाले पॉलीहाउस, फसल गहनता प्रणाली[3] वर्मी कम्पोस्ट पिट्स, हरी खाद का उपयोग। 1408 परिवारों में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए मटका खाद की शुरुआत की गई। 481 परिवारों द्वारा वैज्ञानिक तरीकों से खेती की गई। उच्च उपज और क्षेत्र उपयुक्त चारा किस्मों और 6117 पशुधन के कृत्रिम गर्भाधान और टीकाकरण के माध्यम से बेहतर पशुपालन प्रथाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है।

कंद की खेती के लिए वैज्ञानिक तरीके, काजू उद्यान प्रबंधन, बड़ी इलायची नर्सरी, न्यापा और पांडनस पाम प्रजाति के पौधों का पुनर्जनन, गैर–इमारती लकड़ी वन उत्पाद की स्थायी कटाई के साथ–साथ कृषि वानिकी 841 परिवारों द्वारा अपनाई गई। 1256 परिवारों में ईंधन सक्षम कुशल खाना पकाने के उपकरण, सौर कुकर, सौर हमाम, स्नान प्रणाली, एलपीजी, बायोगैस, बायोमास ब्रिकेट, सौर एलईडी प्रकाश व्यवस्था, और सौर लाइट से लेकर ऊर्जा कुशल तकनीकें स्थापित की गई। नौ गांवों में सामुदायिक–स्तर पर भी कुछ उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। फाइबर निष्कर्षण मशीन, शेड एयर ड्रायर, सौर ड्रायर, तेल निष्कर्षण इकाइयों, हाइड्रोलिक कोल्ड प्रेस, पल्वराइज़र और हस्तशिल्प, सूअर पालन, मुर्गीपालन, लैंटाना फर्नीचर और समुदाय आधारित पर्यटन की स्थापना के माध्यम से गैर–इमारती लकड़ी वन उत्पाद के मूल्यवर्धन ने 461 परिवारों की आय में वृद्धि की है।

इस परियोजना ने बुरुंश–तुलसी चाय, अजवायन का मसाला, गुलाब फल–पुदीना चाय, खूबानी तेल, आड़ू का तेल, बिच्छू बूटी–नींबू घास चाय, रागी आटा, चौलाई अनाज, कोकम जूस, कोकम मक्खन, कटहल पापड़, कंद चिप्स, शहद जैसे उत्पाद भी विकसित किए हैं। ऊर्जा दक्ष खाना पकाने के उपकरणों से प्रतिदिन 30 प्रतिशत ऊर्जा की कमी आई है। सौर वॉटर हीटर, एलपीजी और बायोगैस इकाइयों जैसे विकास से ईंधन की खपत में उल्लेखनीय कमी आई है।

दूसरे चरण में सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य के आसपास रहने वाले थारू समुदाय के लोगों को प्राकृतिक घास के उपयोग से चटाई की बुनाई और टोकरियां बनाने में प्रशिक्षित किया गया। इस परियोजना में, उन्हें ऊन और करघे का उपयोग करके दरी बनाने के लिए भी प्रशिक्षित किया गया। थारू समुदाय ने एक समूह बनाया है जोकि भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) के साथ समन्वय कर रहा है। दरियों की बिक्री से एक अच्छा धन–कोष बनाया गया है जिसका उपयोग समूह के लिए कच्चा माल और उपकरण खरीदने के लिए किया जाता है। 452 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला सुहेलवा वन्यजीव प्राणी अभयारण्य भारत–नेपाल सीमा के पास जनपद बलरामपुर और श्रावस्ती में स्थित है। 220 वर्ग किलोमीटर के बफर क्षेत्र के साथ सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य 1988 में स्थापित किया गया था।

उड़ीसा के बैसिपल्ली वन्यजीव अभयारण्य के समीप रह

सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य के थारू समुदाय के लोगों द्वारा टोकरियां का निर्माण

1. Low External Input Supply Agriculture – LEISA
2. System of Rice Intensification&SRI
3. Crop Intensification System

Delhi Elite Academy Pvt. Ltd. Education & ...

रहे आदिवासियों और वनवासियों के बीच महुआ एक महत्वपूर्ण गैर–इमारती वन उपज है। इससे जनजातियों के लिए एक वर्ष में छह से आठ महीने के लिए आजीविका के भरण–पोषण का प्रबंध हो जाता है। 1981 में स्थापित बैसिपल्ली वन्यजीव अभयारण्य सतकोसिया गॉर्ज वन्यजीव अभयारण्य के निकट नयागढ़, उड़ीसा में स्थित है।

परंपरागत रूप से बैसिपल्ली के लोग पत्ती, सूखे कचरे और कीड़ों आदि को हटाने के लिए पेड़ के नीचे आग लगाते थे, फिर गिरे हुए फूलों को इकट्ठा करते थी। महुआ के इन फूलों से अच्छी आय नहीं हो पाती थी, क्योंकि ये धूल से भरे होते थी। इस कार्यक्रम के तहत, जाल के उपयोग से महुआ के फूलों का संग्रह शुरू किया गया। इससे न केवल समय की बचत हुई बल्कि आग को जंगल में फैलने से रोका जा सका और महुआ के फूल को धूल से भी मुक्ति मिली। इस अच्छी गुणवत्ता वाले महुआ का उपयोग खाद्य प्रसंस्करण के लिए किया जाता है। स्थानीय निवासियों द्वारा महुआ का मिश्रित जैम निर्मित किया जा रहा है, जिसे बाज़ार तक पहुंचाया जा रहा है। महुआ के प्रसंस्करण के लिए महिला सहकारी समिति "मा–पंथी" का गठन किया गया है। महुआ जैम बनाने की लागत 110 रुपये प्रति किलोग्राम और बिक्री की कीमत 140 रुपये प्रति किलोग्राम है। 69 परिवार इस उद्योग में शामिल किए गए हैं।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत महाराष्ट्र में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के आसपास रहने वाले समुदायों ने उन्नत चूल्हे बनाने का प्रशिक्षण लिया है। दुर्गा माता बचत गत नामक एक वारली महिला स्वयंसहायता समूह के सदस्यों द्वारा ईंधन की खपत को कम करने के लिए बेहतर चूल्हे बनाए जा रहे हैं। वारली या वर्ली पश्चिमी भारत की एक जनजाति (आदिवासी) है, जो महाराष्ट्र–गुजरात सीमा और आसपास के क्षेत्रों में पहाड़ी और तटीय क्षेत्रों में रहती है। इस समूह को उन्नत चूल्हे के लिए पड़ोसी गांवों से भी ऑर्डर

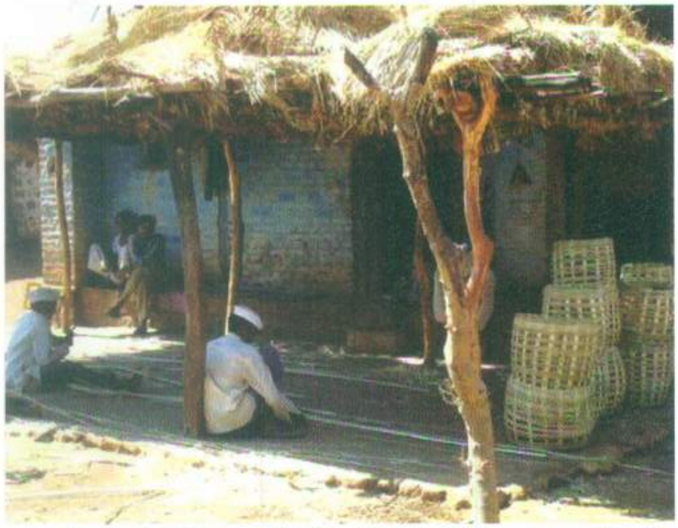

बांस की टोकरियां तैयार करते भीमाशंकर वन्यजीव अभ्यारण्य के समीप गांव के निवासी

'लोग और संरक्षित क्षेत्रः स्थानीय समुदाय की साझेदारी में संरक्षण और सतत आजीविका कार्यक्रम के चरण–2 में शामिल संरक्षित क्षेत्र

1. कवल वन्यजीव अभयारण्य, मंचेरियल ज़िला (पुराना आदिलाबाद ज़िला), तेलंगाना
2. पापिकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, राजामहेंद्रवरम, पापी हिल्स, पूर्वी गोदावरी और पश्चिम गोदावरी ज़िले, आंध्र प्रदेश
3. थेम्बांग बापू समुदाय संरक्षित क्षेत्र, पश्चिम कामेंग, अरुणाचल प्रदेश
4. दांदेली अंशी टाइगर रिज़र्व, उत्तर कन्नड़ ज़िला, कर्नाटक
5. मुदुमलाई टाइगर रिज़र्व, केरल–कर्नाटक सीमा
6. परम्बिकुलम टाइगर रिज़र्व, पालक्कड, केरल
7. वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य, वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, बिहार
8. अस्कोट कस्तूरी मृग, पिथौरागढ़, उत्तराखंड
9. खोकन वन्यजीव अभयारण्य, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
10. नागरू वन्यजीव अभयारण्य, मंडी, हिमाचल प्रदेश
11. रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान, सवाई माधोपुर, राजस्थान
12. मानस राष्ट्रीय उद्यान, बक्सा, गोवर्धन, असम
13. बार्सी रोडोडेंड्रोन अभयारण्य, सिंगालीला रेंज, पश्चिमी सिक्किम
14. हज़ारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, हज़ारीबाग, झारखंड
15. ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिज़र्व, बड़े निकोबार द्वीप, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह
16. जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य, उदयपुर, राजस्थान।

मिलना शुरू हो गए हैं। वर्तमान में 125 रुपये प्रति चूल्हे का लाभ मिलता है। एक महिला प्रतिदिन 6–8 घंटे काम करके एक दिन में लगभग 2–3 चूल्हे बना सकती है। चूल्हे बनाने की तकनीक अप्रोप्रिएट रुरल टेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट, पुणे (एआरटीआई) द्वारा प्रदान की गई है। उन्नत चूल्हे के प्रयोग से ईंधन लकड़ी की खपत लगभग आधी हो गई है।

कंधारा समुदाय को उड़ीसा के मछली पकड़ने वाले समुदाय के रूप में जाना जाता है जो अपने जीविकोपार्जन के लिए चिल्का झील पर निर्भर है। कंधारा उड़ीसा का एक अनुसूचित जाति समुदाय है जिसे कंदारा या कदमा के नाम से भी जाना जाता है। इनका प्रमुख व्यवसाय खेती, मज़दूरी, मत्स्य पालन है। आजीविका में विविधता लाने और चिल्का झील पर निर्भरता कम करने के लिए, कंधारा समुदाय को कॉयर रस्सी, टोकरी और चटाई बनाने में प्रशिक्षित किया गया है। इस गतिविधि से उनकी आमदनी में वृद्धि हुई है। इस गतिविधि में शामिल प्रत्येक लाभार्थी को प्रति माह 800–1100 रुपये की अतिरिक्त आय हो रही है। समुदाय द्वारा कॉयर मैट और कई क्विंटल रस्सी का उत्पादन और बिक्री की जा रही है।

हिमाचल प्रदेश में 14,200 फीट की ऊंचाई पर हिमालय में स्पीति घाटी में किब्बर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। किब्बर अभयारण्य से सटे लंगजा गांव के बीस परिवार सौर संचालित गीज़र सुविधा स्थापित करने में प्रशिक्षित हुए हैं। स्थानीय ग्रामीण सौर गीज़र का प्रबंधन कर रहे हैं और इसकी मरम्मत और रखरखाव के लिए उन्हें दक्ष किया गया है। गर्म पानी के लिए ईंधन की लकड़ी खरीदने में प्रति परिवार औसतन पांच हज़ार रुपये की वार्षिक बचत हुई है। इसके अलावा, प्रति परिवार सालाना लगभग पांच क्विंटल ईंधन लकड़ी की खपत में कमी आई है। देमुल और हिक्किम जैसे अन्य गांवों में भी सौर संचालित गीज़र सुविधा का विस्तार किया जा रहा है।

लोग और संरक्षित क्षेत्र कार्यक्रम में अधिकांश परिवारों की आय में वृद्धि देखी गई है। परिवारों की वार्षिक आय में 25,000 से 58,500 रुपये की वृद्धि हुई है। गैर–लकड़ी वन उत्पाद (नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स) की खेती और लकड़ी कटाई में कमी वाली नई वैज्ञानिक परंपराओं ने जंगल पर दबाव कम किया है। वर्मी कम्पोस्ट के प्रयोग से रासायनिक खादों का प्रयोग कम हुआ है। चारे के विकास ने वनों पर चराई के दबाव को कम कर दिया है। ऊर्जा दक्ष खाना पकाने के उपकरणों का निर्माण, सब्जी की प्रति वर्ग मीटर बागवानी, गैर–लकड़ी वन उत्पाद मूल्य संवर्धन, समुदाय–आधारित पर्यटन आदि जैसे नए कौशलों में स्थानीय निवासियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

संरक्षित क्षेत्रों के आसपास के स्थानीय समुदायों की स्थायी आजीविका के लिए विविध मॉडलों का विकास किया जा रहा है, जिससे आजीविका में विविधता बनाने के साथ–साथ घरेलू आय में वृद्धि हो सके। ऊर्जा दक्ष इकाइयों को अपनाने से कुछ परियोजना स्थलों में संरक्षित क्षेत्रों से ईंधन लकड़ी निष्कर्षण में महत्वपूर्ण कमी आई है। ऊर्जा दक्ष उपकरणों के प्रयोग के परिणामस्वरूप,

थर्मल परबोलिक सोलर कुकर के साथ ग्रामीण महिला

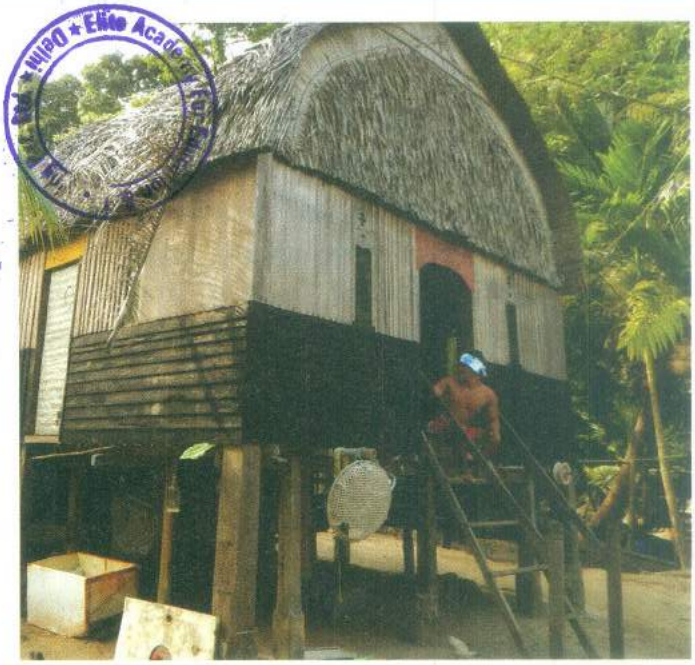

नीपा के पत्तों से निर्मित पारंपरिक घर

एक अनुमान के अनुसार ईंधन लकड़ी की खपत में एक वर्ष में 1356 परिवारों में 26,92,386 किलोग्राम की कमी आई है। बेहतर संरक्षण प्रथाओं के लिए गैर–लकड़ी वन उत्पाद का सतत संसाधन उपयोग और मूल्यवर्धन किया जा रहा है। 767 परिवारों द्वारा गैर–लकड़ी वन उत्पाद की सतत कटाई प्रथाओं को अपनाया गया है। अधिकांश परियोजना स्थलों में स्थानीय संस्थाओं का निर्माण और सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। विभिन्न परियोजना स्थलों में 3 वर्षों में 101 नए प्रौद्योगिकी उपयोगकर्ता समूह बनाए गए हैं। 121 मौजूदा समूहों को सुदृढ़ किया गया है।

इस व्यापक नेटवर्क कार्यक्रम से देश के अभयारण्यों एवं निकटवर्ती स्थानों के निवासियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ सामाजिक–आर्थिक सुधार का एक वृहद् कार्य किया जा रहा है। इससे स्थानीय स्तर पर गांव–शहर–ज़िला स्तर पर एक सशक्त वितरण तंत्र स्थापित करने में न केवल मदद मिल रही है, बल्कि स्थानीय समाज अपने संरक्षित क्षेत्रों के सह–अस्तित्व को वैज्ञानिक तरीके से परिभाषित कर रहा है। तकनीकी दक्षता के विकास के साथ आजीविका के अवसरों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रौद्योगिकी और विपणन संस्थानों के साथ समन्वय से लोगों में नए व्यवसायों के प्रति आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ है। कार्बन फुटप्रिंट में कमी दर्ज की गई है। संरक्षित क्षेत्रों के अधिकतम लाभ सुरक्षित तरीकों से लोगों को प्राप्त हो रहे हैं। सामुदायिक–स्तर पर ज्ञान केंद्र स्थापित किए जा रहे है। इस कार्यक्रम में हरित विकास को बढ़ावा देकर किफायती तकनीकी समाधानों के लिए स्थानीय समुदायों को सशक्त किया जा रहा है।

(लेखक विज्ञान प्रसार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार में वैज्ञानिक 'ई' एवं प्रकाशन विभाग के प्रमुख हैं।)

ई–मेल : nkapoor@vigyanprasar.gov.in

पुलिस दादालोरा खिड़की: एक नई पहल

–अंकित गोयल

नक्सल–प्रभावित गडचिरोली ज़िला आज विकास की ओर बढ़ रहा है और इसे संभव बनाया है वहां की पुलिस ने। जनता का दोस्त बन यहां की पुलिस ज़िले के लोगों की सहायता के लिए तत्पर रहती है। वह कभी दादालोरा खिड़की के माध्यम से ऑनलाइन अर्जी भरने वाला कर्मचारी, कभी दुर्गम आदिवासी इलाके से बीमार आदिवासियों को अस्पताल में पहुंचाने वाला आरोग्य सेवक और कभी दिवाली की मिठाई, कपड़े और शैक्षणिक साहित्य बांटने वाला फरिश्ता बन जाती है। ऐसी अनेक भूमिकाओं का निर्वाह करते हुए और खुद का बचाव करते हुए नक्सलवादियों से उनकी लड़ाई भी जारी रहती है।

गडचिरोली ज़िला महाराष्ट्र के उत्तर–पूर्व में तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा से सटा हुआ है। ज़िले के 76 प्रतिशत भू–भाग में जंगल व्याप्त हैं। ज़िले में नक्सलवादी/माओवादियों ने 1980 के दशक में प्रवेश किया और विगत 30 सालों से यह ज़िला माओवादियों की हिंसक कार्यवाही की आग में जल रहा है। यह ज़िला अति दुर्गम, पहाड़ी खाईयों से व्याप्त तथा अविकसित है और इसे पूर्णतः आदिवासी तथा नक्सल–प्रभावित ज़िले के रूप में जाना जाता है।

आदिवासी और उनका जीवन : यहां की गरीब आदिवासी जनता मुख्यतः घने जंगलों में रहती है। उनके पास अपने पक्के मकान नहीं हैं। वे गांव से दूर जंगलों में रहकर अपना उदर निर्वाह करते हैं। यहां के आदिवासियों की भाषा गोंडी है और यह अपने आप में एक स्वतंत्र भाषा है। नक्सलवादी इन आदिवासियों की सादगी/सत्यता, सरल स्वभाव और उनके अशिक्षित होने का फायदा उठाते हैं और धन का लालच दिखाकर भोले–भाले आदिवासियों को नक्सलवाद में शामिल कर उनसे हिंसक कृत्य करवाते हैं। ज़िले में आदिवासियों की संख्या ज़्यादा होने के कारण उनके विकास के लिए शासन की ओर से अनेक योजनाओं को क्रियान्वित किया गया है। लेकिन नक्सलवादी आदिवासी जनता के विकास में दिक्कतें पैदा करते हैं। नक्सलवादियों की दहशत के कारण ज़िले में शासकीय विभागों का स्वतंत्र रूप से काम करना कठिन है इसीलिए शासकीय योजनाओं का लाभ आदिवासियों तक पहुंच नहीं पा रहा है। गांव में रास्ते उपलब्ध नहीं हैं। शासकीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का ज्ञान तथा दुर्गम भागों से सुविधा का अभाव, इन सभी बातों का ख्याल रखकर गडचिरोली पुलिस विभाग की ओर से पुलिस दादालोरा खिड़की/पुलिस दादाची खिड़की/एक खिड़की योजना शुरू की गई है।

चलो गतिमान खिड़की : ज़िले के सभी पुलिस स्टेशन द्वारा हर गांव में जाकर 'ग्राम भेंट' के दरमियान ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं जैसे गांवों में पानी की उपलब्धता, पक्की सड़कों की उपलब्धता, बिजली की सुविधा, आरोग्य सुविधा आदि से जुड़ी समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। पुलिस विभाग द्वारा अब तक 20995 ग्राम भेंट आयोजनों में प्राप्त समस्याओं के प्रस्ताव तैयार कर संबंधित विभागों को भेजे गए हैं। समस्याओं के बारे में शासन–स्तर पर जानकारी लेकर अभी तक 850 समस्याओं का निपटारा किया गया है। इसी तरह, शासकीय योजनाओं की जानकारी भी दी गई है। सरकारी

योजनाओं का लाभ हर एक व्यक्ति को मिले, इसके लिए पुलिस विभाग की ओर से नागरिकों को आश्वस्त किया जा रहा है।

ग्राम भेंट के आयोजन के दौरान पुलिस विभाग को गांवों में बहुत से दिव्यांग व्यक्तियों की समस्याएं भी समझ में आई। इन्हें शासन की ओर से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी नहीं होती, इस बात को ध्यान में रखकर गडचिरोली पुलिस की ओर से दिव्यांग शिविरों का भी आयोजन किया गया। और 225 दिव्यांग व्यक्तियों को यूडी आईडी कार्ड यानी दिव्यांग प्रमाणपत्र वितरित किए गए। इसी तरह, 235 दिव्यांग व्यक्तियों को संजय गांधी निराधार योजना, श्रावण बाल राज्य निवृत्ति वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्ति वेतन योजनाओं के फॉर्म भर कर दिए गए जिसकी वजह से इन दिव्यांग व्यक्तियों को प्रति माह ₹ 1000 का लाभ प्राप्त होगा और इस तरह अटल दिव्यांग स्वावलंबन मिशन योजना के लिए भी फॉर्म भर कर दिए गए। साथ ही, स्वचालित 3 चाकी साइकिल, कृत्रिम अवयव, बैसाखी, चश्मे, लाठी, श्रवणयंत्र, ई–साहित्य की मांग संबंधित विभाग से की गई है और पुलिस विभाग की ओर से उनके लिए नियमित पत्र व्यवहार जारी है।

कृषि समृद्धि : कृषि गडचिरोली ज़िले का मुख्य व्यवसाय है। यहां का किसान पारंपरिक रूप से धान की खेती करता है। आधुनिक बीज, खाद और यांत्रिक उपकरणों का उपयोग नहीं करने के कारण यहां धान का वार्षिक उत्पादन बहुत ही कम है। यहां का किसान अशिक्षित होने के कारण कृषि योजनाओं की उसे जानकारी नहीं है। पुलिस दादालोरा खिड़की के माध्यम से MAHADBT पोर्टल पर किसानों का नाम पंजीकृत कर 5000 किसानों को कृषि विभाग के माध्यम से 50 प्रतिशत सब्सिडी पर नई प्रजाति के बीज मूंग, तुअर आदि के बीज तथा रासायनिक खाद उपलब्ध करवाए गए हैं।

कृषि सहल : पहली बार नक्सलग्रस्त और संवेदनशील क्षेत्र की 42 महिला किसानों को गडचिरोली पुलिस प्रशासन की ओर से 'कृषि सहल' का लाभ उपलब्ध करवाया गया है। इस ज़िले के किसानों को आधुनिक यंत्रों की जानकारी नहीं है और वे पारंपरिक खेती पर ही भरोसा करते हैं। इस कारण उनका उत्पादन बहुत कम होता है। इसलिए गडचिरोली ज़िले की महिला किसानों को खेती के नए तौर–तरीकों सहित यंत्रों की जानकारी देने के लिए साकोली –नागपुर– अकोला– वर्धा और चंद्रपुर जैसे प्रगतिशील शहरों में कृषि सहल का आयोजन किया गया। कृषि संबद्ध व्यवसायों सहित कई अन्य उपयोगी जानकारी दी गई।

शेवगा (मुंगना फली) लगाने की विधिः चावल की खेती के साथ–साथ यहां के किसान मुंगना फली भी बो सकते हैं। गडचिरोली पुलिस विभाग ने ओडिशी जाति के 15000 शेवगा फली के रोंप तैयार करके ज़िले के 500 किसानों को वितरित किए और उनको फली को लगाने की विधि और लागत के बारे में जानकारी दी गई। इसके माध्यम से किसानों को ज़्यादा आर्थिक फायदा मिल सकेगा। शेवगा की फली को गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए उत्तम आहार माना जाता है।

शेवगा के पेड़ पर साल में दो बार फल आता है जिससे किसानों को हर साल 50 से 60 हज़ार रुपये का आर्थिक लाभ हो सकता है। शेवगा फली को सही उन्नत बाज़ार तक पहुंचाया जा सकता है और उचित मूल्य मिलने के कारण ज़िले में एक से दो करोड़ रुपये का वार्षिक फायदा हो सकता है। इसी तरह, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के आहार में पोषक तत्वों का समावेश करने के उद्देश्य से 1000 फल वृक्षों जैसे जामुन, आंवला, चीकू, अनार, सीताफल आदि के बीज वितरित किए गए। बिरसा मुंडा सिंचाई योजना और डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर योजना के अंतर्गत गडचिरोली ज़िले में किसानों के लिए 15 कुओं का प्रस्ताव संबद्ध विभाग को भेजा गया है जिसमें से 7 कुओं को मंजूरी मिल चुकी है और किसानों को इससे 2.70 लाख रुपये का प्रत्यक्ष लाभ मिला है।

प्रोजेक्ट प्रगति : उच्च शिक्षा, सरकारी नौकरी और किसी भी तरह के सरकारी कार्यों के लिए जाति प्रमाणपत्र आवश्यक है लेकिन यहां के युवक–युवती अज्ञानता और गरीबी की वजह से तहसील कार्यालय/ज़िला कार्यालय में जाति प्रमाणपत्र नहीं बना पाते। इसी वजह से पुलिस दादालोरा खिड़की के माध्यम से ज़रूरी कागजात लेकर जाति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए मदद की जाती है। कुल 6187 युवक–युवतियों के जाति प्रमाणपत्र हेतु प्रस्ताव तैयार करके राजस्व विभाग को भेजे गए हैं। इनमें से 3725 लोगों को जाति प्रमाणपत्र प्राप्त हो चुके हैं।

शासकीय योजना के माध्यम से नागरिकों का विकास

गडचिरोली ज़िले के आदिवासी युवक–युवती, विद्यार्थी, महिला किसान, वृद्ध, विधवा, दिव्यांग, निराधार और गरीब नागरिकों के लिए शासन की ओर से विभिन्न योजनाएं तैयार की गई हैं। ऐसी सभी योजनाओं की जानकारी ग्राम भेंट के माध्यम से नागरिकों को दी जाती है उन योजनाओं का फायदा लेने के लिए आवश्यक कागज़ात जमा करके संबंधित प्रस्ताव संबद्ध विभाग को भेजे जाते हैं और उसका लाभ नागरिकों को दिया जाता है।

संजय गांधी निराधार अनुदान योजना : यह योजना 65 वर्ष से कम आयु के बेसहारा व्यक्तियों के लिए है। अनाथ बच्चों सहित सभी तरह की विकलांगता, टीबी, कैंसर, एड्स, कुष्ठ रोग से पीड़ित, विधवा और तलाकशुदा महिलाएं या जो महिलाएं तलाक लेने की प्रक्रिया में हैं या वेश्यावृत्ति से मुक्त करायी गई हैं, इस योजना का लाभ ले सकते हैं। राज्य सरकार की इस योजना में लाभार्थी को 1000 से 1200 रुपये प्रति महीना की सहायता राशि दी जाती है जो सीधे उनके बैंक खाते में जमा कर दी जाती है।

श्रावण बाल सेवा राज्य निवृत्ति वेतन योजना : यह योजना भी राज्य सरकार की है। इसके तहत लाभार्थी को प्रति महीना 1000 से 1200 रुपये की सहायता दी जाती है जो सीधे उनके बैंक खाते में जमा कर दी जाती है। यह योजना 65 साल और उससे अधिक आयु के बेसहारा लोगों के लिए है जिनकी पारिवारिक आय ₹ 21000 से कम है और उनका नाम बीपीएल सूची में शामिल नहीं है। इस योजना के तहत 588 नागरिकों के प्रस्ताव

Delhi * Elite Academy For Education Pvt. Ltd.

संबंधित विभाग को भेजे गए जिनमें से 87 लाभार्थियों को आर्थिक लाभ मिलना शुरू हो गया है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना : यह केंद्र सरकार की योजना है जिसमें लाभार्थी को प्रतिमाह 1000 से 1200 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है जो सीधे उनके बैंक खाते में जमा कर दिए जाते हैं। यह योजना 18 से 65 आयु वर्ग के ऐसे व्यक्तियों के लिए है जिनकी अक्षमता 80 प्रतिशत है। ज़िला पुलिस की तरफ से 139 नागरिकों के प्रस्ताव भेजे गए जिनमें से 55 लाभार्थियों को इसका लाभ मिल रहा है।

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात बीमा योजना : इस योजना के तहत महाराष्ट्र राज्य के ऐसे किसान पात्र हैं जिनकी उम्र 10 से 70 वर्ष के बीच है और जो 7/12 भूमि के स्वामी हैं। गंभीर रूप से घायल/मृत्यु की स्थिति में ₹ दो लाख और आंशिक रूप से अक्षम होने पर ₹ एक लाख की मदद दी जाती है। राज्य में खेती करते हुए होने वाले अपघात जैसे बिजली गिरना, सैलाब आना, सर्पदंश, इलेक्ट्रिक शॉक, आदि की वजह से होने वाले अपघात की स्थिति में किसानों को यह मदद उपलब्ध है। अपघात से मृत्यु होने या अपंग होने पर परिवार को आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत किसानों के परिवार को ₹ 2 लाख मिलते हैं लेकिन इस योजना की जानकारी गडचिरोली ज़िले के सामान्य किसान को नहीं होने के कारण वह इस योजना के तहत मदद से वंचित थे। पुलिस दादालोरा खिड़की के माध्यम से 121 किसानों का प्रस्ताव तैयार करके संबंधित विभाग को भेजा गया। उनमें से 11 किसानों के परिवारों को 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्राप्त हो चुकी है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना : यह योजना 18–70 आयु वर्ग के लोगों के लिए है। भारतीय डाक विभाग द्वारा संचालित केंद्र सरकार की इस योजना के तहत एक्सीडेंट में मौत होने पर/पूरी तरह से अक्षम होने पर दो लाख रुपये और आंशिक रूप से अक्षम होने पर एक लाख रुपये का बीमा संरक्षण दिया जाता है जोकि सिर्फ ₹ 12 प्रति माह के योगदान पर उपलब्ध है। इस योजना के तहत अभी तक गडचिरोली ज़िला के 145 नागरिकों के खाते खुलवाए गए हैं।

आयुष्मान भारत –प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) : गडचिरोली ज़िले के अधिकांश नागरिक बहुत ही गरीब हैं जिस कारण उन्हें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। बीमार होने अथवा कोई हादसा होने के बाद पैसों के अभाव के कारण वे अच्छे अस्पताल में इलाज के लिए नहीं जा सकते। आयुष्मान भारत योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के गरीब परिवारों को हर साल 5 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज कराने की सुविधा दी गई है। गडचिरोली पुलिस विभाग की ओर से एक खिड़की योजना के माध्यम से आज तक 1850 नागरिकों का गोल्डन कार्ड (आयुष्मान भारत कार्ड) बनवाया गया है।

मनरेगा जॉब कार्ड : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार योजना के अंतर्गत 18 से 60 आयु वर्ग के नागरिकों को 100 दिन के लिए ₹ 258 प्रतिदिन के हिसाब से रोज़गार उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए मज़दूरों का जॉब कार्ड होना अनिवार्य है। गडचिरोली पुलिस विभाग की ओर से खिड़की योजना के माध्यम से आज तक 2000 मज़दूर नागरिकों के जॉब कार्ड बनवाए गए हैं।

विविध दस्तावेज और प्रमाणपत्र : किसी भी योजना का लाभ लेना हो तो विविध कागजात और प्रमाणपत्रों की आवश्यकता होती है। गडचिरोली पुलिस की तरफ से आज तक 910 आधार कार्ड, 969 पेन कार्ड, 125 राशन कार्ड और सौ प्रमाणपत्र आदि ज़रूरी दस्तावेज पुलिस दादालोरा खिड़की के माध्यम से नागरिकों को बना कर दिए गए।

बैंक में खाता खुलवाने में मदद : देश के युवाओं के साथ सभी ने कैशलेस व्यवहार को स्वीकार किया है। देश के माननीय प्रधानमंत्री ने भी देश की जनता से कैशलेस व्यवहार को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। आज किसी भी योजना का लाभ नकद ना

देकर उनके बैंक खाते में सीधे जमा किया जाता है इसलिए आज सभी के पास बैंक खाता होना ज़रूरी है। खाता न होने के कारण नागरिकों को योजना का लाभ मिलने में परेशानी होती है। बैंक खाता खोलने के लिए क्या करना चाहिए, फॉर्म कैसे भरना चाहिए, इसकी जानकारी ज़िले के लोगों को नहीं है। ज़िले में पुलिस दादालोरा खिड़की के माध्यम से विविध बैंकों में 641 नागरिकों के बैंक खाते खुलवाए गए।

रोजगार : गडचिरोली ज़िले में कोई उद्योग नहीं होने के कारण स्थानीय युवाओं को रोज़गार प्राप्त नहीं हो पाता। पढ़ाई का अभाव और उस वजह से होने वाला रोज़गार का अभाव, इन बातों को ध्यान में रखकर गडचिरोली पुलिस विभाग की ओर से ROZGAR MELAWA APP तैयार किया गया है। पुलिस दादालोरा खिड़की के माध्यम से इसकी जानकारी युवक–युवतियों को दी गई। इसमें गडचिरोली पुलिस द्वारा 5000 स्थानीय युवक–युवतियों का रजिस्ट्रेशन कराया गया। गडचिरोली पुलिस द्वारा विभिन्न राज्यों की अलग–अलग संस्थाओं से संपर्क किया जाता है और उन्हें रोज़गार उपलब्ध कराने की कोशिश की जाती है। आज तक ज़िले के 1500 युवक–युवतियों को रोज़गार दिलाने में गडचिरोली पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है।

व्यावसायिक प्रशिक्षण : रोज़गार के साथ विभिन्न तरह के व्यावसायिक प्रशिक्षण भी यहां के युवक–युवतियों को दिए जाते हैं। गडचिरोली पुलिस की ओर से ब्यूटी पार्लर, मत्स्यपालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन आदि जैसे कई व्यवसाओं में युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया। इससे अपना स्वयं का व्यवसाय करने के इच्छुक युवक–युवतियों को मदद मिल रही है। गडचिरोली पुलिस के माध्यम से उन्हें कम ब्याज में ऋण भी उपलब्ध कराया गया है।

नक्सलवाद से अत्यधिक प्रभावित भामरागढ़ तहसील से 'पुलिस दादालोरा खिड़की' योजना की शुरुआत की गई। वहां इस योजना को लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिलने के बाद ज़िले के हर एक पुलिस थाने में 'पुलिस दादालोरा खिड़की' का निर्माण किया गया है। इस खिड़की के माध्यम से गडचिरोली ज़िले के आदिवासी लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है। आदिवासी पुलिस दादालोरा खिड़की के पुलिस दादा से संपर्क करके उन्हें अपने बारे में जानकारी देते हैं। उसके आधार पर कौन व्यक्ति किस योजना के लिए पात्र है, इसकी जानकारी पुलिस दादा उपलब्ध कराते हैं। उसके बाद उनके पास उपलब्ध कागज़ात जमा कराने के बाद उनका फॉर्म भर दिया जाता है या ऑनलाइन अर्ज़ी भर दी जाती है। इसमें सिर्फ लोगों के फॉर्म भरने की औपचारिकता मात्र ना करते हुए उन्हें सीधे योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में मदद की जाती है।

पुलिस को यहां जनता का 'दोस्त' माना जाता है। ज़िले के लोगों के लिए उम्मीद की नई किरण बन नई योजनाओं को कार्यान्वित करने वाली गडचिरोली पुलिस को दादालोरा खिड़की के माध्यम से अभी तक कुल इक्कीस हज़ार 349 नागरिकों तक पहुंच कर 20673 नागरिकों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ दिलवाने में सफलता प्राप्त हुई है।

(लेखक भारतीय पुलिस सेवा से हैं और वर्तमान में पुलिस अधीक्षक, ज़िला गडचिरोली, महाराष्ट्र हैं।)

ई–मेल : sp.gadchiroli@gmail.com

1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस

'एल्डर लाइन' : बुजुर्गों की आशा

'एल्डर लाइन' वरिष्ठ नागरिकों के लिए देश में पहली अखिल भारतीय हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर–14567

भारत में 2050 तक वरिष्ठ नागरिक लगभग 20 प्रतिशत हो जाएंगे यानी उनकी आबादी 30 करोड़ से ज़्यादा होने की संभावना है। यह महत्वपूर्ण है; क्योंकि कई देशों की आबादी इस संख्या से कम है। इस आयु वर्ग के लोगों को विभिन्न मानसिक, भावनात्मक, वित्तीय, कानूनी और शारीरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और महामारी ने इन परेशानियों को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। यहां पर यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि यह आयु वर्ग देश के समग्र आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए ज्ञान और अप्रयुक्त संसाधन की एक टोकरी है।

देश में वरिष्ठ नागरिकों को समर्थन प्रदान करने की बढ़ती ज़रूरत पर ध्यान देते हुए, भारत सरकार ने देश में पहली अखिल भारतीय टोल–फ्री हेल्पलाइन–14567–जिसे 'एल्डर लाइन' कहा जाता है, के माध्यम से उनके सामने उत्पन्न होने वाली चुनौतियों और समस्याओं का निपटारा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जो पेंशन मुद्दों, कानूनी मुद्दों पर मुफ्त जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान करता है, भावनात्मक रूप से समर्थन प्रदान करता है और यहां तक कि दुर्व्यवहार के मामलों में हस्तक्षेप करता है और बेघर बुजुर्गों को राहत प्रदान करता है।

'एल्डर लाइन' का उद्देश्य सभी वरिष्ठ नागरिकों और उनके शुभचिंतकों को पूरे देश में एक मंच के साथ जोड़ना है, जिससे वे बिना किसी संघर्ष के अपनी चिंताओं को साझा कर सकें, उन समस्याओं के बारे में जानकारी और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें, जिनका सामना वे दिन–प्रतिदिन करते हैं। 'एल्डर लाइन' टाटा ट्रस्ट द्वारा की गई पहल की परिणिति है।

अब तक, 17 राज्यों ने अपने–अपने भौगोलिक क्षेत्रों के लिए एल्डर लाइन खोल दी है और अन्य राज्य भी कतार में हैं। पिछले 4 महीनों में 2 लाख से ज़्यादा कॉल प्राप्त हुए हैं और 30,000 से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों को सेवा प्रदान की जा चुकी है। इनमें से लगभग 40 प्रतिशत कॉल वैक्सीन के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त करने और इससे संबंधित प्रश्नों से संबंधित थे और लगभग 23 प्रतिशत कॉल पेंशन से संबंधित थे।

Elite Academy For Education Pvt. Ltd.

अनेकता में एकता के सूत्रधार सरदार वल्लभभाई पटेल

–राकेश शर्मा निशीथ

"भारत एक विचार, स्वर्ग को भू पर लाने वाला। भारत एक भाव, जिसको पाकर मनुष्य जगता है।"
–राष्ट्रकवि रामधारी सिंह 'दिनकर'

हमारे वेद–वाक्यों में कहा गया है– जनं बिभ्रति बहुधा विवाचसं नानाधर्माणं पृथ्वीवी यथौकसम्। सहस्त्रं धारा द्रविणस्य में दुहां ध्रुवेव धेनुरन–पस्फुरन्ति। अर्थात्, हमारी ये मातृभूमि अलग–अलग भाषाओं को बोलने वाले, अलग–अलग आचार, विचार, व्यवहार वाले लोगों को एक घर के समान धारण करती है। इसलिए, हमारी ये विविधता ही हमारा अस्तित्व है।

यदि हम अपने साहित्य और तीर्थाटन की परम्परा को देखें तो प्राचीनकाल से भारत में अनेकता में एकता विद्यमान है। भारत में जो भी जाति, संस्कृति आई, वह यहां के माहौल में रच–बस कर देश की संस्कृति को समृद्ध करने लगी। आदि शंकराचार्य ने उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वर, पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारका – चार धाम स्थापित कर देश की एकता को सुदृढ़ करने का कार्य किया। हमारी सबसे बड़ी ताकत विविधता में एकता है। विभिन्न बोलियां, अनेक भाषाएं, अलग–अलग तरह के परिधान, खानपान, रीति–रिवाज़ और मान्यताएं विश्व के अन्य देशों में मिलना मुश्किल है।

स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रीय एकता

गांधी जी ने हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को एक दृढ़ नैतिक आधार दिया और नेहरू जी ने उसे एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य दिया, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम को व्यावहारिक और संगठनात्मक क्षमता प्रदान करने वाले सरदार पटेल ही थे। वे चाहते थे कि हिन्दू और मुसलमान ब्रिटेन के खिलाफ समान मंच से खड़े हो और बाद में मिलकर नए भारत के निर्माण के लिए संघर्ष करें। उनके लिए धार्मिक सहनशीलता और भाईचारा मात्र निश्चेष्ट गुण नहीं थे। उनके विचार में ये नैतिक अवधारणाएं थीं और इनके लिए लोगों के सक्रिय योगदान की आवश्यकता थी।

संविधान और राष्ट्रीय एकता

किसी भी देश का संविधान उस देश की संस्कृति और

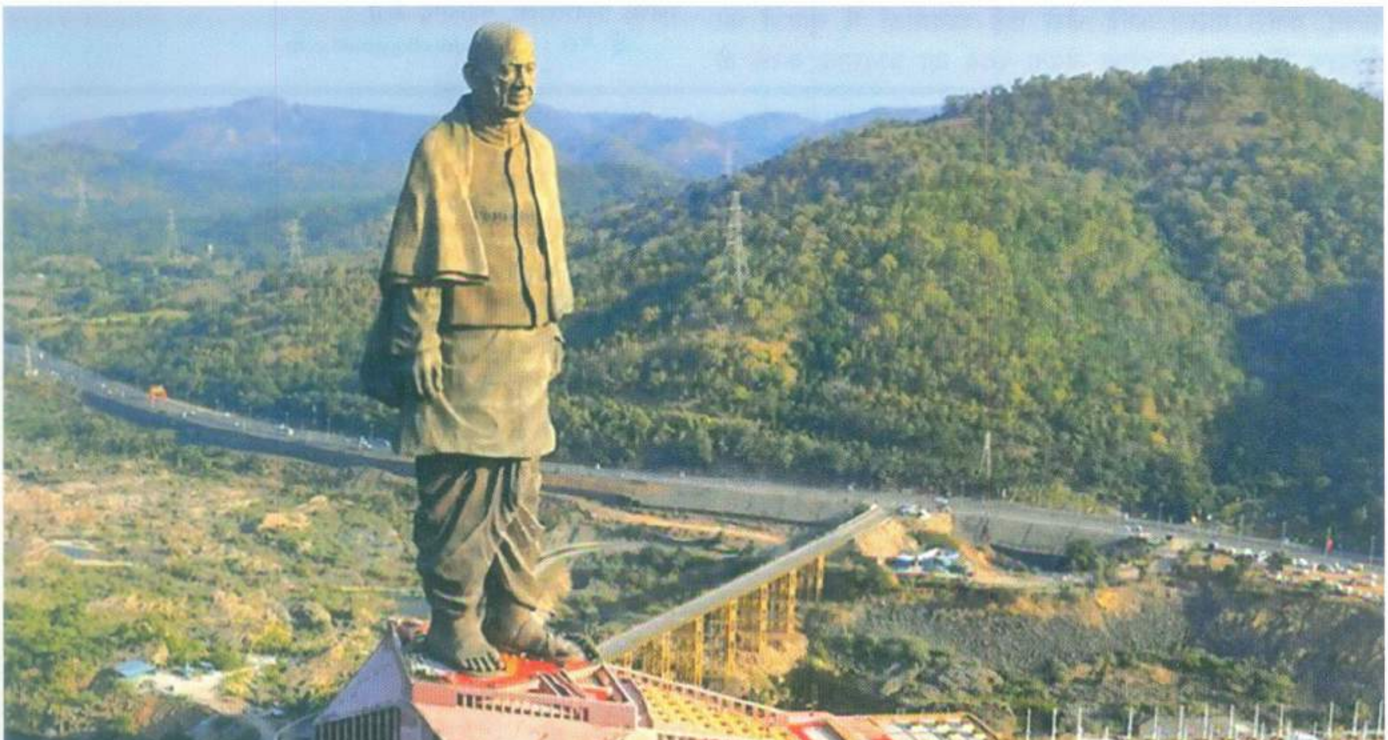

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती (31 अक्टूबर 2019) पर विश्व की सबसे ऊंची उनकी प्रतिमा 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी'(182 मीटर) गुजरात के नर्मदा ज़िले के केवड़िया में राष्ट्र को समर्पित की।

शासन व्यवस्था का प्रतिबिंब होता है। आज़ादी के बाद संविधान निर्माताओं ने भारतीय संस्कृति में व्याप्त अनेकता में एकता को स्वीकार करते हुए, संविधान के मूल सिद्धांत में सभी नागरिकों को समान समझते हुए, हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना (आत्मा) में इसे व्यक्त किया है। इसमें कहा गया है कि, "हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने और उन सब में व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए संविधान को अंगीकृत करते हैं।"

हिंदी और राष्ट्रीय एकता

देश की संस्कृति को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए एक राष्ट्रभाषा का होना अत्यंत आवश्यक है। भारत की भौगोलिक विविधता अनेक भाषा–बोलियों के जन्म का मूल कारक रही है। लेकिन इस पूरे प्रायद्वीप की भाषाओं में भिन्नता के बावजूद सबका मूल चिंतन एक ही है। यहां कई भाषा परिवार हैं किंतु सभी भाषाएं समरूपी हैं और सभी भाषाओं में सम–संरचनात्मकता है। बांग्ला, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बोडो, डोगरी, हिंदी आदि तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाएं राज्यों को अलग–अलग पहचान देती हैं लेकिन इन सभी विविधताओं के होते हुए भी अनेकता में एकता है।

भारत एक विशाल देश है। यहां बहुभाषी और बहुसंस्कृति के लोग निवास करते हैं। भाषा के मामले में देश को एकता के सूत्र में बांधे रखने के लिए हिंदी भाषा ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज़ादी की लड़ाई में समाज सुधारकों और राजनेताओं ने हिंदी के महत्व को समझा तथा इसे अपनाया था। स्वामी दयानंद सरस्वती, सरदार पटेल, लोकमान्य तिलक आदि ने हिंदीत्तर भाषी होते हुए भी हिंदी के प्रचार–प्रसार पर बल दिया। स्वामी दयानन्द ने धार्मिक दृष्टि से, स्वामी विवेकानन्द ने आध्यात्मिक दृष्टि से और बाल गंगाधर तिलक ने राजनीतिक दृष्टि से भारतीय गौरव की स्थापना की थी।

धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता

शताब्दियों पहले बुद्ध का करुणा उपदेश, जैन धर्म की अहिंसा और अशोक महान के सारगर्भित उपदेशों में हम अपने धर्म का सच्चाई से पालन करते आ रहे थे और दूसरे धर्मों का आदर करते रहे। यूरोप में अपनी जड़ें जमाने से पूर्व ही ईसाई धर्म का भारत में पदार्पण हो गया था। सभी धर्मों के प्रति समान श्रद्धा और अपने–अपने धर्मों का पालन करने के दूसरों के अधिकार को बेहिचक स्वीकारना ही धर्मनिरपेक्षता का आधार है, जो हमारी राष्ट्रीय नीति के अत्यंत महत्वपूर्ण मार्गदर्शी सिद्धातों में से एक है। यही सह–अस्तित्व के विचार का केंद्र बिंदु भी है।

वल्लभभाई पटेल और राष्ट्रीय एकता

सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर, 1875 को करमसद, गुजरात में हुआ था। सरदार वल्लभभाई वकालत छोड़कर महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए थे। उन्होंने गुजरात के बारदोली एवं खेड़ा में हुए किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अंग्रेज़ भारत को आज़ाद तो कर गए थे, साथ ही उन्होंने देश का बंटवारा भी कर दिया था। लेकिन वे हिंदुस्तान को अखंड बनाने वाली छोटी–बड़ी रियासतों को लेकर चुप्पी साध गए। उस समय रियासतों को एक करना सबसे बड़ी और गंभीर चुनौती थी।

इन 565 रजवाड़ों में से अधिकांश ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का हिस्सा (प्रिंसली स्टेट) थे। इनमें से भारत के हिस्से में आए रजवाड़ों से एक–एक करके विलय–पत्र पर सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा वीपी मेनन ने हस्ताक्षर करवा लिए। 26 अक्टूबर को कश्मीर पर पाकिस्तान का आक्रमण हो जाने पर वहां के महाराजा हरी सिंह ने उसे भारतीय संघ में मिला दिया। जूनागढ़ में विद्रोह हो गया, जिसके कारण प्रजा के अनुरोध पर राष्ट्रहित में उसे भारत में मिला लिया गया। वहां का नवाब पाकिस्तान भाग गया। 1948 में हैदराबाद भी भारत में मिल गया। इस प्रकार रियासतों का अंत हुआ और पूरे देश में लोकतंत्रात्मक शासन लागू हुआ।

सरदार पटेल द्वारा यह 565 रियासतों का एकीकरण विश्व इतिहास का एक आश्चर्य था क्योंकि यह भारत की रक्तहीन क्रांति थी। महात्मा गांधी ने सरदार पटेल को इन रियासतों के बारे में लिखा था, "रियासतों की समस्या इतनी जटिल थी, जिसे केवल तुम ही हल कर सकते थे।" एक बार गांधीजी ने उनके बारे में कहा था, "सेनापति की चतुरता अपने सहायकों की पसंदगी पर सर्वथा निर्भर रहती है। मेरे साथ आने के लिए कई तैयार थे, किन्तु मन में अस्पष्ट–सी एक शंका थी कि उपसेनापति किसे बनाया जाए। वल्लभभाई को प्रथम बार देखने पर मैं मन ही मन सोचने लगा कि यह अक्खड़ पुरुष भला क्या काम आएगा! किंतु जैसे–जैसे वे मेरे निकट संपर्क में आते गए, मेरा यह विचार दृढ़ता में बदलता गया कि मुझे तो वल्लभभाई जैसे आदमी की ही बड़ी आवश्यकता है। यदि मुझे वल्लभभाई न मिलते, तो जो काम हुआ है, वह न होता। मैं यह अनुभव कदापि नहीं भूलूंगा।"

लंदन टाइम्स ने कहा था कि वल्लभभाई पटेल ने रियासतों के विलय करने संबंधी उपलब्धि के कारण इतिहास में अपना वह स्थान अर्जित कर लिया है, जो विस्मार्क के समकक्ष अथवा उससे भी उच्च हो सकता है। बिस्मार्क की कार्यपद्धति, उसकी सफलता के साधन और सरदार पटेल की कार्यपद्धति और सफलता के साधन भिन्न थे। ये दोनों ही पथिक, एक हिंसा के मार्ग पर, दूसरा अहिंसा के मार्ग पर चलकर, एक ही लक्ष्य पर पहुंचे। बिस्मार्क ने जर्मनी में फैली 40 के लगभग छोटी–बड़ी रियासतों को मिलाकर एक देश के अंतर्गत, एक शासन के अंतर्गत ला दिया था। पटेल ने ओडिशा की 28 और मध्यप्रदेश की 18 रियासतों को एक दिन में ही भारत में मिलाकर एक चमत्कार कर दिखाया था।

साम्प्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए लोगों के सक्रिय

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd.

राष्ट्रीय एकता दिवस

राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई की जयंती को मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा साल 2014 में इस दिन की शुरुआत की गई। सरदार वल्लभ भाई ने 565 रियासतों का विलय कर भारत को एक राष्ट्र बनाया था। यही कारण है कि उनकी जयंती के मौके पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। भारत जैसा देश, जो विविधताओं से भरा है, जहां विभिन्न धर्म, जाति, भाषा, सभ्यता और संस्कृतियों के लोग रहते हैं, एकता को बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए राष्ट्र की एकता को स्थापित करने के लिए भारत सरकार ने 2014 में 'राष्ट्रीय एकता दिवस' का प्रस्ताव रखा।

देश की आज़ादी के बाद सरदार पटेल पहले उप–प्रधानमंत्री और गृहमंत्री बने थे। हालांकि, सरदार पटेल एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन भारत की स्वतंत्रता के दौरान और उसके बाद एक प्रशासक के रूप में उनकी भूमिका काफी अधिक महत्वपूर्ण रही है। जब अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ा, तो लगभग 565 स्वतंत्र रियासतें मुक्त हुई थीं। सरदार पटेल, जिन्होंने उस समय गृहमंत्री का भी कार्यभार संभाला था, उन्होंने इन राज्यों को भारत के संघ में शामिल होने के लिए राज़ी किया था। उन्होंने हर संभव कोशिश की– आवश्यकता पड़ने पर सैन्य कार्रवाई के साथ कुछ को धमकी भी दी और कईयों को मनाया भी। वह एकरूप भारत के बारे में अपनी दृष्टि और स्वप्न को पूरा करने के लिए, किसी भी तरह का कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे। यह एक अखंड भारत पर सरदार पटेल का एक ऐसा दृढ़ संकल्प था, जिसने उन्हें भारत का "लौह पुरुष" बना दिया।

सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर, 1875 को गुजरात के नडियाद में हुआ था। उनका निधन 15 दिसंबर, 1950 को मुंबई (महाराष्ट्र) में हुआ। साल 1991 में सरदार पटेल को मरणोपरांत 'भारत रत्न' से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय एकता दिवस भारत के लौह पुरुष और उनके संकल्प को श्रद्धांजलि है।

सहयोग को सरदार पटेल ने जो महत्व दिया वह उनकी उस अपील में परिलक्षित होता है, जो उन्होंने लाला लाजपतराय, हकीम अजमल खां, स्वामी श्रद्धानन्द और अन्य नेताओं के साथ मिलकर जारी की थी। इसमें यह स्पष्ट कहा गया था, "यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे सम्प्रदाय के सदस्य पर अत्याचार करता है या उसके खिलाफ हिंसा करता है, तो धार्मिक दृष्टि से वह बहुत बड़ा पाप करता है, और ऐसे अपराधियों के धर्म को मानने वाले दूसरे लोगों का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे इन शरारती लोगों के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हो जाएं और उत्पीड़ित लोगों की रक्षा करें।"

10 मार्च, 1950 को वे कोलकाता गए और पूर्वी बंगाल से हिन्दुओं के निष्कासन को रोकने के लिए पाकिस्तान को चेतावनी दी। इसके फलस्वरूप 8 अप्रैल, 1950 को पाकिस्तान अल्पसंख्यक हिन्दुओं की रक्षा करने और उनकी सम्पत्ति लौटाने के लिए सहमत हो गया। 17 नवम्बर, 1950 को उन्होंने चीन की विस्तारवादी नीति पर करारा प्रहार किया और तिब्बत को हड़पने की कोशिश को विश्व शांति के लिए खतरा बताया। सरदार पटेल स्वतंत्र भारत में मात्र तीन वर्ष और चार माह ही जीवित रहे फिर भी इस अल्पकाल में उन्होंने देश की सभी जटिल समस्याओं का समाधान कर दिया था। 15 दिसंबर, 1950 को सरदार पटेल का हृदय रोग के कारण देहांत हुआ।

'भारतीय' परम्परा से ही धार्मिक प्रवृत्ति के रहे हैं। राष्ट्रीय अखंडता का यह तकाज़ा नहीं है कि हम अपनी भाषा और धर्म का परित्याग करें। धर्मनिरपेक्षता से हमारा अर्थ धर्म का पालन करने से नहीं बल्कि सभी धर्मों का समान आदर करना है। दुर्भाग्य से अन्य देशों की तरह ही भारत में भी असहिष्णुता बढ़ रही है। दल, समूह और व्यक्ति संकीर्ण विचारों की वकालत करते हैं। कट्टरवादी लोग अपने धर्म, जाति या भाषा की अभिव्यक्ति इस प्रकार कर रहे हैं, जिससे व्यापक हितों की उपेक्षा होती है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के मुख्य तत्व आर्थिक विषमता की खाई पाटना, साम्प्रदायिकता और संकीर्ण क्षेत्रीयता का दमन, जातिवाद का उन्मूलन और भाषाई कट्टरता का शमन आदि हैं।

हमारी जीवनधारा ''वसुधैव कुटुम्बकम्'' पर चलने वाली है। हमारा उद्देश्य है– ''सर्वे भवन्तु सुखिनः''। भगवान बुद्ध से लेकर वर्तमान में मोदी तक, भारत ने समूचे विश्व को शांति और एकता का संदेश दिया है। हमारा राष्ट्र हमारे विचारों से, हमारी भावनाओं से, हमारी चेतनाओं से, हमारे प्रयासों से, हम सबसे मिलकर ही बनता है। आज राष्ट्रीय एकता को फिर से सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें सरदार पटेल द्वारा बताए हुए मार्ग पर न केवल चलना होगा बल्कि उनके जैसे ही दृढ़तापूर्वक राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए अथक प्रयास भी जारी रखने होंगे।

(लेखक भारत सरकार के गृह मंत्रालय से सेवानिवृत्त हो स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।)

ई–मेल : rakeshnisheeth@gmail.com

कुरुक्षेत्र का आगामी अंक

नवंबर, 2021 – ग्रामीण भारत में खेल

शीघ्र प्रकाशित

अभिनव कौशल और आजीविका

गांधी साहित्य
के अग्रणी प्रकाशक

आज़ादी का अमृत महोत्सव

चुनिंदा ई-बुक
एमेज़ॉन और गूगल प्ले
पर उपलब्ध

Elite Academy For Education Pvt. Ltd. Delhi

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार

हमारी पुस्तकें ऑनलाइन खरीदने के लिए कृपया www.bharatkosh.gov.in पर जाएं।

ऑर्डर के लिए कृपया संपर्क करें : फोन : 011-24365609, ई-मेल : businesswng@gmail.com

बेवसाइट : www.publicationsdivision.nic.in

/dpd_india   @DPD_India   /publicationsdivision

आर. एन. आई./708/57
डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. (एस)-05/3164/2021-23
आई.एस.एस.एन. 0971-8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस.
दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.)-54/2021-23
01 अक्टूबर, 2021 को प्रकाशित एवं 5-6 अक्टूबर, 2021 को डाक द्वारा जारी

R.N.I/708/57
P&T Regd. No. DL (S)-05/3164/2021-23
ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-54/2021-23
to Post without pre-payment at R.M.S. Delhi.

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

Elite Academy For Education

देश के सबसे बड़े सरकारी प्रकाशन समूह संग व्यापार का अवसर

हमारी लोकप्रिय पत्रिकाओं और साप्ताहिक रोज़गार समाचार की विपणन एजेंसी लेकर सुनिश्चित करें आकर्षक नियमित आय

विपणन एजेंसी मिलना... मतलब

- ✓ असीमित लाभ
- ✓ निवेश की 100% सुरक्षा
- ✓ स्थापित ब्रांड का साथ
- ✓ पहले दिन से आमदनी
- ✓ न्यूनतम निवेश-अधिकतम लाभ

रोज़गार समाचार के एजेंसी धारकों के लिए लाभ

प्रतियों की संख्या	खुदरा मूल्य में छूट
20-1000	25%
1001-2000	35%
2001-अधिक	40%

मासिक पत्रिकाओं के एजेंसी धारकों के लिए लाभ

प्रतियों की संख्या	खुदरा मूल्य में छूट
20-250	25%
251-1000	40%
1001-अधिक	45%

विपणन एजेंसी पाना बेहद आसान

- किसी शैक्षणिक योग्यता की बाध्यता नहीं
- कोई व्यावसायिक अनुभव जरूरी नहीं
- खरीद का न्यूनतम तीन गुना निवेश (पत्रिकाओं हेतु) अपेक्षित

सम्पर्क

रोज़गार समाचार
फोन: 011-24365610
ई-मेल: sec-circulation-moib@gov.in

पत्रिका एकक
ई-मेल: pdjucir@gmail.com
फोन: 011-24367453

पत्र भेजें : रोज़गार समाचार, कक्ष संख्या-779, 7वां तल, सूचना भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

प्रकाशक और मुद्रक: मोनीदीपा मुखर्जी, महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.
मुद्रक : जे.के. ऑफसेट, बी-278, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली-110020, वरिष्ठ संपादक: ललिता खुराना